राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का पचासवां दिवस [संख्या: 24

शुक्रवार,

13 मार्च 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्री सतीश पूनियां।

जोजोबा खेती के स्थापित उद्यान

369. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान में जोजोबा की खेती के लिए दी एसोसिएशन आफ जोजोबा नामक संस्था कार्य कर रही है? यदि हां, तो उक्त के अधीन राजकीय भूमि एवं विगत तीन वर्षों में किसानों के खेतों पर स्थापित उद्यानों एवं व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वित्त विभाग के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार श्रमिकों का सीधा नियोजन प्रतिबंधित है? यदि हां, तो क्या जोजोबा के सरकारी उद्यानों में श्रमिकों के नियोजन हेतु उक्त विभाग के निर्देशानुसार प्रक्रिया अपनाई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) जोजोबा संस्थान में विगत तीन वर्षों में राशि दस हजार से अधिक की व्यय कर क्या-क्या सामग्री क्रय की गयी एवं इस हेतु निविदा कब-कब जारी की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। राज्य में जोजोबा की खेती के लिए दी एसोसिएशन आफ राजस्थान जोजोबा प्लांटेशन एण्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, जयपुर नामक संस्था दिनांक 30 नवम्बर, 1994 से कार्य कर रही है। उक्त संस्था द्वारा राजकीय भूमि पर विगत 3 वर्षों में कोई नया जोजोबा उद्यान स्थापित नहीं किया गया। संस्था के पूर्व में स्थापित जोजोबा उद्यानों पर रखरखाव हेतु निम्नानुसार व्यय किया गया:-

(कृषि मंत्री)

वर्ष 2017-18	रुपये 13 लाख 39 हजार
वर्ष 2018-19	रुपये 13 लाख 87 हजार
वर्ष 2019-20	रुपये 8 लाख 67 हजार (दिनांक 10 फरवरी, 2020 तक)

किसानों के खेत पर नये जोजोबा उद्यान स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - वृक्षजनित तिलहन योजनान्तर्गत निम्नानुसार अनुदान दिया गया:-

वर्ष 2017-18	रुपये 10 लाख 69 हजार
वर्ष 2018-19	रुपये 27 लाख 25 हजार
वर्ष 2019-20	रुपये 2 लाख 50 हजार (दिनांक 10 फरवरी, 2020 तक)

(2) जी हां। संस्था में श्रमिकों के नियोजन हेतु वित्त विभाग के निर्देशानुसार प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

(3) संस्था द्वारा पम्पसैट एवं ट्रैक्टर के उपयोग हेतु राशि दस हजार से अधिक का डीजल तत्समय प्रचलित दर पर क्रय किया गया। इसके अतिरिक्त राशि दस हजार से अधिक व्यय एवं निविदा जारी करने का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2017-18	रुपये शून्य	
वर्ष 2018-19	रुपये 18 हजार 372	नर्सरी हेतु पोली बैग क्रय किये गये, जिसकी निविदा दिनांक 06.06.2018 को जारी की गयी।
वर्ष 2019-20	रुपये शून्य	

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे रिलेटेड तीन पूरक सवाल मैं एक साथ ही पूछ लेता हूं, जिससे मंत्री जी को आसानी रहेगी। सरकारी और निजी जमीन पर कितनी खेती होती है और इसके विपणन की क्या व्यवस्था है? प्रोजेक्ट कितने का था और इसकी आडिट और मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है तथा आगामी कार्ययोजना क्या है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह योजना 1994 से स्टार्ट की गयी। इसके प्रथम चरण में 3 करोड़ 14 लाख 48 हजार रुपये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये, जमीन राजस्थान सरकार द्वारा दी गयी। इसका जो द्वितीय चरण है, उसमें 73 लाख 71 हजार रुपये का

(श्री लालचन्द कटारिया)

अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया गया। कुल मिलाकर 3 करोड़ 87 लाख 69 हजार की यह स्कीम है। पिछले दस वर्षों से इसमें कोई काम नहीं हुआ। आपने किसानों की संख्या पूछी है, तो तीन इसमें राजकीय फार्म हैं, जिनमें इसकी खेती हो रही है। बाकी जोजोबा कृषकों की सूची मेरे पास है, जिनमें झुन्झुनूं में 27 कृषक इसको कर रहे हैं, बीकानेर में 9 कृषक कर रहे हैं। यह कुल मिलाकर 2017-18 की है, जिसमें 36 किसान इस खेती को कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरे जिले हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर हैं, जिनमें कुल खेती 32.26 हैक्टेयर में हो रही है और 24 किसान इसकी खेती कर रहे हैं। लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन में बजरी संवेदक द्वारा नियमों व शर्तों की पालना

370. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नदी-नालों से बजरी निकालने के लिए सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गयी है? यदि हां, तो क्या? नीति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में बजरी निकासी का ठेका दिया गया था? यदि हां, तो किन-किन शर्तों व नियमों पर?

(3) क्या संवेदक द्वारा सरकार के नियम व शर्तों की पालना की गयी है? यदि हां, तो शर्तों के अनुसार नदी पेटे व नदी के किनारे क्या-क्या कार्य करवाये गये? यदि नहीं, तो क्या सरकार शर्तों व नियमों का पालन नहीं करने वाले संवेदक पर पैनल्टी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री) (खान मंत्री के स्थान पर): (1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नदी-नालों से बजरी निकालने के लिए पृथक से कोई नीति नहीं बनाई गयी है। इस सम्बन्ध में समुचित प्रावधान राजस्थान खनिज नीति, 2015 एवं उसमें दिनांक 28.02.2017 को किये गये संशोधन में दिये हुए हैं। सम्बन्धित प्रावधानों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में तहसील राशमी एवं कपासन-

(श्री परसादी लाल)

भूपालसागर की राजस्व सीमा में गैर-मुमकिन नदी-नालों में खनिज बजरी के खनन पट्टा आबंटन हेतु 2 मंशा पत्र जारी किये गये। उक्त मंशा पत्र के क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2013 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 19.12.2013 से खनिज बजरी के खनन हेतु अस्थाई कार्यानुमति जारी की गयी। अस्थाई कार्यानुमति एवं संविदा शर्तों की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध हैं।

(3) जी नहीं। प्रकरणवार की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:-

(i) तहसील कपासन-भूपालसागर क्षेत्र में मंशा पत्र धारक द्वारा नदी पेटे एवं नदी के किनारे निर्धारित मापदण्ड अनुसार खनन नहीं कर अव्यवस्थित तरीके से खनन किया गया एवं अन्य अनियमितताएं पाये जाने पर आदेश दिनांक 16.01.2018 से मंशा पत्र एवं अस्थाई कार्यानुमति को निरस्त किया गया। मंशा पत्र धारक द्वारा नदी पेटे से अनुमत 3 मीटर से अधिक गहराई में खनन कर निर्गमित 1,498 टन बजरी पर शास्ति रुपये 4,69,400/- वसूल की गयी।

(ii) हसील राशमी क्षेत्र में मंशा पत्र धारक द्वारा शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर आदेश दिनांक 15.09.2017 से मंशापत्र एवं अस्थाई कार्यानुमति को निरस्त किया गया।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से दो प्रश्न हैं। क्या यह सही है कि सरकार ने मान लिया कि उन्होंने अनियमितताएं की हैं? क्या यह सही है कि मंशापत्र धारक द्वारा राशमी-कपासन के नदी-नालों में अनियमित रूप से बजरी खनन किया गया? ऐसे कौन-कौन से कार्य किये, जो अनियमित थे? ये सदन को बताएं।

दूसरा, जब इनको आपने कांट्रेक्ट दिया था, 25.11.2013 और 19.12.2013 को तथा निरस्त आपने 16.1.2018 और 15.9.2017 को किया। चार वर्षों तक जब अनियमितताएं पाई गयीं तो उनका तो एक साल में ही पता चल गया, फिर भी चार साल तक कांट्रेक्ट क्यों चालू रखा? इसके अलावा अनियमितताएं क्या थीं तथा इसके पीछे क्या कारण है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच की गयी, अधिकारी मौके पर गये तो वहां पर अनियमितताएं पायी गयीं। अधिक

(श्री परसादी लाल)

मात्रा में उन्होंने खनन किया, तीन मीटर से ज्यादा गहराई में खनन किया गया, वहां पर जो गड्ढ़े उन्होंने बनाये, उनको भरा नहीं गया। ये सारी चीजें जांचने के बाद कमेटी ने पाया और उसके बाद इनको निरस्त किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय हाई कोर्ट की डी.बी. का भी इसमें स्थगन आदेश है। उसके अनुसार यह है कि उनकी एप्लीकेशन को पैण्डिंग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने एस.एल.पी. लगाई है, वहां पर भी इस प्रकरण को लेकर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई गयी है, जो 6 सप्ताह में माननीय उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट देगी, तब तक यह काम अभी पैण्डिंग है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा कि जांच कब हुई और चार वर्षों तक क्या किया? इसका जवाब नहीं दिया।

दूसरा, यह पूछ रहा हूं कि क्या सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर, इसकी जांच कराकर एक फर्म पर तो 4 लाख और कुछ रुपयों की शास्ति लगाई और दूसरी कम्पनी को निरस्त किया, उस पर किसी प्रकार की पैनल्टी नहीं लगाई तो क्या उच्च स्तरीय जांच कराकर सरकार उन पर पैनल्टी लगाकर वसूल करने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो इसको खनन पट्टा जारी किया, अस्थाई कार्यानुमति दिनांक 25.11.2013 को दी थी और इसकी अवधि 28.2.2014 तक थी। इसके बाद यह जो अस्थाई आज्ञा थी, इसको आपने एक्सटैंड किया तो कब किया और कब तक किया? उसके बीच में ये जो अनियमितताएं हुई हैं जिनके बारे में आप स्वयं मान रहे हो तो क्या अस्थाई जिस समय आपकी आज्ञा थी, उसी समय किसी ने निरीक्षण किया था या बिना निरीक्षण किये ही इसकी अस्थाई समयावधि बढ़ा दी गयी थी?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने पूछा कि 2013 में इनकी एल.ओ.आई. जारी की गयी थी, उसके बाद इसमें रोक आ गयी थी, उसके बाद फिर दुबारा सरकार ने इनको एल.ओ.आई. जारी की और 2017 तक इन्होंने खनन कार्य किया। उसके बाद जब जांच में यह पाया गया कि इन्होंने इर्रेगुलरटीज की हैं, नियमों की पालना

(श्री परसादी लाल)

नहीं की है, शर्तों का ध्यान नहीं रखा है तो उसके बाद इन्होंने इन आदेशों को निरस्त किया। इन आदेशों के खिलाफ ये हाई कोर्ट गये, हाई कोर्ट में इनकी एप्लीकेशन को पैण्डिंग रखा है, एनवायर्नमेंट क्लियरेंस के बाद ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पैण्डिंग है। वहां पर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई गयी है और उसकी रिपोर्ट के बाद ही इसमें कुछ कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा पूछना इतना था कि जब आपकी अस्थाई आज्ञा इसको थी, वह फरवरी, 2014 तक थी। फरवरी, 2014 में जब इसको एक्सटैंड किया, उस समय किसी ने मौका निरीक्षण करके इसको एक्सटैंड किया या बिना मौका देखे ही एक्सटैंड कर दिया?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बिना मौका देखे तो किया ही नहीं जाता है। इन्होंने इर्रेगुलरटीज कीं, इन्होंने अनियमितताएं कीं, शर्तों का उल्लंघन किया। इसी कारण इनका 2017 में, 2018 में, ये तीन अलग-अलग माइंस हैं, तीनों का अलग-अलग तारीख को निरस्तीकरण किया गया। ये 2013 में जारी की गयी थी। शासन द्वारा उसके बाद दिनांक 05.02.2014, 01.09.2015 को उक्त दोषियों को नोटिस जारी किया गया। उसके बाद भी पिछली सरकार ने कार्यवाही नहीं की। इसलिए ये खनन करते रहे और उसके बाद इन्होंने पैनल्टी भी लगायी है। करीब एक करोड़ से भी ज्यादा इन तीनों के खिलाफ पैनल्टी लगायी है, वसूली की गयी है। बहुत सारे प्रकरण दर्ज किये गये हैं, एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई गयी है। इन्होंने इल्लीगल माइनिंग की है। यह तो स्पष्ट है, तभी तो इनके खिलाफ एफ.आई.आर. वगैरह दर्ज हुई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह नहीं था। मेरा पूछना यह था कि जब आपकी अस्थाई आज्ञा फरवरी, 2014 तक थी तो जिस दिन 2014 से आपने इसका एक्टेंशन किया, उस दिन आपकी रिपोर्ट क्या बोल रही है? जिसने इंस्पेक्शन किया होगा, फिर एक्सटेंशन किया गया, वह रिपोर्ट क्या बताती है? उस समय सब नियमों से चल रहा था क्या या किसी ने बिना देखे इसको एक्सटेंड कर दिया? उसकी रिपोर्ट हमें बता दो, क्या रिपोर्ट है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसकी रिपोर्ट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। इसकी रिपोर्ट आते ही आपको उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। पानाचन्द मेघवाल।

कोटा सम्भाग में किसानों को देय सहकारी फसल ऋण

371. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के कितने किसानों को कुल कितना सहकारी फसली ऋण देने का लक्ष्य रखा था? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से अब तक कितने किसानों को कुल कितना फसली ऋण दिया जा चुका है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि किसानों को उनकी साख सीमा (लिमिट) के अनुरूप ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है?

(4) उक्त अवधि में कोटा सम्भाग में किसानों को कितना ऋण दिया गया तथा उनकी साख सीमा क्या थी? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में किसानों को निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले काफी कम ऋण स्वीकृत किया गया? क्या उक्त अवधि में किसानों को फसली ऋण मिलने में विलम्ब हुआ हैं? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि प्रदेश के कई भूमि विकास बैंक घाटे में होने के कारण बन्द होने के कगार पर है? यदि हां, तो क्यों व कौन-कौनसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकार द्वारा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से प्रदेश के पात्र कृषकों को रुपये 16000.00 करोड़ का अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। किसानों की संख्या के लक्ष्य पृथक से निर्धारित नहीं किये गये है।

राज्य सहकारी बैंक द्वारा राज्य में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य केन्द्रीय सहकारी बैंकवार ही आबंटित किये जाते हैं।

केन्द्रीय सहकारी बैंकवार आबंटित लक्ष्यों की विगत परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 2019-20 में सहकारी बैंकों द्वारा खरीफ, 2019 में 18.20 लाख कृषकों को 4,583.83 करोड़ तथा रबी 2019-20 में दिनांक 05.03.2020 तक 15.29 लाख किसानों को 4,442.50 करोड़ रुपये का फसली ऋण स्वीकृत कर कृषक के DMR (डिजिटल मैम्बर रजिस्टर) खाते में जमा दे दी गयी है। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(सहकारिता मंत्री)

(3) किसानों को निर्धारित साख सीमा एवं बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार फसली ऋण वितरण किये जा रहे हैं।

(4) वर्ष 2019-20 में दिनांक 05.03.2020 तक किसानों को कोटा सम्भाग में स्वीकृत फसली ऋण, स्वीकृत साख सीमा की विगत परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(5) राज्य की सहकारी बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2019-20 में दिनांक 05.03.2020 तक 9,026.33 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत कर कृषक के DMR (डिजिटल मैम्बर रजिस्टर) खाते में जमा दे दी गयी है। इस वित्तीय वर्ष में फसली ऋण वितरण आनलाइन पद्धति से किये जाने तथा बैंकों के पास सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण विलम्ब हुआ है ।

(6) वर्ष 2018-19 के अंकेक्षित आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 19 सहकारी भूमि विकास बैंक वर्ष के दौरान रुपये 6,289.16 लाख की वार्षिक हानि में रहे हैं तथा 27 सहकारी भूमि विकास बैंक रुपये 52,075.15 लाख की संचित हानि में रहे हैं। बैंकवार विवरण परिशिष्ट-4 व परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। घाटे में रहने का मुख्य कारण लक्ष्यानुसार वसूली न होना रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने और हमारे सहकारिता मंत्री जी ने... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न-प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): किसानों का ऋण माफ किया। बिन्दु नम्बर एक व 2 में जो 16 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य बताया गया है और किसानों को ऋण वितरण किया गया 9 हजार करोड़ रुपये के लगभग। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि लक्ष्य से इतना कम वितरण क्यों किया गया? नम्बर दो, जब बिन्दु नम्बर 6 में, भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं। क्या सरकार इन भूमि विकास बैंकों, सहकारी बैंकों को बंद करने का प्रयास कर रही हैं? या इनका जो वित्तीय घाटा है, इसको राज्य सरकार वहन करके किस प्रकार से आगे चालू करने का प्रयास करेगी?

नम्बर तीन, आपने किसानों का ऋण माफ किया, इसके लिए बहुत

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

बहुत बधाई लेकिन जो डिफाल्टर किसान अब क्लीयर हो चुके हैं, क्या सरकार उनको पुन: ऋण देने का प्रयास करेगी?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि 16 हजार करोड़ के अगेंस्ट 9 हजार करोड़ का ही ऋण वितरण कर पाये हैं। संसाधनों की कमी थी, इस कारण से यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ लेकिन सरकार धीरे-धीरे संसाधन जुटा रही है। पहले पचास हजार का लक्ष्य रखा था एक किसान को ऋण देने का, फिर उसको 25 परसेंट बढ़ाकर 62 हजार 500 किया, अब हमने 50 परसेंट बढ़ाकर के 75 हजार कर दिया है। आगे भी क्रमश: धीरे-धीरे बढ़ाकर के जितनी उनकी साख सीमा है, उतना ऋण देने का प्रयास करेंगे।

जहां तक भूमि विकास बैंक के घाटे का सवाल है। मैंने जब मंत्रालय सम्भाला तभी जानकारी में आया था कि इस प्रकार से घाटे में बैंक चलाना उचित नहीं है। इसको समायोजित करना चाहिए, लेकिन 500 करोड़ का घाटा है। सरकार से अगर संसाधन मिल जाएंगे तो दोनों बैंकों को मिलाकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन बैंक घाटे में चल रहा है, यह सत्य है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उदयपुर ने ऐसा क्या अपराध किया कि आपको उनको खरीफ में देना था 260 करोड़, उसकी जगह आपने 49 करोड़ दिया और रबी में आपको देना था 160 करोड़, उसकी जगह आपने 59 करोड़ दिया तो ये सब मिलाकर के 420 करोड़ के अगेंस्ट में 110 करोड़ रुपये दिया। क्या किसान लेने को तैयार नहीं थे या आपकी देने की स्थिति नहीं थी?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): रबी का जहां तक सवाल है, 31 मार्च तक जारी है, तो 31 मार्च तक जो भी किसान आएंगे, उनको दिया जाएगा। उस समय जो किसान आये थे, उन सबको उपलब्ध करा दिया गया है। किसान नहीं आये होंगे, इसी कारण से ये कमी रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): नहीं, अगर ऐसा कोई आवेदन किसानों का आया हो तो बताएं, किसी ने कोई शिकायत नहीं की कि हमें ऋण नहीं मिला है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा तो इतना ही है कि आपके पास पैसा था पर, उदयपुर जिले के किसान लेना ही नहीं चाहते थे या उन्होंने मांग ही नहीं रखी, यह कहना चाहते हो क्या आप?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जितने किसानों के आवेदन आये, उन सबको मिल गया। इस प्रकार का यह प्रश्न लगा है तो यह बात सामने आयी है अन्यथा, मैं भी उदयपुर जाता रहता हूं। किसी ने भी कभी कोई शिकायत मेरे सामने नहीं की कि मेरे को ऋण नहीं मिल रहा है। मैं भी उदयपुर जाता रहता हूं, राजसमन्द जाता रहता हूं। यह बात नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। आलोक बेनीवाल।

शाहपुरा में ग्रामीण परिवहन बसों का संचालन

372. श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में ग्रामीण परिवहन की कितनी बसें कहां-कहां से संचालित की जा रही हैं? उक्त क्षेत्र में ग्रामीण परिवहन सेवा की बसें चलाने हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रामीण परिवहन की बसें संचालित नहीं की जा रही हैं।

उक्त क्षेत्र में ग्रामीण परिवहन सेवा की बस चलाने के सम्बन्ध में निम्न मार्गों के प्रस्ताव परीक्षणाधीन हैं:-

1	विराटनगर-शाहपुरा वाया पालड़ी
2	शाहपुरा-धानोता
3	शाहपुरा-खेजरोली वाया अजीतगढ़
4	शाहपुरा-चौमूं वाया गोनाकासर

सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें। कहना नहीं है।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): ये जो मार्ग प्रक्रियाधीन है, परीक्षणाधीन हैं। मैं यह चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र इस मार्ग पर बस संचालित करने की प्रक्रिया को पूर्ण करके, आज जो आम जनता को परेशानी हो रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। आप चाहते हैं कि बस प्रारम्भ की जाए। माननीय मंत्री जी। बैठें आप।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): शीघ्र प्रारम्भ की जाए, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये एम.एल.ए. साहब को बताना चाहता हूं कि आपके यहां पर 124 बसें संचालित हो रही हैं। आपने जो चार मार्गों का कहा है, ग्रामीण परिवहन सेवा जन घोषणा पत्र का पार्ट है। कैबिनेट की पहली मीटिंग में जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाकर अधिकारियों को दे दिया गया है। चीफ सैक्रेटरी को देकर यह कह दिया गया है कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे तुरन्त प्रभाव से सारा काम करें। ग्रामीण परिवहन सेवा को लेकर भी पूरे राजस्थान में मार्ग मांगे गये हैं। अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये है, ग्रामीण परिवहन सेवा की पूरी तैयारी है। पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, हम इसको शुरू करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न। श्री जोगेश्वर गर्ग।

राजस्थान वक्फ बोर्ड में कब्रिस्तान की रजिस्टर्ड भूमि

373. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान वक्फ बोर्ड में कब्रिस्तान की कितनी भूमि रजिस्टर्ड है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कब्रिस्तान से सम्बन्धित वक्फ कमेटी, जो वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है, सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) देवस्थान विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था जिनके द्वारा कब्रिस्तान की देखरेख की जा रही है, भूमि के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

वक्फ मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) राजस्थान वक्फ बोर्ड में 5,910 कब्रिस्तानों की भूमि पंजीकृत है, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(वक्फ मंत्री)

(2) कब्रिस्तान से सम्बन्धित 19 वक्फ कमेटियां राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा गठित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

इनके अतिरिक्त जिला व तहसील स्तर पर 105 वक्फ कमेटियों का राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा गठन किया गया है, जो कब्रिस्तान सहित अन्य वक्फ सम्पत्तियों का प्रबन्धन एवं रख-रखाव करती हैं। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) देवस्थान विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत किसी भी संस्था द्वारा वक्फ बोर्ड में पंजीकृत कब्रिस्तान की देख-रेख नहीं की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा- 3(द) के अनुसार, 'वक्फ किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो मुस्लिम विधि द्वारा पवित्र धार्मिक या पूर्त माना गया है, किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का स्थाई समर्पण।' यही यदि मानते हैं तो मेरा प्रश्न है कि यह जो 5910 सम्पत्तियां कब्रिस्तान के रूप में वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, क्या वह इस तरह से किसी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित-भेंट की गयी थी और क्या कब्रिस्तान के रखरखाव को धार्मिक क्रिया माना जाता है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां कब्रिस्तान या वक्फ की ऐसी सम्पत्तियां होती हैं, उन सम्पत्तियों में हम सभी लोग ट्रस्टी के रूप में होते हैं। उनके रखरखाव का काम, वहां की स्वयं की कमेटीज बनती हैं, जिनको वक्फ बोर्ड द्वारा गठित किया जाता है, जब उनका गठन किया जाता है तो वह कमेटी ही उनकी देखरेख करती हैं तो तमाम, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे अन्य वक्फ सम्पत्ति हो, उसकी देखरेख और उनके तमाम जो काम हैं, वहां की लोकल कमेटी के द्वारा, जो कि बोर्ड द्वारा गठित कमेटियां होती हैं, उनके द्वारा किया जाता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मेरा प्रश्न है, आई कहां से? दूसरा पूरक प्रश्न मेरा यह है कि क्या कब्रिस्तान की भूमि का उपयोग केवल और केवल फौतकी प्राप्त लोगों को दफनाने के लिए ही होता है या उसका उपयोग दुकान

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बनाने के लिए, गैस्ट हाउस बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए या मस्जिद बनाने के लिए भी किया जा सकता है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले जो कहा कि कब्रिस्तान या वक्फ सम्पत्तियां जो होती हैं, जहां कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को छोड़ करके जो जमीन उपलब्ध रहती है, उसमें व्यावसायिक और अन्य काम वहां पर कराये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): किस नियम के तहत? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज हो गया। अगला प्रश्न, श्री अमृतलाल मीणा। आपको जरूरी है वकालत की? अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर में पोषाहार सामग्री के सुचारु वितरण की कार्ययोजना

374. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पात्र बालकों व महिलाओं को विशेष पोषाहार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी व झल्लारा में किन-किन स्थानों पर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा व किन-किन स्थानों पर संवेदकों द्वारा पोषाहार सामग्री सप्लाई की जा रही है? क्या सरकार उक्त में कोई संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि काफी लम्बे समय से उक्त विधान सभा क्षेत्र के सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसमंद, झल्लारा पंचायत समितियों में संवेदकों द्वारा पोषाहार सामग्री की सप्लाई नहीं की जा रही है? यदि हां, तो सरकार सप्लाई को सुचारु रखने के क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी हां। समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आयु-वर्ग 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है। उपलब्ध करवाये जा रहे पूरक पोषाहार का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

पूरक पोषाहार की आपूर्ति संवेदकों द्वारा नहीं की जाती है, परन्तु स्थानीय स्तर पर गठित महिला स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त कर आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरण किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों का आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2020-21 की बिन्दु संख्या 52 के अनुसार पोषाहार वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने तथा इसमें विविधता लाने की कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए विभाग प्रयासरत है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, जयसमंद, झल्लारा पंचायत समितियों के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संवेदकों द्वारा नहीं, अपितु स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा पोषाहार सामग्री की सप्लाई की जाती है।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पोषाहार में गड़बड़ी होती है। बच्चों की संख्या ज्यादा बताकर फर्जी पैसा उठाया जाता है। क्या आंगनबाड़ी केंद्रों पर कैमरा लगाकर या व्हाट्सएप ग्रुप से डेली रिपोर्ट राज्य सरकार मंगाने की इच्छा रखती है?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, वह विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों की भी चिंता है कि पोषाहार के तहत बच्चों को उचित स्तर पर पोषाहार वितरण होना चाहिए और लाभार्थी को पूरा लाभ होना चाहिए। सरकार पारदर्शिता लाना चाह रही है और इसी के संदर्भ में जो हमारा पूर्व बजट माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने पढ़ा था इसी विधान सभा में, हमने पारदर्शिता लाने के लिए पोस मशीन का पायलट प्रोजेक्ट चाकसू के माध्यम से शुरू करने की घोषणा की थी जिसको बहुत शीघ्र चालू किया जा रहा है। हम लोग पोस मशीन द्वारा बच्चे की जांच करेंगे कि वह बच्चा फिजिकल तौर पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैमरे की जहां तक बात है तो पोस मशीन तो अपने आपमें अटेंडेंस का बहुत बड़ा एक तरह से सूत्र बन जाएगा और कैमरे की बात है तो हम लोगों के यहां पर जो राजपोषण फर्स्ट स्कीम चल रही है, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाये हुए हैं एल.एस. के, आंगनबाड़ी वर्कर्स के, सी.डी.पी.ओज. के, डी.डीज. के और हमारे हैड आफिस तक, डायरेक्टरेट तक हम सब लोग उन ग्रुप्स के माध्यम से डेली की प्रजेंस लेते हैं और डेली कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितनों को पोषाहार मिल रहा है, कितनी महिलाएं आ रही हैं, उनकी डेली एकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री महोदय जी ने जो जवाब दिया है वह तो बिलकुल गोलमोल ही दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि एक ही परिवार में 10 या 20 स्वयं सहायता समूह बनाकर रखा है। क्या सरकार अपने लेवल पर जांच कराकर पूरे मेरे विधान सभा क्षेत्र में जांच कराएगी? दूसरा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक साल में कितना पोषाहार दिया, नहीं दिया, क्या उच्च कमेटी द्वारा जांच कराके बताएंगे?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की माननीय सदस्य चिंता जाहिर कर रहे हैं कि एक ही सदस्य के परिवारों द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाने की बात है, तो इसके संदर्भ में भी हमारे विभाग ने, हम लोगों ने नवाचार किया है। एल.एस. इसका सत्यापन करेगी कि पहली बात तो आंगनबाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी, हमारे जितने भी आंगनबाड़ी में कार्यरत मानदेयकर्मी हैं, उनके परिवार से कोई जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यह एलएस. सत्यापित करेगी और एक व्यक्ति अगर ज्यादा एस.एच.जी. बनाता है तो उसके ऊपर भी हमारे विभाग द्वारा जांच की जाएगी। माननीय सदस्य को अगर किसी विशेष एस.एच.जी. या किसी विशेष सेंटर पर इस तरह की आपत्ति है तो आप मुझे सूचित करें, मैं निश्चित तौर पर इसकी जांच करवाऊंगी। अगर कोई गलत पाया गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सर, वह सुपरवाइजर खुद...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात समझ में आ गयी। जांच करवाने के लिए कह दिया है न। नहीं, माननीय सदस्य, प्लीज। अगला प्रश्न। श्री संजय शर्मा।

सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में संचालित रिसोर्ट एवं होटल

375. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में किस प्रक्रिया के तहत निजी रिसोर्ट व होटल संचालित किये जा सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अभयारण्य क्षेत्र में निजी रिसोर्ट व होटल संचालित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर, किस-किस नाम से संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त रिसोर्ट व होटलों द्वारा विभाग के

(श्री संजय शर्मा)

नियमों के अन्तर्गत निर्माण किया गया है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में संचालित रिसोर्ट व होटलों के आवेदनों पर की गयी विभागीय कार्यवाही विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 33(क) अनुसार अभयारण्य के भीतर वाणिज्यिक पर्यटक लाज, होटलों/चिडियाघरों और सफारी उप वनों का संनिर्माण राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही करवाया जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में उक्त प्रावधान दिनांक 01.4.2003 से अंतः स्थापित किया गया है।

(2) जी हां। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में निजी रिसोर्ट/होटल संचालित हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	**गतिविधि का नाम**	**गतिविधि स्थल**
1.	सरिस्का पैलेस	सरिस्का (रूंध कालीघाटी)
2.	टाइगर डेन	सरिस्का (रूंध कालीघाटी)
3.	होटल टाइगर हैवन	अमराकाबास
4.	बैराबास स्थित होटल	बैराबास
5.	सरिस्का ढाणी	इन्दोक

(3) जी नहीं। विवरण परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो होटल संचालित हो रहे हैं उनकी सूची दी है, वह बहुत कम है। सरिस्का वन्य क्षेत्र के आस पास बहुतबड़ी मात्रा में रिसोर्ट्स और होटल्स का निर्माण भी हुआ है और संचालन भी हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सरिस्का वन्य अभयारण्य के आस पास रहने वाले ग्रामवासियों में वन्यजीव के प्रति सुरक्षा की भावना व वन की सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो, साथ ही साथ उनको रोजगार मिले, उसके लिए क्या राज्य सरकार गुजरात सरकार की तर्ज पर गैस्ट हाउस या होली डे होम बनाने की अनुमति देने की मंशा रखती है? साथ ही साथ सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में पांडुपोल में हनुमान जी का एक बहुत पुराने काल का मंदिर है, उसमें पूर्व में मंगलवार व शनिवार...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): प्रश्न यह है, एक तो...

श्री अध्यक्ष: समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): गैस्ट हाउस खोलने की अनुमति देना चाहते हैं या अब जो निर्माण कार्य चल रहे हैं और जिस प्रकार से संचालन हो रहा है तो क्या वन अधिकारियों की देखरेख में जो निर्माण हुए हैं उन वन अधिकारियों के खिलाफ सरकार उचित कार्यवाही करने की मंशा रखती है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, होटल सरिस्का पैलेस स्टेट टाइम से बना हुआ है और स्टेट टाइम से मैसर्स शिब्बा प्राइवेट लिमिटेड को बेचान कर दिया था। उसको निरस्त करने की कार्यवाही चल रही है। दूसरा होटल है, टाइगर डैन, यह आर.टी.डी.सी. द्वारा संचालित है। तीसरी होटल है, टाइगर हैवन, इसका कोर्ट में मामला लम्बित है। अगली होटल बैराबास स्थित है, इसमें रमेश ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही चल रही हैं। एक सरिस्का ढाणी है, जिसका संचालन वर्तमान में बंद है। सरिस्का के अन्दर वर्तमान में जो पांच होटलें बनी हुई हैं ये सरिस्का अभयारण्य में है। एक सरिस्का टाइगर रिजर्व कोर है, इसमें होटल अमन बाग़ संचालित है, वर्तमान में अजमेर कोर्ट में विचारार्थ है। इसके अलावा किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। यह होटलें 1.4.2003 से पहले पहले बनी हैं, उसके बाद कोई होटल नहीं बनी।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो होटल टाइगर हैवन है, इस पर स्थगन आदेश है। इसी तरह से बैराबास में भी स्थगन आदेश है। यह स्थगन आदेश कब से है और इस स्थगन को समाप्त करने के लिए विभाग ने क्या प्रयत्न किये?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): टाइगर हैवन में 3.7.2019 को निर्णय पारित किया है। अगली तारीख पेशी 17.3.2020 को है। टाइगर डैन आर.टी.डी.सी. के अंडर में है, उसका वह संचालन कर रही है, 12 मई, 1975 को फोरेस्ट विभाग ने 14.8.1975 को संचालन के लिए आर.टी.डी.सी. को दे दिया था।

श्री अध्यक्ष: संजय जी, पूछना है?

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न था कि गुजरात सरकार की तर्ज पर आसपास बचे ग्रामीणों को रोजगार मिले, उसके लिए क्या हम होली डे होम या गैस्ट हाउस

(श्री संजय शर्मा)

बनाने की मंशा रखते हैं? साथ ही साथ पहले पांडुपोल जाने के लिए मंगलवार और शनिवार को नि:शुल्क वाहन जाने की व्यवस्था थी, अब उस पर शुल्क लगा दिया गया है। क्या सरकार श्रद्धालुओं को वहां जाने के लिए नि:शुल्क वाहन चलाने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: बहुत ज्यादा हो गया। उत्तर सुनना है या बोलना है उत्तर सुनना है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, सरिस्का क्षेत्र में राजस्व भूमि व टाइगर रिजर्व में भर्तृहरि धाम, भर्तृहरि तिराहा, कुशलगढ़ तिराहा, ताल वृक्ष, नारायणी माता का धाम, लगभग 300 छोटी दुकानें, ढाबे, टीन शेड, खोखे बने हुए हैं। वर्तमान में वह रोजगार पा रहे हैं साथ ही गुजरात की तर्ज पर यहां कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

'एक उद्यमी एक खेल योजना' के अन्तर्गत खेलों का विकास

376. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी हेतु औद्योगिक घरानों से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया गया है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) "चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि." गढ़ेपान जिला कोटा द्वारा विधान सभा क्षेत्र सांगोद में खेलों के विकास पर विगत दो दशक से क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में "एक उद्यमी-एक खेल योजना" एक विचार ही है? यदि नहीं, तो किस जिले में किस खेल के विकास पर औद्योगिक घराना ध्यान दे रहा है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वरिष्ठ सदस्य को बताना चाहता हूं कि (1) प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी हेतु औद्योगिक घरानों से सहयोग प्राप्त हुआ है जिसका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि. कोटा द्वारा विधान सभा क्षेत्र सांगोद में खेलों के विकास पर विगत दो दशकों से राज्य सरकार के साथ मिलकर या सहयोग दिया जाकर कोई प्रयास नहीं किये गये हैं।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(3) जी नहीं। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के बिन्दु संख्या 138 में घोषणा की गयी है। वर्तमान में औद्योगिक घरानों द्वारा किये गये योगदान का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने खण्ड एक में जिलेवार सूची मांगी थी, वह परिशिष्ट-क पर संलग्न नहीं है, आप अवलोकन कर लें। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बजट घोषणा 2019-20 में आपने सक्रिय निजी सहयोग का उल्लेख किया था। आपने परिशिष्ट-क पर जो उत्तर दिया है, उसको देखते हुए जो सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं और अगर संतुष्ट नहीं हैं तो इसको बढ़ावा देने के लिए आप अब क्या प्रयास करेंगे? यह बताएं।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 6 महीने के पहले के बजट में एक उद्योग एक खेल की घोषणा हुई थी। इसके तहत हमने स्टेट गेम्स में एक ट्रायल किया। स्टेट गेम्स में 18 गेम्स थे और 18 गेम्स को अलग-अलग घरानों को, मैंने इस लिस्ट में दिया है स्टेट बैंक आफ इंडिया ने 27 लाख रुपये, आई.ओ.सी. ने 25 लाख रुपये, राजस्थान स्टेट माइन्स मिनरल ने 24 लाख रुपये, शिव नरेश ने 50 लाख रुपये, एयू बैंक ने 11 लाख रुपये, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ ने 11 लाख रुपये, जिंदल शॉ ने 10 लाख 78 हजार रुपये, नरसी इंटीरियर ने 10 लाख 78 हजार रुपये, श्याम मंदिर ने 5 लाख रुपये, श्री फाउंडेशन ने 5 लाख, CEO-SSMM ने 4 लाख 99 हजार, RSWM ने 4 लाख 90 हजार रुपये दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत थी कि किस प्रकार से एक उद्योग घराने को एक खेल की जिम्मेदारी दी जाए। यह जिम्मेदारी स्टेट गेम्स में दी, उन्होंने बिलकुल जिम्मेदारी से निभाया और आने वाले समय, मैं आपका प्रश्न बिलकुल समझ रहा हूं कि जो उद्योग जिस इलाके में लग रहा है, उस क्षेत्र के, उस जिले के खेलों के विकास में उनका सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपसे सहमत हूं। इसके ऊपर भविष्य में काम किया जाएगा और हर जिले में उद्योगों से बात करके खेलों में उनकी सहभागिता बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस प्रयास की तो सराहना करता हूं, मगर जिस प्रकार खेलों का महत्व है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस कोटा सम्भाग से आप आते हैं, वहां कोचिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लाखों बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और कोचिंग संस्थाएं उनसे करोड़ों रुपया कमा रही हैं। क्या सी.एस.आर. के तहत खेलों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कोई कमेटी बनाकर पूरे राजस्थान में इसको मोनिटरिंग करने की भी कोई व्यवस्था है? योजना आपकी सही है, मगर मोनिटरिंग करने की कोई रूपरेखा है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हर जिले में जिला क्रीड़ा परिषद फोर्म हो रखी है और जिला क्रीड़ा परिषद् इन योजनाओं को देखती हैं। निश्चित रूप से यह मेरी नोलेज में है कि कोटा में बहुत बड़ेबड़े कोचिंग सेंटर स्थापित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.एस.आर. में केवल खेल ही नहीं होते, और भी बहुत एक्टिविटीज हैं एजुकेशन की, मेडिकल की, और बहुत सारी फैसेलिटीज की, लेकिन हम निश्चित रूप से भविष्य में यह कोशिश करेंगे कि सी.एस.आर. का पैसा ज्यादा से ज्यादा खेलों में आ सके। यह हमारी प्रायोरिटी भी है और अगले बजट तक हम आपको रिजल्ट भी देंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बजट घोषणा, 2019-20 के बाद यह जो आपने लिखा है कि औद्योगिक घरानों का सहयोग हमें मिला, जिसमें फुटबाल खेल का विकास जावर माइन्स, यह क्या आपकी घोषणा के बाद शुरू हुआ है या यह घोषणा से बहुत पहले से ही वहां इस एक्टिविटी को कर रहे हैं? आपने इसमें दो जगह लिखा है, एक तो टेबल टेनिस लिखा है और एक फुटबाल का लिखा है। क्या ये बजट घोषणा, 2019-20 के बाद शुरू हुई एक्टिविटीज हैं या बहुत पहले से ही चल रही एक्टिविटीज हैं?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न खण्ड-अ का जवाब है। इसमें सीधा सवाल है, प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी हेतु औद्योगिक घरानों से किस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया गया है। बजट घोषणा वाला तीसरा बिन्दु है, यह पहले बिन्दु का भी जवाब है और यह तीसरे

(श्री अशोक)

बिन्दु का भी जवाब है। फुटबाल एकेडमी तो पहले से चल रही है और स्टेट गेम्स में मैंने आपको जो पूरी लिस्ट बतायी, यह हमने इस घोषणा के बाद में लिया है।

प्रश्न संख्या 377

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

होम गार्ड जवानों को नियमित करने की कार्ययोजना

378. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार होमगार्ड के जवानों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला प्रतापगढ़ में पुलिस कर्मियों की कमी को देखते हुए क्या सरकार सभी होमगार्ड को नियमित रूप से 12 माह ड्यूटी देने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी नहीं। होमगार्ड एक स्वयंसेवी संगठन है। राजस्थान होमगार्ड अधिनियम, 1963 की धारा 2 के अन्तर्गत स्वयंसेवकों को नियमित करने का प्रावधान नहीं है।

(2) किसी भी जिले में होमगार्डों की तैनाती पुलिस विभाग की मांग तथा उनको प्राप्त प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के आधार पर की जाती है। यदि पुलिस विभाग द्वारा मांग की जाती है तो गृह रक्षा विभाग चाहे अनुसार होम गार्ड उपलब्ध कराने में सक्षम है।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ पुलिस में काम करने वाले जवान पुलिस अधिकारियों के घर पर काम करते हैं, जिसकी वजह से आये दिन जाम लगता है और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं?

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं हर महीने प्रतापगढ़ जिले जाता हूं। मेरे पास ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, यदि आपके पास कोई सूचना है तो निश्चित तौर पर जांच कराएंगे।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय मंत्री जी, जांच कराएं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

खानपुर में संचालित पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण की कार्ययोजना

379. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में कितने पशु चिकित्सालय एवं पशु उप केन्द्र संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय एवं पशु उप केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों एवं पशु उप केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पशु चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में स्वीकृत 5 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं 7 पशु चिकित्सालयों के राजकीय भवन उपलब्ध हैं।

इस क्षेत्र के स्वीकृत 32 उप केन्द्रों में से 9 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों के राजकीय भवन उपलब्ध हैं। शेष में से 22 पशु चिकित्सा उप केन्द्र ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये भवनों में संचालित हैं तथा एक उप केन्द्र के लिए भवन की व्यवस्था पंचायत स्तर पर की जानी प्रक्रियाधीन है।

(3) विभाग के नाम भू-स्वामित्व के पट्टे एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार पशु चिकित्सा संस्थाओं के राजकीय भवनों का निर्माण करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 32 उप केन्द्रों में से 9 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों पर राजकीय भवन उपलब्ध हैं और 22 में उपलब्ध नहीं हैं। तीसरे खण्ड में मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य करवाया जाएगा। मंत्री महोदय क्या इस

(श्री नरेन्द्र नागर)

बार सरकार के द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर उप केन्द्रों के लिए भवन बनाने का विचार रखते हैं? यदि बनाने का विचार रखते हैं तो कितने केन्द्रों पर आप सरकारी भवन बनाने का विचार रखते हैं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे कि तीसरे खण्ड में लिखा है विभाग के नाम भू-स्वामित्व पट्टे, आप पंचायत से पट्टे लेकर मेरे से सम्पर्क कर लें। मैं तो आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपके यहां अभी हाल ही में हमने 18 पशुधन सहायक लगाये हैं। आपके 12 चिकित्सकों में से 5 के पद खाली हैं, वे भी भर दिये जाएंगे। आपने जो एक-दो केन्द्र दिये हैं, मैं आज बताना चाहूंगा कि वे भी आपके खोल दिये गये हैं।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): जी साहब, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

जयपुर डेयरी में अधिकारियों को पदोन्नति देने की कार्ययोजना

380. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर डेयरी में सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुन: सेवा में रखा गया है? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों को किस-किस कार्य का चार्ज दे रखा है? मय कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डेयरी में सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य की शक्तियां भी दी गयी हैं? यदि हां, तो क्यों तथा क्या उक्त नियम विरुद्ध नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त डेयरी में प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का चार्ज सेवानिवृत्त अधिकारियों से लेकर डेयरी के अधिकारियों को ही देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त डेयरी में वर्तमान में पदस्थापित अधिकारियों की लम्बे समय से पदोन्नति नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों एवं किन कारणों से तथा क्या सरकार उक्त अधिकारियों की शीघ्र डी.पी.सी. कर पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री) (गोपालन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। जयपुर डेयरी में सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुन: सेवा में रखा गया है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

सेवानिवृत्त अधिकारियों का नाम, पद एवं कार्य का विवरण प्रदर्श-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सेवानिवृत्त अधिकारियों को डेलीगेशन आफ पावर के सम्बन्ध में संघ के उप नियम 22.1 (19) (छायाप्रति संलग्न प्रदर्श-ब) के तहत प्रबन्ध संचालक दुग्ध संघ के अधिकारों में वर्णित है कि 'अपनी समस्त या किसी शक्ति एवं उत्तरदायित्वों को अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना, परन्तु अंतिम नियंत्रण एवं अधिकार स्वयं में रहेगा'। उक्त के अन्तर्गत प्रबन्ध संचालक, जयपुर दुग्ध संघ द्वारा जारी तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों से सम्बन्धित कार्यालय आदेश की छाया प्रति संलग्न है (प्रदर्श-स), जिसके तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों को तकनीकी कार्य को सुचारु रखने के लिए केवल सीमित प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदत्त किये गये है, किन्तु चैक जारी करने का अधिकार दुग्ध संघ के प्रबन्ध संचालक के पास निहित है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त के सम्बन्ध में कार्मिक (क -2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.17(10) डीओपी/ए-II/94 जयपुर, दिनांक 08.02.2018 (छाया प्रतियां संलग्न प्रदर्श-द) एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त के सम्बन्ध में आर.सी.डी.एफ. द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों की छाया प्रतियां संलग्न हैं (प्रदर्श-य)।

(3) सक्षम अधिकारियों की नई नियुक्तियां/भर्ती होने पर सेवानिवृत्त अधिकारियों से सीमित प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां वापिस ले ली जाएंगी।

(4) जी हां। शीघ्र ही पदोन्नति की कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण, नियमों, आदेशों, परिपत्रों की प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से तीन पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगी। पहला, जयपुर डेयरी में अंतिम बार डी.पी.सी. कब आयोजित की गयी थी और इतने लम्बे समय से डी.पी.सी. नहीं किये जाने के क्या प्रशासनिक कारण रहे और वर्तमान में अब कब तक डी.पी.सी. कर दी जाएगी? निश्चित समयावधि बताने का कष्ट करें।

दूसरा, क्या सरकार सेवानिवृत्त अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से

(श्रीमती इन्द्रा)

हटाकर नई भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? व नहीं तो क्यों नहीं?

तीसरा प्रश्न, प्रश्न के खण्ड दो में अभी मंत्री जी ने बताया कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य की शक्तियों के सम्बन्ध में जिस उप नियम 22.1 (19) का हवाला दिया गया है, उसमें 'सेवानिवृत्त अधिकारी' शब्द नहीं लिखा है तो क्या सरकार सदन में गलत जवाब देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि जयपुर दुग्ध संघ में अंतिम पदोन्नति 24 फरवरी, 2014 को की गयी थी। नयी भर्तियां होने पर, जो सेवानिवृत्त अधिकारी रखे गये हैं, जब वे हट जाएंगे तो पदोन्नति कर दी जाएगी। दूसरा, पिछले 36 साल में किसी भी पद पर कोई नई भर्ती नहीं हुई है और दुग्ध का कारोबार पांच गुना बढ़ गया है। 504 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों पर नई भर्ती के लिए सरकार ने मंजूरी दी है, जिसमें जयपुर डेयरी में 172 पद हैं। उसके लिए सहकारी भर्ती बोर्ड को 17.01.2020 व 26.02.2020 को पत्र भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

परमिट से संचालित निजी बसों से आय

381. श्री अमीन खां (शिव): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर-जैसलमेर में कितनी निजी बसें संचालित हो रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राज मार्गों पर अनधिकृत निजी बसें भी चल रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) प्रदेश में परमिट के माध्यम से संचालित निजी बसों से राज्य को प्रतिवर्ष कितनी आय अर्जित हो रही है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जिला बाड़मेर में 757 एवं जैसलमेर में 228 निजी बसें संचालित हो रही हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

(2) राष्ट्रीयकृत रोडों पर अनधिकृत निजी बसें चलती पाये जाने पर विभागीय उड़न दस्तों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर प्रशमन राशि वसूल की जाती है।

(3) प्रदेश में परमिट के माध्यम से संचालित निजी बसों से राज्य को पिछले वर्ष 35,941.71 लाख रुपये की आय अर्जित हुई है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री दयाराम परमार।

खेरवाड़ा में पोषाहार का वितरण

382. श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी खेरवाड़ा तहसील क्षेत्र में पोषाहार का वितरण किया जाता है? यदि हां, तो वितरण व्यवस्था किस प्रकार व किस माध्यम से की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के कुछ गांवों में कुपोषित बालक व बालिकाएं पाये गये हैं? यदि हां, तो गांवों के नाम एवं बालकों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुपोषित बालक पाये जाने के क्या कारण रहे तथा सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी हां। समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आयु वर्ग 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार दिये जाने का प्रावधान है। पूरक पोषाहार की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर गठित महिला स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त कर आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरण किया जाता है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के गांवों में कुपोषण के विभिन्न रूपों यथा:- कम वजन (अण्डर वेट), दुबलापन (वेस्टिंग), नाटापन (स्टन्टिंग) के आधार पर पाये गये बालक/बालिकाओं का परियोजनावार विवरण

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। ग्रामवार बालकों की संख्या अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधायक महोदय को पृथक से अवगत करा दिया जाएगा।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पाये गये कुपोषित बच्चों में अभिभावकों के द्वारा पोषक तत्वों, भोजन नहीं दिया जाना, प्रथम 6 माह तक बच्चों को समुचित रूप से मां का दूध नहीं पिलाया जाना तथा पोषण के प्रति जागरूकता की कमी इसका कारण रहे हैं।

कुपोषण की रोकथाम के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। साथ ही चिकित्सा विभाग की सहायता से स्वास्थ्य जांच तथा कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता लाने का कार्य किया जाता है।

जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, उदयपुर द्वारा खेरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में नवाचार के तहत कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों के उपचार हेतु 15 दिवसीय उपचार एवं जागरूकता शिविर लगाकर 362 बच्चों को उपचारित किया गया। परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कुपोषित और अतिकुपोषित 362 बच्चों का उपचार आपने कराया, क्या यह सही है कि आपकी वितरण व्यवस्था ठीक नहीं होने से वह पोषाहार उन बच्चों तक नहीं पहुंचा या क्या यह सही है कि जो पोषाहार आपने बच्चों को दिया, उसमें ऐसा कोई पोषक तत्व नहीं था, जिससे वे बच्चे कुपोषित हुए?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, 362 बच्चे जो हमने आइडेंटिफाइड किये, उनमें से कुछ बच्चे तो शिविर के माध्यम से, जो चिकित्सा विभाग की सहायता से हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर पर लगाते हैं, कुछ बच्चे तो वहीं पर उपचारित किये गये। वे ठीक भी हुए। कुछ बच्चे, जो लगभग 20 बच्चों के आस पास थे, उनको आगे के हास्पिटल में रैफर किया गया। जो कुपोषित बच्चे हैं, इनको भारत सरकार की गाइड लाइन के आधार पर कुपोषण से मुक्ति के लिए अतिरिक्त पोषाहार भी हमारा विभाग प्रोवाइड करवाता है। उसमें 75 ग्राम अतिरिक्त पोषाहार हर

(श्रीमती ममता भूपेश)

कुपोषित बच्चे को अलग से दिया जाता है। डब्ल्यू.एच.ओ. के जो मानदंड हैं, उन मापदंडों के आधार पर ज्यादातर दुबले बच्चों को कुपोषण की श्रेणी में डब्ल्यू.एच.ओ. मान रहा है। इस समय क्योंकि, नाटापन आनुवांशिक भी हो सकता है और दुबलापन वाले बच्चों को ही अतिरिक्त कुपोषित मानकर उनको अतिरिक्त पोषण भी दिया जा रहा है। हमारी सप्लाई की जो बात माननीय सदस्य ने रखी है, सप्लाई पूरे तरीके से जारी है। आंगनबाड़ी सेंटर पर बच्चों के लिए जिस लेवल पर सप्लाई होती है, वह भी दी जा रही है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनमें जो पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी के लिए हम लोग समय-समय पर पोषाहार की जांच करते हैं। अभी भी हमने पूरे राज्य में जिला कलेक्टरों के माध्यम से 19 फरवरी को सभी आंगनबाड़ी सेंटर्स से पोषाहार की जांच के लिए पैकेट मंगवाया है। उनको अब लैबोरेट्री में दिया जा रहा है। अगर उनमें कमी पाई जाएगी, उन स्वयंसेवी संस्थाओं के खिलाफ हमारा विभाग कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री जगसी राम।

प्रदूषण रोकथाम की कार्ययोजना

383. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जनवरी 2019 से अब तक दिन-प्रतिदिन प्रदेश में बढ़ रहे वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दिल्ली की भांति गैस चैम्बर के प्रदूषण से मानव जीवन को बचाने हेतु प्रदेश में भी कोई रोकथाम की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री सुखराम विश्नोई): (1) पर्यावरण विभाग के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा जनवरी 2019 से अब तक वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए किये गये प्रयास परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) प्रदूषण से मानव जीवन को बचाने हेतु प्रदेश में पर्यावरण विभाग के अधीन राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण के लिए मैंने जो सवाल लगाया है, उसमें बड़े-बड़े शहरों का तो प्रदूषण की रोकथाम के लिए बताया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या बालोतरा, बिठूजा और जसोल में टैक्सटाइल इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण की दो सदस्य कमेटी ने तय किया है कि प्रदूषण से वहां के किसानों को, नदी का पानी कृषि योग्य और पीने योग्य नहीं है। क्या मंत्री महोदय ने इसके लिए कोई व्यवस्था की है? दूसरा, मेरा सवाल है लूनी नदी में पानी में प्रदूषण की वजह से एन.जी.टी. ने राज्य सरकार पर लगाया 40 करोड़ का जुर्माना। तीसरा, मेरा सवाल है सांभर झील में पक्षियों की मौत होने की वजह से, जल प्रदूषण की वजह से, सरकार ने क्या किया इसके लिए, क्योंकि हजारों की तादाद में...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए, आप।

श्री जगसी राम (रेवदर): सर, प्रश्न ही पूछ रहा हूं। हजारों की तादाद में पक्षियों की मौत जो हुई है, उसके लिए सरकार ने अभी क्या योजना की? वह बताएं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, राज्य के लघु उद्योगों द्वारा निस्तारित प्रदूषित जल के उपचार हेतु राज्य में 16 संयुक्त सी.टी.पी. स्थापित हैं जिसमें 6 पाली में हैं, 3 बालोतरा में हैं, 2 जसोल में हैं। साथ ही बिठूजा, भिवाड़ी इसके लिए एक-एक संयुक्त उपचार क्षेत्र प्रस्तावित है। जहां तक सांभर का सवाल है, वहां के पक्षियों की मौत बोटूलिज्म बीमारी की वजह से हुई थी। उस पर नियंत्रण पा लिया गया है।

श्री जगसी राम (रेवदर): मंत्रीजी, नियंत्रण के लिए क्या व्यवस्था करवाई गयी?

श्री अध्यक्ष: नियंत्रण पा लिया है। विराजे आप। इसमें क्या है? अगला प्रश्न। श्री हमीर सिंह भायल।

बाड़मेर में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

384. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कितने, कहां-कहां? ट्रेड सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यही भी सही है कि उक्त जिले में रिफाइनरी लगने के कारण आई.टी.आई. प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिये

(श्री हमीर सिंह भायल)

जाने का अवसर है? यदि हां, तो उक्त संस्थानों में रिफाइनरी से सम्बन्धित नये ट्रेड कब से प्रारम्भ कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखे।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। (1) जी हां। बाड़मेर जिले में वर्तमान में 10 सरकारी व 23 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये जा रहे हैं, जिनका ट्रेड सहित विवरण परिशिष्ट क्रमश: 01 व 02 पर संलग्न है।

(2) जी हां। बाड़मेर जिले में रिफाइनरी लगने के कारण आई.टी.आई. प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिये जाने के अवसर में बढ़ोतरी होगी। रिफाइनरी से सम्बन्धित अधिकांश ट्रेड वे ही होते हैं, जो कि बाड़मेर जिले की विभिन्न आई.टी.आई. में स्वीकृत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 01 व 02 में संलग्न है। फिर भी रिफाइनरी से सम्बन्धित विशिष्ट ट्रेड खोलने हेतु रिफाइनरी प्रबन्धन को दिनांक 30.01.2020 व 14.02.2020 को पत्र लिखे गये, परिशिष्ट 03 व 04 पर संलग्न हैं। प्रबन्धन रिफाइनरी से प्रत्युत्तर आना शेष है। यदि रिफाइनरी प्रबन्धन आवश्यकता से अवगत करवाता है तो इस पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के क्रम संख्या 2 में जैसा मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो क्या इसी वित्तीय वर्ष में सरकार नये ट्रेड आरम्भ करेगी? फर्स्ट, सैकण्ड, क्या सरकार आई.टी.आई. के अलावा भी कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करेगी, जो 1 माह से 6 माह तक के होते हैं?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हमने एच.पी.सी.एल. के चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर और चीफ जनरल मैनेजर को पत्र लिखा है, क्योंकि दो प्रकार के स्किल डवलपमेंट की वहां पर जरूरत पड़ेगी। एक वह स्किल्स जो रिफाइनरी लगने के दौरान चाहिए। रिफाइनरी खड़ी होगी, उस समय किस तरह का रोजगार पैदा होगा, एक वह स्किल्स है, रिफाइनरी लग जाने के बाद में निरंतर रिफाइनरी के चलने के लिए जो रोजगार पैदा होंगे, उसकी लिस्ट हम लोगों ने चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर और चीफ जनरल मैनेजर से दूरभाष पर भी बात की है और पत्र भी लिखे हैं। बहुत जल्दी ही हमें उन स्किल्स की

(श्री अशोक)

जानकारी होगी और निश्चित रूप से यदि आई.टी.आई. में ट्रेड बढ़ाने की जरूरत होगी तो हम आई.टी.आई. में ट्रेड बढ़ाएंगे और स्किल डवलपमेंट सेंटर की वहां पर स्थापना करने की जरूरत पड़ेगी तो बिलकुल सरकार यह मानसिकता रखती है कि हम वहां पर स्थापित करके स्किल डवलप करने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रफीक खान।

जयपुर में श्रमिक पंजीयन कार्ड के लम्बित आवेदन

385. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर में श्रमिक पंजीयन कार्ड के कितने आवेदन कब से लम्बित है? उक्त लम्बित आवेदनों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा?

(2) क्या सरकार उक्त के सरलीकरण तथा समय सीमा तय करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

(3) वर्तमान में शुभ शक्ति योजनान्तर्गत जिला जयपुर में कितने आवेदन कब से लम्बित हैं एवं क्या सरकार उक्त योजना में आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): (1) जयपुर जिले मे भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा पंजीयन के वर्षवार लम्बित आवेदनों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	लम्बित आवेदन	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1	विभागीय स्तर पर	214	1,530	1,049	40	4	0
2	हिताधिकारी के स्तर पर	7,240	27,843	12,342	5,323	1,640	114

हिताधिकारियों द्वारा उचित समयावधि में आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने के कारण आवेदनों का अन्तिम निस्तारण होने में विलम्ब होता है। आक्षेप में डाले गये पुराने प्रकरणों में हिताधिकारी द्वारा पूर्ति करने पर उसे सर्वोच्च वरीयता के आधार पर निस्तारित किया जाता है। जिले में शीघ्र ही लम्बित पंजीयन आवेदनों का वरीयतानुसार निस्तारण कर दिया जाएगा।

(2) पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण एक सतत प्रक्रिया है। पूर्व में प्रति वर्ष पांच रुपये प्रतिमाह की दर से अंशदान राशि लिए जाने की प्रक्रिया थी, जिसे दिनांक 24 नवम्बर, 2015 द्वारा पांच वर्षों के लिए एकमुश्त 60/-

(राज्य मंत्री, श्रम)

रुपये जमा कराने की सुविधा दी गयी। पूर्व में दूर-दराज से श्रमिकों को आवेदन हेतु जिला मुख्यालय पर आना पड़ता था। वर्तमान में कोई भी श्रमिक निकट के ई-मित्र केन्द्र द्वारा अपना आवेदन कर सकता है।

आवेदनों के निस्तारण में विलम्ब की स्थिति विभिन्न कारणों से हुई है, जिसमें विकास अधिकारियों द्वारा पंजीयन कार्य में रूचि नहीं लिया जाना, विभाग में निरीक्षकों की कमी एवं पिछले एक वर्ष में विभिन्न चुनाव कार्यक्रमों के कारण घोषित आदर्श आचार संहिता मुख्य है। लम्बित आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष प्रयास के रूप में मुख्यालय स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है एवं वर्तमान में 1,15,651 आवेदन ही विभाग के स्तर पर लम्बित हैं। पिछले एक वर्ष में 3,24,112 आवेदनों का निस्तारण विभाग द्वारा किया गया है।

(3) मण्डल द्वारा संचालित शुभशक्ति योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपकर राशि का प्रयोग अधिनियम की धारा 22 (ए) से (जी) तक उल्लेखित विषयों पर बनाई गयी योजनाओं में लाभ अन्य कल्याणकारी योजना की अपेक्षा प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में सीमित फण्ड उपलब्धता तथा संवेदनशीलता की दृष्टि से सिलिकोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता एवं टूलकिट सहायता के आवदनों को वरीयता देते हुए निस्तारित किया जा रहा है। शुभशक्ति योजना तथा सुलभ्य आवास योजना के आवेदनों को चरणबद्ध निस्तारित किया जा रहा है। दिनांक 08.01.2020 को वर्ष 2016-17 में प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त पात्र श्रमिकों को हितलाभ देने का निर्णय लिया गया है। उक्तानुसार लम्बित आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर 'पहले आओ पहले पाओ पद्धति' से विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(12.00 बजे)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): कब तक, टाइम लाइन तय करें। 2016 से पेडेंसी है, इनको कब तक क्लीयर कर देंगे? फ्यूचर में भी यह टाइमली कमप्लीट हो जाए।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है। पेंडेंसी इतनी अधिक है, फिर भी हमने पंजीयन का दो महीने का समय दिया है कि दो महीने में पूरा कर देंगे।

(श्री टीकाराम जूली)

उसके बाद एक सप्ताह के अन्दर मजदूर का कार्ड बनेगा। अब तो तीन-तीन साल से पंजीयन हो रहा है। तीन साल में भी कार्ड नहीं बन पा रहा है।

दूसरा मैं कहना चाहूंगा, स्कीमों का है उसके लिए भी, सिर्फ शुभ शक्ति और सुलभ्य आवास योजना, इन्हीं की पेंडेंसी बची है बाकी की स्कीम्स में लगभग 95 परसेंट हमने कमप्लीट कर दिया। अभी शुभ शक्ति भी हमने शुरू कर दी है। हम 2016-17 के प्रकरण निपटा रहे हैं। जैसे ही बजट की उपलब्धता होगी, इससे आगे के प्रकरण भी हम निपटाएंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। शोकाभिव्यक्ति।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

हंसराज भारद्वाज, श्री, पूर्व राज्यपाल (कर्नाटक एवं केरल)

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं कर्नाटक एवं केरल के पूर्व राज्यपाल श्री हंसराज भारद्वाज के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

कर्नाटक एवं केरल के पूर्व राज्यपाल रहे श्री हंसराज भारद्वाज का जन्म 17 मई, 1937 को हरियाणा के रोहतक जिले के ग्राम गढ़ी में हुआ। आपने एम.ए., एल.एल.बी. तथा डाक्टर आफ लॉ की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री हंसराज भारद्वाज पांच बार राज्य सभा के सांसद रहे। आप उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ एडवोकेट भी रहे। विधि एवं संसदीय कार्यों का दीर्घ अनुभव रखने वाले श्री भारद्वाज जून, 1991 से जुलाई, 1992 तक केन्द्र सरकार में विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे। आप जुलाई, 1992 से मई, 1996 तक आयोजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रहे तथा इस दौरान आपने विधि, न्याय तथा कम्पनी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री भारद्वाज मई, 2004 से मई, 2009 तक केन्द्रीय सरकार में विधि एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री रहे। आप राज्य सभा में विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे। आप 29 जून, 2009 से 28 जून, 2014 तक कर्नाटक के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। इस दौरान 1 मार्च, 2012 से 9 मार्च, 2013 तक आपने केरल के राज्यपाल का पदभार भी सम्भाला।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री भारद्वाज दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य सहित अनेक विधि संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। आपने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विधि सम्बन्धी विभिन्न सम्मेलनों में

(श्री अध्यक्ष)

भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री भारद्वाज की लॉ, लॉयर एंड जजेज, सोल आफ इंडिया तथा क्राइम, क्रिमिनल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

श्री हंसराज भारद्वाज का दिनांक 8 मार्च, 2020 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें ।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई किसानों की फ़सलों का मुआवजा दिलवाए जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रताप सिंह एवं 19 अन्य सदस्यों की ओर से छीपाबड़ौद तहसीलदार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से कृषि भूमि का अकृषि भूमि में संपरिवर्तन आदेश जारी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बाबुलाल झाड़ोल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ा द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2020 को ग्राम पंचायत विकरणी पर ताला लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामप्रताप कासनियां एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के गांव चक 4 के किसान बुधराम पुत्र श्री मल्लुराम की कर्ज से परेशान होकर हृदयघात से मृत्यु होने के

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्ध में।

(5) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश के गरीब सवर्ण तबक़े के छात्रों को सब्सिडी दिए जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से गोटन थाना अधिकारी द्वारा महेंद्र पुत्र रामलाल जाट, निवासी ईन्दावड़ को कथित तौर पर झूठे मुक़दमे में फंसाकर अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में परीक्षा की कापियों की जांच में बरती जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा में पिछले एक वर्ष से एस.डी.ओ. के रिक्त पद के कारण आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(9) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्व विभाग में राजस्थान पटवार संघ के साथ दिनांक 28.4.2018 को हुए समझौते के अनुसार कार्यवाही नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में औद्योगिक इकाइयों से बढ़ रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश के प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित कर किसानों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के शरीर में शीशा एवं कैडमियम की मात्रा अधिक होने से श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(13) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में गांव धणा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रास्ते में जलभराव होने से विद्यार्थियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(14) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौरासी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झोथरी, करावाड़ा, गदवा व कोचरी का भवन

(श्री अध्यक्ष)

नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में बनने वाले ओवरब्रिज को फोरलेन से थ्रीलेन में परिवर्तित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ ज़िले के चिकित्सालयों में स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी से गर्भवती महिलाओं को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(17) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के पुलिस थाना नोखा से महज 50 मीटर की दूरी पर दिनांक 8 मार्च, 2020 को आपराधिक तत्वों द्वारा गाड़ी पर पेट्रोल डालकर एक व्यक्ति को जिंदा जलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर के सूचना केन्द्र परिसर में प्रस्तावित पार्किंग स्थल को नहीं बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(19) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में सवाई माधोपुर रेलवे पुलिया, रेलवे फाटक तथा चौरड़िया पैट्रोल पम्प चौराहे पर प्रतिदिन लगने वाले जाम से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(20) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में नियम विरुद्ध बिजली की दरें बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में अधूरे पड़े सीवरेज के कार्य को पूरा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अशोक लाहोटी, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्रीमती शोभारानी कुशवाह को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में कृषि योग्य जमीनों पर मूल खातेदारों के अतिरिक्त कब्जाधारियों द्वारा कब्जा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत सुरक्षा गार्डों को नियमित किए जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया के उप खण्ड टिब्बी में उप खण्ड अधिकारी द्वारा कथित रूप से किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर की तहसील नारायणपुर को उप खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से प्रदेश के निजी विद्यालयों में नि:शुल्क पढ़ रहे छात्रों की फीस का भुगतान विद्यालयों को सरकार द्वारा समय पर नहीं किये जाने से स्कूल संचालकों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(6) श्री वाजिब अली, सदस्य की ओर से डीग में चल रही ए.डी.जे. कोर्ट-2 को विधान सभा क्षेत्र नगर में शिफ्ट करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत आमल्दा के निर्वाचित सरपंच द्वारा नामांकन के समय फर्जी दस्तावेज दाखिल करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री गोविंद राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में पेयजल हेतु इंदिरा गांधी नहर से आने वाले पानी में पंजाब की फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती गंगा देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पर्यटन महत्व के ऐतिहासिक तथा पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु बारां-कोटा जिले में सोरसन में चिह्नित भूमि का दायरा

(श्री अध्यक्ष)

बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर की कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(14) श्री कैलाशचन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की ग्राम पंचायत पाराहैडा एवं गोपीनाथ का गडा में विकास अधिकारी तथा सचिव द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री पानाचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अटरू कस्बे को नगरपालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ा हुआ माना जाएगा।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

पर्ची

आज दिनांक 13.03.2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 34 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार

क्र. सं.	माननीय विधायक का नाम	सम्पादित विषय
1.	श्री जोगेश्वर गर्ग	भारत सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए जालौर जिले में किसानों की कृषि भूमि अवाप्त किये जाने के बदले में डी.एल.सी. रेट की बजाय बाजार दर से मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।
2.	श्री फूल सिंह मीणा	उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत मनवा का खेड़ा के राजस्व गांव करणीनगर में यू.आई.टी. द्वारा की गयी तोड़फोड़ को रुकवाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

क्र. सं.	**माननीय विधायक का नाम**	**सम्पादित विषय**
3.	श्री कन्हैया लाल	नवसृजित ग्राम पंचायत बृजलालनगर के घनी आबादी क्षेत्र में मकानों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4.	श्री भरत सिंह कुन्दनपुर	ग्राम खान की झोपडियां को बारां जिले से कोटा जिले में शामिल करवाने बाबत।

हैं:-

माननीय सदस्यगण, आज फाइनेंस बिल पर भी चर्चा है। प्रतिपक्ष के नेता 4 बजे अपना भाषण देंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी 5 बजे अपना भाषण देंगे। दो बिल भी पास करने हैं। आप सबसे निवेदन है कि समय की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपनी बात को संक्षेप में कहें।

माननीय सदस्य श्री अशोक लाहोटी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सांगानेर में विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक जाम

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रक्रिया एवं संचालन के नियम 50 के अन्तर्गत एक अति महत्वपूर्ण विषय रखने के लिए मुझे अनुमति दी। मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में सवाई माधोपुर रेलवे पुलिया, रामपुरा रोड, रेलवे फाटक तथा चौरड़िया पैट्रोल पम्प, जयपुर गेट के आस पास प्रतिदिन दो से ढाई घंटे जाम लगता है। इस जाम में वहां पर आवागमन करने वाले लगभग 50 हजार यात्री प्रतिदिन फंसते हैं। यह भीलवाड़ा स्टेट हाईवे भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस जाम का परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए या तो उस जगह पर टोंक रोड से सवाई माधोपुर रेलवे पुलिया तक एलिवेटेड रोड बनाई जाये, दूसरा विकल्प जो सवाई माधोपुर रेलवे अण्डर पास है, अनुमति लेकर उसकी चौड़ाई को डबल किया जाये और तीसरा रीको फ्लाइ-ओवर से लेकर डिग्गी रोड तक, जो प्रस्तावित रोड जे.डी.ए. ने कर रखी है, सैक्टर रोड

(श्री अशोक लाहोटी)

और दो बार से प्रस्तावित होने के बावजूद वह रोड बन नहीं पा रही है, उस रोड को अविलम्ब बनवाएं, तब तक के लिए यातायातकर्मी लगाकर और अस्थाई अतिक्रमण को हटाकर इसको ठीक करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अध्यक्ष महोदय, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तीन सौ साल पुराना कस्बा है। प्रतिदिन ढाई-तीन घंटे जाम लगना, मैं समझता हूं, यह एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। इसमें आप सरकार का ध्यान आकर्षित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

विद्युत दरों में नियम विरुद्ध वृद्धि

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, लगातार सरकार एक बात कह रही है कि राजस्थान में किसानों की विद्युत दर नहीं बढ़ाएंगे। इसी 01 फरवरी को राजस्थान का किसान, जो गांव में रहता है, उपभोक्ता के रूप में एक करोड़ 52 लाख किसानों पर 15 से 20 परसेंट प्रति यूनिट बिजली की दरों में वृद्धि करके भार इन्होंने लाद दिया। फिक्स्ड चार्ज के नाम पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी। अभी यह स्याही सूखी नहीं थी कि अब सरकार ने एक करोड़ 52 लाख उपभोक्ताओं पर उनसे 475 करोड़ रुपये वसूलने के लिए फ्यूल चार्ज के नाम पर 30 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त लेने की तैयारी कर ली। विधान सभा का सत्र चल रहा है। यह सर्व स्थापित मान्यताएं और परम्पराएं रही हैं कि इनको विधान सभा को सूचित करना चाहिए। इन्होंने आगामी अप्रैल के अन्दर इन बढ़ी हुई दरों को वसूलने का काम भी कर लिया। इससे एक उपभोक्ता पर डेढ़ सौ रुपये से लेकर बारह सौ रुपये तक प्रतिभार लगेगा। दुर्भाग्य यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप इसको लागू कर रहे हैं। आप अक्टूबर से दिसम्बर तक, जो विद्युत उसने उपभोग की, उसके आधार पर आप यह राशि ले रहे हैं। टी. एण्ड डी. लोस और छीजत आप रोक नहीं पाये। सबसे बड़ा गुनाह आपने किया, आपको जो बिजली एनर्जी एक्सचेंज आफ इंडिया से खरीदनी थी, 2 रुपये 45 पैसे प्रति यूनिट, आपके डिस्कॉम ने किसको उपकृत करने के लिए, किस कारण से यह 2 रुपये 71 पैसे प्रति यूनिट खरीदी? और इसके कारण 26 पैसे का यह लोस डिस्कॉम्स का हुआ। आज वह लोस वेरियेबल कोस्ट के नाम पर राजस्थान के एक लाख 52 हजार किसानों पर आप पास कर रहे हैं। मैं समझता हूं, एक तरफ एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर आपने राजस्थान के हर उपभोक्ता से 600 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक लिये। अभी अडानी पावर को आपको 2,700 करोड़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रुपये देने हैं। 18 महीने के लिए आपने जजिया कर के रूप में इन पर 5 पैसे प्रति यूनिट लगा दिये। मैं समझता हूं कि ये जो आप कर रहे हैं, अच्छा रहता, मंत्री महोदय, आप सदन में बताते, फ्यूल चार्ज के नाम पर, आप जो पैसा अप्रैल के बिल के अन्दर लेकर आ रहे हैं, किस आधार पर लेकर आ रहे हैं? राजस्थान के अन्दर उपभोक्ताओं पर जो मार आपने लादी है, मैं समझता हूं, राजस्थान का यह उपभोक्ता खड़ा हो जायेगा, आपको कभी माफ नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

धौलपुर में अपूर्ण सीवरेज कार्य

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नमस्कार। संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि धौलपुर शहर में अमृत योजना के अन्तर्गत फेज प्रथम में चल रहे सीवर लाइन डालने हेतु नगर परिषद्, धौलपुर में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा कुल 72 प्रतिशत क्षेत्र में सीवर लाइन 3 फेजों में डाली जा चुकी है। शेष 28 प्रतिशत के लिए नगर परिषद्, धौलपुर द्वारा डी.पी.आर. तैयार कराई गयी, जिसकी कुल अनुमानित लागत 117 करोड़ 64 लाख रुपये है, जिसमें से अमृत योजना के प्रथम फेज में 35 करोड़ 25 लाख के कार्यों को स्वीकृति दी गयी है। कार्य कराने हेतु 25 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि एवं 10 साल ओ. एण्ड एम. हेतु 6 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। इस राशि में 50 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार, 30 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार और 20 प्रतिशत हिस्सा राशि यू.एल.बी. की निश्चित की गयी है।

जानकारी के अनुसार इस राशि से धौलपुर नगर परिषद् क्षेत्र में लगभग 43 किलोमीटर सीवरेज लाइन डाली जानी थी, जिसमें से अभी मात्र 25 किलोमीटर की लाइन डाली गयी है। वास्तविकता में धौलपुर शहर क्षेत्र में 43 किलोमीटर से भी अधिक की सीवर लाइन की जरूरत है। जानकारी में आया है कि रुडसिको द्वारा 11 फरवरी, 2020 को जारी पत्र से अमृत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि 23 करोड़ 72 लाख रुपये को संशोधित कर मात्र 15 करोड़ कर दिया गया है, जो शहर की जनता के साथ अन्याय है। न ही नगर परिषद्, धौलपुर को बजट दिया जा रहा है और जो बजट दिया गया है, उसमें बजट कम कर दिया गया है। अत: धौलपुर नगर का बहुत बुरा हाल है। आगे

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

आने वाली वर्षा ऋतु में धौलपुर की आम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी।

महोदय, जानकारी में आया है कि उक्त राशि को कम करके जहां एक ओर धौलपुर सीवरेज की राशि नगर परिषद् को न भेजे जाने से अमृत योजना का कार्य खटाई में पड़ता हुआ नजर आता है, वहीं दूसरी ओर राशि की कांट-छांट कर इसे कोटा में किसी अन्य योजना में लगाया जा रहा है, जो सरासर क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है। उपरोक्त विषय में मंत्री महोदय से आग्रह है कि अमृत योजना की स्वीकृत राशि को धौलपुर नगर परिषद् को भेजा जाए, ताकि प्रस्तावित सीवरेज लाइन के कार्य को पूरा किया जा सके।

हमारे धौलपुर शहर में नगर परिषद् की हालत बहुत ही दयनीय है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि नगर परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया जाए कि यह दयनीय हालत सुधारी जाए। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित)। श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत मनवा का खेड़ा के राजस्व गांव करणीनगर में बस्ती के पट्टे

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र मनवा का खेड़ा में करणीनगर राजस्व ग्राम में वर्षों से बसी हुई कालोनी में आज कोई भूमि दलाल, जो वास्तव में वह गरीब बस्ती जो 80 परसेंट से ऊपर आबादी बस चुकी है, उसको भी शिकायत करके तोड़ा जा रहा है। उसको रोकने के लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को आग्रह करता हूं कि आराजी खसरा संख्या 1986, 2008, 2014 से लेकर 2021 की शिकायत दिनांक 06.01.2014 को यू.आई.टी. अध्यक्ष, जिला कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई के माध्यम से अवगत कराया गया था। इस प्लान को 13.03.2014 को

(श्री फूल सिंह मीणा)

अनुमोदित करवा दिया गया था, फिर दुबारा 14.12.2015 को संशोधित प्लान पुन: अनुमोदित करवाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कालोनी के अन्दर जो मकान बन गये, छतें डल गयीं, रहने के लिए वह आने लगे और अभी दस-बारह दिन पहले ही यू.आई.टी. द्वारा उनको तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। जिस गरीब ने मजदूरी करके उस मकान को बनाया, उसको बिलकुल ही धराशायी कर दिया। उसने एक-एक रुपया इकठ्ठा करके और ब्याज से लाकर भवन बनाया, उसको ध्वस्त कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह अवगत कराना चाहता हूं कि 10.05.2017 को पत्रिका के माध्यम से यह शिकायत के लिए भी दिया था। उसके बाद में भी अभी तक उनको पट्टे नहीं दिये गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): कृपया, आपके माध्यम से उनको पट्टा दिलाया जाए, उनके साथ में न्याय हो। धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल।

बृजलालनगर ग्राम पंचायत में मकानों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को पर्ची पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे मालपुरा क्षेत्र में सटी हुई ग्राम पंचायत बृजलालनगर है। इसमें लगभग 25 हजार की पापुलेशन है। 11 के.वी. सब स्टेशन, 33 के.वी. सब स्टेशन और 132 के.वी. सब स्टेशन की तीन हाईटेंशन लाइनें निकल रही हैं। पिछले चार साल में लगभग तीन-चार मौतें हो चुकी हैं। यह मकानों के बिलकुल बीच में से निकल रही हैं, कोई रास्ते में से नहीं निकल रही हैं। इनको शिफ्ट करने के लिए बार-बार विद्युत विभाग को बोला गया। कभी वह पचास लाख का एस्टीमेट बनाकर देते हैं और कभी सत्तर लाख का बनाकर देते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे ग्राम पंचायत से पैसा जमा करवा दें। इसको हटाना बहुत ही जरूरी है, हमेशा ही बहुत टेंशन रहती है, तो मैं यह कहना चाहता हूं,

(श्री कन्हैया लाल)

मंत्रीजी, किसी भी तरह से इसको हटाएं, जिससे हम लोगों को राहत मिल सके। इससे पूरा भय बना रहता है और तीन-चार बार लोगों ने रोड भी जाम की है। इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

खान की झोपड़ियां का बारां से कोटा में स्थानान्तरण

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलवाना चाहता हूं कि आज से तीन दशक पहले बारां जिला और कोटा जिला एक ही जिला हुआ करता था और नया जिला जब बना तो कालीसिंध नदी को सीमा मानकर कालीसिंध नदी के कोटा की तरफ के गांव तो कोटा जिले में थे और कालीसिंध के उस तरफ के गांव बारां जिले में चले गये। एक गांव खान की झोपड़ियां जो पलायता गांव का भाग है और पलायता से 15 किलोमीटर दूर कोटा जिले में है, वह गलती से क्योंकि नदी के इस तरफ था, वह कोटा जिले में होते हुए भी बारां जिले में है। उसमें सारे विकास के कार्य रुके हुए हैं, अंधकार है और खनिज इलाका होने की वजह से, इस पर मैं ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि तीन बार परिसीमन हो गया, पंचायतों को छोटा किया गया, दूसरा बहुत कुछ किया गया पर यह गांव बारां जिले में नहीं होकर कोटा जिले में होना चाहिए। सरकार का ध्यान अनेक बार दिलाया गया, इसका उल्लेख मैं आपके इसमें कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग।

जालौर में भारत माला प्रोजैक्ट के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जो नये प्रोजेक्ट पूरे देश में आ रहे हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट हमारे जालौर जिले में से निकल रहा है। उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के छह गांव दहिवा, सांगाणा, आलवाड़ा, खेतलावास, नारवाड़ा और दादाल टच करते हैं। उसमें जो किसानों की जमीन जा रही है, वह बहुत ही उपजाऊ जमीन है। एक तो किसान हमारा खेतलावास का सरपंच है धाजाराम, उसकी तो पूरी की पूरी, 28 बीघा खेत की पूरी जमीन उसमें लगभग जा रही है, उसका भाव उसको बिलकुल ओने-पौने दाम, जो डी.एल.सी. रेट वहां की है उसको आधार बनाकर दिया जा रहा है, जबकि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार मार्केट रेट

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

से देने का प्रावधान है। उसके हिसाब से वहां पर जो ताजा मतलब, पिछले साल, दो, तीन साल में जो रजिस्ट्रीज हुई हैं, उनको आधार बनाते हुए और बाजार भाव को देखते हुए उसके आधार पर गणना की जानी चाहिए ताकि वापस किसानों को दूसरी जगह जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा मिल सके, यह मेरा निवेदन है। सरकार इस विषय में भारत सरकार से बात करे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। ध्यानाकर्षण, 131, श्री ज्ञानचंद पारख।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पाली नगर परिषद् द्वारा कब्जाधारियों के मकानों का नियमन किये बिना आवासीय योजना का निर्माण

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, 131, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो 131 का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है, इस बाबत मेरा यह निवेदन है कि नगर परिषद्, पाली द्वारा वर्ष 1987 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को योजना बनाकर भूखण्ड आबंटित किये गये थे, यह बात सही है। इसमें 89 आबंटियों की राशि भी जमा करवा ली गयी थी और भूखण्ड का अनुज्ञा पत्र भी जारी कर दिया गया था। उक्त योजना की भूमि पर कई लोगों के द्वारा फिर बाद में अतिक्रमण कर लिया गया तथा नया गांव, जगदम्बा कालोनी के नाम से कच्ची बस्ती बस गयी। अब ग्राम राजस्व पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 629 और 630 का कुल रकबा जो 249.12 बीघा भूमि को जिला कलेक्टर के द्वारा दिनांक 21.06.2018 को नगर विकास न्यास, पाली को आबंटन कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात समझ में नहीं आती है कि जो जमीन सिवायचक नहीं है, नगर परिषद् के खाते में दर्ज है, उसको कलेक्टर के द्वारा नगर विकास न्यास को दी नहीं जा सकती है। सिवायचक जमीन को जरूर कलेक्टर नगर विकास न्यास को दे सकता है या नगर परिषद् को दे सकता है, लेकिन यह दी नहीं जा सकती। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह गलती उनके द्वारा हुई है, लेकिन इससे पूर्व नगर परिषद्, पाली के द्वारा सर्वे

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

भी करवा लिया गया था। ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग की योजना के तहत पैसा जमा करवा दिया गया था। नगर परिषद् के द्वारा सम्बन्धित रिकार्ड के लिए जो आदेश दिया गया था कि वह नगर विकास न्यास को पहुंचा दे, लेकिन वह पहुंचाया नहीं गया था। पारख साहब से मेरा यह निवेदन है कि आपने यह ध्यानाकर्षण बहुत देर बाद में मेरी तरफ खींचा है। यह जो आप चाहते हो, यह तो मैं दस रोज पहले ही कर चुका। ये खसरा नम्बर 629 एवं 630, ये वे ही खसरे हैं, जिन पर ट्रांसपोर्ट नगर भी बसा हुआ था, जिसकी आपने पहले भी एक बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत यह बात उठाई थी और तब भी मैंने आपसे यह कहा था कि हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। हम यह कर चुके, एक बात।

दूसरी बात, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पुराने टाइम की गलतियों को हमने ही सुधारने का ठेका ले रखा है क्या? यह तो आपने खुद ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखा है कि साहब, तत्कालीन मंत्री के द्वारा यह वादा कर लिया गया था लेकिन काम नहीं किया। अब आप हमसे यह करवाना चाहते हो तो हम तो कर चुके इसको दस रोज पहले ही।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद के अलावा कोई बचा क्या आपका?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, एक मिनट में अपनी बात कहूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा। माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि वाकई में पहले जो हमारे पूर्व मंत्री थे, उन्होंने मेरे ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इसी सदन में घोषणा की थी, पर वह काम हुआ नहीं। नहीं हुआ इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय,...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राठौड़ साहब, इनको रोको मत आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह तो मान रहे हैं। बैठे-बैठे मान रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उप नेता का यह कर्तव्य होता है कि अगर आपका मैम्बर सही -सही बात कहना चाहता है तो उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मेरा एक ही आग्रह है कि पहले भी मुझे यह आश्वासन मिल चुका है, आप एक समय सीमा निश्चित कर दें, ताकि उस समय सीमा से आपके अधिकारी बंध जाएं। जिनका नियमन होना है और जिनको अन्यत्र भूखंड आबंटन होने हैं, वे दोनों काम हो जाएं। आप एक समय

(श्री ज्ञानचंद पारख)

सीमा निश्चित करवा दो, बाकी आपने काम कर दिये, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं तो मेरा काम कर चुका, राज्य सरकार आदेश जारी कर चुकी है। अब नगर परिषद् के ऊपर डिपेंड करता है और नगर परिषद् आपके हाथ में है वहां पर। आप पट्टे बांटो, आप डवलपमेंट करो, सब कुछ करो, यह तो आपके हाथ में है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, वह नियमों में छूट और शिथिलता आपको ही देनी पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। वह सरकार की शिथिलता के बाद ही जारी हो पाएंगे क्योंकि वहां पर आलरेडी पट्टे आबंटित कर दिये। जहां पर पट्टे आबंटित कर दिये, वहां पर नियमन नहीं हो सकता है तो आपको दोनों को अलग-अलग करना होगा, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): खसरा नम्बर 629 और 630, यह करीब-करीब ढाई सौ बीघा का खसरा है। इसमें ट्रांसपोर्ट नगर भी बस गया, इसी में आपने स्कीम बनाकर ई.डब्ल्यू.एस. हाउसेज वालों को पट्टे देने की बात की और इसी में कच्ची बस्ती बस गयी। अब बाकी जो जमीन पड़ी हुई है, यह अधिकार नगर परिषद् को है कि वह उन लोगों को, जिनको अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया और जिनसे राशि आपने जमा करवा ली, उनको वहां पर बसा दे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, वहां कब्जे हो रखे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, चर्चा नहीं।

अगला 131, श्री संयम लोढ़ा।

भू-अभिलेख निरीक्षकों से नायब तहसीलदार पद की पदोन्नति में सिरोही जिले के वंचित भू-अभिलेख निरीक्षक

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन के नियम 131 के अन्तर्गत भू-अभिलेख निरीक्षकों से नायब तहसीलदार पद की पदोन्नति में सिरोही जिले के भू-अभिलेख निरीक्षकों को वंचित रखने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल की विज्ञप्ति दिनांक 16.05.2019 द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक की दिनांक 01.04.2015, 01.04.2016, 01.04.2017 की स्थिति की अन्तरिम प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन राजस्व विभाग की अधिसूचना 08.10.2014 के प्रावधान के अन्तर्गत किया गया, जिसके अनुसार विज्ञप्ति 28.08.2019 द्वारा अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया। राजस्व मण्डल की विज्ञप्ति 01.11.2019 द्वारा जारी भू-अभिलेख निरीक्षक पद की दिनांक 01.04.2015 से 01.04.2017 की अन्तिम वरिष्ठता सूची के पश्चात् कार्यग्रहण तिथि के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदन प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल के पत्र 17.01.2020 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को कार्मिकों की भू-अभिलेख निरीक्षक पद पर नियमानुसार वास्तविक कार्यग्रहण की सूचना में परिणाम प्रपत्र प्रभारी अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक के साथ मण्डल में भिजवाने हेतु लिखा गया। समस्त जिलों से सूचना परिणाम प्रपत्र प्राप्त होते ही भू-अभिलेख निरीक्षकों की दिनांक 01.04.2015 से 01.04.2017 तक की अन्तिम वरिष्ठता सूची व संशोधन हेतु प्रकाशन आवश्यकतानुसार वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग के नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कराया जाकर नायब तहसीलदार पद पर रिव्यू डी.पी.सी. की जाकर पात्र भू-अभिलेख निरीक्षक को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत करने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो विधान सभा को लिखित उत्तर दिया है, उसमें गलती आप सम्भागीय आयुक्त की भी बता रहे हैं, कहीं कलेक्टर की भी बता रहे हो, कहीं बायतू के लिपिक की बता रहे हो, लेकिन उस सबका परिणाम यह हुआ कि जो सिरोही जिले का पटवारी, 1980 का पटवारी बना हुआ है, वह आज भी आर.आई. बना हुआ है और दूसरी जगह का 1997 का पटवारी नायब तहसीलदार बन गया। मैंने 6 महीने पहले आपको लिखित में भी दिया था और माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी दिया था, पर आपका रेवेन्यू बोर्ड कुछ करता नहीं है। अब आपने कहा रिव्यू डी.पी.सी. करवाएंगे तो कितने दिन में करवा देंगे? यह बता दीजिये आप।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि यहां-यहां सभी स्तर के ऊपर कहीं न कहीं त्रुटि हुई है। (व्यवधान) मैं तो राजस्थान का ही राजस्व मंत्री हूं। भारत का राजस्व मंत्री बनाओगे तो पूरे भारत के संदर्भ में मैं बताऊंगा। यह त्रुटि हुई है और वह

(श्री हरीश चौधरी)

इनके जवाब के अन्दर आपको बता भी दिया गया है। यह मानते हुए हम लोग रिव्यू डी.पी.सी. जल्द से जल्द, यह सूचना मंगा दी गयी है सभी जिलों से, जल्दी से जल्दी प्रक्रियानुसार रिव्यू डी.पी.सी. करवाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): समय बता दो आप। 30 दिन में करोगे, 45 दिन में करोगे, 15 दिन में करोगे, वह कृपा करो आप तो।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): जब सूचना मंगाने के बाद .... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के प्रमोशन में एक साल निकाल दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनना है या प्रश्न करना है? माननीय मंत्री खड़े हुए हैं, आप बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं तो आपको सम्बोधित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री खड़े हों, तब तो आपको बैठना चाहिए न।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): आपका आदेश हो तो बैठ जाऊं।

अध्यक्ष महोदय, यह डी.पी.सी. काफी लम्बे समय से लम्बित थी। कमी जरूर रही पर यह डी.पी.सी. हुई। इस डी.पी.सी. में जो त्रुटियां रही हैं, वह भी आपको बताया गया। अब इस डी.पी.सी. के बाद में हमको डी.ओ.पी. और फाइनेंस से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। इसलिए अगर यह सिर्फ मेरे विभाग का होता तो मैं आपको समय सीमा बता देता, पर जल्दी से जल्दी रिव्यू डी.पी.सी. करवाएंगे, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक के खाताधारकों को जमा राशि का भुगतान

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के तहत माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान अरबन को-आपरेटिव बैंक के खाताधारकों को जमा राशि का भुगतान नहीं मिलने की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 में अजमेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अजमेर के जमाकर्ताओं को राशि निकालने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोक लगायी गयी थी, जिसका मुख्य कारण बैंक की नैटवर्थता थी। ऐसी स्थिति में भुगतान होना सम्भव नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक का लाइसेंस दिनांक 18.09.2014 को समाप्त कर दिया गया था। दिनांक 24.09.2014 को सहकारिता विभाग द्वारा बैंक को लिक्विडेशन में लाया जाकर लिक्विडेटर की नियुक्ति की गयी थी, जिसके तहत लिक्विडेटर द्वारा लिक्विडेशन की कार्यवाही अमल में लायी गयी। बैंक में कुल जमाकर्ताओं की राशि का क्लेम भारतीय निक्षेप एवं प्रत्यक्ष गारंटी निगम को दिया गया। चूंकि बैंक के पास आवश्यक क्लेम राशि उपलब्ध थी, अत: बैंक द्वारा डी.आई.सी.जी.आई., मुम्बई से वार्ता कर क्लेम अनुसार एक लाख रुपये की राशि हेतु जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि जल्द दिलाने हेतु 'नो क्लेम' कर बैंक में उपलब्ध फण्ड भुगतान किया गया, जो आज दिनांक तक जारी है। बैंक द्वारा एक लाख से अधिक राशि के खाताधारकों को राहत प्रदान करने हेतु अधिकतम पांच लाख की राशि का भुगतान द्वितीयकरण के माध्यम से आज दिनांक तक किया जा रहा है, अर्थात् अधिकतम 6 लाख तक की राशि के समस्त खाताधारकों को शत-प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया है, जिनकी राशि अलग से सुरक्षित की हुई है। भुगतान के शेष केवल प्रथम और द्वितीयकरण के भुगतान के पश्चात् 269 खाताधारक हैं, जिनकी राशि 21.32 करोड़ रुपये हैं। ऋण वसूली की प्रक्रिया बैंक का लाइसेंस रद्द होने के पश्चात् बैंक कर्मियों व विभाग के अधिकारियों के सहयोग से की गयी है। बकाया ऋण वसूली के प्रयास जारी हैं। वर्तमान में कुल बकाया व ऋण 9 करोड़ 37 लाख के लगभग हैं। कर्मचारियों के द्वारा वसूली के प्रयास निरन्तर जारी हैं। बकाया ऋण की राशि 4 करोड़ रुपये लगभग 5 वर्ष से माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। लगभग 60 ऋणियों की एफ.आई.आर. व चैक बाउंस के केस माननीय अजमेर न्यायालय में लगभग 10-15 वर्षों से विचाराधीन हैं। ऋणियों से वसूली का प्रयास धारा 99 और 100 के अन्तर्गत एवं एडवोकेट्स द्वारा नोटिस एफ.आई.आर. के माध्यम से किये जा रहे हैं। राजकीय प्रतिभूति की प्रदर्शित राशि का पूर्ण मूल्य परिपक्वता होने पर ही प्राप्त होगा। इसका समय पूर्व भुगतान प्राप्त होना सम्भव नहीं है। चूंकि इन प्रतिभूतियों को ब्लाक किया हुआ है। वर्तमान में बैंक की याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान में वसूली पर डिपोजिटर्स को भुगतान किया जा रहा है तथा बैंक को पुन: चालू किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 9 करोड़ रुपये ऋणियों के ऊपर बकाया हैं, उनमें से 4 करोड़ रुपये पर हाई कोर्ट की रोक है। बाकी के जो 5 करोड़ रुपये हैं, उनको हम कब तक वसूल कर लेंगे और वह कौन-कौनसे ऋणी हैं, जिनके ऊपर 5 करोड़ रुपया बकाया है? यह जो 4 करोड़ रुपये बकाया वाले, जो कोर्ट में चले गये हैं, वह कौन-कौनसे ऋणी हैं? एक बार नाम आप सदन के पटल पर रख देंगे तो उन खाताधारकों को संदेश मिल जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि यह जिन प्रतिभूतियों का आपने उल्लेख किया है कि ये मैच्योरिटी के बाद में ही मिलेंगी, जो 269 खाताधारक अभी शेष बचे हैं, उनकी आयु ऐसी नहीं है कि वह अपने जिंदा रहते हुए यह राशि ले पाएंगे, ऐसा उनको एहसास होता है। उनका यह कहना है कि इन प्रतिभूतियों को गवर्नमेंट अपने पास रख ले और उसके बदले में गवर्नमेंट बैंक को पैसा दे दे। यदि बैंक के पास पैसा आ जाएगा, क्योंकि यह जो प्रतिभूतियां हैं, वे मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आई.डी.एफ.सी. की प्रतिभूतियां हैं, जो 9 करोड़ रुपये की हैं, जो मैच्योरिटी में 12.50 करोड़ की होंगी। एक लाख रुपये की प्रतिभूति टाटा म्युचुअल फण्ड की है। इसी तरह से पौने 12 करोड़ रुपये की जो प्रतिभूतियां हैं, वे गवर्नमेंट की प्रतिभूतियां हैं। सरकार की प्रतिभूतियां हैं, तो यदि सरकार ये अपने पास ले ले और जब भी मैच्योर हो तो वह अपना पैसा भुना ले, लेकिन आज की तारीख में उनको पैसा दे देते हैं तो वह जो खाताधारक है, वह भी संतुष्ट हो जाएगा। उनको लगेगा कि हमने जो गाढ़े पसीने की कमाई उसमें जमा कराई है, वह हमें मिल जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सी.बी.आई. ने जो केस दर्ज किया, क्योंकि यह जो आई.डी.एफ.सी. की प्रतिभूतियां थीं, इसी कारण से यह बैंक बंद हुआ, तो जब आई.डी.एफ.सी. के बोंड खरीदे गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2007 में बोंड खरीदे गये साढ़े नौ करोड़ रुपये के, और 2026 में मिलेंगे साढ़े बारह करोड़, तो आप देखिये 2007 में खरीदे और 2026 में मिलेंगे, यदि गवर्नमेंट में कहीं जमा कराते तो चार गुना पैसा मिलता, लेकिन मैच्योरिटी पर कोई ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। इन बोंड के खरीदने पर ही यह बैंक अवसायन में गया और सी.बी.आई. ने इस पर केस दर्ज किया, पर सी.बी.आई. ने जो केस दर्ज किया और जो जांच हुई, वह आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। खाता धारक और डिपार्टमेंट, जो

(श्रीमती अनिता भदेल)

सहकारिता डिपार्टमेंट है वह भी परेशान हो रहा है कि हमारे पास सी.बी.आई. की फाइंडिंग्स नहीं हैं क्योंकि अभी कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ही कोर्ट में लड़ रहा है लेकिन उसके पास फैक्ट्स नहीं हैं, उसके पास जानकारियां नहीं हैं, सी.बी.आई. की जांच उनके पास नहीं है, उनके क्या परिणाम आये हैं, वे नहीं हैं तो, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि एक तो जो सी.बी.आई. ने फाइंडिंग्स दी हैं वे आप एक बार पब्लिक डोमेन में बता दें या सदन में बता दें तो सबको मैसेज मिल जायेगा।

एक यह जो प्रतिभूतियां हैं, क्या आप सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि वे उनको ले लें और उसके बदले में वह पैसा दे दें? ये मेरे दो प्रश्न हैं और एक यह जो पहला प्रश्न मैंने पूछा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन ही प्रश्न पूछे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात आ गयी। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप उनको रिलीफ चाहते हैं, सुन लें न आप, एक्सप्लेन करने से क्या मतलब है। माननीय मंत्री जी, जो रिलीफ चाहते हैं उसके सम्बन्ध में अपनी कोई बात करें। मेन मुद्दा यह है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य की पीड़ा बिल्कुल वाजिब है, लेकिन सी.बी.आई. में बार-बार प्रयास करने के बावजूद भी अधिकारियों को सी.बी.आई. से कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि उस केस में अभी तक क्या हो रहा है, पत्राचार के बावजूद भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। जो प्रतिभूतियां डिपोजिट कर रखी हैं, उन पर उससे पहले मिलेगा तो उनका इतना कम पैसा आयेगा, यही तो फ्राड हुआ था, इसी कारण तो सी.बी.आई., और बैंक बंद होने के कारण हुए हैं तो प्रतिभूतियों के पेटे बहुत कम रुपये मिलेंगे, वे 2026 में जाकर के परिपक्व होंगी। जब वह पहले भुगतान हो पायेगा, इससे पहले वे पैसे आना सम्भव नहीं है और बैंक चालू होने की स्थिति में बिलकुल नहीं है। इसलिए जो कुछ कर्मचारी वसूल कर रहे हैं, लेकिन डिफाल्टर भी परेशान कर रहे हैं, अगर सरकार के लेवल पर प्रयास करके वसूल किए जा सकते हैं तो ऐसे व्यक्तियों से वसूल करके उनका भुगतान कराने का प्रयास करेंगे और मुख्य मंत्री महोदय से भी मैं चर्चा कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनका सीधा प्रश्न है कि जो सरकार के पास प्रतिभूति है, एक तो सी.बी.आई. वाला है, वो पार्ट तो अलग निकाल

(श्री अध्यक्ष)

दें, सरकार के पास प्रतिभूति है तो उनका कहने का है कि सरकार उन प्रतिभूतियों को ले ले और उनको दे दे, क्या यह सम्भव है? इसको एक्सप्लोर कर लें बस, सीधी बात है

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): यह बात मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और फाइनेंस से बात करके ही बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री बुलाकी दास कल्ला, वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण पत्र (वर्ष 2019-20)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 की धारा-3(1) के अन्तर्गत विद्युत वितरण निगमों द्वारा तैयार किये गये विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण पत्र वर्ष 2019-20 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल, उद्योग मंत्री।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2018-19)

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण, वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कल सदन की एक आखिरी सिटिंग और बची है। माननीय मंत्री महोदय ने अभी जो 50वां वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया है यह 2018-19 का है। अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग की डिमांड पर भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हम डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा, माननीय बुलाकी दास जी कल्ला, ऊर्जा मंत्री जी ने विद्युत वितरण निगमों द्वारा तैयार किये गये विद्युत वितरण प्रबन्ध विवरण-पत्र वर्ष 2019-20 पेश किया है।

अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो फर्माएं कि आगामी सत्र में हमें समय पर मिले तो हम अपने विचार व्यक्त कर सकें। आज आप इनको तो प्रताड़ित करो, आपने पिछली बार बड़ी अच्छी व्यवस्था दी थी। आपने कहा कि आप पिछले वर्ष का प्रतिवेदन यहां नहीं रखोगे, रखोगे तो कारण सहित सदन को बताओगे कि किस कारण से आप एक वर्ष विलम्ब से आये हैं। अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछो तो सही।

श्री अध्यक्ष: आपकी भावना से सहमत हैं। सरकार इस पर कॉग्निजेंस ले, अकार्डिंग टू रूल हर साल रखना है, तो जिन-जिन विभाग के प्रतिवेदन ड्यू हैं, कृपया उन विभागों को निर्देश करें कि समय पर प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखें।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

विधायी कार्य। राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 मास्टर भंवरलाल मेघवाल।

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधायक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020. माननीय मंत्री जी प्रस्तुत करेंगे, उसके पहले निवेदन है कि 2 बजे हम दोनों बिल समाप्त करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बिल पहले ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: पहले बिल ले रहे हैं। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया संक्षेप में अपनी बात करें। रिपीटीशन नहीं करें, तब तो दोनों बिल हम 2 बजे तक समाप्त कर लेंगे। 4 बजे प्रतिपक्ष के नेता फाइनेंस बिल पर बोलेंगे, दूसरे सदस्य भी बोलेंगे, तो समय की कमी को देखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों बिल हम 2 बजे पहले तक करेंगे। माननीय सदस्य, जो पहले सदस्य हैं वे 10 मिनट बोलें, बाकी कोई सप्लीमेंट्री करना है तो उसको जोड़ें, उसको रिपीट करने से कोई परपज सर्व नहीं होगा। यह मेरी आपसे अनुरोध, प्रार्थना है। माननीय मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश। आप डिसाइड कर लें किसको बोलना है, मैं नाम बोल दूंगा जो भी बोलना चाहें, पहले देख लें। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल माननीय मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर रखा है, इससे पहले भी आपने एक मूल बिल रखा था। उसमें यह संशोधन दिया था और उसी के क्रम में आप यह संशोधन दुबारा लेकर आये हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने जो उद्देश्यों में अपना कथन किया है वह कहा है कि नगर सुधार न्यास के प्रयोजन के लिए मास्टर प्लान में... (व्यवधान) ओके, अच्छा, सारी।

श्री अध्यक्ष: न्यायालय फीस वाला है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो माननीय मंत्री महोदय पहले भी रख चुके हैं और अधिवक्ताओं के कल्याण के निमित्त जो फीस है उसको बढ़ाने की बात आपने कही थी। अभी वर्तमान में जो फीस आपने रखी है उस फीस के बारे में जो पूरे राजस्थान में इम्प्रेशन है, वह इस कदर इम्प्रेशन है कि अधिवक्तागण सड़कों पर हैं और उन्हें यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि आपने जो फीस बढ़ाई है, जिसको आपने 30 हजार किया है, वह 30 हजार ही है या वास्तव में एक लाख रुपये, मेरा यह निवेदन है।

एक आप इस बिल में जो संशोधन लेकर आये हैं मानहानि को लेकर, जो आपने इसमें कहा है कि मानहानि के लिए कोई फीस निर्धारित नहीं थी, इसलिए आपने कम से कम 25 हजार रुपये उसको निर्धारित किया और उसके अनुपात में आप उसकी तय करेंगे।

इसी के साथ आपने एक बात और कही है कि जो वाद दायर करने वाले हैं उनकी क्या फीस होगी और आपने वह मिनिमम तय किया है, लेकिन मैं इसके संदर्भ में ही, क्योंकि यह बिल के संदर्भ में ही आपने पहले भी बिल प्रस्तुत किया था और उस बिल के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आपने जो फीस बढ़ाई है, आपने एक बात कही थी कि सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, please, I'll not allow you to deviate this discussion.

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पूरे राजस्थान भर में...

श्री अध्यक्ष: Please be confined to this Bill. इर्रिलेवेंट नहीं करें प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बिल चूंकि उससे रिलेवेंट है, इसलिए मैं कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष: It's not relevant, please understand it. It is very simple कि जो मानहानि का दावा है, उसके सम्बन्ध में प्रोविजन लाये हैं, उसके सम्बन्ध में चर्चा करें, बैटर रहेगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पहले उल्लेख कर चुकी हूं कि आप मानहानि के दावों के संदर्भ में संशोधन लेकर के आये हैं। यह संशोधन जो आपने किया है, वह निश्चित रूप से पहले आपके पास प्रोविजन नहीं था लेकिन आपने यह जो फीस रखी है कम से कम

(श्रीमती अनिता भदेल)

25 हजार रुपये, यह 25 हजार रुपये जो आपने मिनिमम तय की है, वह बहुत अधिक है, इसको किसी तरह से कम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस है इसलिए मैं निवेदन करूंगी।

इसके संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूंगी। चूंकि आप यह देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी जाता है और वह कोर्ट फीस चुकाता है तो अधिवक्ताओं के साथ में वह कोर्ट फीस पे करता है। वह कोर्ट फीस जो आपने बढ़ायी है, वह बहुत ज्यादा बढ़ायी है, इसलिए उसको कम करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी तरह से इसका असर आम जनता पर ही पड़ने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आप कम करने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष जी, न्याय तक पहुंचने का अधिकार सभी का है। यह प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। जिस प्रकार यहां पर संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह स्वीकार भी किया गया है कि न्यायालय शुल्क अधिक होने के कारण लोग मानहानि का प्रकरण दर्ज नहीं करा पाते। मैं इसका स्वागत करूंगी कि यह मानहानि के प्रकरणों के लिए संशोधन लेकर के आये हैं, उसका कैप किया है कि 25 हजार तक मैक्सिमम होगा। आज के समय में अगर किसी को मानहानि का प्रकरण दर्ज कराना है तो उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वह जो टोटल अमाउंट क्लेम करता है, उसका 7 परसेंट तक मानहानि केस की कोर्ट फीस जमा करानी पड़ती है। उसके बाद ही वह प्रकरण दर्ज होता है। इस कारण से यह जो 25 हजार का कैप लेकर आये हैं, यह अच्छी बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि कई मैटर्स ऐसे हैं, जिनमें ऐसा लगता है कि इसको 25 हजार से कम करके 5 हजार तक रखा जाए। न्याय सबको सुलभ होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। आज सिविल के अगर कोई भी मैटर हैं और हम पुलिस में प्रकरण दर्ज कराते हैं तो कहीं भी नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: Please be confined to the subject only.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल यही कहना चाहूंगी कि जब भी कोई प्रोपर्टी डिस्प्यूट होते हैं तो वह सिविल मैटर्स में आते हैं। उन प्रोपर्टी डिस्प्यूट के लिए कोई जाता है तो उसके लिए उसको जो कोर्ट फीस जमा करानी पड़ती है, वह बहुत अधिक है।

(12.51 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

आप इसके अन्दर कम से कम यह तो कर सकते हैं कि जो धोखाधड़ी के इस तरह के मामले हैं, जहां मुलजिम गिरफ्तार हो गया और उसका कोर्ट में चालान पेश हो गया, ऐसी स्थिति में जो फर्जी डाकूमेंट्स हैं, वे सारे निरस्त हो गए। ऐसी स्थिति में उसकी फीस तो कम से कम फ्री करें अथवा उसको बहुत कम रखें। आप मानहानि का भी ले रहे हैं। प्रोपर्टी के डिस्प्यूट में कई लोग फर्जी डाकूमेंट पेश कर देते हैं। कह देते हैं कि हमारे नाम पर रजिस्ट्री है। उसके बाद वह न्यायालय में जाता है। वास्तव में जो खातेदार है, वह भटकता ही रहता है। आप इसमें भी थोड़ा ध्यान दें कि इसको कितना कम कर सकते हैं।

सभापति महोदय, हम लोग यह देखते हैं कि जैसे डाक सेवाएं होती हैं। यहां से गुवाहाटी भी कोई डाक जाएगी, दिल्ली जाएगी तो उसका एक ही चार्ज होता है, लेकिन हमने यहां पर शुल्क के अन्दर इतने वेरिएशन और इतने स्लैब्स कर रखे हैं, वे नहीं होने चाहिए। एक ही फीस हो, जो कि हम कम से कम कर सकते हैं, वह रखें। उसको बिना किसी स्लैब के रखें। इससे ज्यादा से ज्यादा और अच्छी तरह से न्याय मिल सकेगा।

नागरिक अधिकारों की घोषणा के अनुच्छेद में जो इन्होंने कहा है, वह विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, यह कहा है। प्रत्येक व्यक्ति को विधि की सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। अगर समान है, तो वह अधिकार भी रखता है कि उसको समान न्याय मिले। आज कोई भी गरीब आदमी है और उसकी पगड़ी उछालने का काम कोई कर रहा है, यह मानहानि वही है कि किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर दिया। चाहे वह सीधा हो और चाहे वह सोशल मीडिया के अन्दर हो। उसमें अगर कोई जाता है तो पहले उसकी फीस, अगर किसी ने एक करोड़ का दावा किया है तो उसकी फीस ही 7 लाख रुपये तक हो जाएगी। यह बहुत ज्यादा होगी। इससे वह वहां जाने में कतराएगा। इसको कम से कम रखें, ताकि ऐसे कोई भी मैटर्स सामने नहीं आएं।

सभापति महोदय, यह जो कोर्ट फीस है, यह सरकार के अन्दर जमा होती है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जब कोर्ट फीस सरकार में जमा होती है तो सरकार ही रिलैक्स कर सकती है। हर राजा का यह धर्म होता है कि वह सभी को न्याय दे लेकिन अगर राजा न्याय देने के लिए पैसा चार्ज करे तो यह उचित नहीं लगता है। अगर आप वास्तव में न्याय देना चाहते हैं तो इसमें कम से कम फीस रखें। यही मैं कहना चाहूंगी। इस कारण से इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, लोगों की इसमें भावना जानी जाए, उसके बाद ही इस बिल को लाया जाए, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, राजस्थान कोर्ट फीस एवं वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 में इस संशोधन के माध्यम से सरकार न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 की धारा 21 में एक परन्तुक जोड़ रही है। मंत्री महोदय, आप इस परन्तुक के माध्यम से जो शिड्यूल 1 है "Amendment and Schedule of Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961" इसके अन्दर यह संशोधन लेकर के आये हैं। मानहानि के लिए वादों में अधिकतम कोर्ट फीस 25 हजार रुपये होगी।

सभापति महोदय, मेरी इसमें राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य से एक अलहदा राय है। ये जो मानहानि के प्रकरण हैं, ये अभिजात्य वर्ग के बीच में होते हैं। ये मानहानि के प्रकरण उन लोगों में ज्यादा होते हैं।

सभापति महोदय, आप तो साक्षी रहे हैं कि हमारे समाचार-पत्र, जिसको हम समाज का आईना कहते हैं, इसी कारण से हम लोगों को अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। किसी भी समाचार-पत्र ने किसी भी बड़े अधिकारी के विरुद्ध में, किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के विरुद्ध कोई समाचार प्रकाशित कर दिया कि इनके माध्यम से यह-यह भ्रष्टाचार या अनियमितता हो रही है अथवा होने की सम्भावना है। इसका निर्णय कि भ्रष्टाचार हुआ, होगा, यह तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन आप यह जो फ्लड गेट खोल रहे हो, इससे पहले जो शिड्यूल है, अगर कोई एक करोड़ की मानहानि का दावा प्रस्तुत करता है तो उसमें फीस 3 लाख 27 हजार 125 रुपये लगती है। अब क्या होगा? मेरे खिलाफ आपको मानहानि का वाद करना है तो 25 हजार रुपये की फीस कोर्ट में आपने लगाई और बड़े-बड़े अखबारों में साया हो गया कि मेरे ऊपर मानहानि का दावा हो गया। यह जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पहले एक करोड़ के दावे में 3 लाख की फीस लगती थी, अब उसके अन्दर 13 मुकदमे होंगे। सभापति महोदय, यह मूल रूप से और कुछ नहीं, स्वतंत्र लेखनी को बंधन में लाने का एक तरह से प्रयास है। जो बेबाक टिप्पणी करते हैं, उनके लिए एक प्रयास है। मैं समझता हूं कि इससे मुकदमों का अम्बार लग जाएगा।

सभापति महोदय, आज अगर सिर्फ उच्च न्यायालय की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय में 1,13,060 मुकदमे लम्बित हैं। यह उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 2017 तक का लिखा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालयों में 16,35,379 केस हैं। अब इसके साथ ही हाई कोर्ट में 26 पद रिक्त हैं। पूरे राजस्थान में 1,122 मजिस्ट्रेट हैं, जिनके पास 16,35,379 मुकदमे पैंडिंग हैं। हम यह फ्लड गेट खोलने जा रहे हैं। हम एक तरह से फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 19 में मुझे मिला हुआ है उस पर अतिक्रमण करने जा रहे हैं। आपका जो पहले से शिड्यूल है, उसमें आप एक संशोधन लेकर आये हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज अगर हिन्दुस्तान में, राजस्थान में कोई सबसे प्रबुद्ध वर्ग है तो वह हमारे वकील, एडवोकेट लोग हैं। इस सदन के अन्दर भी सबसे अधिक आप सहित वे लोग हैं, जिन्होंने एल.एल.बी. कर रखी होगी। आप उनके बारे में उनकी बार कौंसिल से राय लेते। आप बार कौंसिल को कांफिडेंस में लेते। आपने पहले नहीं लिया। यह उसी का परिणाम है। आपने अभी 2020 में अधिवक्ता कल्याण कोष के अन्दर 17,500 की जगह एक लाख कर दी। मैं आज आपको राय दे रहा हूं। आप मानते नहीं हो। आप इतने निष्ठुर क्यों हो गये?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह क्या बात हुई? आप इर्रेलेवेंट बात क्यों कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। मैंने मेरी जिंदगी में कभी इर्रेलेवेंट बात की ही नहीं। मेरी डिक्शनरी में वह शब्द ही नहीं है। मैं जिस स्कूल, भैरोंसिंह जी शेखावत पोलिटिकल साइंस स्कूल से पढ़ा हूं, उसमें यह पन्ना ही फाड़ रखा है। ये तो बिना मतलब मुझे आरोपित करते हैं। ये मुझे धमकाते हैं, डराते हैं।

श्री सभापति: दरअसल वह पन्ना इनको मिल गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप सब कुछ कहो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेहरबानी करके भैरोंसिंह जी का नाम मत लो। जो आपने उनके साथ में आखिरी वक्त में किया, वह सब जानते हैं। पूरा प्रदेश जानता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, कोई टिप्पणी करने की बात नहीं है। आप भी जानते हो।

श्री सभापति: वह जो पन्ना फाड़ने की बात आपने की, वह पन्ना इनके पास ही है। वह पन्ना जो फाड़ा था, वह इनके पास ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, कई बार राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए यह बेचैनी का समय आता है। यह जो संकट काल है। इसमें आप बेचैन मत होइए। मध्य प्रदेश की घटना के बाद आपके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां, आपकी बदली हुई रंगत कुछ दूसरी बात कह रही है।

सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि अच्छा रहता अगर आप राजस्थान बार कौंसिल से राय लेते। आप यह जो 25 हजार रुपये का शिड्यूल 1 के अन्दर, जो राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्युएशन, 1961 है, इसके अन्दर जो अमेंडमेंट लेकर के आए हो, आप मानहानि का ही क्यों लेकर के आये? अगर आप सस्ता न्याय उपलब्ध करा रहे हो तो दूसरी फीसों के अन्दर भी आप करते। मैं कह रहा हूं कि यह बिना कारण के वादों में बढ़ोतरी करेगी।

सभापति महोदय, एक तरफ तो हम इसी विधान सभा में चर्चा करते हैं कि कुछ इस प्रकार के वाद करने के लोग आदी हो जाते हैं, उनके विरुद्ध एक्ट लेकर के आते हैं। दूसरी तरफ आप यह फ्लड गेट खोल रहे हो। मेरी आपको राय है कि आप जनमत तो नहीं जानोगे, जनमत जानने का आपका स्वभाव भी नहीं है। जनमत से आपका दूर-दूर तक का सम्बन्ध भी नहीं है। जनमत की गलती के कारण आप यहां 0.5 फीसदी ज्यादा वोट लेकर यहां विराज गये, कोई बात नहीं। लेकिन आप इसके बारे में बार कौंसिल से राय लो। आप बार कौंसिल से राय लेकर जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

(13.00 बजे)

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी उप नेता, प्रतिपक्षजी ने बताया है, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से

(श्री अशोक लाहोटी)

निवेदन करूंगा कि वकील वह प्रबुद्ध वर्ग है, जिसके बारे में हम यहां पर बैठकर निर्णय कर कर रहे हैं और उस वर्ग से कहीं कोई राय मशविरा नहीं कर रहे हैं। मैं उसी क्रम में जोड़ूंगा कि जो पिछला बिल लाया गया था और उसमें 17,500 रुपये की जो फीस थी, उसको बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप गलत कह रहे हो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैंने उस दिन भी कहा था कि आप बार कौंसिल से राय मांगें और मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बार कौंसिल ने हमको लिखकर दिया है। मैं आज बता रहा हूं मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उनसे चर्चा हुई है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्रीजी, मैं आज कह रहा हूं कि आपकी चर्चा हुई और किसकी हुई और कहां हुई आज पूरे राजस्थान के वकील सड़कों पर उतर गये हैं और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं ...(व्यवधान) आपको वह अमेंडमेंट वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। उस दिन हम कह रहे थे कि इस पर आप जनमत जान लो, आप प्रवर समिति को भेज दो, आपके सदस्यों से राय कर लो तो आपने हमारी बात नहीं मानी। माननीय मंत्री महोदय, ज्यादातर जो वकील हैं, वे हमारे बैच के निकले हुए हैं, आपके बैच वाले नहीं हैं। (व्यवधान) आप हमारी राय मान लेते छोटा होने के नाते तो आपको ही फायदा होता।

माननीय सभापति महोदय, आप इस बिल में जो अमेंडमेंट लेकर आये हो, मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी आवश्यकता कहां थी? जैसा उप नेता महोदय ने बताया कि मानहानि के दावे किनके बीच में होते हैं और मानहानि के कई सारे सैक्शंस में अलग-अलग दिये हुए हैं कि मानहानि में किस व्यक्ति को छूट दी जा सकती है, उनका भी प्रावधान आपके आई.पी.सी. में, कानून में प्रावधान है। कई धाराओं में छूट देने का प्रावधान है। कोई गरीब व्यक्ति है तो, बी.पी.एल. है तो, इस तरह की कई छूटें उसमें दी हुई हैं तो इस मानहानि के दावे के माध्यम से दावे बढ़ाने का काम सरकार करे, तो मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के हित में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको बिल ही लाना था, क्योंकि बिल लाने

(श्री अशोक लाहोटी)

का स्वभाव सरकार का पड़ गया है। सुबह बिल लाओ, शाम को उसको पारित कर लो संख्या बल के आधार पर, लेकिन यदि आपको बिल ही लाना था तो आपको केसों को डिफाइन करना था कि किस प्रकार के केस में कितनी फीस होगी। आपने जनरल लाइन लिख दी कि 25 हजार रुपये अधिकतम होगा, कोई 25 करोड़ रुपये का सूट कर रहा है तो 25 हजार में कोई भी कर देगा। माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि हम इस प्रकार की जल्दी नहीं करें। यदि आपको लाना ही था तो उस दिन के अमेंडमेंट को आज जोड़ लेते साथ में, उस दिन आपने कोर्ट फीस, स्टाम्प फीस, सौ रुपये, दो सौ रुपये की, उसको भी इसमें ले आते, कम करने का आपको बहाना मिल जाता, उसके बहाने कम कर लेते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाएं। हम तो छोटे हैं, राय दे रहे हैं, फायदा आपको ही होना है, तो इसको इसी अमेंडमेंट में आप वे दोनों कर लो, ताकि बाद में जब वकील सड़कों पर उतरेंगे और आपके काम को ठप्प करेंगे, तब आपको करना पड़ेगा, तो अभी से ही आप इस बात को मान लो और ये दोनों अमेंडमेंट भी इसी के साथ ले आओ, यह भूल सुधार हो जायेगी। इसको भी जनमत के लिए भेज दो, बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान) अब नहीं मानें तो क्या उपाय है?

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 को संशोधित करने का आप यह विधेयक लेकर आये हैं। 1961 के अधिनियम संख्या 23 की धारा 21 में आप संशोधन लेकर आये हैं। 21 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाता है- "Provided that where the suit is for damages for defamation, the fee shall be computed on the amount claimed, subject to a maximum fee of rupees twenty five thousand", आपने 25 हजार का इसमें कप लगा दिया है। अब इसके परिणाम, repercussions of the amendment, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि it seems

(श्री बिहारीलाल)

that the present government wants to multiply litigations, as clear from the statement of objects. The proposed amendment is eventually favorable to the rich classes and not favorable to poor downtrodden. This will lead to frivolous litigations. Extra burden on the courts because of vexatious and frivolous litigations. No checks and balances on litigations. Loss of court fees. As the claim is related to an individual, therefore, amendment proposed is not in public interest and loss to exchequer. ये इसके दुष्परिणाम हैं, जो संशोधन आप लेकर आये हैं। माननीय मंत्रीजी, आदरणीय धारीवाल साहब, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने नागरिकों को, सबको मान और सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, लेकिन हमारी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, इस व्यवस्था ने गरीब, किसान, वंचित के मान-सम्मान को दरकिनार कर दिया है। मान-सम्मान अगर किसी का बचा है तो बाहुबली का, धनबली का, और राज जिसके साथ है, उस राजबली का बचा है। ऐसी परिस्थितियों में व्यवस्था से पीड़ित किसी व्यक्ति ने, आदरणीय धारीवाल साहब, आपको कुछ ऊंचा-नीचा कह दिया, आप डिफेमेशन में चले गये, आप अपनी हैसियत के अनुसार छोटा-मोटा क्लैम तो करेंगे नहीं, आप करोड़, दो करोड़, तीन करोड़ का क्लैम करेंगे और करोड़ों का, पचास लाख का क्लैम करने जायेंगे तो दो लाख दो हजार एक सौ पच्चीस रुपये फीस है, एक करोड़ का करने जायेंगे तो तीन लाख सत्ताइस हजार एक सौ पच्चीस फीस है, तीन करोड़ का करें तो छह लाख दो हजार एक सौ पच्चीस रुपये फीस होगी, तो आप कहीं न कहीं सोचेंगे, रुकेंगे, अब आपके कदम रुकेंगे। अब पच्चीस हजार का कैप लगा दिया तो आप तुरन्त डिफेमेशन सूट फाइल कर देंगे तो मुकदमों की बाढ़ आ जायेगी। आप इस संशोधन को वापस लें या जनमत जानने के लिए परिचालित करें, यह आपसे हम निवेदन करते हैं।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट का समय और, मैं आदरणीय धारीवाल साहब, जो गृह मंत्री के रूप में भी हैं, काम देखते हैं, 8 मार्च को जब हम छुट्‌टी पर थे, होली से पहले, नोखा थाने से पचास कदम दूरी पर एक कैम्पर पर पैट्रोल डालकर उसको जलाने का प्रयास किया गया।

श्री सभापति: समाप्त करें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह करंट आपको कुछ संदेश दे रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आब्जर्व कर लेता हूं करंट को। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, नागरिकों को न्याय का अधिकार देना हर सरकार का कर्तव्य है। डिफेमेशन के मामले में कोर्ट फीस के कारण लोग इससे परहेज करते हैं। वकील भी यहां तक सलाह देते थे कि इतना पैसा लगेगा, क्या करना है? उसको क्रिमिनल केस का या दूसरा रास्ता बता देते थे। यह जो आप 25 हजार रुपये का प्रस्ताव लाये हैं, उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन यह लिमिट 25 हजार की आप यहीं तक क्यों रख रहे हैं, यदि धन वाद भी है तो उसमें भी आप एक लिमिट क्यों नहीं लेकर आते? क्या आप नहीं जानते कि उसमें परसेंटेज पर होने के कारण लोग मुकदमा करने से परहेज करते हैं, अवोइड करते हैं? यहां 25 हजार रुपये लेकर आये हैं, इसको सवा लाख रुपये कर दो, डेढ़ लाख कर दो। अगर कोई एक करोड़ रुपये का धन वाद है और आप इसमें 6-6 लाख रुपये कोर्ट फीस मांगेंगे तो क्या नतीजा आयेगा? नहीं आयेगा तो लोग डिस्करेज होते हैं। जो वास्तविक फरियादी होता है, वह भी पीछे हट जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व के वक्ताओं के द्वारा एक चिंता प्रकट की गयी कि आपने इतना पैसा कम कर दिया है, अब इससे लोग और मोटिवेट होंगे और मुकदमों की बाढ़ आ जायेगी। इसका भी आप जाब्ता कर सकते हैं। माननीय मंत्रीजी, आप अगर मजिस्ट्रेट पर छोड़ देंगे कि मुकदमा फर्जी साबित हुआ तो क्या कोस्ट लगाये, मजिस्ट्रेट कोस्ट लगा देगा पांच सौ रुपये, हजार रुपये, दो हजार रुपये तो इसका बंदोबस्त नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको वापस ले जाओ और इसमें यह प्रावधान करके लाओ कि अगर सिर्फ परेशान करने के लिए डिफेमेशन के सूट का सहारा लिया गया, फर्जी पाया गया तो मजिस्ट्रेट को पावर होगा कि पचास हजार रुपये तक, लाख रुपये तक उस फर्जी फरियादी पर कोस्ट लगाये।

माननीय सभापति महोदय, लॉ कमीशन ने खुद ने अपनी रिकमंडेशन में कहा है कि सरकार को कोर्ट फीस को अपनी आय का साधन नहीं मानना चाहिये। सरकार यह सोचने लग जाती है कि हमारी इनकम कम हो जायेगी।

(श्री संयम लोढ़ा)

जस्टिस देना आपका काम है, अगर किन्ही कारणों से लोग जस्टिस प्राप्त करने के लिए कोर्ट की दस्तक नहीं दे रहे हैं तो सरकार को आगे आना चाहिये कि हम हमारे नागरिकों की परेशानियों को कम करते हैं, खतम करते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि धन वाद के मामलों में भी आप इसी तरीके से अपना लिबरल रुख रखते हुए प्रस्ताव लेकर आइये। उसमें भले ही आप सवा लाख कर दो, डेढ़ लाख कर दो, जिससे लोग मुकदमे करें और न्याय प्राप्त करें। आपने इसको कम करके मानहानि के सम्बन्ध में जो एक अवसर दिया है, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके अन्दर जो आशंकाएं प्रकट की गयी हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इनका समाधान करें। मैंने जो अपना जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 में जो संशोधन का आपने विधेयक प्रस्तुत किया है, वह मूलत: तीन बिन्दुओं पर आधारित है। एक ओर तो आप कह रहे हैं कि अन्य जितने भी धन से सम्बन्धित मुकदमे हैं, उनमें उसके आधार पर ही फीस लगेगी, जबकि मानहानि और जो भीषणतम दुर्घटनाएं हैं, उन पर आपने एक फीस तय की 25 हजार 10 रुपये। दुर्घटना वाला तो समझ में आता है कि दुर्घटना वाला क्लेम कर रहा है, उसके लिए आपने 10 रुपये की, उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन बाकी दोनों में आपका क्या हिडन एजेंडा है कि मानहानि के मुकदमों में केवल 25 हजार रखकर आप मुकदमों की बाढ़ लगाना चाह रहे हैं?

क्या वास्तव में रोजाना बिल लाकर के उस हिडन एजेंडा में अपने मुख्य मंत्री जी को बदनाम करना चाहते हैं? उनसे अलग होना चाहते हैं तो हो जाएं, लेकिन इस प्रकार के विधेयकों के माध्यम से आप क्यों सरकार की बदनामी कर रहे हैं? मेरा आपसे आग्रह है कि यह 25 हजार फीस करने से मानहानि के मुकदमों की बाढ़ लग जाएगी। जैसा हमारे उप नेता जी ने बताया, पहले ही 11 लाख से अधिक मुकदमे तो केवल बड़ी कोर्ट में पैंडिंग हैं। अधीनस्थ में 13 लाख हैं। पहले तो यह व्यवस्था करें कि समयबद्ध तरीके से इन मुकदमों को निस्तारित किया जा सके, चाहे जजों की नियुक्ति करनी है, बाकी कुछ काम करने हैं, लेकिन कम से कम निस्तारण समय पर हो, आप इसकी व्यवस्था करें ताकि सभी को न्याय समय पर मिले, सही मिले, सुलभ

(श्री वासुदेव देवनानी)

मिले, लेकिन उसकी तुलना में आप मानहानि वालों को तो लाभ और बाकी जिनके पास धन की कमी है और आपस में कोई बात हो गयी, उसकी परसेंटेज कम करते।

क्या जिस प्रकार 6 लाख बाकी के हैं, उसे आप कम करते तो समझ में आता कि आप सभी को न्याय दिलाना चाह रहे हैं। पूंजीपतियों को तो न्याय दिलाना चाह रहे हैं और गरीब व्यक्तियों पर फीस रहे। बारबार मैं इसीलिए एक बात कहता हूं, बहुत ज्यादा लम्बा नहीं खींचूंगा। पिछली बार विधेयक पर जब मैंने बोला था तो आपने कहा कि बार काउंसिल से बात हो गयी। यदि बात हो गयी होती तो आज सब जगह इस प्रकार के धरने-प्रदर्शन नहीं होते।

इसमें भी मेरा आपको सुझाव है। आप सदन में यहां गलत जानकारी न दें। आपकी कोई बात नहीं हुई होगी। यदि हुई भी होगी तो पर्टिकुलर एकाध व्यक्ति से हुई होगी। अत आप इसे जनमत जानने के लिए परिचालित करें, बार काउंसिल से बात करें, समझदार लोगों से बात करें, ताकि आपको कोई समझदारी वाला सुझाव मिल सके और आप उसे संशोधित रूप में पेश कर सकें। सभापति जी, इसे जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा (अनुपस्थित)। श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सरकार राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 लेकर आयी है और इस विधेयक के द्वारा 1961 के अधिनियम सं. 23 की विद्यमान धारा 21 का संशोधन करना चाह रही है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात बता दी कि सरकार की क्या मंशा है। न्यायालयों में वादों की संख्या बढ़ेगी। पहले से ही न्यायालयों में जो मामले विचाराधीन हैं, वे समय पर निस्तारित नहीं हो रहे हैं। आपके न्यायालयों की स्थिति यह है कि पोस्ट्स वेकेंट पड़ी हैं। जब किसी व्यक्ति को समय पर न्याय ही नहीं मिल रहा है तो फिर सरकार को इस तरह से राशि कम करके किसी बिल में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस पर गम्भीरता से बात करे और न्यायालय में जो वादों की संख्या बढ़ रही है, उनका समयबद्ध तरीके से किस प्रकार निस्तारण हो सकता है, उस पर ध्यान दे।

(श्री रामलाल शर्मा)

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य और हमारे उप नेता ने भी आशंका जाहिर की है कि इनमें वर्गीकरण करना जरूरी है कि आप किन मुकदमों में किस तरह से इनका निस्तारण करेंगे, फीस किस तरह निर्धारित करेंगे। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक निवेदन है, अभी प्रतिपक्ष सदन के उप नेता ने कई बार यह आशंका जाहिर की है कि संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल साहब जो बिल लेकर आते हैं, उसके पीछे कोई न कोई हिडन एजेंडा रहता है। मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि इस बिल को लाने में भी जो सरकार के खिलाफ अखबारों में मुख्यत: हैडलाइन्स में लिखा जा रहा है, सरकार की अकर्मण्यता, निष्क्रियता और कमी-खामी को जो उजागर किया जा रहा है, मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि सरकार उन अखबारों की कलम पर अंकुश लगाने का काम कर रही है।

सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन यह करूंगा कि आप कितने ही संशोधन के प्रस्ताव ले आएं, बिल ले आएं, जनता तो उस समय संशोधन लेकर आएगी, जिस समय उसे मौका मिलेगा, लेकिन संसदीय मंत्री महोदय, आपके कई विधायक उससे पहले भी संशोधन लाने के लिए तैयार बैठे हैं, उससे आप सचेत हो जाइएगा। मैं चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए तीन महीने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, सामान्यत: बड़े लोग ही बड़े लोगों पर मानहानि का दावा करते हैं, पर मानहानि तो गरीबों की भी होती है। जब गरीबों की मानहानि होती है तो वे दावा इसलिए नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। वे अपना मन मसोस कर अपमान सहकर बैठ जाते हैं। यह 25 हजार रुपये की जो राशि रखी गयी है, मैं समझता हूं, इसे कम करना चाहिए, ताकि गरीब आदमी भी अपने अपमान की बात को लेकर अदालत में जाकर न्याय मांग सकें।

हां, अधिक केसेज अदालतों में न जाएं, इसके लिए आवश्यक है कि यदि कोई गलत करता है और बिलकुल गलत साबित होता है तो उसके लिए दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए, ताकि उसके डर से कोई झूठ बोलकर या गलत तरीके से मानहानि का दावा न करे। प्रभावी दण्डात्मक प्रावधान होंगे तो उचित रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, सरकार राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 लेकर आयी है, जिसमें मानहानि के वादों में शुल्क निर्धारित करने की बात कही गयी है। सभापति महोदय, आज प्रदेश में सबसे ज्यादा दु:खी तो वे गरीब हैं, जिन्हें सिविल प्रकृति के दावों में सम्पत्ति के मूल्यांकन का 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी के रूप में देना पड़ता है। गांव और गरीब की बात करने वाली सरकार को चाहिए कि सबसे पहले सिविल प्रकृति के दावों में गरीबों के लिए स्टाम्प ड्यूटी की बाध्यता को समाप्त करे। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस विधेयक में सिविल मामलों में स्टाम्प ड्यूटी की बाध्यता समाप्त करने तक इसे परिचालित करने के लिए भेजा जाए।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, दस माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये, उनमें तरह-तरह के सुझाव देखने को मिले। मोटे तौर पर जब कभी कोई विस्तृत चर्चा होती है तो विपक्ष एकमत होता है, लेकिन आज विपक्ष बंटा हुआ नजर आया। किसी ने तो इस बिल का स्वागत किया और किसी ने इसकी खिलाफत की। किसी ने अच्छे सुझाव भी दिये, जैसे मदन जी ने गरीबों की मदद के लिए कहा कि 25 हजार रुपये ज्यादा हैं, उससे भी कम करें। ज्यादातर केसेज जो होते हैं, उनमें एक सक्षम आदमी ही सक्षम आदमी के खिलाफ मुकदमा करता है, गरीब मन मसोस कर रह जाता है, वह कर नहीं पाता, क्योंकि फीस काफी होती है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मानहानि के दावों के सम्बन्ध में न्यायालय फीस पर कोई अधिकतम सीमा इसलिए निश्चित नहीं की गयी है कि गरीब आदमी वाकई मन मसोस कर रहता है और वह दावा नहीं कर पाता। अभी जो प्रोविजन है, उसके खण्ड 2 की धारा 21 में जो रिप्लेस किया जा रहा है, धन की वसूली व नुकसान सम्बन्धी दावों पर कोर्ट फीस को हमने वैसे भी एज इट इज रखा है। जिस तरह से पूर्व में लगती थी, उस तरीके से ही लगती है। जैसे किसी ने दस लाख रुपये का दावा किया तो दस लाख रुपये पर उसे 62 हजार की कोर्ट फीस आज भी देनी पड़ेगी। यदि वह केस धन की वसूली के बाबत है एवं नुकसान के बाबत है, लेकिन यदि केवल मानहानि के नुकसान के दावे आते हैं, जिनमें मानहानि के अलावा और

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कोई नुकसान नहीं है, जैसे कोई कहे कि, साहब, मेरी इन्सल्ट हुई है या मेरा डिफेमेशन हुआ है तो उनके लिए यह 25 हजार रुपये की फीस रखी गयी है।

अनिता भदेल जी ने कहा कि, साहब, 25 हजार भी ज्यादा है। 25 हजार ज्यादा नहीं है, 25 हजार की तो मैक्सिमम लिमिट है। उससे कम भी फीस दे सकते हैं। वह फीस किस तरीके से ली जाएगी, उसे दिखाया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन यह है कि व्यक्ति विशेष की अगर मानहानि हुई है और वह इतना सक्षम नहीं है कि वह इतनी बड़ी फीस दे पाये और मानहानि का दावा करने में जो उसको हिचक आती है, उस हिचक को दूर करने के लिए यह कानून लाया गया है। गरीब को भी यह अधिकार मिले कि वह कम फीस देकर कोर्ट में जाकर वह अपनी मानहानि का बदला ले सके। किरण जी ने कहा कि कई मामलों में इसे कम किया जाना चाहिए, जैसे धोखाधड़ी है। किरण जी, आप तो पढ़ी लिखी हो, समझती भी हो, इसमें धोखाधड़ी का केस नहीं होता। धोखाधड़ी के लिए तो आई.पी.सी. में क्रिमिनल केस होता है। आई.पी.सी. का सैक्शन 406 पढ़िये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैंने कहा कि सिविल.... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्या, विराजिये। (व्यवधान) सुनिये आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राठौड़ साहब ने कहा कि इससे फ्लड गेट खुल जाएगा, फीस कम नहीं होनी चाहिए। अब आप तो कह रहे हो फीस कम नहीं होनी चाहिए और ज्यादातर लोग कहते हैं कि फीस कम होनी चाहिए। देवनानी साहब ने कहा कि फीस कम होनी चाहिए। अनिता भदेल जी ने कहा कि फीस कम होनी चाहिए। लाहोटी का तो केस समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाहते हैं और कह क्या जाते हैं। कहना क्या चाहते हैं और कहते क्या हैं। केसेज की फीस कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, मेरे ख्याल से शायद आप इसको पढ़कर नहीं आये हो। पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ लो। संयम लोढ़ा जी ने कहा कि फर्जी केस में कोर्ट को जुर्माना लगाना चाहिए। अच्छा सुझाव है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोर्ट को यह अधिकार होना चाहिए, प्रावधान होने चाहिए कि अगर मान लीजिये कोई फर्जी केस दायर करता है तो उस पर भी अच्छा-खासा जुर्माना लगाएं, ताकि इस तरीके की एक्टिविटीज को प्रोत्साहन नहीं मिले।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सभापति महोदय, कुल मिलाकर बात यही है कि 25 हजार की जो फीस रखी गयी है, अधिकतम है, उसको यह नहीं समझें कि 25 हजार तो उसे देना ही पड़ेगा, यह मिनिमम भी हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गरीब को फायदा पहुंचाने के लिए या उस आदमी के लिए जो हिचकता है, जो घबराता है इस बात के लिए कि मैं कैसे अदालत में जाकर करूंगा, वकील की फीस तो अलग देनी पड़ेगी और 25 हजार रुपया अलग देना पड़ेगा या 25 हजार से कम देना पड़ेगा, जो भी देना पड़ेगा, तो जो हिचकता है, उसकी हिचक दूर करने के लिए और उसके मान को, उसके सम्मान को कायम रखने के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सदन में राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 विचारार्थ है। सभापति महोदय, इस संशोधन के माध्यम से राज्य सरकार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 4 के अन्दर संशोधन लेकर आयी है। मूल रूप से यह संशोधन लेकर आये हैं कि एक लाख से अधिक की जनसख्या वाले नगरीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए उसको जोन क्षेत्र में विभाजित करें। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान उद्देश्य और कारणों के कथन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें इन्होंने लिखा है कि 'राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 का अध्याय 2 राज्य में नगरीय क्षेत्रों के सुधार के प्रयोजन के लिए मास्टर प्लान के विषय में कार्यवाही किये जाने के बारे में है। अधिनियम की विद्यमान धारा 4 मास्टर प्लान की अंतर्वस्तु से सम्बन्धित है।' फिर ये लिखते हैं कि 'यह महसूस किया गया है कि जोन विकास योजनाओं की कमी के कारण नगरीय क्षेत्रों में विकास के कार्यों की गति बाधित होती है। इस अधिनियम में जोन विकास योजना का उपबंध नहीं है, जबकि वे शहर जिनमें विकास प्राधिकरण

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं, उनसे सम्बन्धित अधिनियमों में जोन विकास योजना के लिए उपबंध है। इसलिए नगरीय क्षेत्रों में सुधार और विकास के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम को लाया जाता है।' सभापति महोदय, मूल रूप से इस अधिनियम में संशोधन लाने के लिए अगर कोई जनक है, वह राजस्थान का उच्च न्यायालय है। राजस्थान के उच्च न्यायालय में जो जनहित याचिका गुलाब कोठारी जी ने दायर की और उसके बाद में जो ऐतिहासिक फैसला आया, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो 12.01.2017 का फैसला आया, राज्य के मास्टर प्लान में कोई भी फेरबदल नहीं होगा, ग्रीन बैल्ट और पेरीफेरियल जोन सुरक्षित रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने 35 दिशा-निर्देश दिये। उन 35 दिशा-निर्देशों के अन्दर उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के अन्दर जोन के रूप में, जोन बनाकर राज्य का विकास किया जाए और मास्टर प्लान में इकोलोजिकल प्लान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाए।

सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर एक लाख से कम जनसंख्या वाले 170 शहर हैं। इस संशोधन के माध्यम से उन 170 शहरों को अलग करके राजस्थान की सरकार क्या अधिकार ले रही है? मैं समझता हूं कि पहले हाई कोर्ट के अन्दर सरकार गयी। इस प्लान के माध्यम से, इस जोनल प्लान के माध्यम से सरकार चाहती है कि किसी भी एरिया को, किसी भी जगह को वह उनमें तब्दीली करके विकास के नाम पर अगर कोई भूमि संस्थानिक है या रिहायशी है, तो रिहायशी भूमि को औद्योगिक भूमि और अगर कोई भूमि पेरीफेरियल क्षेत्र में है, ग्रीन बैल्ट में है, उसको भी बदलाव करने का एक अधिकार सरकार ले रही है। मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लेकर आये हैं, आपको मालूम है कि यह जो गुलाब कोठारी जी का ऐतिहासिक फैसला आया, जिसने राजस्थान के अन्दर, मैं यह नहीं कहता, हमारे समय में भी आया, सरकारों के हाथ बांधने के लिए यह बड़ा निर्णायक फैसला था। सभापति महोदय, आज हो क्या रहा है कि दिल्ली के बारे में खबर चलती है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गया। आप कभी भी जयपुर की सड़कों पर पधारें, तो जगह-जगह आज वायु के अन्दर कितना प्रदूषण है, आज ध्वनि के अन्दर कितना प्रदूषण है। आज बड़े शहर और छोटे शहरों के अन्दर प्रदूषण ने आम आदमियों को बीमारी की गिरफ्त में ले लिया है। शहरीकरण की इस अंधाधुंध दौड़ में शहरों की तरफ गांव भागते चले आ रहे हैं। आज शहरों के अन्दर जो अनियंत्रित विकास हो रहा है, जोन के आधार पर वह सुनियोजित विकास हो, इस अवधारणा की तो मैं सराहना करता हूं, पर मैं यह निवेदन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करना चाहूंगा कि यह जो आपका मास्टर प्लान है, 2011 के अन्दर मास्टर प्लान बना, अब 2025 के अन्दर दुबारा मास्टर प्लान बनेगा। मंत्री महोदय, पूरे सिस्टम पर देखिये, हमेशा आपकी अदा, आप जब इधर थे तो आपने यह किया, आप उधर थे तो आपने यह किया, मैं समझता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, अब आपके भी जाने की जल्दी तैयारी हो गयी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर कुछ चीजें मापदण्ड और मानदण्ड छोड़ जाती हैं। उसके आधार पर हमारे आने वाले वंशज यह कहते हैं कि हमारे उस समय के नेताओं ने, राजनेताओं ने, जन-प्रतिनिधियों ने सही निर्णय लिए कि आज हम शहरों के अन्दर जोन के आधार पर विकसित होकर खुले में सांस ले रहे हैं। यह 2011 के मास्टर प्लान में है। मैं समझता हूं कि जो भू उपयोग है, जो इकोलोजिकल और व्यावसायिक है, जोधपुर हाई कोर्ट का निर्णय और गुलाब कोठारी का निर्णय, मैं आपसे सिर्फ यही आश्वासन चाहता हूं कि इन निर्णयों की अनुपालना में क्या आप पिछली गली से 170 स्थानीय निकायों को छोड़कर उनके अन्दर मास्टर प्लान, चूंकि आप लागू नहीं कर रहे हो, एक लाख से ज्यादा की आबादी का कर रहे हो। आप करना क्या चाहते हो, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, जो आप बार-बार मेरी तरफ करके कहते हो कि हिडन एजेंडा नाम का एक शब्द उसने सीख लिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि निश्चित तौर पर आज जब जोनों में बंटेगा तो जन सुविधा हो, सड़क हो, मनोरंजन पार्क हो, उद्योग हो, व्यवसाय हो, स्कूल हो, इनके स्थान चिन्हित किये जाएं, पर दुर्भाग्य क्या है, आज 200 बड़े शहरों में से जयपुर के अलावा किसी का मास्टर प्लान अनुमोदित नहीं हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर आपको इस पर विचार करना चाहिए।

मंत्री महोदय, आप अगर इसकी परिभाषा को देख लेते, आप राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक लेकर आये हैं, यदि इसके मूल एक्ट 1959 की परिभाषा को पढ़ लेते, जो धारा 11 (क) में, उसमें परिभाषा लिखी है, 'जोन विकास योजना' से ऐसी योजना अभिप्रेत है जो विहित रीति से तैयार और अनुमोदन की जाएगी। मतलब, ये तो अधिकार पहले से ही दे रही है। आप संशोधनों के नाम पर संशोधन लाकर, आपकी सिर्फ यह आदत बन गयी कि जब बिल आएगा तो बिल का रिप्लाई आप करेंगे। आप बड़े लच्छेदार भाषण देंगे, तो मैं समझता हूं कि सदन को इस प्रकार का मजाक नहीं बनाएं। आपको जब धारा 2, 11 (क) पहले अधिकार दे रही है, तो आप क्यों इसको लेकर आये? इसलिए, मेरा निवेदन है कि आप इस संशोधन के माध्यम से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

170 शहरों को क्यों अलग कर रहे हैं? आप निश्चित तौर पर इन शहरों में जिस प्रकार की बसावट की आशंकाएं हैं, आप जोनल प्लान बनाइये, पहले भी जोनल प्लान के लिए पिछली सरकार ने भी काम किया। पिछली सरकार के सामने भी कई अड़चनें आयीं। इसलिए, मेहरबानी करके आप गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के अन्दर जो 35 दिशा-निर्देश दिये हैं, आप कुछ भी बनाइये, ये तो सदन स्पष्ट आश्वासन चाहता है कि 35 दिशा-निर्देश, जिनके लिए हाई कोर्ट की डबल बैंच में आप गये, सुप्रीम कोर्ट में आप गये, उनकी अवहेलना नहीं हो, इसलिए अच्छा यह रहेगा कि आप इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें और दुबारा इसको लेकर आएं। आज शहरीकरण के नाम पर नगरीय सीमा जिनको घोषित किया गया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत, उन सारे शहरों को शामिल करके, उसको लेकर आओ।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अभी मैं बोलूंगा, फिर मंत्री जी कहेंगे कि यह तो बहुत उस्ताद हैं।

श्री सभापति: आप दो मिनट में समाप्त करें। दो बजे बिल पास करवाएंगे, प्लीज सहयोग करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, ये जो बिल लेकर आये हैं, नगरपालिका का जो 2009 का एक्ट है, उसमें शहरों को सुनियोजित बसाने के लिए पहले से ही ये सारे प्रावधान दिये हुए हैं। उसके बाद में इस बिल में जो आप लेकर आये हो कि एक लाख से ऊपर की नगरपालिकाओं को किया जाएगा।

सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि आपके 197 कुल नगर निकाय, नगरपालिकाएं हैं। उनमें से 170 एक लाख से कम आबादी की हैं। आपने 2011 का जो मास्टर प्लान बनाया, वह 2025 तक लागू है। उस मास्टर प्लान में और माननीय गुलाब कोठारी जी की याचिका, जो राजस्थान उच्च न्यायालय में है, उससे बचने के लिए यह रास्ता निकाला गया। उससे बचने के लिए दूसरा रास्ता भी था, सभापति महोदय। इस मास्टर प्लान को ही तीन साल और पांच साल के लिए क्यों नहीं बनाया जाता है? 15-15 साल के लिए बनाया जाता है और इसलिए आवश्यकता है। आज शहरों की आबादी 23.12 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है। 2025-26 का

(श्री अशोक लाहोटी)

जो ग्रामीण प्रोजेक्शन है, राजस्थान में 54 प्रतिशत आबादी शहरों में आ जाएगी और जिस प्रकार से शहरों का अनप्लांड डवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से शहरों में कच्ची बस्तियां बढ़ रही हैं, अतिक्रमण बढ़ रहा है, मैं समझ रहा हूं कि छोटे शहरों की स्थिति बड़ों शहरों से भी ज्यादा भयावह हो जाएगी। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि केवल इसमें एक लाख से ऊपर का नहीं, आप यदि मास्टर प्लान की अवधि भी कम कर दें, यदि आपको इस बिल को लाना है तो सारे शहरों में लागू करें, ताकि पूरे राजस्थान का एक सुनियोजित डवलपमेंट हो सके, सुनियोजित विकास कर सकें और बढ़ती शहरी आबादी से जिस प्रकार से कचरा शहरों में बढ़ रहा है, जिस प्रकार से सीवरेज की समस्या बढ़ रही है, सबका समाधान हो सकेगा।

सभापति महोदय, आपका सीकर भी इससे अछूता नहीं है। मंत्री महोदय का कोटा भी अछूता नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान को तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, इन्होंने ताक पर ही रख दिया है। मेरा यह कहना है कि इन सब चीजों को इन्कारपोरेट करते हुए, जिस प्रकार से शहरों में सीवरेज की, लाइटों की, पानी की, सड़कों और सबसे बड़ी एक सुनियोजित विकास की जो आज जरूरत है, वह छोटे मास्टर प्लान में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए सभी जगहों पर एक साथ, एकरूपता के साथ राजस्थान का विकास हो, एकरूपता के साथ राजस्थान के शहरों का नियोजन किया जाए। यही मेरा निवेदन है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करकें, इसमें और लोगों से भी राय ले लें, इसमें राय करके इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख (अनुपस्थित)। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, जो 170 छोटे शहरों को छोड़ा जा रहा है। यह सच है कि शायद ये यह मानकर छोड़ रहे होंगे कि जनसंख्या कम है तो शायद वह एक जोन ही होगा, लेकिन कई बार जनसंख्या छितराई हुई होती है। उनका भी व्यवस्थित रूप से विकास हो सके, इसलिए उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। उनको अलग नहीं छोड़ना चाहिए था। जहां तक बड़े शहरों की बात है, बड़े शहरों का जो बाहर वाला एरिया है, जहां ग्रामीण लोग आकर के बसते हैं, वह एरिया विकसित नहीं होता और लगातार वह बढ़ता जाता है। जो अतिक्रमण वगैरह हो रहे हैं, उस पर पाबंदी होनी चाहिए, पाबंदी लगाकर फिर सुनियोजित विकास करें। सुनियोजित विकास करने के लिए जरूरी हो गया है कि जब हम जोनवार बाटेंगे तो जो पहले से विकसित एरिया है, उसमें कम विकास हो। जो नया

(श्री मदन दिलावर)

जोन बनेगा, जो कम विकसित है या जहां डवलमेंट की ज्यादा आवश्यकता है, वहां पर ज्यादा विकास हो। इस प्रकार से इसको भी श्रेणीवार करना चाहिए, जोन ए, बी, सी ग्रेड देना चाहिए, ताकि उस हिसाब से उनका विकास हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार The Rajasthan Urban Improvement (Amendment) Bill लेकर आयी है। यह सही है कि ये इसलिए लेकर आये हैं कि गुलाब कोठारी वाले जजमेंट की वजह से, ये जो नियमन करना चाहते हैं, ये जो पट्टे बनाना चाहते हैं, वे बना नहीं पा रहे हैं। यह पूर्ववर्ती सरकार भी करना चाह रही थी, वह नहीं कर पायी। इस वजह से अब कोर्ट के रास्ते से बचने के लिए एक गली ढूंढ़ी गयी है, जोनल प्लान।

माननीय सभापति महोदय, सरकार को इसमें ग्रीनरी को डिफाइन करना चाहिए और जो कोर्ट ने कहा है 60:40 का रेशो फैसिलिटी एरिया का, वह डिफाइन करना चाहिए। अब 40 परसेंट फैसिलिटी एरिया में सड़कें भी डाल देते हैं, जो कि उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। फैसिलिटी एरिया में गार्डन है, काम्प्लेक्स है, ये सारी चीजें उसमें रखें। आपके महाधिवक्ता एम. एस. सिंघवी साहब पृथ्वीराज नगर मामले में एमिकस क्यूरी थे। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी पृथ्वीराज नगर के मामले में, उनकी रिपोर्ट आन रिकार्ड है। यह आकलन करें पृथ्वीराज नगर में आपने जो काम किया, डी.एल.सी. रेट पर आकलन करें कि तो यह 13 हजार करोड़ का घोटाला है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आन रिकार्ड कहा है। बाजार दर पर आकलन करें तो यह 50 हजार करोड़ का घोटाला है। आपने कहा था कि 11 हजार में से 7 हजार बीघा जमीन आपके कब्जे में आ गयी। मैं उसी रेफरेंस में बोल रहा हूं, रेलेवेंट है, उसमें क्या है। आप जोनल प्लान पर जा रहे हो, आपने नियमन किस तरीके से किये, मंशा क्या थी? नहीं, नहीं, गुलाब कोठारी के जजमेंट की मंशा क्या थी? मैं उसी पर जा रहा हूं। आपने पिछले दरवाजे से, पिछली डेट में सोसायटियों के पट्टे बनवा दिये। माननीय सभापति महोदय, बच्चा दो साल का था, उस वक्त उसका पट्टा बन गया। ये सब उस रिपोर्ट के अन्दर है, लेकिन ये आंखें खोलने वाली बातें, आप नहीं चाहते कि रिकार्ड में आएं और राजस्थान की जनता को मालूम पड़े कि मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाकर हम क्या कर रहे हैं। अब जोनल प्लान के जरिये क्या करना चाह रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम

(श्री संयम लोढ़ा)

से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लेकर आए हो एक लाख से ज्यादा वाले और एक लाख से कम वाले को आपने छोड़ दिया। उन नगरपालिकाओं को, तुम्हारी इच्छा हो तो करो नहीं तो मत करो। क्यों-क्यों, क्या सिर्फ इसीलिए कि यह फैसला जो गुलाब कोठारी का आया है, यह शहरों के लिए है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसमें आपको दिक्कत नहीं है। आप मर्जी आए जो करें। वहां के लोगों को आप इस तरह...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, समाप्त तो मैं कर दूंगा, लेकिन यह जोनल प्लान वगैरह लेकर के आ रहे हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि सरकार को इसके साथ में फाइनेंस का बंदोबस्त करना चाहिए। आप कागजों में तो बता देते हो कि हम यह-यह करेंगे, होता कुछ नहीं है, सारी कालोनियां आप देख लें।

माननीय सभापति महोदय, जो फैसिलिटी एरिया छोड़ा हुआ है, क्या नागरिकों को उस फैसिलिटी एरिया के मुताबिक सुविधाएं मिल रही हैं? क्या ग्रीनरी है, क्या स्कूल हैं? सारी जो ओपन लैंड छोड़ी हुई है, उस पर पट्टे काट दिये, सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जो जजमेंट है, अक्षरशः उस जजमेंट की आप पालना करिए। इस तरीके से आप ये गलियां मत ढूंढिए और जैसे पहले राजस्व विभाग ने अब्दुल रहमान के फैसले में हाई कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई हैं, हाई कोर्ट के अन्दर माननीय सभापति महोदय, यह रामगढ़ के मामले में 192 अधिकारियों के बारे में रिकार्ड पेश किया गया कि इन्होंने वाटर बाडी की लैंड एलाटमेंट कर दी और आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि नागरिकों ने आपको वोट दिये हैं, राज दिया है। उनके बच्चों को अच्छी बस्तियां दो, अच्छी हरियाली दो, अच्छी हवा दो, अच्छी रोशनी दो, अच्छी सड़कें दो, अच्छी सुविधाएं दो। इस तरह हाई कोर्ट की मेहनत पर, और जो लोग हाई कोर्ट में याचिका लेकर गये, उनकी मेहनत पर इस तरीके से पानी मत फेरो। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि सरकार अक्षरशः उस फैसले की पालना के लिए आगे आये और जब तक नहीं आती है तब तक यह अमैंडमेंट आप वापस ले जाओ। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, सरकार अरबन क्षेत्र में जो संशोधन लेकर आयी है, इस संशोधन के उद्देश्यों का अभी पठन चूरू से आने वाले माननीय उप नेता जी ने किया। मैं उसकी एक पंक्ति, जो आपने छोड़ी है उसको वापस पठन करना चाहती हूं, 'यह महसूस किया गया है कि जोन विकास योजनाओं की कमी के कारण नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बाधित होती है। इस अधिनियम में जोन विकास योजना का कोई उपबंध नहीं है, जबकि वे शहर जिनमें विकास प्राधिकरण हैं, उनमें सम्बन्धित अधिनियमों में जोन विकास योजना के लिए उपबंध हैं, इसलिए नगरीय क्षेत्रों में सुधार और विकास के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम में जोनल विकास योजना के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक हो गया।' यह उद्देश्यों में लिखा है। मैं उस लाइन को वापस रिपीट करूंगी, 'जिन शहरों में विकास प्राधिकरण है।' तो माननीय सभापति महोदय, जिन शहरों में विकास प्राधिकरण है और जोनल का उसमें उल्लेख है, उसमें उपबंध है तो ऐसी स्थिति में अभी जो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जोनल प्रोविजन होते हुए भी चूंकि पैसा नहीं है चूंकि पद नहीं है, चूंकि अधिकारी नहीं है, इसलिए उन जोनल क्षेत्रों में कोई विकास का काम नहीं होता है। अधिकारी चाहता है कि मैं मुख्यालय पर बैठूं न कि जोनल क्षेत्र में जाकर बैठूं, तो जिनमें आलरेडी जोनल का प्रोविजन है वहां आपने क्या देखा कि वहां किस ढंग से आप विकास कर पा रहे हैं, क्या संसाधन आप दे पा रहे हैं। सिर्फ जोनल का उपबंध करने से आप किसी नगर निगम क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में आप उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए होना तो यह चाहिए था कि इस प्रोविजन के साथ-साथ आप बहुत सारे प्रोविजन भी करते, वे सारे पद भी बढ़ाते, तब जाकर के यह जो शहरी क्षेत्र का विकास आप चाहते हो, उस ढंग से हो सकता था।

मास्टर प्लान जो आपने लागू किया और जो गुलाब कोठारी जी की याचिका है, जो उनकी फाइंडिंग्स आयी हैं, माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि हम कुछ तो मानदंड तय करें, क्योंकि जो स्थानीय नगरपालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, उनके पास इतने ज्यादा संसाधन नहीं होते और हम ही उनको मोटिवेट करते हैं कि वे गलत काम करें या कहीं अगेंस्ट जाकर काम करें।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिए मेरा निवेदन है कि

(श्रीमती अनिता भदेल)

इस तरह के जो भी सैक्टर्स आप बनाने जा रहे हैं, उन सैक्टर्स में सम्पूर्ण संसाधनों के साथ आप बनाएं और एक, मास्टर प्लान में आप वायलेशन न करें, क्योंकि यह मास्टर प्लान आप ही ने तय किया है और हमें चाहिए आने वाले समय में...

श्री सभापति: समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें। सहयोग करें। माननीय सदस्या, प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या को 2 मिनट पूरा कर लेने दो।

माननीय सभापति जी, द राजस्थान अरबन इंप्रूवमेंट अमेंडमेंट बिल जो आज यहां पर रखा जा रहा है, यह पता नहीं माननीय मंत्री जी इतने सारे अमेंडमेंट ले करके आ रहे हैं, जो कि वास्तव में एक तरह से जो गुलाब कोठारी वर्सेज गवर्नमेंट की जो फाइंडिंग्स आयी हैं, उसकी एक गली निकालने का ही यह एक रास्ता है कि यह पहले भी बिल लेकर आये थे नगर परिषद को लेकर और अब अरबन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को लेकर आये हैं। अब अगर हम लोग देखें तो पूरे राजस्थान में 197 म्युनिसिपल टाउंस हैं, उनमें से 170 टाउंस ऐसे हैं जो बिलो वन लेक पापुलेशन के हैं। 27 टाउंस ऐसे हैं जो अबव 1 लेक के हैं। उनमें यू.आई.टीज. जो हैं, वे मात्र 14 यू.आई.टीज. हैं आज पूरे राजस्थान में। अरबन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अन्दर जो सुधार करना है, उसके संदर्भ में जो संशोधन करना है, उसके संदर्भ में आप यह बिल आज लेकर आये हैं। अब यह जो लास्ट लाइन में, माननीय सभापति जी, इसमें जो 'Contents of master plan' जो इन्होंने दिया है, उसमें इन्होंने यह लिखा है कि "Population of more than one lac may be divided for the purposes of its improvement and indicate the manner in which the land in each zone is proposed to be used and shall serve as a basic pattern of framework" वह तो आप जोन वाइज करें। यह जो इन्होंने एक परिकल्पना की है कि मास्टर प्लान को पूरी तरीके से हम लोग जोन वाइज करेंगे और केवल जोनल ही क्यों, आप उसको सैक्टर पर जाइए, आप उसको स्कीम वाइज जाइए, उसको उस तरीके से डिफाइन करिए कि किसी भी तरीके से जो उसकी फाइंडिंग्स आती हैं, उनमें कामर्शियल एरियाज

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अलग करें। आप उसमें रेजिडेंशियल, ग्रीन बैल्ट, इंडस्ट्रियल एरिया और यह मिक्स्ड यूज प्लान इन सारी चीजों को डिफाइन करें। तभी जाकर किसी भी शहर का जो हम चहुंमुखी विकास चाहते हैं वह तभी सम्भव है। जब एक मास्टर प्लान को जोनल प्लान के साथ नीचे सैक्टर प्लान और उसका स्कीम प्लान बनाकर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो सही मायने में आप उसको एक फ्रेमवर्क के अन्दर लेंगे और शहर का एक व्यवस्थित डवलपमेंट होगा। जहां तक सवाल है, माननीय सभापति जी, इसी बिल के अन्दर जो इन्होंने लिखा, "Provided that the preparation of zonal development plan shall not be mandatory for urban areas having population of less than one lac." इसकी आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि कोई भी युवा, यह यू.आई.टी. के लिए ही आया है न? यह आपका अरबन इंप्रूवमेंट अमेंडमेंट बिल है, जब अरबन इंप्रूवमेंट अमेंडमेंट बिल लेकर आये हैं तो, below one lac, though, it's an urban area, अरबन एरिया है वह शहरी विकास एरिया है, उसके अन्दर आपने कहा कि उसके अन्दर किसी तरीके की प्लान की जरूरत नहीं है। मैं सहमत हूं हमारे उप नेता, प्रतिपक्ष, माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही, उससे, कि क्या हमें हर नगर को डवलपमेंट, क्योंकि मैं आती हूं एक लाख पापुलेशन से नीचे का मेरा क्षेत्र है, राजसमन्द एरिया, जहां पर यू.आई.टी. नहीं है, जहां मात्र नगर परिषद है, लेकिन उन एरियाज में क्या डवलपमेंट का कोई उनका ढांचा नहीं होना चाहिए, कोई एक रूपरेखा उनके लिए तैयार नहीं होनी चाहिए कि कौन सा ग्रीन बैल्ट होगा, कौन सा हमारा नोन कंस्ट्रक्शन जोन होगा, कौन से एरिया के अन्दर हम इंडस्ट्रीज डवलप करेंगे?

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री बिहारीलाल।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): तो माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगी कि आप उन छोटे एरियाज को, more than one lac को तो आपने कंसीडर कर लिया, बिलो एक लाख पापुलेशन वाले में भी कहीं न कहीं तो कोई प्रकार की रूपरेखा, जो नगरपालिका/परिषद् अपने यहां पर प्लान बनाकर उसको भेजे।

श्री सभापति: विराजिये। सहयोग करें। श्री बिहारीलाल।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उसकी कोई गाइडलाइन आप इश्यु करें कि किस प्रकार से हो, इंटीरियर सिटी का एरिया है, जो यह हैरिटेज

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्रोपर्टी है, उसको हैरिटेज के अन्दर रखें। इस प्रकार की कोई बात हो, इसलिए यह जो बिल लेकर आते हैं, यह सिर्फ इनका काम है बिल लाना।

श्री सभापति: सारी बातें वही रिपीट हो रही हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, एक मिनट। यह जो इस प्रकार से बिल लेकर आते हैं न, उस बिल को लाने से पहले कहीं चर्चा तो कर लें, वह चर्चा किये बिना इस प्रकार से बिल लेकर आते हैं, क्या शहर के विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ यह गली निकालना है, क्योंकि गुलाब कोठारी वर्सेज सरकार केस चल रहा है इसलिए हमें लोगों को कैसे परमिशन देनी है, तो हम यह गली निकालें, बिल लेकर आ जाएं। यानी सदन को इस प्रकार से आंका जाता है कि हम बिल लाएंगे, सरकार हमारी है, हम पास कर देंगे और हम उसमें से गली निकाल लेंगे। यह बिलकुल गलत है, माननीय सभापति जी।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इस प्रकार से बिल जो आता है सदन का टाइम वेस्ट होता है। हमें हमेशा राजस्थान के हित में बात करनी चाहिए। राजस्थान के विकास के लिए क्या ठीक होगा...

श्री सभापति: सहयोग करें। आप वरिष्ठ सदस्या हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उसके लिए बात करनी चाहिए और यह जो आप लेकर आते हो, उसके लिए छोटी नगरपालिकाओं में कभी चर्चा की आपने? कभी उनसे बातचीत की आपने कि आप लोगों को...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री बिहारीलाल।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों में मास्टर प्लान में जोनल विकास योजनाएं बनाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन प्रदेश के सभी निकायों का मास्टर प्लान बन चुका है तो एक लाख से नीचे की आबादी वाले जो 170 निकाय इससे वंचित रह जाते हैं, उनका भी सुनियोजित विकास होना चाहिए, इसलिए उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

गुलाब कोठारी वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान की रिट के आदेश में जो 35 बिन्दु थे, सभी शहरों में मास्टर प्लान को सही तरीके से लागू करना

(श्री बिहारीलाल)

चाहिए। एक लाख से कम जनसंख्या वालों में भी मास्टर प्लान के साथ-साथ जोनल प्लान के अनुसार इसको संशोधन करना चाहिए। अधिकांश शहरों में तो मास्टर प्लान भी त्रुटिपूर्ण हैं, उनमें भी सर्वप्रथम संशोधन करने की जरूरत है। राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 जो हमने पारित किया, धारा-159 में आप संशोधन पहले लेकर के आए थे, उसके अनुसार एक लाख से नीचे आबादी वाली नगरपालिकाओं को, निकायों को ऐच्छिक आपने कह दिया सरकार की इच्छा पर, कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं किया। वह एक संशोधन भी आप गलत लेकर आये, उसको भी संशोधन करना चाहिये था।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मेरा नोखा बहुत सुन्दर कस्बा है। महाराजा गंगासिंह जी, सेठ सुगन्ध चन्द जी पारख ने जब उसकी नींव रखी तो मैकेंजी, जो उनका फ्रांसीसी इंजीनियर था, आयरन ग्रिड पैटर्न पर जो बसा और आज उस नोखा की ख्याति है दुनिया में, उसके बाद 50 सालों में नगरपालिका के कर्ताधर्ताओं ने जिस तरह नोखा का विकास किया, मोहनपुरा, कानपुरा, उगमपुरा, जोरावरपुरा, ऐसी भूलभुलैया पैदा हो गयीं कि जो आदमी 50 वर्षों से वहां रहता है, वही उसमें खो जाये। ऐसा नगर का विकास हुआ, मारवाड़ी में कहावत है, पल्ड ऊं डरतो पाडिये चढ़यो और पाडिये पल्ड पर पटकियो। आपसे उम्मीद करते हैं कि सुनियोजित विकास करने की व्यवस्थाएं करेंगे। आज भी नगरपालिका में 50 सालों से ढर्रा चल रहा है, वैसे ही नियम ला रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री वासुदेव देवनानी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, इसमें आपको संशोधन करना चाहिये। माननीय सभापति जी, नगर निगम बीकानेर का सब्जैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। रिड़मलसर गांव व उदासर गांव की 51 कालोनियां हैं, जिनको नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने के प्रस्ताव कलेक्टर के माध्यम से डी.एल.बी. में आ चुके हैं। उन 51 कालोनियों को उनकी दोनों ग्राम पंचायतों ने एन.ओ.सी. भी दे दी है, उनके वोट भी नगर निगम क्षेत्र में हैं। माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, उसमें पूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक, कर्मचारी वर्ग बसता है, सैनिकों के सम्मान में इन 51 कालोनियों को नगर निगम सीमा क्षेत्र बीकानेर में शामिल किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया (अनुपस्थित)। श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के सम्बन्ध में जो हाई कोर्ट के निर्देश हैं, उनका 170 शहरों में पलीता लगाने के लिए विधेयक लाया गया है, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई प्रावधान लागू न हो।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केवल विकसित क्षेत्रों के लिए तो प्रावधान किये हैं लेकिन उस जगह जो अविकसित क्षेत्र हैं, उसका क्या होगा, उसके बारे में साइलेंट हैं। जहां ए.डी.ए. है या जे.डी.ए. है, वहां पर आज जोन की आपने बात कही। जहां आलरेडी जोन हैं, वहां की स्थिति की भी तो थोड़ी सी चिंता कर लेते। अजमेर विकास प्राधिकरण में तीन जोन हैं, लेकिन वहां 33 में से कुल 9 पद कनिष्ठ अभियंताओं के भरे हुए हैं। एक जोन में तीन अभियंता आखिर करेंगे क्या। इसी तरह आज ए.डी.ए. में 40 हजार से अधिक प्रकरण लम्बित हैं। बात करते हैं तो कहते हैं कि मास्टर प्लान 2033 के अनुसार होगा। उसको अभी तक आप एप्रूव नहीं करवा पाये हो और किसी तरह का कोई प्रयास भी नहीं है, लेकिन उसके पहले 2023 का जो मास्टर प्लान है, उसके अन्तर्गत तो यह आवासीय अथवा कृषि भूमि पर जो बसे हैं, उनको तो पट्टे जारी हो सकते हैं, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई चिंता या किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आज ए.डी.ए. की जो आपकी योजनाएं हैं, जहां जोन भी हैं, वहां पर विकास की किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। ए.डी.ए. के हरिभाऊ उपाध्याय नगर, कोटड़ा, महाराणा प्रताप नगर, पृथ्वीराज नगर, पंचशील ई ब्लाक, डी.डी. पुरम, ऐसी आवासीय योजनाएं हैं जहां पर जल भी नहीं है। अत: उनको लागू किया जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अभी पृथ्वीराज नगर में 13 साल बाद भी भूखण्ड के कब्जे नहीं मिले हैं। सभापति महोदय, अभी 27 फरवरी को मेरे प्रश्न का जवाब दिया, वह पूरा का पूरा उत्तर गलत है।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसके लिए आप अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करो। मेरे अजमेर उत्तर में ए.डी.ए. में 90 ए की कार्यवाही करो और ए.डी.ए. के गांवों में आबादी विस्तार करो ताकि कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो गलत न आएं। मेरा एडीए जोन है, उसमें यह व्यवस्था है। 3 लाख 600 वर्ग गज की जमीन है, प्लाट जारी कर दिये, इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, पहले उन जोन को सम्भालो। बाकी जोनों की चिंता तब करो, सारे 170

(श्री वासुदेव देवनानी)

शहरों को मिलाकर योजना को लागू करो, ऐसा मेरा आग्रह है। तब तक इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें, आपसे निवेदन करता हूं।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 में सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, इसमें एक लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में जोन प्लान बनाने का प्रस्ताव लेकर सरकार आ रही है। माननीय सभापति महोदय, जहां छोटे शहर हैं, नगरपालिकाएं हैं, जहां आज मास्टर प्लान की ज्यादा जरूरत है, उनको भी उसमें शामिल किया जाए। मेरा आग्रह है कि इसमें एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर भी शामिल किये जाएं क्योंकि बिना प्लान के इन शहरों में कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। सभापति महोदय, विशेषकर मैं डूंगरगढ नगरपालिका की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका द्वारा बिना किसी मास्टर प्लान के बीकावास वार्ड नम्बर 16 में सीवर लाइन डाली जा रही है। लम्बे समय से वहां धरना भी चल रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): जमीन के धरातल से 6 फीट ऊपर सीवर लाइन डाली जा रही है, जिससे वहां के निवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 में 170 शहरों का सुनियोजित प्लान नहीं बन सकेगा। सभी शहर निकायों का मास्टर और जोनल प्लान बनाने के आदेश हाई कोर्ट ने दिये थे, जिससे वहां पर सुनिश्चित विकास हो सके। सरकार ने नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पारित करा कर इससे बचने की गली निकाली है, जिनमें एक लाख से अधिक आबादी वाले पालिका क्षेत्र में प्लान लागू नहीं होने की वजह से उस पालिका में मूलभूत सुविधाओं में भी कमी आयेगी। इन नगरपालिकाओं में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। इन छोटी नगरपालिकाओं का विकास रुक जायेगा और 170 नगरपालिकाओं में जोनल प्लान नहीं होने से नियमन, भू रूपांतरण, नाम हस्तांतरण से जुड़े काम नहीं हो पायेंगे। इन छोटी-छोटी नगरपालिकाओं को भी शामिल किया जाता तो....

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): एक मिनट साहब। इसके साथ-साथ धारा 1956 के तहत 90 ए के तहत ....

श्री सभापति: श्री राम प्रताप कासनियां। अंकित नहीं होगा।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): 000

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां। पढ़ने की जरूरत कहां पड़ गयी। आप तो घर से लिखकर लाये हो और वह पढ़ रहे हो।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020, सरकार नया संशोधन लेकर आयी है कि एक लाख तक की जनगणना वाले शहर में मास्टर प्लान लागू करेंगे। सभापति महोदय, कोई जगह खाली होगी तो मास्टर प्लान लागू करोगे। सरकार की अरबों रुपये की जमीन, चाहे कोई नगरपालिका, नगर परिषद् है, पूरे राजस्थान में अगर सरकार की विकास करने की मंशा है तो यह जो लोग शहर में आकर कब्जे कर रहे हैं, गलियों में घुसने के लिए ट्रैक्टर, जीप, बल्कि मोटर साइकिल भी कई गलियों में तो मुश्किल से निकलती हैं, यह हालत है। सरकार बड़ी-बड़ी बातें कर रही है। अरबों रुपये की जमीन पर आपके सामने कब्जे हो रहे हैं। न तो पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर ध्यान दिया और न आप दे रहे हो। अरबों-खरबों रुपये की जगह पर कब्जे करवा दिये। मैं अब भी सरकार से कह रहा हूं कि समय रहते हुए चेतो, मास्टर प्लान तब लागू होगा जब धरातल पर जगह बचेगी।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री रामलाल शर्मा। अपना सब्जैक्ट ही नहीं है, बीच में क्यों कूद गये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, सरकार राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 लेकर आयी है। इस विधेयक के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता भी जाहिर की है और इस विधेयक के बारे में अपनी बात भी रखी है। मैं सीधा-सीधा सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि गुलाब कोठारी की भावनाओं को आहत करने के लिए सरकार एक गली निकालने का काम कर रही है। सभापति महोदय, मुझे आप यह बता दो कि इस मास्टर प्लान को बनाने का काम कौन करेगा? आपके सरकारी अधिकारी करेंगे या किसी एजेंसी को आप देने का काम करोगे? माननीय सभापति महोदय, कमरों में बैठकर मास्टर प्लान बना दिया, मौके पर आप बनाओगे या रिकार्ड के आधार पर बनाओगे, आप यह तो तय करो। आप रिकार्ड के आधार पर बनाओगे और मौके पर वहां 25-30 साल से कब्जा की हुई जमीनें हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

आपने रिकार्ड के आधार पर डाल दिया कि इस जमीन को हम फैसिलिटी के रूप में विकसित करने का काम करेंगे, आप 25-30 साल पुराने अतिक्रमणों को हटा दोगे? मेरा आपके माध्यम से इतना निवेदन है कि इसमें एक लाख से अधिक आबादी का मास्टर प्लान लागू करने से पहले आप यह सुनिश्चित करें कि इसके विकास के लिए बजट का प्रावधान हम यह रखेंगे और क्या मास्टर प्लान की आड़ में विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र में, एक लाख से अधिक आबादी की नगरपालिका, नगर निगम और हैं, क्या उन विकास कार्यों को आप तत्परता से जारी रखेंगे या उनको रोकने का काम करेंगे?

सभापति महोदय, एक अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य के तीन दिन से उनके स्वर बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। अब अन्तर आत्मा की आवाज कभी तो सही निकलती ही है। मैं चाहूंगा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात रखते रहें, आने वाला समय अच्छा रहेगा और मैं चाहूंगा सरकार इसको तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करे। जल्दबाजी नहीं करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गोपाल लाल शर्मा (अनुपस्थित)। श्री संदीप शर्मा (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्री जी।

(14.00 बजे)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, करीब 10-11 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। उनमें से ज्यादातर तो यहां पर हैं ही नहीं, जवाब सुनने के लिए मौजूद नहीं रहते हैं। (व्यवधान) आपने तो बोला ही नहीं था निर्मल जी।

सभापति महोदय, सवाल यह है कि जोधपुर उच्च न्यायालय ने जो रिट पिटीशन पर अपने आदेश दिये थे, उसमें मोटे तौर पर यह कहा गया था कि शहरों में जोनल प्लान बनाये जाने चाहिए। उसमें शहरों में जोनल प्लान बनाये जाने के निर्देश थे।

दूसरी बात, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे बड़े शहर हैं, जयपुर, जोधपुर और अजमेर हैं। इनके मास्टर प्लान, प्राधिकरण का जो अधिनियम बना हुआ है, उसके तहत बनाये गये हैं। उनके नियम में जोनल डवलपमेंट प्लान का आलरेडी प्रावधान है। जिन मास्टर प्लानों में जोनल डवलपमेंट प्लान का प्रावधान है, वहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जोनल प्लान बनेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। सवाल यह आता है कि अन्य शहरों

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

में, जो 1959 का यू.आई.टी. एक्ट है, जो नगर सुधार अधिनियम है, उसकी धारा 4 में यह प्रोविजन दे रखा है कि आप शहरों को जोन्स में विभाजित करेंगे, जोनल प्लान के लिए नहीं लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ कि आप जोन में विभाजित करेंगे। जोन में विभाजित करने के बाद दिक्कत यह आती है कि जोनल डवलपमेंट प्लान किस तरह से डिफाइन किया जाए। हम यह जो सैक्शन लाये हैं, इसमें जोनल डवलपमेंट प्लान को हमने धारा (1) में डिफाइन किया है। अगर जोनल प्लान को डिफाइन नहीं करते तो सारा कन्फ्यूजन होता कि जोनल डवलपमेंट क्या है क्योंकि जोन में है, यू.आई.टी. एक्ट, 1959 में यह प्रोविजन था कि आप शहरों को जोन्स में डिवाइड करेंगे, जोनल प्लान में नहीं करेंगे। जोनल प्लान का आदेश तो हाई कोर्ट का था।

सवाल आता है कि जोनल प्लान को अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे तो सारा कन्फ्यूजन होगा। साहब, मेरे कहने का अर्थ यह है कि मोटे तौर पर जो बड़े शहर हैं, उन शहरों में जो जोन बनते हैं, वे कम से कम एक लाख से भी ज्यादा की पापुलेशन के होते हैं। जैसे जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर है, उदयपुर है, बीकानेर है, इन सब के जितने भी जोन्स बने हुए हैं, वे मोटे तौर पर एक लाख से ज्यादा की पापुलेशन के हैं। एक लाख से ज्यादा की पापुलेशन में तो जोनल डवलपमेंट प्लान बनाना जरूरी है, लेकिन एक लाख से कम की पापुलेशन में इसलिए जरूरी नहीं है कि आलरेडी जब एक लाख पर ही वहां जोनल डवलपमेंट प्लान बन रहा है तो फिर छोटे शहरों में जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने की जरूरत क्या है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वाह क्या बात...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ...(व्यवधान) क्या हुआ? बात समझ में आ गयी न। आपको धन्यवाद। मैं आपका इंतजार कर रहा था कि मैं आपको समझा दूं और आपके समझ में आ गया, मैं बहुत संतुष्ट हूं।

साहब, कुल मिलाकर बात यह है कि जो बड़े शहरों के जोन्स हैं, वे एक लाख की पापुलेशन से अबव होने की वजह से, छोटे शहरों को एग्जम्प्ट इसलिए किया जा रहा है, मोटी बात यह है कि एक लाख से कम की आबादी के शहरों के लिए बनाये गये मास्टर प्लान ही जोनल डवलपमेंट के बराबर हैं। जो मास्टर प्लान बने हुए हैं, जैसे बिहारीलाल जी ने कहा कि सारे के सारे मास्टर प्लान बन गये। सारे शहरों के मास्टर प्लान बने हुए हैं। ये कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। आपको यह भी याद है। भारतीय जनता पार्टी के टाइम

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पर कोई मास्टर प्लान नहीं बना। हमने जो मास्टर प्लान पहले बना दिये, उनकी पापुलेशन ही एक लाख से नीचे की है और एक लाख से ऊपर ही जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने की बात आयी है। सवाल यह आता है कि इसलिए यह आवश्यकता पैदा हुई, नहीं कि एक लाख से अधिक की आबादी के शहरों में ही जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने के लिए एवं एक लाख से कम की आबादी में जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने की आवश्यकता न होने के कारण ही सैक्शन 4 में यह अमेंडमेंट लाया गया है।

जहां तक सवाल राठौड़ साहब का है। राठौड़ साहब ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसी भूमि का लैंड यूज चेंज कर दिया जाए। राठौड़ साहब, मास्टर प्लान में लैंड यूज दिया जाता है, क्या तो एग्रीकल्चर रहेगा, क्या कमर्शियल रहेगा, क्या रेजिडेंशल रहेगा। उन मास्टर प्लानों में, जिनमें हाई कोर्ट के द्वारा यह पाबंदी लगा दी गयी कि जब तक पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा तो तब तक मास्टर प्लान नहीं बदलेंगे, तो कौन बदल रहा है? आपके पास एक-आध केस हो तो बता दें कि वहां बदल दिया, क्योंकि हाई कोर्ट का यह आदेश तो 2017-18 में ही आ गया था, आज तो तीन साल हो गये हैं। लाहोटी जी ने कहा कि गुलाब कोठारी से बचने के लिए हम यह लेकर आये हैं। यह बिलकुल गलत है। जो फैसला हुआ है, उसकी अक्षरशः पालना करने के लिए हम इसलिए लाये हैं कि शहर का डवलपमेंट भी हो और हाई कोर्ट के आदेशों की पालना भी हो। संयम लोढ़ा साहब ने कहा कि पृथ्वीराज नगर में सुनियोजित विकास के लिए विकास शुल्क और नियमन, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पहली बात तो आपने यह कही कि घोटाले हुए हैं। हाई कोर्ट ने जिस घोटाले की बात की है, वे किस जमाने में हुए, बी.जे.पी. के राज में हुए और हाई कोर्ट में बीजे.पी. का नाम नहीं ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने कब कहा?

श्री सभापति: विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने गोलमोल करके कहा। आप बात सुनिये। आपने गोलमोल करके कहा, जिससे सदन में आशंका पैदा हो गयी। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि आपको यह बात कहनी चाहिए थी। आपको यह कहना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ...(व्यवधान) आपके हाथ किसने बांधे हैं, सरकार लिए बैठे हैं, जांच कराइये न। आप किसे धमकी दे रहे हैं?

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): किसने हाथ बांधे हैं, जांच कराओ, करो ऐलान, हिम्मत है तो कराओ जांच। जांच कराओ न, किसने हाथ बांधे हैं? अगर हमने किया है तो जांच कराओ। कौन मना कर रहा है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, करा लेंगे, करा लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): करो सदन में घोषणा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): +++

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अभी आपकी पोल तो पारख साहब ने खोल दी, जिनको आप डांट रहे थे कि पोल मत खोलें। यह क्या है, आप जांच की बात कर रहे हैं तो जांच कराने में दिक्कत नहीं है।

असल में देखा जाए तो गुलाब कोठारी जी के केस में हाई कोर्ट के निर्देशों की पालना के लिए यह बिल लाया गया है। उनका मकसद क्या था? कोठारी साहब का रिट पिटीशन करने का मकसद यह था कि डवलपमेंट जो हो, वह बिलकुल नियमित तरीके से हो, नियोजित तरीके से हो। चाहे सेक्टर प्लान बने, चाहे जोनल प्लान बने, जो कुछ भी बने, वह उस तरीके से नियमित हो, जिस तरह से जो अंधाधुंध लैंड यूज चेंज हुआ करते थे, जिस तरीके से इन बातों को लेकर बाढ़सी आ जाती थी, उन पर रोक लगाने के लिए है। उसकी अक्षरश: पालना करने के लिए हम पाबंद हैं। हम ही नहीं, पूरे राजस्थान की सरकार पाबंद है।

अनिता भदेल जी ने कहा कि जोनल स्तरीय कार्यालय नहीं है, जोनल स्तर पर कोई कार्यालय थोड़े ही खुलते हैं। जोनल डवलपमेंट प्लान एक अलग चीज है, प्लान बनाना एक अलग चीज है, कोई कार्यालय खोलने के लिए आदेश थोड़े ही हुए हैं। किरण जी ने कहा कि गुलाब कोठारी के केस की गली निकाली जा रही है। ये गलियां-वलियां निकालना तो ये ही जानते हैं, हमारे को कोई मतलब नहीं है। मास्टर प्लान में पूरी रूपरेखा दी जाती है, उस रूपरेखा की अक्षरशः पालना की जाती है।

लोढ़ा साहब, आपने कहा कि फैसिलिटी एरिया रखना आवश्यक है। है, 60:40 रखा जाता है। अगर 60:40 नहीं रखेंगे, 60 में भी अगर मकानात नहीं बनेंगे, फिर 40 में क्या-क्या बनेगा, पार्क ही बनकर रह जाएगा, सड़कें भी बनेंगी, स्कूल भी आएगा, अस्पताल भी आएगा, यह सब कुछ उस 40 परसेंट में आएगा। इसमें पाबंदी होती है कि 40 परसेंट रखना पड़ता है। जहां पर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जोनल डवलपमेंट प्लान की उपयोगिता है, वहां पर निश्चित तौर पर जोनल डवलपमेंट प्लान बनाए जाएंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि बड़े शहरों में जोनल डवलपमेंट प्लान एक लाख से ऊपर की आबादी पर बनता है। इसलिए एक लाख से नीचे की आबादी वालों में जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी पापुलेशन ही इतनी है। वहां पर जो मास्टर प्लान है, वह एक तरह से जोनल प्लान ही है। छोटे शहरों का मास्टर प्लान ही, जोनल प्लान है।

बाकी तो ठीक है। बाकी तो इधर-उधर की बातें थीं, कोई खास तो थी नहीं। इसका क्या जवाब दें। आप देखिये छोटी-छोटी पापुलेशन में, जैसलमेर है, जैसलमेर की आबादी 65 हजार 471 है। अब इसका क्या जोनल डवलपमेंट प्लान बनेगा? मास्टर प्लान बना हुआ है, तो मास्टर प्लान के अनुसार ही काम कर लेंगे। इसी तरीके से आबू रोड है, आबू रोड की पापुलेशन है 55,599, बाड़मेर की पापुलेशन है 96,225, अब इनका आलरेडी मास्टर प्लान बना हुआ है। इसमें जोनल डवलपमेंट प्लान क्या करेगा? ये वह ही बिल है जो म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा पास किया गया। म्युनिसिपल एक्ट में अभी जो अमेंडमेंट किया गया, अभी कुछ दिन पहले, यह वह ही बिल है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पुरःस्थापन

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 को...

श्री सभापति: एक मिनट।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री बुलाकी दास कल्ला।

राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री, फाइनेंस बिल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 व

राजस्थान वित्त विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): बजट तो पिछले 35-40 वर्षों में खूब देखें है। लेकिन बजट साइज में...

श्री सभापति: एक सैकण्ड। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार ।

खण्ड 2 एवं 3 ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार ।

खण्ड 2 से 36 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 36 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 36 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2020 व

राजस्थान वित्त विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी। एक मिनट, एक और है, वित्त विधेयक और है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, पिछले 35 वर्षों में बहुत-से बजट देखे, लेकिन इस बार एक चीज विशेष देखने को आयी। एक-एक सब्जैक्ट को लेकर नहीं, बजट साइज रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में जितना घटाने की एक लिबर्टी सरकार ने ली है, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडीचर, स्थिति यह है कि 2 लाख 32 हजार करोड़ से घटाकर आर.ई. 2.24 हो गया और बजट एस्टीमेट इस वर्ष का 2.25 है। ऐसी स्थिति मैंने पिछले कई वर्षों से नहीं देखी। सभापति महोदय, जी.एस.डी.पी. के ग्रोथ फैक्टर्स मुख्य मंत्रीजी के बजट स्पीच में पहले पेज के लास्ट पैरा में लिखा है कि सेन्ट्रल की जी.डी.पी. 5 परसेंट बढ़ेगी और 2020-21 के खुद के क्विक एस्टीमेट के आधार पर 11 परसेंट का अनुमान उन्होंने लगाया। कभी भी पिछले 20-30 वर्षों में राज्य की जी.डी.पी. की आय, जी.डी.पी. 11 परसेंट बढ़ी है क्या या केन्द्र से ज्यादा हुआ है क्या? एक जगलरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि, पशुपालन में 574 करोड़ रुपये देकर पूरे डिपार्टमेंट को चलाना चाहते हैं, डवलपमेंट करना चाहते हैं।

पिछले वर्ष सोलर पम्प देने की आपने स्कीम बनाई थी, 25 से 40 हजार किसानों को सोलर पम्प देने की बात कही थी, आज तक टेंडर भी नहीं खुले हैं जबकि स्टेट कम्पोनेंट और किसान का कम्पोनेंट मिलाकर, मैच्योरिटी अमाउण्ट हो जाता है। सिर्फ 30 परसेंट सब्सिडी के लिए स्टेट चुप रहे, मंत्री जी, आपसे यह उम्मीद नहीं थी।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

डैट सर्विसिंग की खूब बात कहते आ रहे हैं। 31.03.2020 के बजट एस्टीमेट में 3 लाख 49 हजार 368 करोड़ रुपये का बजट एस्टीमेट प्रस्तुत किया। रिवाइज्ड थोड़ा बढ़ गया। टोटल 2020-21 में 3.75 का, आप कितना कर्ज बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? पिछली सरकार पर आपने कहा, हमने असेट्स निर्माण किये। आपने असेट्स निर्माण क्या किये, बजट देखने पर किसी के समझ नहीं आता। 2015-16 में पर केपिटा इन्कम 83 हजार 426 थी, 2018-19 में 1.10 और 2019-20 में 01 लाख 35 हजार 48 की पर केपिटा इन्कम, इस ग्रोथ में, जो वास्तव में आप अचीव कर रहे हैं।

एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 3 परसेंट से ऊपर नहीं है। 3 परसेंट से ऊपर नहीं रहेगी तो यह फिगर्स नहीं आ सकते। गांव में अधिकांश हाई लेबर, लेबर इंसैंटिव वर्क है, आपके जी.डी.पी. में 28 परसेंट का कंट्रीब्यूशन है, वह इस आधार पर तो नहीं मिल पाएगा, यह मेरा निवेदन है।

केन्द्र से प्राप्त जितनी भी प्राप्तियां हैं, करों में हिस्सा, उसके बारे में तो कहा है कि 10 हजार 300 करोड़ रुपये कम हुए हैं। सभापति महोदय, बजट के कुछ कागज आते हैं, आप भी शाम को पढ़ते होंगे। सहायता और अनुदान, उसके बारे में कुछ कहा है क्या? पहले जितनी सहायता मिलती थी, उससे कहीं अधिक सहायता और अनुदान मिला है, क्योंकि सी.एस.एस. बंद कर दी। सहायता और अनुदान में 4 हजार करोड़ रुपये बढ़ा है, वह भी तो कह देते। मुर्गा इतना बड़ा, कि साहब इतना तो होता ही नहीं है, नीचे वाला हाथ तो देने दो उसको। केन्द्र से प्राप्त कर रहे हो, माल उड़े दरबार का, फतेहसिंह का नाम, ऐसे तो इस विधान सभा में चुपचाप तो नहीं चलने देंगे।

सभापति महोदय, ओन टैक्स रेवेन्यू, वेतन, इंटरेस्ट और पेंशन की लायबिलिटी, यह तीन की लायबिलिटी खुद के टैक्स रेवेन्यू से कहीं अधिक है। नोन टैक्स रेवेन्यू और ओन टैक्स रेवेन्यू को मिलाकर 96 हजार 524 करोड़ रुपये होते हैं, जबकि बजट एस्टीमेट 2020-21 में ओन टैक्स रेवेन्यू 77029 करोड़ ही माना, 77 हजार करोड़। यह गैप कैसे हैं, डैफिसिट बढ़ेगा। एफ.आर.बी.एम. में आप लोगों ने घुमाकर लिया है, लेकिन ऐसे घुमाने से काम नहीं चलेगा, लोग पकड़ने वाले भी हैं।

इंटरेस्ट लायबिलिटी, बी.ई. में कम और एक्चुअल में ज्यादा देना है। 2019-20 में बी.ई. 23,132 तथा आर.ई. कर दिया 23,759 आपने सिर्फ 25,494 बढ़ाया है। यह बजट एस्टीमेट है, एक्चुअल में आते-आते यह भी बढ़ जाएगा।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सभापति महोदय, पम्प स्कीम और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात सदन में बहुत ज्यादा हुई। टिड्डी भी आयी। टिड्डी के बाद में ओलावृष्टि हुई लेकिन किसान को कुछ भी नहीं दिया। आपके पास पिछले वर्ष का अभी तक 2 हजार करोड़ रुपये unspent SDRF में पड़ा है, आप मैचिंग ग्रांट नहीं दे रहे इसलिए इंस्टालमेंट आपको नहीं मिल रही। वह जमा करके आप किसको रेवेन्यू दिखाना चाहते हैं? यह अच्छी मानसिकता नहीं है।

सभापति महोदय, 14th व 15th फाइनेंस कमीशन में डिवीजिबल पूल में तो एक परसेंट का फर्क पड़ा है। अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सब्मिट हुई है, इस साल की तो वही लागू होगी, उसमें 41 परसेंट डिवीजिबल पूल में से स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन डिवीजिबल पूल, पिछले साल कितना था, 42 परसेंट। डिजास्टर मैंनेजमेंट में अब 75 हो गया, 75:25 की जगह 90 और 10, हर चीज में केन्द्र सरकार से अधिक अपने को राशि मिल रही है। फिर भी अकाउण्टिंग में, पूरी रिपोर्ट में अकाउण्टिंग में गफलत मानी है, अकाउंण्टिग जैसी चीज में कमजोरी को माफ नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहूंगा 10.56 है, "Our analysis of the expenditures booked by States for disaster relief showed variations in the accounting process and a departure from the prescription of Finance Commission" यह बहुत गम्भीर बात है और राज्य भी इसके लिए दोषी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। जो जानकार हैं, उनके साथ बैठें और इस पूरे को सुधारने का प्रयास करें।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। हैल्थ के सम्बन्ध में विधान सभा में चर्चा हुई। मैं तो उस समय बोलना भी नहीं चाह रहा था। कोरोना वायरस की बात चल रही थी। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि थर्मल इमेजिंग एक छोटा-सा इंस्ट्रूमेंट होता है। राज्य सरकार ने एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदा, उनके पास है ही नहीं। काहे की स्क्रीनिंग कर रहे हैं? आप एयरपोर्ट पर जाकर देख लें। मैं आपके सामने सदन में लाकर उपस्थित कर दूंगा, जो भी बाहर से आ रहा है, उससे खुद से लिखवाकर दे रहे हैं कि मैं हैल्दी हूं। एक फार्म भरवाकर दे रहे हैं। उससे कंट्रोल नहीं होगा। भगवान भरोसे काम चल रहा है। चाइना ने हर घर के आगे थर्मल इमेजिंग लगा दिया, जिसके भी टैम्परेचर में वैरिएशन है, उसको घर से पकड़कर बाहर ला रहे हैं और अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं। आपके पास एक मशीन नहीं है और कह रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हैंडल कर लिया। भगवान भरोसे काम चल रहा है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सभापति महोदय, एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। बैड्स, हास्पिटल की स्थिति क्या है। एस.एम.एस. में 1,950 बैड्स की स्ट्रैन्थ है। तीन हजार से ज्यादा पेशेंट इन्डोर हैं। आप उनको पूर्ति करिए न। हैल्थ में बजट चाहिए, एग्रीकल्चर में और एक्सपेंडीचर चाहिए, ताकि आपकी और ग्रोथ बढ़े, हैल्थ सुधरे।

पीने का पानी घर-घर उपलब्ध करा देंगे, वह केन्द्र की योजना है, उससे आपको पैसा मिल रहा है, उससे कर रहे हैं। खुद का क्या है? माल उड़े दरबार का, फतेहसिंह का नाम हो, ऐसे नहीं।

सभापति महोदय, लास्ट में एक निवेदन और करना चाहता हूं नींदड में पिछले दो-तीन महीने से किसान गड्ढा खोदकर बैठे हैं। यह तो मैं मानता हूं कि लैंड एक्वीजिशन के अवार्ड जारी होने के बाद सरकार और कुछ नहीं दे सकती। पृथ्वीराज नगर की योजना अभी तक, वापस देना चाहती है, तब भी परेशानी हो गयी। यहां के मुख्य सचेतक बात करने के लिए गये भी थे। कहीं न कहीं सरकार को इंटरवीन करके किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बैठकर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर समस्याओं का समाधान होगा और यह स्वागत योग्य होगा। मैं यह नहीं कहता कि नियमों से परे जाकर, सबसे अलग हटकर ही कुछ दे दें, लेकिन जितना भी उनको रिलीफ दिया जा सकता है, उतना दिया जाना चाहिए। यह सरकार का कर्तव्य है, सरकार का दायित्व है। आपने समय दिया, बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख (अनुपस्थित)। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, वित्त विधेयक और एप्रोप्रिएशन बिल पर आपने चर्चा रखी है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। सभापति महोदय, बजट की चर्चा के दौरान भी यह बात आयी थी और आज भी मैं कह रहा हूं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान का बजट 2 लाख 32 हजार करोड़ से घटाकर 3.50 परसेंट कम, 2 लाख 25 हजार करोड़ का इस बार रखा। यह घटती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतीक है।

दूसरा, आपने इसमें सबसे बड़ा लिखा कि इस बार हमारा घाटा केवल 12 हजार 345 करोड़ रुपये रह गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। अभी न तो मंत्रीजी हैं, न अधिकारी हैं। यह कौन बता सकता है कि ऐसी कौन सी कलाकारी की, जो किसी राजकीय उपक्रम का, लोक

(श्री अशोक लाहोटी)

कल्याणकारी विकास की सरकार आप बताते हो और लोक कल्याण में घाटा कम हो जाये? मतलब या तो लोक कल्याण के काम बंद कर दिये या आय बढ़ गयी? सभापति महोदय, वह तब, जब आपकी जी.एस.टी. का कलेक्शन 11 प्रतिशत कम हुआ है।

महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह बजट एट ए ग्लान्स के पेज नम्बर 7 पर आपने जो आय लिखी है, आपने यह इतिहास का सबसे बड़ा, इस बजट का ब्लंडर किया है। इसमें आपने आय एज इट इज वही छाप दी, जो पिछली बार बी.ई. में ली थी, वही आपने आर.ई. में छाप दी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि इस प्रकार के अधिकारियों पर, जो इस प्रकार से काटा-पीटी करके छाप कर लाते हैं, उन पर यह सदन कार्यवाही करे, वरना राजस्थान के इतिहास में ये नई परम्पराएं पड़ जाएंगी कि इतिहास में सदन को गुमराह करने का शायद इससे बड़ा कोई मौका नहीं आएगा। बी.ई. और आर.ई. यदि एक ही होंगे तो फिर आर.ई. की जरूरत ही कहां है? फिर तो आप बी.ई. के बाद डाइरेक्ट एक्चुअल ले आओ। यह बजट एट ए ग्लान्स में पेज नम्बर 7 पर लिखा है। बी.ई. और आर.ई. की सारी रिसीट्स आपने बराबर कर दीं, क्योंकि आपको घाटा कम दिखाना था, आपका एफ.आर.बी.एम. एक्ट सैट नहीं हो रहा था। सभापति महोदय, कार्यवाही तो आप करें, मैंने तो बता दिया।

दूसरा, पूरा एक साल निकल गया। आप बतायें कि आपने खर्चा, जो दिसम्बर तक की आपकी बुक्स आ रही हैं, उसमें आपका 50 प्रतिशत भी खर्चा नहीं आ रहा है। आपने कैपिटल एक्सपेंडीचर वैसे ही 17-18 प्रतिशत रखा है, विकास के कार्यों पर खर्चा और उस 17-18 प्रतिशत में भी आपका 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं हो रहा, तो विकास की यह कैसी सरकार है।

सभापति महोदय, आपने बजट में इतनी बातें कीं। आपने खर्चा नहीं किया, उसका उदाहरण भी मैं दे रहा हूं। आपने कॉलेज खोले, व्याख्याता नहीं लगाये, स्टाफ नहीं लगाया। आपने स्कूलों की बात की, साइंस की लैब नहीं बनायी, कम्प्यूटर नहीं लगाये, इंग्लिश के टीचर नहीं दिये। पीने को पानी नहीं दिया। वहां पर टायलेट नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। खेल के मैदान और सुविधाओं की बात ही नहीं है तो खर्चा किया कहां आपने। 1,458 ग्राम पंचायतों पर पशु चिकित्सालय खोलने थे, खोलना तो बहुत दूर, अभी यहां पर मंत्रीजी भी बैठे थे, अभी तक बजट आबंटन भी कर दिया हो तो आज सदन में जवाब दिलवायें कि आपने इसका बजट आबंटन कर दिया। आपने कहा कि

(श्री अशोक लाहोटी)

प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदीशाला खोलेंगे। चौमूं से आने वाले माननीय विधायक को आपने सवाल के जवाब में बता ही दिया कि अभी तक एक भी नहीं खोली, बजट आबंटन नहीं किया।

ग्राम पंचायतों में विकास पथ और अन्य सड़कें देनी थीं। एक भी सदस्य हाथ खड़ा करके कह दे कि मेरे यहां पर मेरी ग्राम पंचायत में विकास पथ बन गया। सभापति महोदय, 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा, यह गम्भीर बात है कि 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा आज तक पंचायतों के खातों में जमा नहीं हुआ है। वह जमा भी नहीं हुआ, बल्कि आपने उस पैसे को पी.डी. अकाउंट में डाल दिया। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आपने पी.डी. अकाउंट में डाल दिया और पी.डी. अकाउंट में डालने के बाद उसका दूसरे मद में उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको 200 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने थे। आपको 500 जनता क्लीनिक्स खोलनी थीं, आपने 17 खोलीं, वह भी केवल सी.एस.आर. से खोलीं। बजट खर्च ही नहीं किया तो घाटा कम ही होगा। इतना पैसा था, वह लेकर बैठे रहे और आप वाह-वाही लूट रहे हो कि हमने घाटा कम कर दिया।

सभापति महोदय, इस प्रकार आपने कहा कि 50 करोड़ के ऋण पर हम उद्योग विभाग में ब्याज अनुदान देंगे। आज तक कितना अनुदान दिया? एक भी नाम बता दें। आपने कहा, मदरसों में कम्प्यूटरीकरण व स्मार्ट क्लासेज देंगे। वोट बैंक की बात करो, तो भी आपने नहीं दिया। कितने मदरसों में स्मार्ट क्लासेज बना दीं, कितने कम्प्यूटरीकृत कर दिये? आपने कहा कि मुख्य मंत्री युवा रोजगार योजना में एक लाख तक का ऋण देंगे, 1,000 करोड़ रुपये ऋण वितरित करेंगे, अनुदान देंगे, 25 हजार युवाओं को एक साल में लाभ देंगे। आज मुख्य मंत्रीजी अपने भाषण में 25 युवाओं का नाम बता दें, मैं दावे के साथ कह रहा हूं।

सभापति महोदय, जयपुर में इन्वेंशन सेंटर बनना था, आज तक नहीं बना। नौ मास से सभी विकास के कार्यों के जो बिल हैं, आपने बिल तो पास कर दिये, लेकिन बिलों को ट्रैजरी में रोक कर रख दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिल पास करने के लिए आपके सम्बन्धित विभाग कह रहे हैं कि उच्च स्तर से फोन आएगा, फाइनेंस सैक्रेटरी साहब के यहां से फोन आएगा। सदन इसकी जांच करे कि यह फोन कौन करवा रहा है, कौन फोन कर रहा है, फिर बिल पास हो रहे हैं। क्या इसमें भी कोई घालमेल चल रहा है?

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, यदि किसी मद में खर्च की बात करें, आपने कहा कि हमारा घाटा कम हो गया, यह इतने सारे मद मैंने आपको बताये। आपने कहा कि केन्द्र में 15वें फाइनेंस कमीशन में पहली बार आपका रेशो बढ़ा। 36,000 करोड़ की जगह आपको 46,886 करोड़ आपको मिलेंगे, यानी 30 परसेंट आपको ग्रांट ज्यादा मिल रही है। आज तक सदन में एक भी बार यह बात उल्लिखित तक नहीं की, सदन से छुपा कर रखी। क्यों छुपा कर रखी कि घाटा कम कर दिया, इसका श्रेय हम लेना चाहते हैं। सभापति महोदय, अगले साल एक्चुअल डाटा आ जाएगा। मैं सरकार को कहूंगा, तब कहां जाएंगे। इसलिए इस तरह का गम्भीर अपराध नहीं करें, गम्भीर जालसाजी न करें, जिससे ये चीजें पकड़ में आ जाएं।

सभापति महोदय, ये लोग पावर फाइनेंस कारपोरेशन में रूरल एरिया इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन में लोन लेने गये। क्यों लोन नहीं दिया? उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक विभाग को जो जमा करना है, वह सरकार जमा कराये। पैसा था नहीं, जमा नहीं करवा पाये, इसलिए आपको लोन नहीं मिला।

बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। अभी विद्याधर नगर से आने वाले हमारे वरिष्ठ सदस्य नरपतसिंहजी ने बताया कि सैन्टर ने पैसा दे दिया, स्टेट के पास मैचिंग ग्रांट का पैसा नहीं है, इसलिए आप योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। जल जीवन मिशन में सैन्टर ने घोषणा की, 50 प्रतिशत स्टेट दे, पूरे राजस्थान में घर-घर तक पानी पहुंच जाता। आपके पास देने को पैसा नहीं है, मैचिंग ग्रांट नहीं है। अभी सुबह अमृत की बात हो रही थी, मैचिंग ग्रांट आपके पास नहीं है। आप बहाने कर रहे हो कि 90 परसेंट दे दो, 100 परसेंट दे दो फिर तो सैन्टर ही काम कर देगा, आपकी क्या जरूरत है।

सभापति महोदय, आपने ये पूरे बजट में आर्थिक सेवाओं में मात्र 1.53 प्रतिशत पैसा खर्चा किया है। सामान्य सेवाओं पर अगले साल के लिए 2.28 परसेंट का प्रोविजन किया है। कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र में आपने 8.50 प्रतिशत खर्च करने की बात कही। आपने बजट को तो 3 परसेंट बढ़ाकर दिखाया, लेकिन यदि विकास कार्यों पर जाओ तो वह 342 करोड़ से आपने 259 करोड़ कर दिया।

सभापति महोदय, कर्ज माफी, इंश्योरेंस, ग्रांट, समर्थन मूल्य, विकास मूल्य, सब इसमें शामिल हैं। या तो इस सदन में आप घोषणाएं असत्य कर रहे हैं या ये बजट के आंकड़े असत्य हैं कि इस पैसे से आप सब चीजें कर दोगे।

(श्री अशोक लाहोटी)

इतना ही नहीं, आपने ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग में 14,400 करोड़ के बजट को घटाकर 13,328 करोड़, 7 प्रतिशत की कमी कर दी। सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से चेता रहा हूं कि इस विभाग में ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। मध्य प्रदेश भुगत रहे हो। फिर आप यहां भुगतोगे, इस विभाग को छोड़ो, दूसरा रास्ता नापो। फिर आप आरोप हम पर लगाओगे।

सभापति महोदय, एनर्जी विभाग में आपने पहली बार 28,498 करोड़ के बजट को घटाकर 18,736 करोड़ का कर दिया। आपने 25 परसेंट कमी की है, जिसमें से भी 90 परसेंट हिस्सा केवल आप ब्याज और ऋण पर दे रहे हो। यह राजस्थान का विकास है। आप एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., माइनोरिटी की बात तो बहुत करते हैं। कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि हमारा एकाधिकार है, लेकिन 2,003 करोड़ के बजट को घटाकर आपने 1,914 करोड़ कर दिया। यह इस क्षेत्र का विकास कर रहे हो, इस वर्ग का विकास कर रहे हो? इसी प्रकार आप सामाजिक कल्याण की बात करते हो। सामाजिक कल्याण की बहुत योजनाएं गिनाते हो। पोषण और सामाजिक कल्याण में आपने 13,240 करोड़ को घटाकर 11,231 करोड़ कर दिया, 12 प्रतिशत कम कर दिये।

सभापति महोदय, अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस का बजट आपने मात्र 6 प्रतिशत बढ़ाया है। वाटर सप्लाई, सैनिटेशन में मिलाकर केवल 300 करोड़ रुपये बढ़ाये हैं। शिक्षा, कला, संस्कृति में मात्र 3 करोड़ रुपये बढ़ाये हैं, पूरे बजट में मात्र 3 करोड़ रुपये। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण पर आपने अगले साल के लिए प्रावधान ही केवल 3.28 प्रतिशत किया है। इस प्रकार आपने उद्योग और खनिज में प्रावधान केवल 0.86 परसेंट किया है। सभापति महोदय, सबसे ज्यादा शर्म तो यहां आएगी कि जो 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, उसका बजट कितना विशाल रखा है, 0.01 प्रतिशत, आपने 2020-21 के बजट में यह प्रावधान किया है। यह आपकी बुक्स कह रही हैं।

महोदय, आप पूरे बजट को देखेंगे तो मैं आपका सैकड़ों ऐसी मदों की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। आपको पढ़कर शर्म आ जाएगी। यह आपकी किताब है, आय-व्ययक, पिछली बार जब मैंने कहा कि आपने खादी में केवल 2 करोड़ रुपये खर्च किये हैं तो माननीय मंत्रीजी ने खड़े होकर कहा कि हमने 82 करोड़ रुपये की खादी बेच दी। मैंने बेचने का नहीं कहा, मैंने कहा आपने प्रावधान ही 2 करोड़ का किया है। इसलिए मैं आज किताब से ही पढ़ रहा हूं।

(श्री अशोक लाहोटी)

वर्ष 2020-21 के अनुमान के पेज नम्बर 49 से लेकर पेज नम्बर 129 तक, जितने आंकड़े इनमें, आप इस तरह के आंकड़े देखोगे, पुलिस विभाग, पुलिस आधुनिकीकरण के अन्तर्गत पुलिस अकादमी जीरो बजट, पुलिस डवलपमेंट 500 रुपये, पुलिस आवास निगम 2,000 रुपये, पुलिस में कम्प्यूटराइजेशन 1000 रुपये, ये इस तरह की सैकड़ों मदें हैं। आपके नागरिक सुरक्षा में 2,000 रुपये, सामान्य शिक्षा में आप बात करो तो कारगिल पूर्व सैनिकों की बालिकाओं को मैट्रिक छात्रवृत्ति में जीरो रुपये, आपके अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए जीरो रुपये, छात्रवृत्ति के लिए एक रुपया, सभापति महोदय, यह हमारा बजट है। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि इन 50 पेजेज को आप मंत्रीजी के माध्यम से अधिकारियों के ध्यान में लाएं। इनमें 500 से ज्यादा ऐसे मद आपने लिखे हुए हैं, जिन मदों में एक रुपया, 1,000 रुपये, जीरो रुपये, यह आपके बजट के प्रावधान हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह किताब कह रही है और मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं। अगर आप कहें तो टेबल कर दूं। इन प्रावधानों को आप क्यों करते हो? पहले आप विभाग में भेजते हो कि इन पर आपको कितना बजट चाहिए, वह बजट मांगते हो, विभाग आपको लिखकर देता है और उसके बाद प्रावधान करते हो एक हजार रुपये, दो हजार रुपये।

माननीय सभापति महोदय, यदि सामान्य शिक्षा की बात करें तो जिला कम्प्यूटर केन्द्र-जीरो बजट, ग्रामीण क्षेत्र के जनजाति के विकास, बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति-जीरो बजट, लैपटाप वितरण-जीरो बजट, आवासीय विद्यालय-जीरो बजट, अब आपने जीरो बजट लिखा है तो फिर करोगे कहां से? इधर-उधर फिर एप्रोप्रिएशन लाओगे, फिर कोई और मद में करोगे, फिर उसको एडजस्ट करोगे, फिर सदन में लाकर उसको संख्या बल के आधार पर पास कराओगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इस बजट में जिस प्रकार से मैंने कहा कि बी.ई. और आर.ई. एक ही लिखी है, यह गम्भीर अपराध है। इस तरह की जो मदें बढ़ाई गयी हैं, यह गम्भीर है और जो बजट का राजकोषीय घाटा है तो है, यह कोई लाला की कम्पनी थोड़े ही है। सरकार का यदि जन कल्याण के काम करते हुए घाटा बढ़ता हो तो मैं यह समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जब अगली बार यह एक्चुअल आएगा और जब आप यहां पर आओगे तो यह पहली बार होगा कि कोई सरकार अपनी रिकवरी को कम करके, अपने खर्चे को रोककर, अपने घाटे को कम दिखाकर

(श्री अशोक लाहोटी)

वाहवाही लूट रही है। यह लोक कल्याणकारी सरकार का शायद पूरी दुनिया में पहला और आखिरी उदाहरण होगा। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत -बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले मैं फाइनेंस बिल पर अपना भाषण शुरू करूंगा तो जो सैंटर की नीतियां हैं, जिस हिसाब से वह राजस्थान को इफैक्ट करेंगी फाइनेंस बिल में, मैं उस पर कुछ बोलना चाहूंगा और फिर मैं राजस्थान पर आऊंगा।

सबसे पहले जो ज्वलंत समस्या इस पूरे देश की है अनएम्प्लायमेंट, the unemployment rate in the country has increased from 6.1 percent in the last two-quarters to 7.78 percent. जो कि हाईएस्ट है अभी तक, जब से हमने आजादी पाई है तब से हाईएस्ट अनएम्प्लायमेंट रेट इस सैंटर की सरकार ने कर दी है। उसके मुकाबले राजस्थान में आज अनएम्प्लायमेंट रेट सिर्फ 5.1 परसेंट है, as per the budget figures.

आज कोरोना वायरस से दुनिया की सभी इकोनोमी में बहुत ही ज्यादा प्रोब्लम चल रही है, बट भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोरोना वायरस को हमने कंट्रोल करके रखा है। इसमें तारीफ करूंगा सेण्ट्रल सरकार की भी और हमारी सरकार की भी कि कोरोना अभी तक काफी कंट्रोल में है, नहीं तो बाहर विदेशों में कई ऐसे देश हैं जहां पर सिटीज लाक हो गयी हैं, स्कूल लाक हो गये हैं, पब्लिक प्लेसेज लाक हो गये हैं, टूरिज्म खतम हो गया है। ऐसी स्थिति कम से कम आज भारत में नहीं है। जो आज हमारे प्रधान मंत्रीजी ने बात की थी 'Make in India', 'Skill India' यह उसका राइट टाइम है कि 'Make in India', 'Skill India' की बात करें। जो हमारे फार्मा सैक्टर, इलेक्ट्रोनिक सैक्टर और जो हमारे मोबाइल कम्पोनेंट्स, जिनका कि आज चाइना से हम भरपूर इम्पोर्ट कर रहे हैं और फार्मा का तो अब, लॉट्स आफ फार्मा की जो प्लेन साल्ट्स हैं, वह हम विदेशों से ला रहे हैं, जिससे कि हम अपनी मेडिसिन यहां पर बना सकें तो यह रियल टाइम है कि हम इस सरकार को यह समझाएं कि मेक इन इंडिया का यह राइट टाइम है, अब आप मेक इन इंडिया करो, बट मेक इन इंडिया तो अब आप भूल जाओ साहब, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है। आपने कारपोरेट सैक्टर को एक लाख 45 हजार करोड़ के टैक्स ब्रेक्स यह सोचकर दे दिये कि नई इंडस्ट्री लगेगी, नया

(श्री रोहित बौहरा)

एम्प्लायमेंट जनरेशन होगा, बट आप यह भूल गये कि नई इंडस्ट्री लगाने के लिए उनको पैसा चाहिए। पैसे की बात हम भूल गये, क्योंकि क्रेडिट फ्लो जो लास्ट ईयर जनवरी में था साढ़े तेरह परसेंट, बैंकों से जो क्रेडिट फ्लो इंडस्ट्रीज में आ रहा था, डिफरेंट एंटरप्रिन्योर्स में आ रहा था, वह आज की डेट में घटकर 8.5 परसेंट रह गया जो कि बहुत ही शेमफुल है। जिस चीज के लिए हमने 1 लाख 45 हजार के टैक्स ब्रेक्स दिये, वह चीज फालो ही नहीं हो रही है। यह इतना इम्पैक्ट कर रही है कि आज पहली सरकार है, दो बैंक्स फेल हो गयीं। पी.एम.सी. फेल हो गयी, यस बैंक फेल हो गयी, ये दो फेल होने से आप यह समझिए कि नोर्मल आदमी का बैंकिंग सैक्टर पर से विश्वास खतम हो गया। हम क्या कर रहे हैं? हम बड़ी छाती चौड़ी करके, 36 इंच का हमारा सीना था, उसको बड़ा चौड़ा करके यह कह रहे हैं कि हम पांच लाख रुपये तक आपको बैंक में इंश्योरेंस देंगे। जिन व्यक्तियों को, जिनका अपना रिटायरमेंट हुआ है, उनके 20-20, 25-25 लाख रुपये राजस्थान के आदमियों के यस बैंक में जमा हैं। उनका सिर्फ पांच लाख रुपये तक का इंश्योरेंस है, बाकी के पैसे का क्या होगा? वह दर-दर की ठोकरें, बुढ़ापे में कहां जाएगा, जिसने आज 40 साल नौकरी की। यस बैंक का, जब हमारी सरकार गयी तो 55 हजार करोड़ रुपये का टोटल लोन था, लोन बुक थी। 2016 में जब नोटबंदी होती है तो पहली बार ऐसा होता है कि जो लोन बुक है वह एक लाख करोड़ रुपये पर आ जाती है। दो साल के अन्दर नोटबंदी के बाद इस बैंक में प्रोब्लम आती है। गवर्नमेंट बैंक के अन्दर अपना नोमिनी क्रिएट करती है। एक लाख करोड़ से ठीक दो साल बाद 2 लाख 41 हजार करोड़ की बैंक की लोन बुक हो गयी। लोन किसको मिला? This is a real example of Crony capitalism. बी.जे.पी. जब पावर में आयी थी, जो लोग बात करते थे, यह लोन किसको मिला, साहब? हमारे देश के महान उद्योगपति श्री अनिल अंबानीजी को, 15 हजार करोड़ रुपये का डिफाल्ट सिर्फ अनिल अंबानी का है। एस.एल. ग्रुप का 45 हजार करोड़ रुपये का डिफाल्ट है। डी.एच.एफ.एल. को, दीवान हाउसिंग फाइनेंस को करीब 30 हजार करोड़ रुपये का डिफाल्ट है, तो यदि आप यह जोड़ लगा लें तो 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये में से एक लाख करोड़ रुपये का तो यही डिफाल्ट है। अब नोर्मल आदमी क्या करेगा? नोर्मल आदमी कहां पर जाए, किसके द्वार खटखटाए? उसको यही नहीं पता पड़ा अब एक न्यूज और आ रही है कि इंडसइंड बैंक भी तैयारी में है, किसी दिन फट हो जाए

(श्री रोहित बौहरा)

किसी को भी पता नहीं है। इंडसइंड बैंक का भी हाल यही हो रहा है तो जिस हिसाब से इकोनोमी चल रही है, इकोनोमी की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उनका तो सिर्फ एक मकसद है कि दूसरी स्टेट में जाओ, दूसरी डैमोक्रेटिकली सरकार इलेक्टेड है, किससे उसको तोड़कर ले आओ। कितना पैसा वहां पर दे दो, जिस हिसाब से सरकार टूट जाए तो मेरी आपसे यह विनती है कि जब तक यह सरकार इकोनोमी पर ध्यान नहीं देगी, तब तक कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है।

अब आप यह देखिए कि हमने यह बात की थी, पिछली बार जब बजट भाषण था, तब भी मैंने यह कहा था कि जो बैंक के लीयन डाकूमेंट्स हैं, यदि ऐसे ही फ्राड हमारे राजस्थान में भी हो रहा है, बट वह छोटे स्तर पर हो रहा है। बैंकिंग सैक्टर की यह बड़ी पुकार है। इस सरकार को भी मैं यह कहना चाहूंगा कि जो बैंक के लीयन डाकूमेंट्स हैं उनको रजिस्टर्ड करवाइए। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो एक-एक आदमी दो-तीन बैंक्स से उन डाकूमेंट्स पर कलर फोटो कापी करवा-करवाकर बैंकिंग के डाकूमेंट्स पर लोन उठा लेता है। मैंने कई बार सजेशंस दे दिये। इससे न केवल सरकार की इन्कम होगी, 700-800 करोड़ रुपये हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। हमें सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट में चेंज कराना है। उसका बिल लेकर आना है। वह हम बिल लेकर आ जाएंगे तो इस व्यथा से हम एक नोर्मल आदमी को और बैंकिंग सैक्टर को, दोनों को बचा सकेंगे।

आप रेलवे पर देख लीजिए कि रेलवे पर इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। यह पहला मौका है, माननीय सभापति महोदय, पहले हम अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करते थे तो आधी टिकट बच्चों की ले लेते थे। आधी टिकट बच्चों की ले लेते थे, उससे हमारे को पूरी बर्थ बच्चों की मिल जाती थी। वह सिस्टम ही खतम कर दिया। आप बच्चों की आधी टिकट लोगे तो आपको कोई बर्थ नहीं मिलेगी। आपको बच्चे को अपने पास सुलाना पड़ेगा। यदि आपको बर्थ चाहिए तो उसके लिए आपको पूरी टिकट लेनी पड़ेगी। यह हमें कहीं बताया ही नहीं है, यह चुपचाप ही एक अमेंडमेंट कर दिया। यह मेरे खयाल से जब से हमारी रेलवे चली है, तब से यह रेलवे का रूल था, वह रेलवे का रूल ही खतम कर दिया। आज यह पहली बार हो रहा है कि रेलवे के अन्दर 57 परसेंट से 98 परसेंट आपके आपरेटिव एक्सपेंसेज हैं और बी.जे.पी. वाले बड़े खुश हैं कि साहब, देखो कि हमने रेलवे में क्या तरक्की कर दी, क्या

(श्री रोहित बौहरा)

हमारा लोड फैक्टर बढ़ रहा है? यह बहुत ही गंदी व्यथा हो रही है। पूरे देश में आप यह देखिए, आज आप एल.आई.सी. के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। एल.आई.सी. का आप प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं। आज बैंकिंग सैक्टर से तो एक नोर्मल आदमी का ध्यान हटता जा रहा है। आप एल.आई.सी. को और प्राइवेटाइज कर रहे हैं। पहली बार हुआ है एल.आई.सी. में, जब 30 हजार करोड़ के एन.पी.ए. एल.आई.सी. ने अपनी बैलेंस शीट में दिखाये हैं। कहां गया यह रुपया? किसको बंटा? यह आज तक नहीं पता। एन.पी.ए. एल.आई.सी. में कैसे हो गया? क्योंकि आपने एल.आई.सी. यूज की, वहां पर इन्वेस्ट कराया। उन उद्योगपतियों को पैसा इन्वेस्ट कराया, जिनकी डूबती नैया थी और उसी नैया में यह 30 हजार करोड़ के एन.पी.ए. भी आपने कर दिये। आज इस कंट्री में एन.पी.ए. की जो प्राब्लम हो रही है, एन.पी.ए. से पहले एक वर्ड है इनपार्ट ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: यह आपके समझ की बात नहीं है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): एक शब्द आता है इनपार्ट असैट्स, वह एन.पी.ए. से पहले होता है। जब एन.पी.ए. अकाउंट होता है, उससे पहले वह कहलाता है, एक वर्ड होता है इनपार्ट असैट्स। मतलब आज की डेट में 17 लाख करोड़ रुपये इनपार्ट असैट्स में आपकी सरकार ने डाल दिये। That is almost 16 percent of the total loan of this Country. 17 लाख करोड़ रुपये इनपार्ट असैट्स में डाल दिया और लास्ट तीन साल में, जब से यह बीजेपी सरकार आयी है, जब से इन्होंने लिया है, 7.7 लाख करोड़ आपने राइट आफ कर दिये, बैलेंस शीट से डिफरेंट बैंक्स के अन्दर, जिसमें आपने यह भी नहीं दिखाया कि यह पैसा कहां गया, किसको गया which should have been mentioned in their balance sheet but they have still not mentioned in their balance sheet. इसी साल, इस करंट ईयर की बात कर रहा हूं, 1 लाख 83 हजार करोड़ रुपया ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सदस्य, आपको टोकना नहीं चाहता। आप अच्छा बोल रहे हैं पर सत्तारूढ़ दल के हालात देखो। एक भी कैबिनेट मंत्री यहां पर नहीं हैं। कौन सुन रहा है? मैं समझता हूं क्या हालत है? हम फाइनेंस बिल पर बोल रहे हैं। मौलिक सुझाव आ रहे हैं। अभी अचानक मुख्य मंत्रीजी आएंगे और अपना वह पोलिटिकल भाषण देकर चले जाएंगे। इस सदन की गरिमा का कुछ तो ध्यान रखो।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके पूर्व मुख्य मंत्री रहीं, वे कहां हैं? उनको तो बुलाकर लाओ पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपके नेता कहां हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह तो पांच मिनट भी यहां नहीं आती हैं। आपको ये मंत्री दिख रहे हैं। पांच साल राज भोगा। करोड़ों रुपये ...(व्यवधान) 13 नम्बर मकान में, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद खाली नहीं कर रही हैं उस मकान को। वह नहीं दिख रहा है आपको। (व्यवधान) तैयार बैठे हैं यहां पर।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, सहयोग करें। विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बुलाकर लाओ। (व्यवधान) अब तो बुआ-भतीजा एक हो गये। बुलाकर लाओ न। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा। प्लीज सहयोग करें। आज माननीय नेता को 4.30 बजे बोलना है। प्लीज सहयोग करें। समय की अपनी सीमा है। आप सभी को बोलना है। माननीय सदस्य, आप बोलिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 2019 में जो ग्रोस एन.पी.ए. पूरे देश का था, वह 9 लाख 10 हजार करोड़ का था, which doesn't include the MSME figures of 2020 बिकोज उनको मोनोटोरियम पीरियड दे रखा है, यदि वह और आ जाएगा तो यह कम से कम 11 लाख या 12 लाख करोड़ हो जाएगा। मुद्रा लोन, जो इन्होंने बड़ी छाती फाड़-फाड़कर सब लोगों ने अनाउंस किया कि मुद्रा लोन, मुद्रा लोन में आलरेडी 2 लाख करोड़ का राइट-आफ हो चुका है। यह लेटेस्ट फिगर है। 2 लाख करोड़ का राइट-आफ हो चुका है मुद्रा लोन में, जो इन्होंने कहा था कि एम्प्लायमेंट जनरेशन करेगा। एम्प्लायमेंट तो जनरेट हुआ नहीं, मुद्रा लोन में 2 लाख करोड़ का राइट-आफ हो गया और 17 हजार करोड़ के नये एन.पी.ए. और हो गये। जब हमारी सरकार गयी 2013-2014 में, तो करीब 10 हजार 171 करोड़ के फ्रॉड्स, आर.बी.आई. में सरकार ने फिगर्स दिये कि 10 हजार करोड़ के फ्रॉड्स हुए। पिछले साल के आर.बी.आई. के जो फिगर्स हैं एक लाख 43 हजार 68 करोड़ के फ्रॉड्स, इन पांच सालों में हो गये। यह क्या हो रहा है? क्या यह +++ है? जो इकोनोमी पर सोच भी नहीं रही। इन सबका फल जो आ रहा है, वह स्टेट पर आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आज सांगानेर से आने वाले विधायक

(श्री रोहित बौहरा)

महोदय ज्ञानवर्द्धन कर रहे थे कि पन्द्रहवें वित्त आयोग में करीब-करीब 10 हजार करोड़ रुपये बढ़कर आया है। लाहोटी जी, आपने 42 प्रतिशत से 41 प्रतिशत कर दिया। यदि आप हमें 42 प्रतिशत देते, तो हमारा शेयर बढ़कर हो जाता 15 हजार करोड़ रुपये....(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) यह गलत परम्परा है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आज पहली बार यह सरकार मानने को तैयार हुई है, क्योंकि पहली बार इस सरकार ने एफ.आर.बी.एम. का खुद ने उल्लंघन किया है। एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्दर आप जी.डी.पी. 3.5 परसेंट तक ले जा सकते थे। इनका खुद का लास्ट टाइम जो लोस था, वह 3.8 परसेंट का था। केरल को परमिशन दी है, एक और स्टेट कर्नाटक को परमिशन दी है कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट का आप उल्लंघन कर सकते हो। इस पर मीटिंग हो गयी। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट का उल्लंघन हो और चार परसेंट, तब जाकर यह स्टेट की हालत सुधरेगी, क्योंकि इन्होंने खुद ने उल्लंघन कर लिया। अब वे कह रहे हैं कि स्टेट्स को भी हम 4 परसेंट तक के उल्लंघन की परमिशन दे देंगे। आप देखो न, साहब, पन्द्रहवें वित्त आयोग को आप मैंडेट देते हो सेंट्रल पूल से, जो इतना अद्दा-सा सेंट्रल पूल है जिससे कि स्टेट्स की इकोनोमी चल रही है, आप उसको देते हो। डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी का पैसा भी इस सेंट्रल पूल से ले लो। आपके पास कोई अथोरिटी नहीं है. as per the Constitution you cannot do it. You have no authority. But still you are doing it और पन्द्रहवां वित्त आयोग इसके ऊपर अपना जवाब देना शुरू करने वाला है। जो चीज हम कर नहीं सकते, हम खुले आम कांस्टीट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं, वह चीज भी आज हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको, जो हमारे साथ, हमारी स्टेट में प्रोब्लम आ रही है और सबसे बड़ी जो प्रोब्लम है वह, साहब, एक और सुन लें। कल स्टाक मार्केट में करीब-करीब 11 लाख करोड़ का नुकसान सिर्फ हमारी इंडियन पब्लिक को हुआ। एक महीने में 33 लाख करोड़ रुपया स्टाक मार्केट में से उड़ गया। इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से आप पैट्रोलियम सैक्टर की बात करो। पैट्रोलियम सैक्टर में हमारी इंटरनेशनल प्राइसेज, जहां 100 रुपये

(श्री रोहित बौहरा)

का जब यू.एस.डी. बैरल होता था, आज की जो रेट है, वह आज 30 रुपया हो गया यू.एस.डी. बैरल और अभी भी रेट्स चेंज नहीं हो रही। यह क्या पब्लिक के साथ खिलवाड़ नहीं है? जब 30 रुपये यू.एस.डी. बैरल है, आज हमारी जो कोस्ट होनी चाहिए, वह आज पैट्रोल की कोस्ट होनी चाहिए मुश्किल से 30 रुपये प्रति लीटर और आज की डेट में पैट्रोल फिर भी हमें 70 रुपये से कम नहीं मिल रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं?

आप देखिए, साहब, अभी तो नया साल शुरू ही हुआ है अभी बजट भी नहीं आया है। इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी दो क्रेडिट एजेंसीज हैं, फ्लिच और दूसरी का नाम मैं भूल रहा हूं। फ्लिच ने तो पहले इनको 6.6 परसेंट, जो जी.डी.पी. की ग्रोथ होती 2020-21 की they have downgraded it to 5.4 percent और लेटेस्ट कल फिगर्स आये हैं, फ्लिच ने कहा है, now, we are downgrading again the GDP to 4.9 percent क्या हो रहा है साहब? ऐसा लग रहा है कि इस देश में कोई वित्त मंत्री ही नहीं हैं। वित्त मंत्री कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। इंडस्ट्रीज की मीटिंग होती है, वित्त मंत्री को उसमें बुलाया ही नहीं जाता है। सिर्फ नीति आयोग जो डिसीजंस ले ले, वे नीति आयोग के डिसीजंस होते हैं, लेकिन वह ऐसे अव्यावहारिक डिसीजंस हैं, उससे देश पता नहीं कैसे चलेगा। हमें तो खुद को यह सोच-सोचकर बहुत शर्म आ रही है कि किस तरह से हम देश को आगे लेकर जाएंगे?

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में हमें प्रोब्लम हुई। टिड्डियां आयीं और हमारी फसल बर्बाद हुई। ओलावृष्टि हुई बारिश हुई, उससे हमारी फसल बर्बाद हुई। हमारे उप मुख्य मंत्री महोदय ने एक एग्जाम्पल सैट कर दिया कि मनरेगा में 32 करोड़ मैन डेज, इंडिया में पहली स्टेट है राजस्थान, कि 32 करोड़ मैन डेज हुए and this is a right step. आज मनरेगा में मैं उप मुख्य मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि नैक्स्ट ईयर का कम से कम 40 करोड़ या 45 करोड़ मैन डेज का टार्गेट लें। कम से कम हमारा कंजम्प्शन तो बढ़ेगा। उन लोगों के हाथ में पैसा जाएगा जो कंजूम करेंगे, जो एक्चुअल खर्च करेंगे। आज उनके पास पैसा जाता है तो अपने आप इस प्रदेश का जी.डी.पी. बढ़ने लग जाता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे एम्प्लायमेंट की मैं बात कहना चाहूंगा। आज राजस्थान की जो रेवेन्यू बढ़ेगी, हमें माइनर और मिनरल, जो मेजर मिनरल्स हैं, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। केन्द्र की सरकार ने मेजर मिनरल पर आक्शन करना शुरू कर दिया और सोचा कि हमें 30 लाख करोड़

(श्री रोहित बौहरा)

की इन्कम होगी। वे सब सपने थे। चुनाव के एक साल तक सपने थे, 30 लाख करोड़ की कहीं पर भी रेवेन्यू नहीं आयी। हमारे यहां माइनर मिनरल का पूरे राजस्थान को कुछ करना पड़ेगा। हमें इस आक्शन पालिसी से माइनर मिनरल को लगाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में माइन और ट्यूरिज्म दो ही ऐसी जगह हैं जो आपको एम्प्लायमेंट जनरेट करेगी और आपको रेवेन्यू देगी। माइनर मिनरल के ऊपर जो हमारी पॉलिसी है उस पर हमें सोचना पड़ेगा।

(15.00 बजे)

मंत्री जी यहां हैं नहीं, अदरवाइज मैं मुख्य मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस डिपार्टमेंट का बाकायदा करें, माइनर मिनरल को आक्शन पालिसी से निकाल दें, जिसने 50 साल माइन चलायी है उसका उसने असैट बिल्ट किया है, आज आप उसको एक साल में बाहर नहीं निकाल सकते तो इस पर उनको विचार करना चाहिए।

पैट्रोलियम एक्सप्लोरेशन से, जब हमारी सरकार गयी थी, हमारे को सात हजार करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था। बी.जे.पी. सरकार आयी, पैट्रोलियम एक्सप्लोरेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। रोज हमारे स्टाक्स डिप्लीट होते गये। हम रिफाइनरी लगाने के लिए आतुर थे। इन्होंने हमारी रिफाइनरी लेट कर दी। मेरी मुख्य मंत्री महोदय से विनती है कि आपने 11 एक्सप्लोरेशन के ब्लाक्स दे दिये, पर उनके पीछे पड़कर एक्सप्लोरेशन जल्दी से जल्दी कराया जाये, जिससे कि जब हमारी रिफाइनरी आये तो हमारे पास इतना तेल हो कि हमें हमारी रिफाइनरी के लिए तेल इम्पोर्ट नहीं करना पड़े, it should be our own production. एक तो हमारा इम्पोर्ट बचेगा, प्लस जो हमारा ऑयल है, क्योंकि it is a hard crude, उससे जो हमारे डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, पैट्रोकेमिकल के जो हमारे डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, वे चल उठेंगे। वे चल उठेंगे तो राजस्थान की इकोनोमी शानदार तरीके से चल उठेगी, क्योंकि एम्प्लायमेंट जनरेशन होगा और सब काम अच्छी तरह से हो सकेंगे।

आज पोटाश है, 1950 से किसी भी सरकार ने, चाहे वह हमारी सरकार रही हो, चाहे आपकी सरकार रही हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इंटरनेशनल बिडिंग होनी चाहिए, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, हम पूरे इंडिया में एक पैसे का पोटाश प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार ने ध्यान दिया, आपको कम से कम दो हजार, तीन हजार करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ इस पोटाश से मिलेगा। यदि इंटनरेशनल बिडिंग कर दें, रेजिंग एण्ड सेलिंग कांट्रेक्ट ढंग के आदमियों को मिल जाएंगे तो हमारे को इतना पैसा मिल जाएगा।

(श्री रोहित बौहरा)

एक मेरा और सुझाव है कि राजस्थान में आई.सी.टी. लैब्स करीब-करीब ढ़ाई हजार स्कूलों में बनी हुई हैं। कम्प्यूटर एजुकेशन बिलकुल इम्पार्ट नहीं हो रही है, कहीं पर भी इम्पार्ट नहीं हो रही है। हमारे को पता है कि हमें इतना एम्प्लायमेंट कम्प्यूटर वाले लड़कों को देना पड़ेगा। जब तक कि आप उनको एम्प्लायमेंट नहीं दे रहे हो, आप कम से कम इसको सैटेलाइट के थ्रू सिक्स से लेकर ट्वैल्थ स्टैंडर्ड तक कम्प्यूटर की एजुकेशन दीजिए। स्कूलों में दीजिए। आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर बना पड़ा है, आज आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर बंद है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है, न पिछली सरकार ने ध्यान दिया। एक साल हो गया, मैं अपनी सरकार को भी इस पाइंट पर जगाऊंगा कि जागिए, हमारे बच्चों को कम्प्यूटर की एजुकेशन दीजिए, जिससे कि जब हमारा लड़का ट्वैल्थ के बाद पढ़ता है, हम उसको कम्प्यूटर की बेसिक एजुकेशन के लिए भेजते हैं तो वह उस एक छोटे से कोर्स के लिए 15 हजार रुपये खर्च करता है। मेरा इतना-सा निवेदन है कि हम ऐसा काम कर दें कि 30 से 40 रुपये महीना लें। यदि आपने फ्री में कोई एजुकेशन दे दी तो उसका महत्व आदमी नहीं समझता है। इसको बिलकुल फ्री मत करिए। इसमें कुछ पैसा लीजिए जिससे कि हम बच्चों को कम्प्यूटर एजुकेशन इम्पार्ट कर सकें और उससे हमारे प्रदेश में आगे तरक्की होगी, लोग-बाग नयी-नयी चीजों में जाएंगे।

(15.03 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

शिक्षा मंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छा नया बजट अनाउंसमेंट किया कि आप हर ब्लाक पर इंग्लिश मीडियम स्कूल करेंगे। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा सुझाव है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हम हर ब्लाक पर करेंगे। मेरा इतना-सा कहना है कि इसमें यदि सरकार के पास कोई प्राब्लम है तो हमारे को कहिए तो हम एम.एल.ए. फंड से, we will make them. ऐसे स्कूल्स बना दें जो कि प्राइवेट सैक्टर से कम्पीट करने के लिए तैयार हो जाएं। स्कूल आप बनवा दोगे तो जो वंचित बच्चे हैं उनको आप अंग्रेजी पढ़ा सकोगे, वे प्राइवेट स्कूल से उसको मैच करेंगे। ज्यादा खर्च नहीं है, मीना जी, खर्च है सिर्फ 10 लाख रुपये का, 10 लाख रुपये हम एम.एल.ए. फंड से बच्चों के लिए दे देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। (व्यवधान)

मंत्री जी यहां बैठे हैं, टैक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर यहां बैठे हैं, मेरी उनसे विनती है कि जब आपके कालेज में से बच्चा निकलता है, most of

(श्री रोहित बौहरा)

the Colleges are not having their placement cell. वहां पर काउंसलिंग प्रोब्लम है। प्लेसमेंट सेल में लोग-बाग जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। यह फैक्ट है। आज राजस्थान में पिछले पांच साल में आप देख लीजिए, कितने इंजीनियरिंग कालेज बंद हुए। वे बंद इसीलिए हुए हैं कि बच्चे इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, लेकिन उनको प्लेसमेंट नहीं मिलता है। उनको कोई यह बताने वाला नहीं है कि तुम्हारे को कहां नौकरी मिलेगी। सिस्टम की यह प्रोब्लम है। इस सिस्टम की प्रोब्लम को समझना पड़ेगा। हमें इंडस्ट्री से बैठकर बात करनी पड़ेगी कि किस तरह से उनको कैसे आदमी चाहिए, जिनको वे एम्प्लायमेंट जनरेट कराकर, हम जो पढ़ा रहे हैं और यह ट्वैल्थ स्टैंडर्ड के बाद ही हो जाना चाहिए, ट्वैल्थ स्टैंडर्ड के बाद काउंसलर्स लग जाने चाहिए। जिस बच्चे का जिस चीज में इंट्रेस्ट है, वह उस चीज में जाये, जिससे कि वह आगे जाकर नौकरी पा सके। मां-बाप ने जो उनको इतनी मेहनत से पढ़ाया है तो वे अपनी नौकरी पा सकें तो यह मैं टैक्निकल एजुकेशन मंत्री से चाहूंगा कि वे इस पर ध्यान दें।

साहब, एक दूसरा है कि हमारे पास राजस्थान में हर डिपार्टमेंट ने लैंड बैंक बहुत पड़ी हैं। आज आप जयपुर नगर निगम को पूछने जाओगे तो जयपुर नगर निगम को पता नहीं होगा या जे.डी.ए. को नहीं पता होगा कि उनकी लैंड बैंक कहां है, क्योंकि ये हर पांच साल या हर साल में इसको पूरा करते ही नहीं हैं। लैंड बैंक का कोई धणी-धोरी ही नहीं है। आज लैंड बैंक पी.डब्ल्यू.डी. है, जे.डी.ए. है, जयपुर नगर निगम है, देवस्थान विभाग है, इतनी सारी एजेंसीज हैं। इतना लैंड बैंक पड़ा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कितना है, कितनों पर एन्क्रोचमेंट हो गया। आज आप इस लैंड बैंक को बनाते हो, आप इसको कभी भी लीवरेज कर सकते हो during our bad times, बट यह हमारे पास है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, कोई करना भी नहीं चाहता है यह सिस्टम। भई, आपकी धरोहर है, आज अपन मालिक होते हैं तो ये पता होता है कि अपने पास कितने खेत हैं, कितनी जमीन है। कम से कम सरकार को तो यह पता होना चाहिए कि सरकार के पास कितनी जमीन है, कहां पड़ी है, कैसे पड़ी है। उस पर एन्क्रोचमेंट है तो सरकार उस एन्क्रोचमेंट को हटाए। मेरी सरकार से यह विनती है कि वह इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, जिससे कि यह हो जाये।

साहब, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि पिछले पांच साल से ही यह एक नया ट्रेंड चला आ रहा है। we are spending our 71 percent of our

(श्री रोहित बौहरा)

income on Revenue Expenditure - Salaries, Pensions and Interests. जो कैपिटल आउटले पर आपने खर्च कर रखा है पुराने जमाने में, वह करीब आप 10 परसेंट और खर्च कर लेते, आज की डेट में इस साल आपके बजट में, you are spending only 19 percent in the capital outlay, जो कि कम से कम किसी भी प्रदेश को या किसी भी देश को आगे चलाने के लिए जब तक आप इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। यह हमें समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से स्पेंड करना है तो मेरी सरकार से विनती है कि हम इस सिस्टम को, जो नोन-प्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर है, ठीक है सैलरीज पता है हमारे को, जो आफिसर्स की सैलरी है, ये सब हैं, और कई ऐसे डिफंक्ट डिपार्टमेंट्स हो गये हैं, जिनको कि बंद कराया जा सकता है। 50 साल पहले ऐसे डिफंक्ट डिपार्टमेंट्स खुल गये थे जबकि उनकी महत्ता थी, आज की डेट में उनकी महत्ता ही नहीं है तो मेरा यह सुझाव है कि हम इसको एक बार रिव्यू करें या हो तो मैनेजमेंट कन्सलटेंट्स अपाइंट करें। जहां हम पैसे बचा सकते हैं, वहां पैसे बचाएं, ताकि हम अपना कैपिटल आउटले का जो एक्सपेंडीचर है, उसको बढ़ा सकें।

एक हमारे मंत्री महोदय एम.एस.एम.ई. एक्ट लाये थे। बहुत ही उम्दा एक्ट है और उसका बहुत ही जबरदस्त रेस्पोंस मिला। रेस्पोंस तो मिल गया, बट उसमें दो खामियां सबसे बड़ी पैदा हो गयीं। आज कोई भी नेशनलाइज बैंक और कोई भी प्राइवेट बैंक without conversion of land is not giving you a loan क्योंकि एज पर द लिस्ट कोई भी बैंक एग्रीकल्चर के ऊपर इंडस्ट्री को लोन नहीं दे सकती। दूसरा पाइंट 'Consent to Operate', बिना 'Consent to Operate' आपको कोई लोन नहीं देगा। मैंने इससे मंत्री जी को भी अवगत कराया। आपके थ्रू उनको वापस अवगत करना चाहता हूं कि इन दो खामियों को आपको अपने लेवल पर टैकल करना पड़ेगा। आज 'Consent to Operate', यदि मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए जाता हूं तो average time taken is three to four months. आज मेरे को लोन ही पास नहीं होता, जब तक कि मेरी लैंड कन्वर्ट नहीं होती। आप एस.डी.एम. आफिस में चले जाएं, इतने सारे सदस्य बैठे हैं, कोई भी चले जाएं, तीन महीने चार महीने से पहले कोई लैंड कन्वर्ट ही नहीं होती। जब तक मैं इंडस्ट्री लगाने की सोचता हूं, 2019 में सोचूंगा इंडस्ट्री लगाने की, जब तक ये दोनों काम आएंगे तो 2020 हो जाएगा। कई ऐसे प्रोडेक्ट्स होते हैं जो फास्ट मूविंग कन्ज़्यूमर प्रोडेक्ट्स हैं, वे आउट डेटेड हो जाते हैं तो मेरी सरकार से विनती है कि इन दोनों की एक ऐसी

(श्री रोहित बौहरा)

बाध्यता डालें कि for industrial purposes 15-15 दिन में ये दोनों चीजें होंगी।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा यह कहना है कि आपने अनाउंस किया कि बी.आई.पी. में आप सिंगल विंडो स्कीम लेकर आओगे। बहुत अच्छी बात है कि सिंगल विंडो ले आएं। आप 14 डिपार्टमेंट्स के आदमी वहां पर बैठा दोगे, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि यह सिंगल विंडो क्लीयरेंस कितने दिन में आप कर दोगे? वहीं सिंगल विंडो क्लीयरेंस में आप एक साल लगा दोगे तो उन 14 आदमियों को वहां बैठाकर के भी आप क्या करोगे? That should be time bound. आप कोई भी चीज करिए, लेकिन टाइम बाउंड।

सभापति महोदय, आप दूसरे प्रदेशों में इंडस्ट्रियलिस्ट को जाकर देखें। कई ऐसे प्रदेश हैं कि जहां पर आदमी उनको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर लेने जाता है। उनको बैठाता है। आप तमिलनाडु का एग्जाम्पल देख लीजिए। लास्ट 6 महीने में, Tamilnadu is the only State in this country which has got an investment more than 50 lakh crore from China only. इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। कुछ पार्ट उसका कर्नाटक में आया है, जब वह कांग्रेस रूल्ड स्टेट थी। यह बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ गया। नो डाउट कि वे पोर्ट के भी पास थे, इसलिए वह इन्वेस्टमेंट आया है। दोनों पोर्ट के पास हैं इसलिए वह इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें ट्यूरिज्म पर मेहनत करनी पड़ेगी। माइन्स पर मेहनत करनी पड़ेगी, जहां हम एम्प्लायमेंट जनरेट करें। जहां हमारे छोटे-मोटे ग्लिचेज हैं, वहां से ग्लिचेज हटा सकें। ट्यूरिज्म में हमें अपने लड़कों को ट्रेन करना पड़ेगा। किस तरह से लड़कों को हम ट्रेन कर सकें। वह सब हमें करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, अब मैं अपने धौलपुर जिले की बात रखना चाहूंगा। मेरे यहां की मेन समस्या पानी की है। मैंने काफी रिक्वैस्ट कर ली कि काली तीर योजना, जो चम्बल का वाटर फ्लो हो रहा है, जो ओवर फ्लो हो रहा है during the rainy seasons, उस पानी को हम टैप करें। उसको लिफ्ट करें। हम अपने बांधों में डालें। उसके नीचे हमारे पास 10 एनिकट पड़े हुए हैं। यह सिर्फ 250 करोड़ की स्कीम है, जिससे 100 गांव, बसेड़ी के एम.एल.ए. बैठे हैं, उनके गांवों में पीने के पानी की समस्या सोल्व हो जाएगी। बाड़ी के एम.एल.ए. बैठे हैं। उनके यहां पूरे बाड़ी शहर की पीने के पानी की समस्या सोल्व हो जाएगी। राजाखेड़ा और धौलपुर के लिए जो हमारा वाटर टेबल है, जो पानी का

(श्री रोहित बौहरा)

नीचे जल स्तर है, वह बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां हमारे 8 या 9 एनिकट बने हुए हैं। जहां एन्क्रिटों में बारिश का पानी आ जाता है, वहां वाटर टेबल आज के दिन 100 फीट हो गया है। मेरा सरकार से कहना है कि एक करोड़ रुपया हमें डी.पी.आर. बनाने के लिए दे दें। एनवायर्नमेंट की परमिशन एक साल में ले आएं। उसके बाद इसको कर दें। यह पी.एच.ई.डी. और इर्रिगेशन दोनों का ही है।

सभापति महोदय, ऐसी व्यथा है कि आप देखिए, लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। 1,250 करोड़ रुपया हम इससे ई.आर.सी.पी. में कम करा लेंगे। ई.आर.सी.पी. में जबरदस्ती यह 1,250 करोड़ रुपये कम करा लेंगे। इसके कारण से ही इर्रिगेशन डिपार्टमेंट इसको एप्रूव नहीं करना चाह रहा। मेरा इसमें इतना-सा कहना है कि यह स्कीम कन्वर्ट कराइए, जिससे कि धौलपुर जिले में पीने के पानी की समस्या न हो।

सभापति महोदय, मेरे यहां एक बरेठा पंचायत है। वहां नई रेलवे लाइन डल रही है। रेलवे वाले नई रेलवे लाइन डाल रहे हैं, तीसरी रेलवे लाइन, दिल्ली से लेकर के बॉम्बे तक। वहां पर पुलिया पड़ी हुई थी, जिससे उस गांव से आदमी निकलता था। उस पर 8-8, 9-9 फुट मिट्टी रेलवे वालों ने डाल दी। 3,500 की आबादी वाला गांव अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकता। अब उनके बच्चों को रेलवे लाइन क्रास करनी पड़ती है। किसी दिन भी हादसा हो जाएगा। एक विनती है कि इस पर आर.ओ.बी. सैंक्शन हो जिससे कि यह काम हो सके।

दूसरा, पूरे राजस्थान का मामला है। हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को फोर हायर एजुकेशन, एम.डी., we were allotted 960 seats from the Centre. यह सभी के लिए महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि डाक्टर्स आपके पास अवेलेबल नहीं हैं। जब तक डाक्टर्स एम.डी., एम.एस. नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसका पैसा राजस्थान के पास आ गया, लेकिन अभी तक सीटों का निपटारा नहीं हुआ है। First counselling is already going on. मेरी हैल्थ मिनिस्टर साहब से यह विनती है कि सैकण्ड काउंसलिंग से पहले यह नियमित हो जाए। 960 डाक्टर्स अगले 2 साल बाद राजस्थान को मिल जाएंगे, जिससे कि राजस्थान की सेवा हो सकेगी। गांवों में डॉक्टर्स की पोजिशन बहुत खराब है।

सभापति महोदय, मैं रेत पर कहना चाहूंगा। आज धौलपुर में रेत

(श्री रोहित बौहरा)

बहुत निकलती है। हमारे यहां क्रोकोडाइल सैंक्चुअरी है इसलिए वहां रोक लगा रखी है। क्रोकोडाइल्स राउंड द ईयर तो अंडे नहीं देते हैं। क्रोकोडाइल्स साल भर में सिर्फ 4 महीने अंडे देते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यही बोलेंगे तो फिर हम जाएं बाहर। समय नहीं देना, यह क्या बात है?

श्री सभापति: मैं कर रहा हूं। वे कन्क्लूड कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह गलत बात है। यहां इतना समय दे दिया। हमारे पहले स्पीकर बैठे हैं। यह क्या बात हुई?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हमें अनुमति दी जाए, ताकि हम धौलपुर में रेत निकाल सकें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम जाते हैं सारे बाहर। सारे जाते हैं बाहर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज कन्क्लूड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बुलाओ, इनको बुलाओ। यह कोई बात हुई?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, आज सदन में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट तो पारित हो जाएगा लेकिन संशय सबके मन में बना रहेगा कि इस पवित्र सदन ने जो बजट पारित किया है, क्या वाकई में वह धरातल पर उतर पाएगा। इसका उत्तर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब पिछला बजट पारित हुआ था और उस बजट में जो-जो आपकी घोषणाएं थीं, जो-जो प्रावधान आपने किये थे, अगर उसकी आप हकीकत देखेंगे तो बहुत कम काम धरातल पर हुए हैं।

सभापति महोदय, घोषणा की थी कि हर पंचायत समिति में 80 लाख की लागत का विकास पथ बनाएंगे। अभी तो टेंडर भी नहीं हुए। पूरा वित्तीय वर्ष निकल रहा है। बाद में वर्क आर्डर होगा। उसके बाद में काम चालू होगा तो यह अगला वित्तीय वर्ष भी पूरा हो जाएगा।

सभापति महोदय, सोलर पम्प की बात हुई थी। हर एम.एल.ए. को 10 -10 सोलर पम्प की घोषणा इस सदन से हुई थी, लेकिन आपको पता है, सबको पता है कि अभी तक उसकी स्वीकृति जारी नहीं हुई। ऐसे एक नहीं

(श्री ज्ञानचंद पारख)

बल्कि अनेक काम हैं, जिनके लिए बजट प्रावधान किया था, जिनको पारित भी किया, यहां घोषणा भी हुई, लेकिन अभी तक वे धरती पर दिख नहीं रहे हैं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी, जो कि स्वयं वित्त मंत्री हैं, उनके खुद का मिस्मैनेजमेंट आप देखेंगे तो उसके बाद में आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो बजट में बातें हुई हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, उनका लाभ जनता को मिल पाएगा। माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा, चाहे वह बजट भाषण में की हो, चाहे सदन में की हो, चाहे सदन से बाहर की हो, लम्बे समय तक उस पर भी कार्यवाही नहीं होती। यह जो प्रदेश की बदहाली है, उसका मुख्य कारण आपका मिसमैनेजमेंट है। जब तक आप उसको दुरुस्त नहीं करोगे, तब तक राजस्थान को जो भुगतना है, वह भुगतेगा।

सभापति महोदय, पिछले वर्ष के बजट के पैरा नम्बर 203 और 204 को थोड़ा पढ़ लें, जो कि वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यापारियों को आश्वासन दिया था। इस सदन के माध्यम से वादा किया था, कमिटमेंट किया था। बकाया रही मांगों के सम्बन्ध में व्यवहारियों को राहत देने के लिए एमनेस्टी योजना लाने की बात इस सदन में हुई थी। 8 महीने बीत गये हैं लेकिन यह एमनेस्टी योजना कहीं नहीं आयी है। बात यह भी थी कि ब्याज, शास्ति एवं विलम्ब शुल्क, उनमें भी हम छूट देंगे। इसके भी अभी कोई आसार नजर नहीं आते। कहीं भी यह काम नहीं हुआ।

सभापति महोदय, पैरा नम्बर 204 में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस्मैच के प्रकरण जो अत्यधिक मात्रा में डिमांड राशि पैंडिंग है, उनमें भी कहा था कि इसके लिए आई.टी.सी. मैच, मिस्मैच प्रक्रिया में डिस्प्युट हैं, चाहे वह कोर्ट में हों, चाहे वह अपील में हो, चाहे वह ट्रिब्यूनल में हो, उनका निस्तारण करेंगे। उन सारों का हम निस्तारण करेंगे, लेकिन 8 महीने बाद भी कुछ नहीं, शायद माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा को अधिकारियों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इस वर्ष का 66 पेज का माननीय मुख्य मंत्रीजी का बजट भाषण है। उसमें भी इस योजना का कहीं जिक्र तक नहीं है। यह दूसरा बजट पास हो जाएगा, लेकिन पहले बजट की उनकी घोषणा भी अधूरी रह जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष बजट में आपने सात संकल्प तो ले लिये, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपके पास पैसा भी चाहिये और आर्थिक मंदी से जूझते हुए व्यवहारियों के लिए आपने कुछ नहीं किया, चाहे केन्द्र सरकार को आप कितना भी कोस लो, चाहे नोटबंदी को आप कह लो कि

(श्री ज्ञानचंद पारख)

वह मंदी की जिम्मेदार है, चाहे जी.एस.टी. को मंदी का जिम्मेदार ठहरा दो, यदि आप एमनेस्टी योजना लागू कर देते तो ये जो विवाद आपके हैं, जिनकी वजह से आपकी राशि भी अटकी हुई है, वे विवाद सुलझ जाते तो जो सैल्फ टैक्स रेवेन्यू का जो हमने एस्टीमेट किया था, वह शायद एस्टीमेट हम पूरा कर पाते। आपके आर.ई. में 13 परसेंट हम माइनस में चल रहे हैं। इस एमनेस्टी योजना में राहत देते, छूट देते, हजारों प्रकरण पैंडिंग पड़े हैं उनका निस्तारण होता, एक अच्छी इन्कम प्रदेश को होती और व्यापारी भी लाभान्वित होते। लेकिन हुआ क्या जब से एमनेस्टी योजना की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कर दी, व्यापारी रोज आस करते हैं कि आज आदेश आए, आज आदेश आए। जो पैसा देकर निपटाने वाले थे, वे भी इंतजार में हैं, मैं पहले क्यों निपटाऊं इसको, जब योजना आएगी, छूट आएगी, राहत आएगी, लाभ मिलेगा, तभी अपना केस निपटाऊंगा। वह इस तरह से लम्बा ही लम्बा कर रहा है। इससे अपना रेवेन्यू और ज्यादा अटक रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को तो आजकल दिल्ली से फुर्सत ही नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा है। ये आपके सात संकल्प हैं, ये पूरे करने हैं तो आपने जो-जो घोषणाएं व्यापारियों के लिए राहत की की हैं, वे आप कर देंगे तो उनसे राशि आएगी तो आपके इन सात संकल्पों को पूरा करने के लिए मदद मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, एक नहीं अनेक घोषणाएं, व्यापारी आपको पैसे देता है, बड़ी राशि देता है, लेकिन हम व्यापारियों का करते क्या हैं? आप अन्तर देखेंगे कि राज्य सरकार ने क्या किया और केन्द्र सरकार ने क्या किया। आप केन्द्र सरकार को कोसने की बात करते हैं। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि भारत सरकार की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमणजी ने 5 जुलाई, 2019 को अपने बजट भाषण में सर्विस टैक्स और एक्साइज के डिस्प्युटेड प्रकरणों के लिए एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की। उसका नाम रखा, 'Sabka Vishwas-(Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019.

माननीय सभापति महोदय, काम कैसे होता है, यह सीखना है तो थोड़ा उनसे सीखो दिल्ली जाकर। 5 जुलाई को बजट में घोषणा की, 1 सितम्बर को योजना लागू हो गयी। 1 सितम्बर से 31 दिसम्बर के बीच में ऐसे 1 लाख 89 हजार एप्लीकेशंस सरकार के पास आ गयीं। दिसम्बर तक 36 हजार करोड़ रुपये की फंसी राशि थी, अटका हुआ रुपया मिल गया। यह अलग

(श्री ज्ञानचंद पारख)

बात है कि गवर्नमेंट का टारगेट 3 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन अभी वह प्रक्रिया चालू है, क्योंकि डिस्प्युटों को निपटाना है तो इतने सारे प्रकरणों को एक साथ निपटा नहीं सकते। इन डिस्प्युटों के निस्तारण की वजह से 36 हजार करोड़ रुपये की रेवेन्यू भारत सरकार को दिसम्बर के पहले-पहले मिल गयी और व्यापारियों को भी थोड़ी राहत मिल गयी।

माननीय सभापति महोदय, यह तारीख पहले 31 दिसम्बर थी, बाद में 5 जनवरी तक बढ़ायी और इस वर्ष भी आप देखेंगे तो इसी 1 फरवरी, 2020 के बजट में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इन्कम टैक्स के विवादों को निपटाने के लिए 'विवाद से विश्वास स्कीम' की घोषणा की। 4 मार्च को इसका बिल भी लोक सभा में पेश कर दिया, पर हम हमारी जुलाई की घोषणा के बारे में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके हैं।

माननीय सभापति महोदय, काम का तरीका आप देखेंगे, आप अपने गिरहबान में झांकेंगे तो महसूस हो जाएगा कि हमने कहा तो बहुत कुछ है पर किया तो नाममात्र का है। पिछले बजट भाषण के पैरा 76 और 77 में हमने एम.एस.एम.ई. स्कीम का जिक्र किया। आपने कहा, उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धा योग्य बनाने के लिए मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उसकी मैं आज घोषणा करता हूं। अभी तक यह योजना जमीन पर नहीं आयी है। 19 दिसम्बर, 2019 को Rajasthan Investment Promotion Scheme, 2019 की घोषणा की। माननीय सभापति महोदय, सदन को शर्मिंदगी महसूस होगी कि 4 महीने हो गये, अभी तक वेबसाइट को भी दुरुस्त नहीं किया। आज की तारीख में भी वेबसाइट 2014 की ही बोल रही है। अधिकारियों से बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ऑफलाइन आवेदन ले रहे हैं। ऑफलाइन आवेदन में मात्र पात्रता तो निश्चित हो सकती है कि पात्र हैं या अपात्र हैं, पर जो उसको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलनी है, जब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं करेगा, तब तक वह नहीं मिलेगी। यह सरकार के कामकाज का तरीका है।

माननीय सभापति महोदय, अब कोई भी नया उद्यमी, जो रिप्स, 2019 के तहत नया उद्योग या पुराने उद्योग में नया निवेश करना चाहता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, थोड़ा बता दें कि उनको यह सब्सिडी कैसे मिलेगी? एक्चुअल सब्सिडी लेने में समय लगता है, उसको अगर देखेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम कितना लचर है। पात्रता तय होने के बाद भी चार-चार, पांच-पांच, छह-छह महीने, पैसा पड़ा है, लेकिन उस व्यापारी को वह सब्सिडी नहीं मिलती है। ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि हिन्दुस्तान

(श्री ज्ञानचंद पारख)

का कोई उद्यमी राजस्थान में आकर अपना उद्योग लगाएगा, व्यापार करेगा। छूटें कहने से नहीं होती, जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें आगे बढ़ नहीं सकते। चाहे आप एम.एस.एम.ई., 2019 ले आओ, चाहे रिप्स, 2019 ले लाओ, चाहे उसके बाद में 3 जनवरी को जोधपुर में घोषणा कर दो कि ई.टी.पी. के लिए हम दो करोड़ रुपये की राशि देंगे। अधिकतम 50 परसेंट का आपने सब्सिडी का प्रावधान किया है, मुख्य मंत्रीजी की 3 जनवरी की घोषणा, उस दिन माननीय उद्योग मंत्रीजी ने स्वीकार किया और मुझे सदन में विश्वास भी दिलाया, आप भी सदन में मौजूद थे, कि 31 मार्च तक हम इसका आदेश जारी कर देंगे। तब माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं कि सदन में कोई सदस्य याद दिलाए, टोके तभी काम करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी का वचन ब्रह्म वाक्य होता है। सरकारी अधिकारी, जो वित्त विभाग से जुड़े हुए हैं, उनका दायित्व होता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यदि कोई घोषणा कर दी है तो उस पर त्वरित गति से कार्यवाही करके उसको लागू करें।

माननीय सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि ई.टी.पी. की बात कई बार इस सदन में हुई है। पहले एम.एस.एम.ई. स्कीम के तहत 25 लाख की अधिकतम राशि का प्रावधान था। आपने बढ़ाकर 2 करोड़ किया, उसके लिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको धन्यवाद कि आपने 2 करोड़ कर दिया पर, जो 25 लाख की राशि के प्रकरण हैं, वे 8 महीने से जयपुर में धक्के खा रहे हैं, 8 महीने से। एम.एस.एम.ई., 2014 की जो स्कीम है, उसके तहत जो आवेदन करना था, उसमें जो औपचारिकताएं पूरी करनी थीं, वे सारी की सारी पूरी कर दी गयीं। 8 महीने आपने पैसा नहीं दिया तो आपने एम.एस.एम.ई., 2019 में जो नये प्रावधान किये हैं, उनकी कमी बताकर आप इन प्रकरणों को लम्बित कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, ई.टी.पी. के जो प्रकरण हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पैंडिंग पड़े हैं उनको निपटाएं। आप एक मेहरबानी और करें कि ई.टी.पी. के सब्सिडी के जो भी प्रकरण हैं, उनके निपटारे के अधिकार कम से कम वहां के डी.एस.टी. को दे दें, कलेक्टर को दें, ताकि छोटी-छोटी फाइल जयपुर नहीं आए और व्यापारी को परेशान नहीं होना पड़े, उद्यमियों को परेशान नहीं होना पड़े। अगर सरकार अपने मैनेजमेंट के माध्यम से ये छोटे-छोटे काम सही कर देगी तो शायद कहीं न कहीं उद्योग बढ़ने की सम्भावना यहां, हमारे क्षेत्र में हो जाएगी। अब एक

(श्री ज्ञानचंद पारख)

तरफ तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है और उसे लेकर सारे के सारे सदस्य केन्द्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, पर आप अगर हमारा खुद का सिस्टम देखें तो आर्थिक मंदी के दौर में भी यदि हम बेहतर मैनेजमेंट कर दें, तो शायद हम अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। एक तरफ आर्थिक मंदी और दूसरी तरफ राज्य सरकार का मिस्मैनेजमेंट, यह कोढ़ में खाज का काम कर रहा है। इस बीच मैनेजमेंट में हमारे स्टेट का कबाड़ा कर दिया गया है।

माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, सरकार कैसे काम कर रही है। ये बार-बार कहते हैं कि केन्द्र सरकार समय पर राशि नहीं देती, हमारा हक, हमारी ग्रांट नहीं देती। समग्र शिक्षा योजना में केन्द्र ने पिछले साल आपको 1,100 करोड़ रुपये जारी किये। मैं दो महीने पहले की बात बता रहा हूं। आपको यह पैसा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करना था। अब कहीं जाकर फाइल में 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की मंजूरी मिली है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है?

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह पिछले साल अक्टूबर में वित्त आयोग ने ग्रांट के रूप में 1,650 करोड़ रुपये की राशि जारी की। यह राशि आपके पी.डी. खाते में ट्रांसफर भी कर दी गयी। माननीय सभापति जी, नियम यह है कि पी.डी. खाते में 15 दिन से ज्यादा ग्रांट की राशि नहीं रख सकते। यह राशि आपको पंचायती राज संस्थाओं को देनी थी, पर आज तक यह राशि पी.डी. खाते में पड़ी है, पंचायती राज संस्थाओं को ट्रांसफर नहीं की गयी। उधर ठेकेदार रो रहे हैं और इधर आपकी यू.सी. समय पर नहीं जाने से केन्द्र सरकार आपको नया पैसा नहीं दे रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज कन्क्लूड करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सदन में सभी सदस्य मौजूद थे, मैं भी था। जिस दिन सड़क पर मांग की रिप्लाई हमारे उप मुख्य मंत्री जी दे रहे थे, आप भी उस बात के गवाह हैं, क्या घोषणा की गयी, पूरे प्रदेश में 600 किलोमीटर मिसिंग लिंक। यह कोई घोषणा नहीं होती। इतना तो हम एम.एल.ए. कोटे से भी कर सकते हैं। एक विधान सभा क्षेत्र को मात्र 3 किलोमीटर मिसिंग लिंक मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सड़क मंत्री जी से माननीय मुख्य मंत्री जी की नाराजगी है। वह अलग बात है, पर पता नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय सड़क मंत्री जी को सड़क दिखाने की ठान रखी हो कि इन्हें

(श्री ज्ञानचंद पारख)

सड़क पर लाना ही है, वैसी घोषणा है यह, इसमें कोई दम नहीं है। कम से कम ऐसी घोषणा करें, जिससे प्रदेश की जनता को लगे कि राजस्थान की सरकार, जिससे हमने बहुत उम्मीदें संजोयी थीं, वह कुछ काम कर रही है। आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं बोलने का विचार तो कुछ और करता हूं, पर प्रतिपक्ष के सदस्य जब अपनी बात रखते हैं तो मुझे बोलना कुछ और पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, अभी मैं सुन रहा था, ''गिरहबान में झांककर देखें, शर्म आ जाएगी'', अब यह शर्म कैसे आएगी? अशोक गहलोत साहब जब 2008 से 2013 के बीच मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री थे, राजस्थान रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। गिरहबान में तो आप झांकते पांच साल तक, जब आपने राजस्थान को राजस्व घाटे की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया।

क्या नहीं बढ़ा आपके वक्त में? कैपिटल आउटले कम हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा, गैर विकास पर खर्चा बढ़ा, लोन बढ़ा। आपने ऐसा क्या किया, जिससे राजस्थान को यह संदेश मिले कि आपने वित्तीय अनुशासन से सरकार चलायी है? अभी ये कह रहे थे- ''गिरहबान में झांककर देखें'', मोदी जी द्वारा लगाये गये महालेखाकार का आपकी सरकार के कामकाज के बारे में क्या कहना है, यह जो आपका आखिरी साल था 2017-18, उसके बारे में वे कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स 1 लाख 27 हजार 307 करोड़ हुईं और संशोधित अनुमान से 7 हजार 386 करोड़ रुपये कम हुईं। यह मैं नहीं, आपके महालेखाकार कह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो इनका संशोधित बजट अनुमान था 01 लाख 43 हजार 690 करोड़ का, उसके मुकाबले इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2017-18 में था 01 लाख 45 हजार 842 करोड़, जो कि बजट अनुमान से ज्यादा था। इसी के साथ 2017-18 में लास्ट थ्री मंथ्स जो आपके थे, उनमें आपने मैक्सिमम खर्चा किया 42.37 परसेंट। पूरे नौ महीने क्या कर रहे थे? आप तो बहुत वित्तीय अनुशासन वाले लोग हैं। अभी पी.डी. अकाउंट का जिक्र किया जा रहा था। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के महालेखाकार कह रहे हैं कि 31 मार्च, 2018 को 15,799.52 करोड़ रुपये आपने अभ्यर्पित कर दिये, जिसका दूसरे परपज के लिए कोई उपयोग नहीं किया जा सकता था।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ 80 प्रकरणों में 5,940 करोड़ रुपये का एकमुश्त प्रावधान किया, जिसमें 4,707.59 करोड़ रुपये अनुपयोगी थे, 79.03 परसेंट। तब थोड़ा गिरहबान में झांकते न। झांकते तो लज्जा आ जाती, पर आपने झांका नहीं। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा नियुक्त महालेखाकार महिला बाल विकास के लिए क्या कहते हैं, "महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों में योजना बनाने, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता, उपकरणों तथा श्रम शक्ति में कमियां तथा नियमित पर्यवेक्षण की कमी जगह-जगह पायी गयी।"

नि:शुल्क दवा में लाभार्थी नि:शुल्क दवाओं से वंचित थे। अपर्याप्त संसाधनों के कारण विभिन्न चिकित्सकीय सेवाएं, जैसे कि सप्ताह में ओ.पी.डी. दिनों की संख्या, प्रति रोगी परामर्श समय तथा दैनंदिन सेवाएं, मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां बाधित रहीं। विपक्ष के माननीय नेता महोदय, महालेखाकार लिखते हैं कि राजकीय पन्नाधाय अस्पताल, उदयपुर में संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित किये बिना पुराने अस्पताल भवन के प्रथम तल पर मातृ-शिशु स्वास्थ्य इकाई के निर्माण के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण भवन में संरचनात्मक शक्ति और 10.47 करोड़ का निष्फल व्यय किया। वित्तीय अनुशासन पर आप तो बोलने लायक नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर मैं ये सारी बातें पढ़ने चला जाऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा। महालेखाकार ने सैकण्डरी स्कूल्स का जो आब्जर्वेशन किया, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): Gentlemen, excuse me please, you are not supposed to discuss such things in the house. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) को शुरू हुए 10 साल से भी ज्यादा समय हो गया, हम कहां खड़े हैं? सभापति महोदय, मैं नहीं कह रहा हूं, महालेखाकार कह रहे हैं। राज्य सरकार 14,103 विद्यालयों में से 10,216 विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला, 10,093 विद्यालयों में कला/उद्योग/संस्कृति की कक्षाएं, 9,971 विद्यालयों में कम्प्यूटर कक्षाएं, 9,737 विद्यालयों में पुस्तकालय तथा 5,340 विद्यालयों में खेल मैदान रमसा के क्रियान्वयन के 9 साल बाद भी उपलब्ध नहीं करा सकी। आपको बोलना चाहिए इस सदन में। पांच साल सत्ता में रहने के बाद में कोई अधिकार बनता है आपका कि मौजूदा सरकार, जो 12

(श्री संयम लोढ़ा)

महीने पहले आयी है, उस पर कोई अंगुली कर सकें, कोई प्रश्न कर सकें? मैं अगर आगे और बढ़ता चला जाऊंगा तो सुनिए। पूरक पोषाहार और स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए लक्षित पात्र अभ्यर्थियों के आवृत क्षेत्र में क्रमश: 35.24 प्रतिशत और 41.32 प्रतिशत की कमी थी। कुपोषित बच्चों की बड़ी संख्या (23.30 लाख) अतिरिक्त पोषाहार से वंचित थी। आप गरीबों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। जब राज में होते हैं, तब भूल जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं कर का भी उल्लेख कर देता हूं। जुलाई 2017 से मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए करदाताओं द्वारा 5 लाख 68 हजार 302 विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गयीं। यह सम्भावना थी कि इन चूककर्ताओं द्वारा कर की चोरी की गयी तथा प्राप्तकर्ताओं द्वारा इन चूककर्ताओं को चुकाये कर के विरुद्ध आगत कर क्रेडिट का दावा किया गया। यह भारत के महालेखाकार की रिपोर्ट है। अभी मैं इसमें से और बहुत से उदाहरण, माननीय सभापति महोदय, इस सदन में प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। इसलिए मैं अपनी बात पर आऊंगा।

हमको एक चीज समझनी चाहिए कि जी.एस.टी. के बाद में आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप पंगु हैं। वह भी तब, जब भारत सरकार का रवैया आपके प्रति सहयोगी नहीं हो तो आपके पास रेवेन्यू सोर्स क्या हैं? आप 46 हजार करोड़ का अनुमान कर रहे थे, आपको मिले 36 हजार करोड़, 10 हजार करोड़ का वहां घाटा हो गया। 15वें वित्त आयोग ने आपका जो शेयर 42 परसेंट था स्टेट का, वह घटाकर 41 परसेंट कर दिया, जम्मू कश्मीर के नाम पर एक परसेंट ले गये। यह तो ठीक है, पैरामीटर में आप टिक रहे हो तो 2.31 आपका बढ़कर 2.45 हो गया। आपको राजस्व घाटा कम करने के लिए भारत सरकार ने फूटी कौड़ी नहीं दी और दूसरे राज्य को 71 हजार करोड़ दिये। अब इन परिस्थितियों के अन्दर अगर स्टेट रेवेन्यू बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेगा तो परिणाम, जैसी अपेक्षा रखते हैं एक लोक कल्याणकारी शासन देने की, वैसे परिणाम नहीं आ सकेंगे। आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम किया, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोगों के वोट लेकर आये हैं तो आप लोगों को गवर्नेन्स देने के बारे में क्या विचार रखते हैं? आपके 4 हजार लैक्चरर्स की हायर एजुकेशन में पोस्टें खाली हैं। आपने 950 की भर्ती निकाली है। उसमें भी अभी तक आप आगे बढ़े नहीं हो। क्या करना चाहते हो? आप नीचे सारे पद भरकर यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डर लेकर क्यों बैठे

(श्री संयम लोढ़ा)

हो? नीचे आपका आदमी नहीं होगा तो गवर्नेन्स नहीं होगी, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, हम उच्च शिक्षा दे नहीं पाएंगे। पिछले साल आपने 50 नये सरकारी कालेज खोल दिये। मास्टर कहां हैं? एक-एक मास्टर इधर-उधर से उठाकर आप लगा रहे हो, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना चाह रहे हो। मैं विनती करूंगा कि इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब आप जितने रिक्त पद हैं उन पदों को भरें और बच्चों के पढ़ने की माकूल व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, एक बात बार-बार आयी और मुझसे पूर्व वक्ता कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर बात कह रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि देश के अन्दर सिर्फ चार स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने जो कैपिटल आउटले प्लान किया, उससे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। वे सिर्फ चार स्टेट हैं। वे हैं हिमाचल प्रदेश, जिसने 5 परसेंट ज्यादा दिया, हरियाणा ने 6 परसेंट, कर्नाटक ने 2 परसेंट और उड़ीसा ने 8 परसेंट, तो इतना ज्यादा आप राजस्थान का बुरा चेहरा मत बताओ। पूरे मुल्क की यह हालत है, सबकी रेवेन्यू घट रही है। राजस्थान का 15 परसेंट माइनस है 2015 से 2018 का, अगर आप तीन साल की तुलना करोगे तो, लेकिन गुजरात भी, जिसको आप एक मॉडल स्टेट के रूप में पेश करते हो, उसका भी 14 परसेंट खर्चा कैपिटल आउट ले में कम है, इसलिए बहुत ज्यादा इसको लेकर चिंतित होने का सवाल नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि बहुत चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बूढ़े लोग जो हमारी उचित मूल्य की दुकान पर जा नहीं सकते, बहुत बूढ़े लोग हैं, जिनके अंगूठे मैच नहीं करते। हमारी 64 परसेंट उचित मूल्य की दुकानें हैं उनकी कमाई न्यूनतम से भी कम है। उनको देने की क्या व्यवस्था की जाए, इसके प्रति कोई सीरियस नहीं है। गांवों में जाते हैं, बूढ़ी महिलाएं मिलती हैं तो कहती हैं कि हमें तो गेहूं नहीं मिलता, हमारा तो अंगूठा नहीं लगता है। अब मैं अकेली पड़ी हूं तो कैसे जाऊं। मैं सरकार से विनती करूंगा कि आप अथोराइज करिए कि जो बूढ़े लोग गेहूं लेने में असमर्थ हैं, उनको खाद्य कूपन प्रोवाइड कराइये, नहीं तो इस पोस मशीन के जरिये हमारे लोग मर जाएंगे। उनका अंगूठा नहीं लगेगा तो उनको गेहूं नहीं मिलेगा। आप उनको खाद्य कूपन दो, जिससे उनका हम समाधान कर सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको विनती करूंगा.....

श्री सभापति: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, चार बजे माननीय नेता, प्रतिपक्ष बोलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और दो-तीन बातें और निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे गम्भीर बात है कि प्रजातंत्र आये 70 साल हो गये पर आज भी हम अख़बार में पढ़ते हैं कि सीवरेज टैंक में घुसने से जहरीली गैस से आदमी मर गया और सरकार उनकी कोई सहायता नहीं करती, पैसे नहीं देती। 376 मौतें सीवरेज और टैंक सफाई के दौरान हुई हैं और राजस्थान में भी पिछले साल 5 मौतें ऐसी हुई हैं, उससे पहले भी 2, 6 और 5 हुई हैं। लेकिन हम कितने संवेदनहीन हैं कि वह जो नीचे सफाई करने वाला आदमी है, पहली बात तो हमें यह खतम करना चाहिए, मैनुअल तरीके से इस तरह से गटर में कूदकर सफाई करने का काम बन्द करना चाहिए। कानून आ गया। इसके बाद भी मैं आपको विनती करूं कि राजीव और सतीश, जयपुर ग्रामीण में कृषि मण्डी, कूकरखेड़ा के नीचे गटर में कूदने से मर गये। यह पिछली सरकार के वक्त का है। जवाब क्या आता है, अनाज मण्डी एक वैधानिक संस्था है वह पैसे देगी। इस तरह के दर्जनों उदाहरण मेरे सामने मौजूद हैं। अजमेर शहर, झुन्झुनूं, बीकानेर, उदयपुर के हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करूं, महात्मा गांधी जी की पीछे फोटो लगा रखी है, हरिजन उन्होंने नाम दिया था, उन गरीबों की जिन्दगी की कुछ तो परवाह करो। मंत्री जी, खाचरियावास जी बैठे हुए हैं, नोट करना आप, पूरे राजस्थान में इस तरीके की मौतें हुई हैं और राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी को बुलाकर सरकार को बात करनी चाहिए तथा उस एक-एक गरीब आदमी को उसकी जान का हर्जाना मिलना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार का क्या हाल है। कौन सरकार भ्रष्टाचार खतम करना चाहती है? राजस्थान का कौनसा ऐसा तहसील कार्यालय है, जिसमें आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं और उस सब-रजिस्ट्रार और उसके बाबू को पैसा नहीं देना पड़ता है? कौनसा ऐसा कार्यालय है? माननीय सभापति महोदय, मैं एक घटना बताऊं कि हिम्मत नगर पुलिस थाने के अन्दर एक मुकदमा दर्ज हुआ। एक ट्रांसपोर्टर ने सुसाइड कर लिया और उसने एफ.आई.आर. रजिस्टर कराई, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के चार इंस्पेक्टरों के नाम लिखे। एफ.आई.आर. में उनके नाम हैं कि ये मुझसे पैसा मांग रहे थे। उनका पैसा ब्याज पर उसने लिया हुआ था और कम नहीं, ढाई करोड़ रुपया।

श्री सभापति: माननीय, कन्क्लूड करें प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कन्क्लूड ही कर रहा हूं, सभापति महोदय।

यही हाल एक्साइज का है। कौनसी ऐसी शराब की दुकान है, जिससे एक्साइज का इंस्पेक्टर पैसे नहीं लेता। राजस्थान के इस हाउस में बैठे हुए 200 सदस्यों को पता नहीं है? आज टैक्नोलोजी आ गयी, क्यों टैक्नोलोजी का उपयोग नहीं करते? क्यों यह सिस्टम डवलप नहीं करते कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकें? माननीय सभापति महोदय, आदर्श सोसाइटी का वह घोटाला। पर्चियां मिली हैं उसके अन्दर कि +++ (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज कन्क्लूड। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर माननीय सदस्य को आरोप लगाने हैं तो नोटिस दें ये। नोटिस देकर आरोप लगाएं। ये फाइनेंस बिल पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह तो रिकार्डेड फैक्ट हैं, आप एस.ओ.जी. को पूछ लो। ऐसे बोलने से क्या होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, आप कन्क्लूड करिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): +++ आदर्श सोसाइटी घोटाले का मुख्य आरोपी उनसे मिलने वालों में था। +++ जब मिलने वालों में था और आपका कारोबार सिरोही में किसके यहां चलता था? ये बताइये न आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य कन्क्लूड करिए, माननीय सदस्य, please cooperate with the Chair. माननीय आप बहुत वरिष्ठ हैं। माननीय आप बहुत वरिष्ठ है, please cooperate with the Chair.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सुनने का माद्दा रखो आप। खाली एस.ओ.जी. को यह धन्यवाद मत दो कि आपने 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हिम्मत है तो करिए जिनकी कैश की पर्ची मिली है। उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री सभापति: प्लीज कन्क्लूड। आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, फाइनेंस पर नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं किस बात पर बोल रहे हैं। वो कन्फाइन हों, फाइनेंस बिल के ऊपर, एप्रोप्रिएशन के ऊपर...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं गलत कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? आपकी सरकार ने तो...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लेकिन सवाल इसका है कि आप फाइनेंस बिल पर बोल रहे हैं क्या? आप फाइनेंस बिल पर बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, फाइनेंस बिल है ये, लोगों का पैसा लगा हुआ है, लोगों का पैसा लगा हुआ है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ये फाइनेंस बिल नहीं है किसने किसको चंदा दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): भ्रष्टाचार तो इन 15 महीनों के अन्दर करवा रहे हैं। आपको खुद को पता है, गिरहबान में झांककर देखें, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को लगा रखा है। लोगों को पता है कि कितना भ्रष्टाचार है। बड़ी-बड़ी बात करते हैं। भ्रष्टाचार क्या होता है, 15 महीने में भ्रष्टाचार बढ़ा है। एक साल से एस.डी.ओ. को नहीं लगाने का कारण है भ्रष्टाचार को बढ़ाना।

श्री सभापति: आलरेडी चार बजे...(व्यवधान) माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन बोल रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति, भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, क्या वर्तमान सरकार ने...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सरकार जो पिछले एक साल से भ्रष्टाचार कर रही है, उस पर तो बोलें। पब्लिक कितनी त्राहिमाम्-त्राहिमाम् कर रही है। खुद ने तबादला उद्योग चला रखा है। उस पर यदि आपको यह कहना ही है कि...(व्यवधान)

श्री सभापति: डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन बोल रहे हैं। You please sit down.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के दूसरे बजट सत्र का यह आखिरी दिन है। आज फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल के साथ ही बजट की सारी औपचारिकता पूरी हो जाएगी। मुझे अफसोस है, सभापति महोदय, मैं साक्षी रहा हूं कई सरकारों में बजट पारण के समय का, यह पहली सरकार का नजरिया मैं देख रहा हूं, बजट अपने अंतिम स्टेज पर है, एक भी काबीना मंत्री जिसका सम्बन्ध इस वित्त विभाग से हो, आज उपस्थित नहीं है। मेरी नजर आफिसर गैलेरी में बैठे अधिकारियों के हाथ की तरफ भी थी, मैंने एक भी अधिकारी को, माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, उनको लिखते हुए नहीं देखा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अभी मुझसे पहले सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने लम्बी-चौड़ी बात कहते-कहते हुए अपनी आदत के अनुसार, एक इस प्रकार की टिप्पणी कर डाली, समाचार पत्रों में, सुर्खियों में आने की इनको लत भी है, इनको अंदाज भी है। मैं समझता हूं कि आपने जिस सी.ए.जी. की रिपोर्ट के आधार पर पूर्ववर्ती सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं की बात की, सभापति महोदय, यह दूसरा बजट है, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, काबिल सदस्य हैं, पर एक बार नाकाबिल हो जाते हो, जब कांग्रेस पार्टी का टिकट वितरण का समय आता है, परन्तु उसके बाद भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपका इतना विशाल हृदय कि आप खून के घूंट पी-पीकर भी इस सरकार को सराहने का काम करते हैं।

सभापति महोदय, यह पहला बजट सत्र है। पिछले बजट पर जब चर्चा हुई सदन के अन्दर, मुझे अफसोस है, इस बजट भाषण की सैंक्टिटी है, पवित्रता है, मायना है। यह सरकार बजट के अन्दर कुछ भी कह गयी और कभी यह प्रयास नहीं हुआ कि बजटीय प्रावधानों को हम किस रूप में लागू करेंगे, किस प्रकार इसको अमलीजामा पहनाएंगे। एक के बाद एक, 24 फरवरी से प्रारम्भ हुए इस बजट सत्र के अन्दर प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से सरकार के बजट पर विश्वास की कलई खुलती चली गयी। मैं समझता हूं कि इस बजट पर इसी प्रकार की बात रही, क्योंकि सदन के नेता गृह मंत्री भी हैं। इस सदन में कानून व्यवस्था पर चर्चा हो, तब आप नदारद रहें।

(15.54 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

आज वित्त विधेयक के माध्यम से बजट पर चर्चा हो, तब आप यहां आना अच्छा नहीं समझें, इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती, सभापति महोदय। ये सदन का अपमान है। मैं समझता हूं कि यह सदन, जिसने भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व में हिन्दुस्तान के संसदीय इतिहास के अन्दर शानदार इतिहास बनाया, आज अपने आपमें शर्मिन्दा है।

सभापति महोदय, जो राज्य वित्त विधेयक, 2020 सरकार लेकर आयी है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार तीन एक्ट्स में अलग-अलग संशोधन लेकर आयी है। सरकार एक संशोधन राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 में लेकर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आयी है। एक राजस्थान एक्साइज एक्ट, 1950 में लेकर आयी है। एक भूमि कर अधिनियम, 2006 में लेकर आयी है।

सभापति महोदय, जो संशोधन सरकार लेकर आयी है, राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 की धारा 2, 5, 9, 18, 23, 32, 36, 39 और 56 में, मैं समझता हूं कि इन संशोधनों का मुख्य आधार बजट के अन्दर, जो बजट पैरा 211 के अन्दर इस बार मुख्य मंत्री जी ने कही, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझसे पहले पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बोलते हुए एमनेस्टी स्कीम के बारे में बात की, ब्याज और शास्तियों में छूट देने के लिए बजट के अन्दर जो पैरा में बोला गया, उसकी धज्जियां उड़ने की बात कही। इसीलिए मुझे संशय है कि इस बार भी बजट पैरा 211 के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रियल एस्टेट में मंदी है। उसको उबारने के लिए भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दरों को 10 परसेंट घटाकर और स्टाम्प ड्यूटी एक परसेंट बढ़ायी और यह कहा कि डी.एल.सी. दरों को 2020-2021 तक नहीं बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर आज रियल एस्टेट औंधे मुंह गिरा हुआ है। इसी बजट भाषण के पैरा 210 में लम्बित स्टाम्प प्रकरणों के निस्तारण के लिए एमनेस्टी योजना की बात आपने कही। 30 जून, 2020 तक जो बकाया शास्ति और ब्याज है, उसको माफ करने की बात कही, स्वागत योग्य है। इसी पैरा में 212 के अन्दर आपने इसी स्टाम्प एक्ट में यह कहा कि ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज के पोर्टल पर स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाने का प्रावधान कर दिया और इसी के अन्दर आपने 213 में कहा कि स्टाम्प ड्यूटी की गणना, वसूली राज्य में निष्पादित दस्तावेज के लिए एक माह, राज्य के बाहर निष्पादित दस्तावेज के लिए तीन माह की अवधि में निर्धारण करने का प्रावधान किया। मैं इन सारे प्रावधानों से कोई नाइत्तेफाक नहीं रखता।

सभापति महोदय, आज आवश्यकता क्या है? आज वित्त विधेयक 2020 के माध्यम से ये स्टाम्प एक्ट में जो अमेंडमेंट लेकर आये, इसका कारण क्या है? जिस एमनेस्टी स्कीम की घोषणा आज सरकार कर रही है, स्टाम्प ड्यूटी के प्रकरण लम्बित क्यों हैं? एमनेस्टी योजना की आप घोषणा कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता आज क्यों पड़ गयी? सभापति महोदय, जिस प्रकार खिचड़ी के अन्दर एक चावल पकता है तो पता लगता है कि खिचड़ी कैसे पकेगी। इस सरकार ने बजट के माध्यम से जब कभी भी किसी एमनेस्टी योजना की घोषणा की, पाली से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे, और तो और, 2014 के पोर्टल को अपडेट करने का काम भी नहीं किया। मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निवेदन करूं कि अच्छा रहता, अब यहां कहे तो कहें किसको, सुनने वाला कोई है नहीं व थोड़ी देर में नजारा बदल जाएगा। सदन के नेता चलकर उस मध्य प्रदेश से, उस मेहमान नवाजी...

श्री सभापति: सरकार सर्वव्यापी है, माननीय सदस्य। सरकार सर्वव्यापी है, वह सब जगह सुन रही है, आप निश्चिंत होकर बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आपने जो मेरा मार्गदर्शन किया है, इस अंधेरे में खड़ा था। सभापति महोदय, आप जैसे पथ प्रदर्शक ने आज मेरा हौसला बढ़ा दिया, इस सर्वव्यापी सरकार को मैं देखूंगा सूक्ष्मता से, कहीं न कहीं, किसी न किसी मेरी मित्र में कहीं नजर आ जाएगी, सर्वव्यापी भगवान सुना है, सर्वव्यापी सरकार, जय हो, इस सरकार की, सभापति महोदय।

मैं सर्वव्यापी सरकार से कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता क्या थी? आज जो राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी है, पुरुषों के लिए पांच परसेंट, महिलाओं के लिए चार परसेंट, इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन वैल्यू पर रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक परसेंट सरचार्ज है, गौ-संवर्धन के नाम पर एक परसेंट सरचार्ज है। कुल मिलाकर, सभापति महोदय, पुरुष यदि कोई दस्तावेज निष्पादित करवाता है तो सात परसेंट, महिला कराती है तो 5.8 परसेंट, आज आवश्यकता इस बात की है इस स्टाम्प ड्यूटी के अन्दर और कमी की जाए। आज गुजरात के अन्दर 4.9 परसेंट है, झारखण्ड में 4 परसेंट है, आज हरियाणा में 5 परसेंट है। आज जब रियल एस्टेट औंधा पड़ा है, मंदी के दौर में इसमें कमी का प्रस्ताव लेकर आते तो बहुत अच्छा होता।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो गौ-संवर्धन के नाम पर इस स्टाम्प ड्यूटी पर जो एक परसेंट का सरचार्ज लगया है। हम गाय के नाम पर गौ-ग्रास की बात करते हैं और संस्कृति के आदमी हैं, कम से कम मुख्य मंत्री जी यह तो बताएं कि पिछले वितीय वर्ष में एक्साइज और स्टाम्प ड्यूटी पर जो सरचार्ज लगा, उसमें गौ-संवर्धन, गौशाला के नाम पर कितनी राशि आयी और कितनी राशि हस्तांतरित हो गयी।

(16.00 बजे)

मैं समझता हूं कि अगर धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति है सभापति महोदय, तो गौ-ग्रास और गाय के लिए किये गये ऐसे प्रावधान को निश्चित तौर पर पूरा करे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब इस बार डी.एल.सी. की दरों को आपने कम करने की बात कही, 10 परसेंट कम कीं। आपको पता होगा, सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने पिछले बजट सत्र में इस बात को उठाया था। हम लोग सदन में बैठे हैं और हमारे पीछे से डी.एल.सी. कमेटी की मीटिंग हो रही है। जिला कलेक्टर को निर्देश दे दिये कि कम से कम 30 परसेंट डी.एल.सी. बढ़ाओ। सभापति महोदय, मैं जब यहां आ रहा था, तो सरकार ने जो इस वित्त विधेयक के आधार पर वित्त विभाग के कर अनुभाग की जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, 20 फरवरी, 2020 का, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, सभापति महोदय। सर्वव्यापी सरकार निश्चित तौर पर सुने, I may be wrong, पर मुझे करेक्ट करें। डी.एल.सी. की दरों के बारे में यह नोटिफिकेशन निकला है। मैं, प्रतिपक्ष के नेता, आपका मुलाहिजा भी चाहूंगा। इसमें लिखा है, "In exercise of the powers conferred by section 58 of Rajasthan Stamp Rules, 2004 the State Government being of the opinion that the circumstances required so to do, hereby orders that the existing rate of agriculture, residential and commercial categories of land, recommended by the District Level Committee shall be re-determined and decreased by 10 percent by effect of 20th February." निश्चित तौर पर बिलकुल ठीक है।

इसी के साथ जो नोटिफिकेशन निकला है, यह तो सीरियल नम्बर 177 पर, यह इनकी खुद की किताब है और जो 178 पर कहते हैं, "In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Rule 58 of Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government being of the opinion that the circumstances required so to do, hereby suspend the revision of the rates of agriculture, residential or commercial categories of land of financial year 2020-21 and provision of sub-section (3) of 58, the said rule shall not be apply for the financial year 2020-21." मतलब एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम डी.एल.सी. की रेट्स को 10 परसेंट कम करेंगे और यह नोटिफिकेशन, यह एक नोटिफिकेशन के बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन निकला है, यह कह रहा है कि हम इसका रिवीजन ही नहीं करेंगे। मैं समझता हूं, जब मुख्य मंत्री जी उत्तर दें तो निश्चित तौर पर इस पर बात करें।

सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में सैक्शन 9ए के अन्दर एक अमेंडमेंट लेकर आयी है। 9ए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में अमेंडमेंट क्या लेकर आयी है, सभापति महोदय, यह मेहरबानी कर रही है। मद्यनिषेध के नाम पर कमेटी बनाकर दूसरे राज्यों के अन्दर अध्ययन करने के लिए अध्ययन दल भेजने वाली यह सरकार, चिकित्सा मंत्री जी, अमेंडमेंट लेकर आयी है, यह 9ए के अन्दर राजस्थान एक्साइज एक्ट, 1950 में क्या अमेंडमेंट लेकर आयी है, यह शराब के कारोबारियों पर मेहरबानी है बहुत-बड़ी। क्या मेहरबां हुए हो, सनम आते-आते। 9ए में क्या कहते हैं, शराब के कारोबारी पर सरकार की डिमांड जब निकलती है तो अपील का प्रावधान है। पूर्व में अपील के प्रावधान में अपील में जाने से पहले कुल बकाया राशि का 75% राशि उसको पूर्व में जमा करानी पड़ती थी और अब इस राशि को संशोधन करके 25 परसेंट कर रहे हैं। सभापति महोदय, 277 प्रकरण हैं। एक्साइज एक्ट का जो प्रतिवेदन है, उसमें मैंने खोजा है और 201 करोड़ की बकाया है यानी पहले यह बकाया थी। सरकार वसूल कर सकती थी। अब सरकार ने इनको मार्ग दिखा दिया कि अब आपको 75 परसेंट जमा कराने नहीं पड़ेंगे, आप 25 परसेंट जमा कराकर अपील में चले जाओ, कोर्ट स्टे दे देगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आप यह काम क्यों करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, यह जो आबकारी विभाग का प्रगति प्रतिवेदन है, उसके पृष्ठ 5 के अन्दर इन्होंने लिखा है कि 2018-19 में इनका आबकारी से राजस्व लक्ष्य 930 करोड़ का लक्ष्य था, 8,694 करोड़ का लक्ष्य इन्होंने पूरा किया है, यानी लक्ष्य पूरा नहीं कर सके हैं। इस बार 10,500 करोड़ का लक्ष्य है और दिसम्बर तक 6,049 करोड़, यानी एक्साइज रेवेन्यू का। छूट दे रहे हैं 50 परसेंट का लक्ष्य ये पूरा कर नहीं पा रहे हैं और उन पर मैं समझता हूं कि इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करें।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एफ.आर.बी.एम. का जो स्टेटमेंट है, 2020-21, उसके अन्दर पृष्ठ-20 के अन्दर एक प्रारूप 5 है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें कर और शुल्क सरकार के बकाया हैं उनका जिक्र किया गया है, यानी सरकार की बकाया आज कितनी राशि है, यह राशि है, सभापति महोदय, 23,408 करोड़ रुपये। सरकार की बकाया राशि भू-राजस्व में 272 करोड़, पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में 450 करोड़, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्तियों पर 236 करोड़ राज्य के उत्पादन शुल्क में 201 करोड़ और बिक्री कर में बकाया 21,343 करोड़, वाहन कर में 53 करोड़, माल व यात्रा कर में 728 करोड़, विद्युत कर एवं शुल्क में 20 करोड़ और इस प्रकार यह इतनी राशि बकाया है। मैं समझता हूं इस प्रकार की बात सरकार को करनी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहिए कि अपना रेवेन्यू ठीक करने के लिए जो बकाया राशि है, उसको कैम्पेन चला कर करें। मुख्य मंत्री जी क्यों कृपा कर रहे हैं? यह जो 201 प्रकरण मैंने बताए हैं, इनमें 186 प्रकरण ऐसे हैं, माननीय सभापति महोदय, जो 10 साल से पुराने हैं। अब सदन चल रहा है। अब इन्होंने आबकारी बंदोबस्त, 2020-21 में देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा पर 170 प्रति एल.पी.एल. के स्थान पर 175 प्रति एल.पी.एल. करने का निर्णय किया। मैं समझता हूं कि जब सदन चलता हो तो सदन के सामने यह प्रस्ताव लेकर आते, पर सदन के बाहर इन्होंने सारा काम करने की बात की है। सभापति महोदय, निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए।

अब एक और संशोधन, तीसरा जो लेकर आए हैं, यह राजस्थान वित्त विधेयक, 2020 के अन्दर भूमि कर में एक चैप्टर है। सभापति महोदय, चैप्टर-7, उसको इन्होंने रिप्लेस किया है। उसमें जो वर्तमान में प्रचलित भूमि कर है उसके प्रावधानों का सरलीकरण करने की इन्होंने बात कही, तर्कसंगत बनाने की बात कही। मैं इस बात का तो स्वागत करूंगा कि आप इसमें self-assessment का संशोधन लेकर आए हैं। Self-assessment के साथ-साथ आप वार्षिक तौर पर तीन किस्तों में अपने लैंड टैक्स का पैसा जमा करा सकते हो। Self-assessment में भी आपने असेसी की उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त की है। यह जो इस भूमि के मूल्य का निर्धारण, जो पहले मार्केट वैल्यू पर होता था, उसके स्थान पर आपने प्रोडक्टिविटी, कम्पोजिशन, बेनिफिट्स क्या होंगे, मैं समझता हूं कि यह मकड़जाल बनाकर आपने इस पूरे मामले को उलझाने का काम किया है, निश्चित तौर पर इस पर बात करनी चाहिए।

अब सभापति महोदय, बाकी बातें तो हमारे नेता जी कहेंगे, प्रतिपक्ष के नेता, पर मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं कि इस सरकार की इकोनोमी, राजस्थान की हुकूमत की इकोनोमी, राजस्थान की हुकूमत की आर्थिक स्थिति आज वेंटिलेटर पर है। यह कभी भी दम तोड़ सकती है, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी को दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है। अपने डगमगाते हुए कुर्सी के पायों को ठीक करने के लिए एक पैर इनका दिल्ली में रहा और एक पैर इनका राजस्थान में रहा। इन दो बैलों की जोड़ी ने अपनी साइड में खींचते-खींचते इस चूल्हे को तोड़कर छोड़ दिया। अब हालत क्या है, मैं आपका ध्यान बजट एट ए ग्लांस के पेज 8 में रेवेन्यू रिसीट की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, 2019 की बी.ई. में आपने कहा कि हमारी रेवेन्यू रिसीट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

1,64,004 करोड़ रुपये होगी। जब 2019-20 की आर.ई. में आये, शासन आपके हाथ में आ गया। रेवेन्यू रिसीट हो क्यों, कारोबारियों को आपको राहत देनी है, कई और दूसरी बातें थीं, तो वह घटकर कम हो गयी, 1,56,715 करोड़ रुपये। सभापति महोदय, 2020-21 में 1,73,404 करोड़ रुपये का अनुमान आपने लगाया है। ये 1,73,404 करोड़ रुपये कैसे हो जाएगी। इसलिए जब मैंने कहा कि यह वेंटिलेटर पर है तो यह इसलिए कहा था कि इसी के पेज-11 में ...(व्यवधान) आप मेरी तरफ देख रहे हो, शंका की दृष्टि से मत देखो आप। मैं समझता हूं कि आप यह मत समझो कि आप ही में ज्ञान का भण्डार है, आप बैठे-बैठे कमेंट्स कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज इधर। माननीय सदस्य, कृपया इधर।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी विद्वता पर पूरे सदन को नाज है। आपकी विद्वता और यह अध्ययन कहां से किया है, उसकी जानकारी मेरे को है।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, प्लीज सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तो सभापति महोदय, इसी पेज 11 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस सरकार की टोटल रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसके अन्दर 117 परसेंट ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2019-20 में था 1,91,019 करोड़ और जब आप आर.ई. में आये तो कम होकर 11,84,756 करोड़ हुआ। अब आप बीई. में 1,85,750 करोड़ लेकर आए हैं यानी 117 परसेंट। कौन सा घर चलेगा, सभापति महोदय? आपसे ज्यादा ज्ञानी-ध्यानी शेखावाटी में तो मैंने खोज कर देख लिया है, सभापति महोदय, शेखावाटी से बाहर भी जब मेरी दृष्टि जाती है तो मुझे आपके अलावा कोई नजर नहीं आता है। आप बताओ, जिस घर के अन्दर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, 117 परसेंट, तो वह कोमा में नहीं जाएगा तो क्या होगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था पर आपने बहुत टिप्पणियां कीं। बहुत जोरजोर से बोले। आपकी सरकार ने आज एक साल में 34,750 करोड़ का कर्जा लिया है। आज आप 3 लाख 75 हजार के कर्जे में हो और मैं समझता हूं, सभापति महोदय, अगर यह हालत रही ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, प्लीज सहयोग करें। अंकित नहीं होगा। प्लीज सहयोग करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: विराजिए। क्या हो रहा है आप लोगों को, कोई गम्भीरता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य आपका पूरा भाषण हमने पूरी तसल्ली से सुना। आपने पानी पी-पी कर केन्द्रीय सरकार के लिए अपनी बात कही। यह बात आपने नहीं की, मैं समझता हूं कि इस बजट को जिस किसी भी माननीय सदस्य ने पढ़ा होगा, बजट के पृष्ठ दो के पैरा 5 में मुख्य मंत्री जी ने कहा, केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्व में जो गिरावट आ रही है, उसके खामियाजे के रूप में हमारे प्रदेश को जो शेयर इन सेंट्रल टैक्स मिलता है, उसमें 10 हजार 362 करोड़ रुपये काटे गये और पैरा नम्बर 234 में आपने फिर कह दिया कि हमारा शेयर 46 हजार 411 करोड़ से कम होकर 36 हजार करोड़ हो गया। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार की कोई भी नाकामयाबी हो, नोटिफाइड बैंक और आपके नेशनल बैंकों में 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का वादा पूरा नहीं करना हो, ठीकरा केन्द्र सरकार पर है, केन्द्र सरकार से वार्ता कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के प्रधान मंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर मृग मरीचिका दिखाने की बात हो, तो केन्द्र सरकार। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय करों में हमारा हिस्सा है, मुझ से पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा, निश्चित तौर पर यह हमारा हिस्सा भी है, हमें ग्रांट भी मिलती है। जब ग्रांट और हमारे सेंट्रल शेयर, दोनों को मिलाकर हम देखते हैं, उसके बाद आपको कम से कम यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिये कि इस बार विश्व व्यापी मंदी के दौर में जहां सेंटर के टैक्सेज जो हमारे खुद के टैक्सेज हैं, चाहे जी.एस.टी. हो, चाहे दूसरे टैक्सेज हों, उनमें कमी आयी, और सरकार की उदारता देखो, मोदी है तो मुमकिन है, इन्होंने हमें ग्रांट बढ़ाकर दी।

मैं निवेदन करूं, यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो हमारा केन्द्रीय वित्त आयोग बना डिविजिबल पूल में राजस्थान का हिस्सा 2020-21 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग ने निर्धारित कर दिया। सभापति महोदय, मुझसे पहले भी सब लोगों ने यह कहा कि केन्द्रीय वित्त आयोग की प्रारम्भिक रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत हो गयी और उसमें डिविजिबल पूल में जो हमारा हिस्सा है, वह 2.45 हो गया, जो 14वें वित्त आयोग में 2.31 था। यह 5.5 से बढ़कर 5.98 टोटल टैक्स रेवेन्यू में राजस्थान का हिस्सा हो गया। मैं समझता हूं कि यह इसलिए हो गया कि 2020-21 में पूरे देश में राज्यों को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

60.84 लाख करोड़ की राशि विभाजित हो गयी, इससे निश्चित तौर पर हमारे हिस्से में भी बढ़ोतरी हो गयी। पिछली बार 2019-20 में यह राशि 6.56 लाख करोड़ थी, 2020-21 में जो एस्टीमेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखे हैं, यह राशि बढ़कर 7.84 लाख करोड़ हो गयी।

सभापति महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा, पर 2017-18 आप उठाकर देख लें केन्द्रीय करों में हमारा राशि का हिस्सा 37 हजार 28 करोड़ था और जो हमें केन्द्र से ग्रांट मिली, वह 23,940 करोड़ मिली, यानी कुल 60,968 करोड़ की राशि जब हम सत्ता में थे तब हमें मिली। 2019-20 की आर.ई. की बात कर रहे हो, आर.ई. में निश्चित तौर पर केन्द्रीय करों में हिस्सा 36 हजार 49 करोड़ हुआ, पर आपने यह क्यों नहीं बताया कि 2017-18 में जो ग्रांट दी थी, जो केन्द्रीय सहायता थी, जो 23,940 करोड़ थी, उससे बढ़कर 30,717 करोड़ हो गयी। यह 7 हजार करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी आप क्यों छिपाना चाहते हो? मैं निवेदन करूं कि इस बार बी.ई. में आपने लिखा है, यह आंकड़ा मैंने नहीं बनाया है, यह 46,886 करोड़ का केन्द्रीय करों में आपका हिस्सा आपको मिलेगा। यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर डिविजिबल पूल में हमारा हिस्सा है। इसका कैलकुलेशन मेरा नहीं है, यह राजस्थान की हुकूमत का है और 29,892 करोड़ की अपने को सहायता मिलेगी। कुल मिलाकर 76,778 करोड़, यानी अगर देखें तो 2019-20 की तुलना में हमें 10 हजार 12 करोड़ रुपये ज्यादा मिलेंगे। आपको धन्यवाद देना चाहिये। अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए आप बात करते आ रहे हो। आप खुद अपना कमाल देखो, आपके एस.जी.एस.टी. पर तो किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं, आपके एस.जी.एस.टी. के बी.ई. जो 2019-20 में 19 हजार करोड़ थी, आर.ई. में आते-आते शासन आपके हाथ में था, कर देते आप, किसने मना किया, आप करों का संग्रहण करते। कुल मिलाकर सारा प्रबंधन राज्य सरकार का है, वह गिर कर हो गयी 25,605 करोड़, यानी 3395 करोड़ कम। यह लटके-झटके की जो बात आप कर रहे थे, यह है लटका-झटका। जी.एस.टी. का झटका दिखता नहीं है, पर आपने लिखा दिया और यहां ताली ठोक दी। इसको आप देखते तो आपको निश्चित तौर पर मालूम पड़ता। अब जो आप बी.ई. लेकर आये हो 18 हजार 500 करोड़, मैं जानना चाहूंगा यह आप कैसे करोगे, उद्योग उलटे मुंह पड़े हैं, भ्रष्टाचार का तांडव है, सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ गया, निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हालात क्या हैं। आज हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा वेतन, ब्याज और पेंशन में पैसा जा रहा है। 2019-20 की आर.ई. की मैं बात करूं, टोटल टैक्स रेवेन्यू 70,351 करोड़ रुपये, सभापति महोदय, मुलाहिजा फर्माओ, मैं जल्दी खतम कर रहा हूं, अभी टाइम है। 2019-20 की आर.ई. में वेतन पर खर्चा 52,262 करोड़ रुपये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी और बोलने वाले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ब्याज पर है 23,759 करोड़ और पेंशन पर 22,224 करोड़, यानी 98,245 करोड़, 139 परसेंट ज्यादा। इसलिए सभापति महोदय, जहां टोटल टैक्स रेवेन्यू से हम तीन कम्पोनेंट में पैसा वेतन, ब्याज और पेंशन में दे रहे हैं, आपका सारा विकास का पहिया केन्द्रीय सरकार के करों में हिस्से और ग्रांट पर रुका हुआ है। आप उसी सरकार को कोसते हो, मैं समझता हूं कि इस बात पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिये।

आपने बहुत बड़ी बात कही, पर अगर आप यह कहते वर्ल्ड पापुलेशन की रिव्यू रिपोर्ट, जिसको पूरे देश ने देखा, उन्होंने कहा कि भारत इस विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था 209 लाख करोड़ की जी.एस.डी.पी. के साथ बन चुका है, यह मोदी का कमाल है। सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूं कि मैं बोलना तो बहुत चाहता था, मेरी मांग है कि आपने जो 5.7.2019 को पैट्रोल और डीजल पर 4 परसेंट वैट बढ़ाया, उसको आप कम करो और इसके साथ ही चीनी पर जो 1.6 परसेंट मंडी टैक्स ले रहे हैं, आज कितनी बड़ी कालाबाजारी हो रही है, उसको कम करो।

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहूंगा कि अभी एप्रोप्रिएशन बिल के नाम पर हमें कागज दिये हैं। दो बिल हैं, विनियोग संख्या-1 और विनियोग संख्या-2, निश्चित तौर पर आर्टिकल 204 ए में सरकार को अधिकार है। एप्रोप्रिएशन बिल हर सरकार लेकर आती है, परन्तु आप इनका अमाउंट देखिए, राजस्थान विनियोग (संख्या-1) 2020 में 2,937 करोड़ 12 लाख 62 हजार रुपये एप्रोप्रिएट करवा रहे हैं। दूसरे बिल में करा रहे हैं 2 लाख 32 हजार 58 करोड़ 98 लाख 51 हजार। सभापति महोदय, अगर इन दोनों का एप्रोप्रिएशन हम देखें तो बजट लाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे लगता है कि पूरे बजटीय प्रावधान को एप्रोप्रिएट करा दिया, एक मद में कम खर्च, एक मद में ज्यादा खर्च। बजट की सैंक्टिटी वैसे भी आपने खतम कर दी। बजटीय प्रावधानों पर सरकार का विश्वास नहीं। बजटीय घोषणा को सरकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अमलीजामा पहना नहीं सकती और इस प्रकार का एप्रोप्रिएशन बिल, मैं समझता हूं कि वह समय आ गया, जब राजस्थान का अवाम इतिहास के बाद इस बात को याद रखेगा कि राजस्थान में पहली सरकार, जो लचर आर्थिक प्रबंधन के कारण, जिसमें विकास का काम न पहले हुआ, न विकास के काम में रुचि है। सिर्फ राजनीतिक प्रबंधन में यह सरकार लगी है। इस सरकार को मौका आते ही राजस्थान का अवाम सबक सिखा देगा, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक पर बहुत ज्ञानी-ज्ञानी लोग बोलकर गये, मैं तो थोड़ी-बहुत ही बात कहूंगा। सभापति महोदय, कल यह पीली सी किताब मिली है। यह किताब भी इन्हीं तथ्यों से जुड़ी हुई है जो इस विधेयक में दिये हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस किताब में जैसे दर्ज हुआ है, वैसे आगे दर्ज न हो। इस किताब का एक पेज यह बात कह रहा है कि विधान सभा के सत्र में जिसके सबसे ज्यादा प्रश्न लगे, वह था खाद्य सुरक्षा।

सभापति महोदय, इस किताब में लिखा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन की सात नमूना जांच की अवधि अक्टूबर, 2013 मार्च से 2018 के लिए आयोजित की गयी। निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्ष प्रकट हुए। प्रकट क्या हुआ, कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के आवरित जनसंख्या के अधिनियम अधिकतम सीमा परिवार उपयोग व्यय सर्वेक्षण 2011-12 के आधार पर निर्धारित की गयी थी। पात्र लाभार्थियों की पहचान करने का दायित्व राज्य पर उसके अपने मानदंडों के अनुरूप निहित था। तथापि राज्य सरकार के लाभार्थियों की पहचान हेतु न तो कोई सर्वेक्षण आयोजित करवाया, न ही योजना की क्रियान्विति हेतु कोई नियम एवं दिशा-निर्देश निर्धारित किये। इससे आगे, न तो नियमित अंतरालों पर लाभार्थियों की पात्रता की समीक्षा की और न ही ऐसा करने हेतु भामाशाह शिविरों का उपयोग किया, यानी भामाशाह कार्ड पर सिर्फ पूर्व मुख्य मंत्री का फोटो लगाया है, उसी का दंड हम भुगत रहे हैं। लोग यह कह रहे हैं कि एक साल में यह नहीं हुआ, एक साल में वह नहीं हुआ। साहब, यह 2013 से लेकर 2018 का कागज है, यह किसी पार्टी का नहीं है, यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट है।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, गांव-गांव में लोग अब यह कह रहे हैं कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं और बिलकुल लॉ के खिलाफ है एवं आंदोलन चल रहे हैं।

सभापति महोदय, 2013-14 में 948 करोड़ रुपये का सरकार ने विद्युत कर लगाया, फिर 2017-18 में 3,376 करोड़ रुपये का विद्युत कर लगाया, लगातार कर बढ़ाते गये, यह सारा का सारा उपभोक्ताओं ने झेला। अब भी उपभोक्ताओं पर मार पड़ रही है। मैं सारांश बता देता हूं। सबके पास यह किताब है। साहब, यह किताब कह रही है कि आपने विद्युत प्रबंधन में 15 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में से 6 कम्पनियों ने 2017-18 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं कीं, बिजली पैदा नहीं की। लोगों पर कर लगा-लगाकर उनकी जेब फाड़ने का काम किया। वह काम महोदय आप नहीं करें, नहीं तो वहीं आ जाएंगे। ये तो डायलॉग मार रहे हैं, जनता वास्तव में ही भेज देगी। आप तो जाओगे तो जाओगे, कोई साथ लगा है वह भी टांगों में रुड़ जाएगा। यह काम की बात है।

सभापति महोदय, हम तो उम्मीद करते हैं कि यह सरकार, क्योंकि लोग इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं, उसको सरकार पूरी करे। मैं एक सारांश बता रहा हूं कि पूरे डेढ़ महीने में जो लोग ज्ञापन लेकर आये हैं, सैकड़ों संगठन आये, फिर भी कुछ लोग रह गये। लोग संतुष्ट होकर भी गये हैं, लोगों की मांगें भी पूरी हुई हैं और हम यह भी चाहते हैं। (व्यवधान) साहब, सुना, मैंने बात तो बता दी। आप तो डूबोगे सनम, हमें भी ले डूबोगे। लेकिन आप जितने राज़ी हो रहे हो, जल्दी कर रहे हो, मध्य प्रदेश, कनार्टक, इतने जल्दी राज़ी न हो, हम यहां पर बैठे हैं।

सभापति महोदय, हरियाणा व अदर स्टेट में जो बच्चे एन.एच.एम. में काम करते हैं, उनको राजस्थान की सरकार बोनस अंक देकर भर्तियों में शामिल करे। सभापति महोदय, रीट लेवल-3 नोन टी.एस.पी. के बच्चे, जिनकी आज भी रीशफल की मांग है, अभी भी 826 पद हैं, सरकार उनकी मांग पूरी करे। एल.डी.सी. में 12 हजार 906 पदों का विज्ञापन हुआ था, अब 486 पोस्टें काट दीं। बच्चे धरने-प्रदर्शन व नारे कर रहे हैं। सरकार उनकी मांग पूरी करे। सभापति महोदय, जेट के एग्जाम में, मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि यह बात घूम-फिरकर फाइनेंस पर आ जाती है। जब सरकार से मांग करने जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी फाइल वित्त विभाग में गयी हुई है। जेट के बच्चे कह रहे हैं कि उनके एन्ट्रेन्स एग्जाम में बेइंतहा फीस बढ़ा दी, वह वापस

(श्री बलवान पूनियां)

करें, चार दिन बाद फार्म आएंगे। अभी कॉलेज में जो लेक्चरर्स की भर्ती की बात थी, तो इसमें यह बात आयी कि साहब, 4 हजार पद खाली पड़े हैं, 900 कुछ के विज्ञापन निकाले हैं। उस विज्ञापन में शर्त लगा दी कि गांव का लड़का या गांव में पढ़ा हुआ, उसकी गुणवत्ता की शर्त लगा दी। हम कहते हैं कि गुणवत्ता की शर्त हटाओ और कॉलेजों में सारे के सारे लोगों को पोस्टिंग दें।

सभापति महोदय, मैं तो बिजली मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि अगर पिछली सरकार का मिस्मैनेजमेंट था, ये आंकड़ों के जाल में लोगों पर अलग से कर लगा रहे थे, तो मिस्मैनेजमेंट को जिस कागज पर आप लेकर आए, एक तो उसको जनता के सामने लेकर आएं कि यह मिस्मैनेजमेंट था। वह मिस्मैनेजमेंट कौन कर रहा था, उसको दंडित करने का काम करें। जनता की एक तो जेब फाड़ी जाए और उसके ऊपर कोई दंडित न हो तो, ये कागज असत्य हो जाते हैं। इसलिए मेरी शासन से मांग रहेगी कि जो योजनाएं आपने इस विनियोग विधेयक में दी हैं और आपने इसमें जो खर्चे लिखे हैं, सारी की सारी योजनाएं, चाहे जल जीवन मिशन की योजना हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की योजना हो, चाहे पालनहार की योजना हो, चाहे निरोगी राजस्थान की योजना हो, चाहे शिक्षा की, स्वास्थ्य की हो, तमाम योजनाओं को ढंग से लागू करेंगे। चीजों को पटरी पर लेकर आएंगे। इसमें कोई दोराय नहीं कि सीवरेज के काम के लिए पूरे राजस्थान में मांगें उठ रही हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि लोग यह कह रहे हैं कि आज भी ग्रामीण विकास पथ नहीं बने हैं, लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि चीजों को धरातल पर लाने के लिए अब एक ऐतिहासिक रूप से सरकार को काम करने की जरूरत है। आज से छह महीने पहले बजट आया था, अब यह दूसरा बजट आया है। इस सारे बजट को सरकार गम्भीरता से ले। सारे के सारे अधिकारी लगें और जनता को राहत देने का काम करें। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जनता के हर पैमाने पर खरा उतरने का काम करेगी।

महोदय, मैं तो आपका ध्यान इस तरफ इंगित करना चाहूंगा कि जब राजस्थान में सबसे ज्यादा खर्चा करने की बात आती है तो जयपुर, स्वाभाविक बात है, जयपुर राजधानी है। यह वर्ल्ड हैरिटेज स्तर का शहर है, लेकिन इस शहर के अन्दर हजारों करोड़ रुपये का राजस्व और आ सकता है। सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं। मैं एक अधिकारी के पास एक चिट्ठी लेकर गया। एक आदमी जो हजारों करोड़ की सम्पत्ति पर कब्जे किये बैठा है, न तो उसने

(श्री बलवान पूनियां)

जे.डी.ए. को कुछ दिया, न ही उसका तखमीना हो रहा है, उसके खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई, इतने बड़े-बड़े मगरमच्छ जयपुर में विराजमान हैं, जो सरकार का रेवेन्यू खाते हैं। सरकार, जनप्रतिनिधि, मंत्री, सारे के सारे जनता को जवाब देने में बिलकुल पीछे हट जाते हैं। सभापति महोदय, यह मैसर्स एम्बीशंस लैंड डवलपर्स इंडिया, एक कम्पनी है। इसके खिलाफ सी-स्कीम में अशोक नगर थाने में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, इसने साढ़े चार सौ करोड़ रुपये की सम्पत्ति पर कब्जा कर रखा है। सभापति महोदय, उनके लेन-देन बड़े लोग करते हैं, इसमे कोई दोराय नहीं है। मैं आप तक बात लेकर आया हूं, ऐसी-ऐसी सम्पत्तियां अकेले जयपुर में, हजारों करोड़ की सम्पत्तियां हैं, सरकार उनकी जांच करे। सरकार किसान को राहत देने के लिए कम कदम उठा रही है, इसमें कोई दोराय नहीं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने यह बात बार-बार कही है कि जिस तरीके से कर्ज माफी की बात को हथियार बना रहे हैं, आपने सहकारी बैंक में कर्ज माफ किया है, लेकिन कॉमर्शियल बैंकों पर ध्यान दीजिए। वन टाइम सैटलमेंट के जरिए आप कॉमर्शियल बैंकों में किसान को राहत दे सकते हैं। हमारा तजुर्बा है, हमने किसानों की कुर्की रोकी है, आप पूरे राजस्थान में रोक सकते हैं। हमारे पास जो कॉमर्शियल बैंक हैं, राजस्थान में जो काम कर रहे हैं, उन कॉमर्शियल बैंकों से आप डायलॉग स्थापित करिए और सारा का सारा बजट जो राजस्थान की सरकार लेकर आयी है, इसको धरातल पर लेकर आएं, ताकि लोगों को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, नहरी पानी मिल सके।

सभापति महोदय, लास्ट में, मैं मेरी मांग करते हुए कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना है, जिसका उद्घाटन स्वर्गीय राजीव गांधी, पूर्व प्रधान मंत्री करके आये थे, जिसका उद्घाटन 2001 में सोनिया गांधी जी और अशोक गहलोत करके आये, जिसका उद्घाटन भैरोंसिंह जी शेखावत भी करके आये थे। उस परियोजना में आज भी बजट की जरूरत है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार खालों, नालों के लिए, उनकी मरम्मत के लिए और मेरे 14 बारानी गांवों के लिए बजट और उपलब्ध कराएगी और हम इन योजनाओं को ढंग से लागू कर पाएंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं अपनी बात को प्रारम्भ करूं, उसके पहले मेरे मन में एक संदेह है। मैं बहुत अधिक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं जानता हूं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि थोड़ा-बहुत जो कुछ भी मैंने समझा है, राजस्थान का यह बजट जो आपने दिया है, आपके इस बजट में एक लाख 73 हजार करोड़ की राजस्व प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्तियां भी आपने इसके साथ ली हैं।

(16.29 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

इन दोनों के जोड़ के आधार पर आपने कुल प्राप्तियां नीचे दिया है, उसमें आपने 2 लाख 25 हजार 764 दिया है। यह आपके टोटल हैं, यह आपने Budget at a Glance के पेज नम्बर एक पर लिखा है। आप जो विनियोग विधेयक ला रहे हैं तो उसका फिगर देखते हैं, तो उसमें आपने 2 करोड़ 32 लाख 58 हजार दिये हैं। ये दोनों फिगर अलग कैसे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। Budget at a Glance में 2 लाख 25 हजार दे रहे हैं और इसमें 2 लाख 32 हजार दे रहे हैं, इस अन्तर का कारण थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करें तो समझ में आ सकता है कि वास्तव में यह फिगर है। मैं जो कह रहा हूं, वह सही है, क्योंकि दोनों को मिलाकर राजस्व प्राप्तियां 1.73 लाख है और पूंजीगत प्राप्ति 52 हजार 360 है। इन दोनों का टोटल मिलाकर 2,25,764 बनता है और आपके जो ये हैं, इन दोनों में इस प्रकार का अन्तर किस कारण से आया है, इसको थोड़ा-सा स्पष्ट करें। मैं सोचता हूं अगर ये मेरी जो सोच है, मैं जो सोच रहा हूं, उस हिसाब से ऐसा सामान्यत: कभी होता नहीं है। दोनों को जोड़ने के बाद ही हमारी यह टोटल बनती है।

मैंने पिछली बार भी कहा कि यह मेरा दुर्भाग्य है और राजस्थान का भी मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि बजट पर भी और होम डिपार्टमेंट पर भी जब डिस्कशन होता है तो उसके विभाग का मंत्री इस सदन में उपस्थित नहीं रहकर राजस्थान की 7 करोड़ जनता को क्या संदेश देना चाहता है, मन में बहुत पीड़ा है। मन में बहुत पीड़ा उस दिन भी थी, जिस दिन, मान लो उन्होंने जवाब किसी मंत्री को दे रखा था...

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता जी, मुख्य मंत्रीजी आएंगे। 4.30 बजे का समय है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वे आएं या न आएं, मुझे तो अपना काम करना है। मैं क्यों इनके कारण से...

श्री अध्यक्ष: कंफ्यूजन नहीं रखें। आप वह कंफ्यूजन नहीं रखें, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन नहीं रखें कि आपकी भावना को या सदन की भावना को ध्यान में रखकर वे आ रहे हैं। आपकी बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विधान सभा में कई सालों से रहा हूं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि वित्त मंत्री और इस डिपार्टमेंट के लोग, यहां जो कुछ भी हम भाषण कर रहे हैं, उसको न कोई नोट करता है, न कोई सुनता है। ट्रेजरी बैंचेज खाली रहती हैं। यह पहली बार देखा है मैंने, पहली बार।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मैं नोट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिकार्ड में है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माफ करें। मैं रिकार्ड में स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप जो भी बोल रहे हैं, उन सबका कोग्नीजेंस ले लिया जाता है, सरकार रिकॉर्ड करती है और उसके कोग्नीजेंस के आधार पर मुख्य मंत्री का जवाब होगा। जब आपको लगेगा कि आपने जो बातें कही हैं, उसको अधिकारियों ने उनके पास कम्युनिकेट किया है। इसलिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड में इस तरह की बात नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं, उसका कोग्नीजेंस नहीं लिया जा रहा है। इस रिकॉर्ड को स्ट्रेट करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो मैं भी जानता हूं कि आपके यहां तो रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन हमारा पता नहीं अनुभव कमजोर होगा कि ये गैलेरियां हम खाली देखते हैं, ये ट्रेजरी बैंचें खाली देखते हैं और विधान सभा अपना काम करती है। दु:ख है, लेकिन जो भी है।

मैं सोचता हूं कि राजस्व प्राप्ति में 2019-20 में आपने एक लाख 64 हजार किया। उसको आपने, जब आर.ई. में गये, 1.56 लाख कर दिया। कोई कारण हुआ होगा, जिसके कारण से आपने 7,289 करोड़ रुपये का आर.ई. में बजट को, रेवेन्यू का घटाया और आपने वापस 1.73 लाख किया, जिसमें 9,399 करोड़ रुपया आपने वापस बचाकर के रेवेन्यू को दिखाया है।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि राजस्व घाटा, राजस्व घाटे में 2019-20 में आपने 27 हजार 14 करोड़ की जगह जब आप आर.ई. में गये तो आपने 280 करोड़ इसको आर.ई. में किया। उसके बाद 2020-21 में जब बी.ई. में आया, तो 123 करोड़ अर्थात् आपने अपना राजस्व घाटा माइनस 14 हजार 669, ये जिस कारीगरी से किया, वह मैं आगे बताऊंगा। केवल और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

केवल आंकड़ों के जाल में फंसाकर आपने ये मैसेज देने की कोशिश की कि हमने राजस्व घाटा घटा दिया, वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसा 27-28 हजार करोड़ पहले था लगभग उतना ही है। आपने सारे हैड में रेवेन्यू में ख़र्चे को कम दिखाकर यहां आकर एडजस्ट करने का प्रयास किया है।

सकल राजकोषीय घाटा, मतलब आपका जो टोटल घाटा हुआ, वह 2019-20 में जब आप बी.ई. में गये थे तो 32,678 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जब आप आर.ई. में गये तो 32,214 रह गया, अर्थात् 464 करोड़ रुपया आपने इसमें, एक तरह से 400 करोड़, अब वापस आप 2020-21 में बी.ई. में आये, उसमें आपने लिखा है कि 33,922 करोड़ का घाटा, अर्थात् आपने बजट का जो अनुमान अभी लगाया, उसमें माइनस एक हजार 244 करोड़ रुपये का बताया राज्य का कर भार। राज्य का कर भार जो आपने 3 लाख 39 हजार 368 करोड़ बताया था, 2019-20 में वह आर.ई. में जाकर 3.41 लाख कर दिया। अर्थात् इसमें एक हजार 986 करोड़ रुपया आपका आर.ई. में बढ़ा और वापस जाकर के अभी आपने जो बी.ई. में किया है, 2020-21 में, वह 3 लाख 75 हजार 353 करोड़ रुपया। आज राजस्थान पर जो कर्जा है वह 3 लाख 75 हजार 353 करोड़, अर्थात् केवल दो वर्ष में 2019-20 का बजट और यह सैकण्ड बजट है, दोनों मिलाकर राजस्थान का जो कर्जा बढ़ा है, वह 64 हजार करोड़ रुपया बढ़ा है जिसमें विद्युत शामिल नहीं है। यह कर्जा जिस गति से बढ़ रहा है, इसको आप देखने का प्रयास करिए। मैंने उस दिन भी कहा था लेकिन मुझे दु:ख इस बात का है कि कोई इस बारे में सीरियसली सोचता नहीं है।

मैं सोचता हूं कि मैंने 2018-19 का, पिछली बार भी जब बजट पर बोला था, तब मैंने तुलना की थी कि दिसम्बर तक हमारा विभिन्न रेवेन्यू रिसीट में क्या था और अभी आपका रेवेन्यू रिसीट में क्या है? उस समय रेवेन्यू रिसीट जो है, वह एक लाख 51 हजार 663 करोड़ का रेवेन्यू हमने एस्टीमेटेड सोचा था। वह आपने इसका जो एक्चुअल अभी दिसम्बर तक जो कलेक्शन किया है, वह 95 हजार 930 करोड़ रुपया, अर्थात् हमारे टाइम पर 2018-19 में 63 परसेंट हमने रेवेन्यू को प्राप्त कर लिया और आपका अभी 61 परसेंट है। हर एक हैड में, एकाध हैड को छोड़ दीजिए, लैंड रेवेन्यू को छोड़ दीजिए, बाकी सभी में आपका दिसम्बर तक का जो खर्चा है, वह कम वसूल हुआ है। अर्थात् आपने रिकवरी करने का काम, मैं फिर कह रहा हूं, रिकॉर्ड पर कह रहा हूं यह भी सारा का सारा, अगर कोई मेरी बात को माने तो ये केवल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एकाउंट एडजस्टमेंट हुआ है। धरती पर अगर कोई भी माननीय सदस्य यहां बैठा हो और ईमानदारी से कह दे कि यह विकास का पैसा जो बता रहे हैं कि हमने 60 परसेंट, 61 परसेंट इतना खर्च कर दिया, यह धरातल पर नहीं गया है। डिपार्टमेंट के खाते में यहां से निकलकर वहां जाकर पी.डी. खाते में पड़ा हुआ है। पैसा एक्चुअल में खर्च नहीं हुआ है। यह जो बारबार इस बात का, मैंने उस समय भी बताया था कि केन्द्र सरकार से आपको 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के कारण से कोई नुकसान नहीं हुआ है। सरकार की जो रेवेन्यू बढ़ी है, उस रेवेन्यू के आधार पर पहले 42 पैसे में से आपको पैसा मिलता था, हिन्दुस्तान में हमारा जो शेयर बनता था 42 पैसे में, वह 2.31 मिलता था। अब जो आपका 15वां वित्त आयोग है, इसमें जो आपका शेयर है, वह 2.45, अर्थात् आपका शेयर पैसों में परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा है। अगर 100 रुपये का माने तो हिन्दुस्तान में विभिन्न राज्यों को जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पैसा, वह आपको मिलेगा 5.98 अर्थात् लगभग 6 प्रतिशत। टोटल जो कलेक्शन है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन केन्द्र सरकार के द्वारा हो रहा है, वह 8 लाख 55 हजार 176 करोड़ रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो पहले से अधिक है। हमारा शेयर जो इस 8 लाख 55 हजार में बन रहा है, वह 51 हजार 131 करोड़ का बन रहा है, जो पहले से लगभग 10 हजार करोड़ रुपया एक्सेस हमको मिल रहा है। जो आपने आर.ई. में 36 किया, उस 36 की जगह यह 51 आ रहा है। इसका मतलब, 36 से 51 के लगभग 17 हजार करोड़ रुपया, जो आपने आर.ई. में माना था, उससे आपको अधिक पैसा मिल रहा है। इसका मतलब केन्द्र सरकार से सहयोग में किसी प्रकार की कमी नहीं है। अपनी असफलता केवल केन्द्र पर बार-बार पत्थर फेंककर और मुक्ति पा लेना, मैं सोचता हूं ये बुद्धिमानी का काम नहीं होगा।

राजस्थान की जनता को यह समझाना पड़ेगा कि आपके पास पैसा पर्याप्त है, लेकिन आप उसको ठीक प्रकार से नहीं, अब राजस्व घाटे में आपने जो कमाल दिखाया, यह जो 14 हजार करोड़ रुपये का घाटा, जो आपने कवर करने की कोशिश की और जो दिया उसका आप अन्तर समझिए कि ग्राम विकास में आपको 2019-20 में 13 हजार 948 करोड़ रुपया खर्च करना था। इस बार के बजट में आपने 12 हजार 864 करोड़ रुपया केवल रखा है, बी.ई. में। इसका मतलब एक हजार 83 करोड़ रुपया आपने ग्रामीण विकास में इस बार का बजट घटाया है। ऊर्जा में भी 25,730 करोड़ रुपया था, पिछली बार 2019-20 में हमारा जो बजट एस्टीमेट था, उसको आपने अभी जो रखा है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वह 1.59 कर दिया, अर्थात् आपने 9767 करोड़ रुपया ऊर्जा में कम रखा है, लेकिन आपने बैकडोर एंट्री के द्वारा ऊर्जा में जिस प्रकार से हर व्यक्ति को, कंज़ूमर को पैसे बढ़ाकर इसकी पूर्ति करने का प्रयास किया है, वह भी सामान्य नहीं है। सामान्य घर के कंज़ूमर को भी साल में 10 हजार रुपये, जिसने 150 यूनिट भी घर में जलाया है, उसको 10 हजार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। राजस्थान की जनता के पास जब यह बिल जाएगा, तब उसे समझ आएगा।

इसी तरह से उद्योग और खनिज, जिसके आधार पर हम अपने विकास को बढ़ा सकते हैं, उसमें भी 556 करोड़ था, अभी आपने 414 करोड़ रुपये इसमें रखा है, अर्थात् आपने 142 करोड़ रुपये खनिज और उद्योग में घटाया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण में आपने माइनस 6.43 करोड़ किया है, सामान्य शिक्षा में माइनस 618 करोड़ किया है, परिवार कल्याण में आपने माइनस 444 करोड़ किया है। एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के कल्याण के लिए जितना पैसा था, 1,720 करोड़ की जगह 1,666 रखकर 53 करोड़ रुपये आपने उसमें घटाया है। आपने सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षा में 419 करोड़ का बजट कम किया है। पोषण में आपने 376 करोड़ रुपये कम किये हैं। इस प्रकार सब मिलाकर आपने रेवेन्यू का खर्चा 12 हजार 912 करोड़ रुपये कम करके, आप अपने घाटे को 14 हजार 669 करोड़ में लाकर, राजस्थान की जनता को यह दिखा रहे हो कि हमने घाटा कम कर दिया। घाटा कम नहीं हुआ, हमारी सभी स्कीमों में पैसा काटकर, आपने विकास को अवरूद्ध करने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य तो यह है कि आर्थिक सेवाओं में भी जिस प्रकार की कटौती हुई है, आर्थिक सेवाओं में कृषि है, ऊर्जा है, सिंचाई है, उद्योग है, परिवहन है, विज्ञान है, सामान्य आर्थिक सेवाएं हैं, इनमें आपका खर्चा, पिछले साल बजट एस्टीमेट रखा था, उसमें से 8 हजार 807 करोड़ रुपये इन हैड्स में, आर्थिक सेवाओं के अन्दर आपने खर्चा कम करके इस बैलेंस को बनाने का प्रयास किया।

सामाजिक सेवाएं: सामाजिक सेवाओं में भी सभी हैड्स में, सामान्य शिक्षा से लेकर, केवल चिकित्सा एक ऐसा है जिसमें पैसा बढ़ा है। वह इसलिए बढ़ा है कि आपके मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उसका 60 परसेंट पैसा आपको केन्द्र से मिलना है, वह आपके पास आ गया है। इसके कारण से उसमें 1,495 करोड़ रुपये प्लस दिखा रहा है। बाकी शिक्षा में वह ही 618 करोड़, परिवार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कल्याण में 444, मैंने यह सारा बताया, सब मिलाकर। सामाजिक सेवाओं में माइनस 204 करोड़ रुपये, आर्थिक सेवा में 8 हजार करोड़ था, आपने सामाजिक सेवाओं में 204 करोड़ रुपये कम खर्च किये हैं।

आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय: मैं सोचता हूं कि विकास का मापदण्ड यही होता है कि हम कहीं से पैसा लेकर इसको बैलेंस करने का काम करते हैं। पूंजीगत व्यय में भी, कृषि में माइनस 82 करोड़, ग्राम विकास में माइनस 2.38 करोड़, विशेष क्षेत्रीय विकास पर माइनस 23 करोड़, ऊर्जा में पूंजीगत बढ़ा है, उद्योग और खनिज में माइनस 43 करोड़, विज्ञान, औद्योगिक तथा पर्यावरण में माइनस 2, कुल मिलाकर आपका पूंजीगत व्यय है, जो विकास का मेरूदण्ड होता है, उसमें भी आपने एक हजार 135 करोड़ रुपये कम खर्च करके, विकास में दोनों तरफ से आपने जनता के साथ, राजस्थान के साथ न्याय नहीं किया।

सामाजिक सेवाएं; अभी बता रहा था। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, जिद मत करो। इस बात को समझने का प्रयास करो कि आखिर हमारे काम में कहां गलती है, जिसके कारण हम हर उस चीज को, जिसे जमीन पर उतारना चाहते हैं, उसको उतार नहीं पाते। केवल आंकड़े दिखाकर हम जनता को घुमा सकते हैं, लेकिन जनता न तो आपके आंकडे समझती है और न मेरा भाषण समझती है। वह उसके गांव में होने वाले काम को समझती है। राजस्थान की जनता इन 14 महीनों में अच्छी प्रकार से समझ चुकी है। इसी कारण नगरपालिका में वार्ड के उप चुनाव हुए उसमें से आपको केवल 7 वार्ड मिले हैं और हमको 21 मिले हैं। यह आपको नमूना दिखा रहा है कि जनता का असंतोष किधर जा रहा है। आपको ग़लतफ़हमी हो तो निकल जाएगी।

ऐसे ही पंचायतों में सरपंच के चुनाव हुए मैं भी इतने सालों से, सत्ता में रहकर भी चुनाव लड़ा और विरोध में रहकर चुनाव लड़ा, लेकिन पहली बार जितने सरपंच जीतकर आये, यह इस इंडिकेशन को दिखा रहा है कि सरकार का असंतोष नीचे धरातल तक जा रहा है, उसको समय पर सम्भालने का काम करो।

आपने बजट तो रख दिया, घोषणा भी कर दी कि हम राज्य कर्मचारी को 12 परसेंट की जगह 17 परसेंट महंगाई भत्ता देंगे। इस बजट में आपका कहां प्रोविजन है, थोड़ा सा खोलकर समझा देना कि हमने बजट में 17 परसेंट देने का वादा किया है। यह बजट में कहीं एलोकेशन है कि नहीं है?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ढांचागत विकास में अवधारणा को शायद मुख्य मंत्री जी भूल ही गये, क्योंकि घोषणाओं के अम्बार में, मैं आज भी कह रहा हूं, आधी से ज्यादा घोषणाएं तो केन्द्र सरकार की और पिछली सरकार की घोषणाएं हैं, जो अभी तक जमीन पर नहीं उतरीं। हर क्वेश्चन में आपके मंत्री निरुत्तर हो गये, 2 करोड़ का आपके ही विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में स्टेडियम बनना था, उसका भी अभी तक टेंडर प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। केवल 2 करोड़ का नमूना बता रहा हूं। इसका मतलब सामान्यतया आपने जितने भी काम शुरू किये हैं, वे सब प्रोसेस में चल रहे हैं, अभी तक धरती पर उतराने का काम नहीं किया।

आपने कहा था कि हम रिफाइनरी लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने रिफाइनरी को आगे बढ़ाया, लेकिन उस पर जो पैसा रखा है, उसके हिसाब से हर साल, अगर इसी हिसाब से पैसा रखा, तो 15 साल इस रिफाइनरी का इंतजार करना, 43 हजार करोड़ रुपये की रिफाइनरी है और 450 करोड़ रुपये देकर, आप उस रिफाइनरी को खड़ी कर दोगे, कोई जादू है क्या। मैं सोचता हूं कि जब तक बजट का एलोकेशन नहीं होगा, यह बात तो बहुत अच्छी लगती है कि राजस्थान में रिफाइनरी लग रही है। लगेगी कैसे, जब तक उसका आर्थिक साधन नहीं होगा।

आपने देवनारायण योजना को अबकी बार दफ्तर दाखिल कर लिया। यहां का मैट्रो का सैकण्ड फैज है, वह दफ्तर दाखिल हो गया। बार-बार यह कि केन्द्र यह करता है, केन्द्र यह करता है। मैं आपको इंगित कर रहा हूं कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद राजस्थान का 2.28 प्रतिशत गिरा है। राजस्थान का आज की तारीख में 5.05 प्रतिशत है, जो देश में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। सबसे कम है, इसकी ओर देखने का प्रयास कीजिए।

आपका और हमारा जो स्थाई खर्चा है, हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो इस स्थाई ख़र्चे में जा रहा है। अभी आपने कहा न दो पच्चीस का या दो बत्तीस का, आपका विनियोग विधेयक दो है, लेकिन आपका इसमें से कितना खर्चा जा रहा है, वेतन भत्ते का पहले 50 हजार करोड़ जाता था, अब 55 हजार 785 करोड़ जाएगा। उसके बाद 12 से 17 प्रतिशत डी.ए. जैसे ही आपने किया, पहले यह जाता था 20 हजार 615, जबकि अब 22 हजार 580 जाएगा। उसके बाद, आप ऋण की किश्त चुका रहे हो, 2018-19 में 16 हजार 920 करोड़ रुपये जाती थी, अब इस साल आपका 20 हजार 44 करोड़ रुपया ड्यू हो गया। ब्याज पिछली बार 21 हजार 737 करोड़ जा रहा था, अब 23 हजार 133 करोड़ रुपये जाएगा। इसका मतलब आपका यह जो स्थाई खर्चा है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो सालाना 01 लाख 10 हजार करोड़ होता था, अब 1,21,541 करोड़ हो रहा है। इसका मतलब आपकी जो भी आमदनी है, रेवेन्यू रिसीट है, जो कुछ भी है, उसमें से अधिकांश खर्चा तो केवल और केवल वेतन और इसमें जा रहा है। उसके बाद भी हज़ारों पद आज की तारीख में खाली हैं। कल ही एक प्रश्न के जवाब में आया था कि राजस्थान में विभिन्न डिपार्टमेंट्स के 2 लाख 94 हजार पद खाली हैं। यदि ईमानदारी से इन पदों को भरने की कोशिश की तो आपके पास यह बजट है कहां, जिसके कारण आप इनको भरकर दिखाओगे? केवल झुनझुना दिखाना और दिखाकर यह कहना कि हम कर रहे हैं, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जेब में पैसे ही नहीं हैं, हम कैसे कर पाएंगे। केवल खुश करने के लिए हम काम को करते हैं।

राज्य सरकार स्वयं के करों से राजस्व के स्थाई प्रशासनिक और प्रतिबंधित ख़र्चों की पूर्ति नहीं कर पाने, मजबूरी के चलते स्थाई सम्पत्तियों के निर्माण के लिए मात्र, जो प्रोपर्टी बननी है वह केवल 19 हजार 472 करोड़ रुपये की बन पा रही है, जो पिछले साल से इस साल 7.5 प्रतिशत कम बन रही है।

धन प्राप्त करने के तीन प्रमुख साधन हैं। आप बार-बार केन्द्र को, जो खड़ा होता है वह केन्द्र को गाली देने का काम करता है। केन्द्रीय करों से प्राप्ति, पिछली बार आपने 41 हजार 852 करोड़ प्रपोज की थी, वह अब 44 हजार 462 करोड़ रुपये है, इसका मतलब अधिक है।

केन्द्रीय अनुदान और सहायता, जो पहले 24,458 करोड़ रुपये मिलती थी, अब आपने इसको 26,667 करोड़ रुपये किया, इसमें वृद्धि हुई है। नये कर्ज, जो आप ले रहे हो 41,410 की जगह 44,683 करोड़ कुल आमदनी जो आपको इससे हो रही है, पिछले साल 1,07,710 करोड़, अब आपको हो रही है 1,15,812 करोड़ रुपये। इसका मतलब आपको लगभग 14,000 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत पहले से अधिक मिल रहे हैं। फिर बार-बार खड़े हो करके केन्द्र ने पैसा नहीं दिया, केन्द्र ने पैसा नहीं दिया, इसलिए हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। आपने इस ग्रंथ में भी लिख डाला कि हमको केन्द्र सरकार मदद नहीं करती है, इसलिए बजट 2020-21 में भी आपने इस पर अपना वर्णन कर दिया।

राज्य का कर संग्रह बजटीय खर्चों का केवल 38.55 प्रतिशत है, आपका यह अगर बढ़ेगा तो अब की बार 39.87 परसेंट हो रहा है। मैं सोचता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हूं, जो जिस प्रकार की आपकी स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, चाहे हम पक्ष में हों, चाहे विपक्ष में हों, जब तक हम आमदनी बढ़ाने के सोर्स तैयार नहीं करेंगे और उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे कि लीकेज कहां है, इस लीकेज को अगर भरने का प्रयास करें तो आज की तारीख में भी हम बहुत कुछ धन संग्रह कर सकते हैं।

मैं सोचता हूं कि जो खनिज हैं उसमें राजस्थान पूर्णत: हिन्दुस्तान में कई खनिजों में टाप पर है, लेकिन हमें उसमें देखना चाहिए कि जिस राजस्थान में चूना-पत्थर सबसे ज्यादा है, सीमेंट का हमारा उत्पादन कम हो रहा है, इसको और बढ़ाया जा सकता है।

पूरे देश में जितना जिंक भण्डार है, उसका 99 प्रतिशत हमारे राजस्थान के पास है। जिप्सम 93 प्रतिशत हमारे पास है, मार्बल 90 प्रतिशत अपने पास है, एस्बेस्टोस 89 परसेंट अपने पास है, सोफ्ट-स्टोन 87 परसेंट हमारे पास है, लैड 80 परसेंट हमारे पास है, फास्फेट हमारे पास 75 प्रतिशत है तो मैं सोचता हूं कि इन विभिन्न खनिज भण्डारों का ठीक प्रकार से दोहन कैसे हो और जो सरकार ने सोचा था कि ओपन आक्शन के द्वारा नई लीज को करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि उसका प्रयोग करना चाहिए।

दूसरा, जो हमारा लीकेज है माइन्स के अन्दर, उस लीकेज को निकालने का प्रयत्न करें। बहुत अच्छा है कि अब की बार रवानगी का सिस्टम ऑनलाइन करने के कारण से भी राजस्थान की आमदनी बढ़ी है। इसमें और सख्ती करने की जरूरत है तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से मार्बल से हमारी आय बढ़ने का स्रोत बन सकता है।

मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि वास्तव में इस पानी के जो प्रोजेक्ट हैं, वे घाटे के प्रोजेक्ट नहीं होते हैं। कुछ समय हमें जरूर घाटा लगता है लेकिन अन्यथा हमें पानी की व्यवस्था करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, वह बहुत भारी होता है। उसके कारण से हमारा हर साल, चाहे वह आपदा राहत से जाओ, चाहे किसी भी फंड से जाओ, हमें वह खर्चा करना पड़ता है। मैं सोचता हूं कि इस प्रोजेक्ट की दृष्टि से माही के हमको 16 गेट खोल करके कई बार उतना पानी निकालना पड़ता है, जितना उसके अन्दर समाता नहीं है। उससे भी अधिक, इस माही के प्रोजेक्ट को आपके यहां पूरा किया हुआ है। आपके पास पूरी डी.पी.आर. बनी हुई है। माही का जब एक्सेस पानी आता है तो जाखम के नीचे नागलिया डैम है उसमें ग्रेविटी से आता है। वहां से जाखम थोड़ा हाइट पर है, जाखम का ग्रेविटी से पानी सीधे ही जयसमन्द में आता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह प्रोजेक्ट आपके पास बना हुआ है। वहां से मैं सोचता हूं राजसमन्द में, वल्लभनगर में, मावली में जो पानी की प्रोब्लम है, उस पानी की प्रोब्लम का हल हो सकता है। देवास 3rd और 4th, कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, सारा मिला करके 1,000 करोड़ है। थोड़ा सा सरकार प्रयास करे और थोड़ा केन्द्र से अगर सहयोग मिले तो 1,000 एम.सी.एफटी. पानी, जो समुद्र में जा रहा है, अगर उसको डाइवर्ट करने के लिए, पिछली बार मुख्य मंत्रीजी के पास में गया था, जब यह प्रोजेक्ट रुक गया था, उसके कारण से ठेकेदार भाग रहा था। उस समय 50 करोड़ रुपये, उदयपुर के सारे लोग आये आपके पास, आपने दिये, जिसके कारण से देवास 2nd बन पाया, नहीं तो देवास 2nd अगर रुक जाता न, तो ये झीलें, जो आज भरी हुई दिखती हैं, वे नहीं दिखतीं। मैं सोचता हूं कि यह देवास 3rd और यह 4th सुखाड़ियाजी का जो सपना था, 1966 में उस आदमी ने सोचा, जब कभी हम लोगों की कल्पना भी नहीं थी। हम भी कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने 1966 में योजना बनाकर इस पानी को, जो एक तरह से हिन्द महासागर, साबरमती के माध्यम से समुद्र में जा रहा था, वह कम से कम डाइवर्ट हुआ। इसको लेकर प्रार्थना है।

मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। यहां हमारे शहरी विकास मंत्री भी बैठे हैं। आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई शहर ऐसा नहीं है, जिसमें 5-10 हजार कॉमर्शियल दुकानें नहीं बन गयी हों। कोई भी गली ऐसी नहीं होगी जहां कॉमर्शियल दुकानें नहीं हों। अगर कानून में कोई अड़चन आती है तो कानून बनाने के लिए संस्था है। इसका उपयोग करिए। कम से कम वे भी चाहते हैं कि उनकी दुकानें रेगुलराइज हो जाएं और हमको भी उसके कारण से इतनी आमदनी हो जाएगी कि जिसके कारण से हमारी नगरपालिका...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 व

राजस्थान वित्त विधेयक, 2020

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उसके कारण से मैं सोचता हूं कि शहरों की करोड़ों-अरबों रुपये की आमदनी आज की तारीख में हो सकती है, लेकिन नहीं होती है। मतलब, एक तरह से यू.डी. टैक्स के लिए जो सर्वे होना चाहिए, वह 2004-05 के बाद नहीं हुआ। मैं सोचता हूं कि आखिर यूडी. टैक्स नहीं आएगा तो शहर में जो हमारा नगर निगम है या नगरपालिका है, वह टिकेंगे कैसे। मैं चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट से भी इस बारे में मॉनिटरिंग होनी चाहिए। केवल और केवल ये व्यवसायी, अब उसमें हमारे जो कोठारीजी का मुकदमा है, वह अगर आपने वादा किया तो आज आप सेक्टर प्लान के बारे में कुछ आगे चले। मैं सोचता हूं कि जो मिनिमम चौड़ाई की सड़क हो, कम से कम उनको तो एक बार क्लीयर करें ताकि हमारी आमदनी बढ़ करके हमको अच्छी रेवेन्यू मिल सकती है।

देवस्थान मंत्री यहां बैठे हैं। मैं भी कभी रहा था। मैं आपको सच कह रहा हूं कि यह देवस्थान रिच डिपार्टमेंट है, पर दुर्भाग्य से इसमें किसी अधिकारी का मन नहीं लगता है। कोई भी टिकना नहीं चाहता है। अरबों-खरबों रुपये की सम्पत्ति को लोग लूट रहे हैं। राजस्थान में भी है, राजस्थान से बाहर भी है। हमारी एक-एक सम्पत्ति आज की तारीख में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति ऐसी सही जगह पर है। हमारे इन मन्दिरों से भी जो आमदनी होती है, इन मन्दिरों में जो गहने हैं, मैं सोचता हूं कि इसका वैरिफिकेशन कोई करता ही नहीं है। इनका वैरिफिकेशन कम से कम साल में एक बार तो हो कि जो गहना है, वह सही-सलामत है या उस गहने की जगह कोई दूसरा गहना पड़ा है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, हमारी कई दुकानें हैं, जो सौ रुपये किराये में आज भी चल रही हैं। मुकदमे लड़ते-लड़ते हमको 15-18 साल हो गये। मेरे समय भी हुआ था। मैं भी उस गलती को मानता हूं प्रयत्न किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। निश्चित रूप से सरकार को इस देवस्थान विभाग से मैक्जीमम कमाने का प्रयास करना चाहिए। देवस्थान के स्थानों को विकसित करके, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान बहुत रिच हो सकता है। अगर हम देवस्थान को इंगित करें और देवस्थान पर दिमाग लगाकर काम करें, तो निश्चित रूप से होगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जहां अतिक्रमण का सवाल है, उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। हमारे इस सदन में बैठा हुआ कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा, जो अपने इस राजस्थान में हमारी अरबों-खरबों रुपये की सम्पत्ति को लोगों ने कब्जा करके रखा है, हमें यह अता-पता ही नहीं है कि हमारी सम्पत्ति है भी कि नहीं, न कोई उसको टेली करने की कोशिश करता है, न कोई उसको देखने की कोशिश करता है। केवल और केवल, ये जितने अतिकर्मी हैं, और मैं सोचता हूं कि कोई गरीब बैठा हो, झोंपड़ी बनाकर छोड़ दो, कोई चिंता की बात नहीं है पर सक्षम लोगों ने भी जो कब्जे करके, अपने मकान और अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उनको हमें चिह्नित करना चाहिए और इसके ऊपर कोई अलग ही डिपार्टमेंट लग करके, जितने अतिक्रमण हैं, उन अतिक्रमण से मुक्त करके, सरकार अगर दो पैसा कमा करके अपने खजाने में डाल सकती है तो हमको निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए, ताकि हमारी आमदनी किसी तरह से बढ़े।

मैं सोचता हूं कि राजस्थान सरकार के करोड़ों रुपये, अभी आपने, हमारे राजेन्द्रजी राठौड़ ने बताया था कि 23,000 करोड़ रुपये तो रिकार्ड पर हैं, जो आज की तारीख में बाकी हैं। बाकी क्या हैं, केवल कोर्ट में जाकर स्टे ले लेते हैं। 8-8, 10-10 बरस तक उसे कोई देखने वाला नहीं है। हमारा वकील उसके बारे में चिंता नहीं करता, हमारी कोई मॉनिटरिंग उसमें नहीं होती। मैं सोचता हूं कि केवल और केवल यह जो सरकार की वसूली है, आपको जो छूट देनी है, छूट दो, ब्याज माफ करना है, ब्याज माफ करो, जो कुछ भी किसी तरह से हो जाए, ये अगर पैसे वसूल होते हैं तो निश्चित रूप से सरकार की आय बढ़ने के साधन बनते हैं।

मेरा फिर विनम्र निवेदन है, इस सदन को, आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी, आलोचना करने के समय जो चाहे सो करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अंततोगत्वा राजस्थान अच्छा बने, राजस्थान की जनता को कुछ मिले, हम सब लोग चुन करके आते हैं तो कुछ उसके लिए कर सकें, मैं सोचता हूं, ऐसे जो विषय आते हैं, जहां मिल-बैठ करके कुछ किया जा सकता है या कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम सब करने का प्रयास करें।

(17.00 बजे)

मैं एक बार फिर सदन के नेता से यह निवेदन करता हूं कि इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए आपकी उपस्थिति इस सदन की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हाइट को बढ़ाती है। कृपा करके जितना समय दे सकें, दें। कोई यह जरूरी नहीं है कि आप सारा दिन ही दें, लेकिन दिन में एक बार भी आकर दस-पन्द्रह मिनट बैठकर भी जाएंगे तो इस सदन का मान भी बढ़ेगा और सब लोगों के दिमाग में भी यह रहेगा कि यहां वास्तव में आप हैं।

सभी विधायकों की एक मांग है कि हमको आप जो विधायक फंड के सवा दो करोड़ रुपये देते हैं, अगर इसको बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये, सम्भव हो सकता है तो आज अगर आप कह सकें तो हम सब आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे।

मैं यह सोचता हूं कि आपको और मेरे को आलोचना जहां पर जिस आधार पर करनी है, वह आलोचना का विषय हो सकता है, लेकिन मैं यह सोचता हूं कि विकास की दृष्टि से आप यह सोचते हो कि हमारी मदद से अगर केन्द्र सरकार में राजस्थान को कोई फायदा हो सकता है तो हम आपके लिए हर समय तैयार हैं, जब कहें, तब चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल और केवल छीछालेदर करके और पत्थर फेंक कर, फिर उससे कहो कि खोपड़ी भी फूट जाए और फिर उससे कहो कि नहीं-नहीं, कुछ करो तो सही, यह सम्भव नहीं हो सकता है। जो अच्छा है, उसको चाहे आप करो, चाहे मैं करूं, उसको अच्छा कहने की आदत बनाइए। जो कमी रहती है, उसको निश्चित रूप से, आज आप, मुख्य मंत्रीजी बैठे हो, मैं बहुत दर्द के साथ यह कह रहा हूं कि किसानों को फसल बीमा नहीं होने के कारण राजस्थान के किसान बर्बाद हुए हैं। अभी आपने, अभी लगेगा न कि अगर यह फसल बीमा होता तो यह फसल खराबे का कुछ पैसा उधर से भी कवर होता, कुछ आपदा राहत से भी होता। आपके पास आपदा राहत का 2,700 करोड़ रुपया बैलेंस है आज की तारीख में, 2,700 करोड़ रुपया, फिर भी अगर हम समय पर मदद नहीं कर सकते हैं तो हम उस किसान के आंसू नहीं पोंछ पाएंगे। एक के बाद एक किसान आत्महत्या कर रहा है, जिसका विषय हम में से कोई न कोई यहां पर लाने का प्रयास कर रहा है।

मैं फिर मुख्य मंत्रीजी आपसे विनम्रता से यह आग्रह करता हूं कि जो विषय हमने रखने का प्रयास किया है, उन विषयों को भी टच करते हुए आप जवाब दें। यहां आपकी लॉबी में एक भी कोई जिम्मेदार अधिकारी बैठता नहीं, लिखता नहीं। हम यहां पर केवल अपनी बातें, भाषण करते हैं, यहां पर सब चीज रिकार्ड हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नाराज होंगे, लेकिन जो मन को पीड़ा है न, ऐसे इतने वर्षों में मैंने कभी ऐसी विधान सभा नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

देखी जो इस प्रकार से लचर स्थिति में है, जबकि आपकी व्यवस्था के कारण से मैक्सिमम कार्यक्रम यहां पर हो रहे हैं। क्वेश्चन से लेकर हर चीज इस हाउस में आ रही है, डिस्कशन हो रहा है, लेकिन डिस्कशन के बाद जिन पर इसका काम करने का असर होना चाहिए, वे लोग बिलकुल निश्चिंत होकर बैठे हैं। मैं यह सोचता हूं कि आप प्रशासन की पकड़ भी करो और पकड़ करके जो खराब स्थिति है, प्रशासन, आप और मैं दोनों अच्छे तब कर सकते हैं जब स्वयं अच्छी और ईमानदारी के धरातल पर खड़े हों, तब काम करेंगे तो आएगा। अधिकारी भी अगर ईमानदारी से काम करेगा तो उसके सबोर्डिनेट की क्या मजाल है कि वह उस डिपार्टमेंट को इस प्रकार से हलके-फुलकेपन में चलाए, लेकिन यह हलके-फुलके मन से चल रहा है।

मैं फिर यह निवेदन कर रहा हूं कि इसको टाइट करने की कोशिश करें, ताकि हम राजस्थान की जनता को ईमानदारी से जो उसको हक मिलना चाहिए, वह हक दे सकें। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 पर हमारे कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, मैं उन सबका आभारी हूं।

माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने अभी जो अपनी भावनाएं बतायी हैं और जो शिकायतें की हैं, मैं यह समझता हूं कि लोकतंत्र में यह अच्छी परम्परा है कि चुनाव जीतकर कोई आए, तब भी विपक्ष होता है, उसकी भावनाओं की कद्र करना लोकतंत्र को मजबूत करता है। यही भावना हमारे कई नेताओं ने सदन में प्रकट की हैं, उसी भावना के अनुरूप हम लोग चलना चाहते हैं। यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है, लड़ाई विचारधारा की होती है, नीतियों की होती है, कार्यक्रमों की होती है। उसके आधार पर हम लोग अपनी-अपनी पार्टियों में रहकर काम करते हैं। उसी रूप में हम यह चाहेंगे कि सदन की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान-सम्मान बनाए रखने में चाहे वह विपक्ष में हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे दूसरे साथी हों, सब मिलकर ही कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह यकीन दिलाना चाहूंगा कि इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। हम यह चाहेंगे कि हम आपका सहयोग लेकर आगे बढ़ें। मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं आज कहने वाला ही था, पर आपने पहल की, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो कॉमन

(श्री अशोक गहलोत)

मुद्दे राजस्थान के होंगे, उसके अन्दर आप लोग केन्द्र के अन्दर सहयोग करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं अभी इस बात को कहने वाला ही था, पर आपने शुरू कर दी। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं यह चाहूंगा कि इस देश के अन्दर कई राज्य ऐसे हैं, जैसे महाराष्ट्र भी है उसमें, जहां पर पक्ष-विपक्ष के लोग, जहां पर उनके कामन काज होते हैं अपने स्टेट के, उसको लेकर वे लोग, चाहे पी.एम. से मिलना हो, चाहे केन्द्रीय मंत्रियों से बात करनी हो तो वे पहले अपने राज्य के हितों की बात करते हैं। मैं यह चाहूंगा कि क्यों नहीं हो, जो आपने भावना प्रकट की है, मैं उसका सम्मान करता हूं और मैं खुद यह चाहूंगा कि ऐसा हो।

आपने बार-बार यह कहा, पिछली बार भी यह कहा था कि हम आरोप असत्य लगाते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह आंकड़ों का आधार होता है। यह कोई खाली कहने से ही नहीं कि मैं यह कह दूं कि केन्द्र सरकार मदद नहीं कर रही है। ये सब आंकड़े हैं, जो यह बताते हैं कि वास्तव में किस वक्त के अन्दर कितने पैसे की कटौती की है। कहां पर हमारा पैसा रोका है, कहां पर फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमंडेशन की। आप यह बात कर रहे थे, वह अभी की बात है, आगे से फायदा मिलेगा उसका। जिस रूप में पिछले वर्षों के अन्दर, चाहे सरकार आपकी रही, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, हमारी गवर्नमेंट थी पहले, सबसे पहले वाजपेयीजी थे प्रधान मंत्री, हमें कोई शिकायत नहीं रही। आपकी गवर्नमेंट बाद में आयी तो डाक्टर मनमोहन सिंहजी प्रधान मंत्री थे, आपको जितना फाइनैंस पिछली सरकार में मिला आपको अपनी पार्टी की एन.डी.ए. गवर्नमेंट में, उससे ज्यादा सहयोग आपको डाक्टर मनमोहन सिंहजी के वक्त मिला। यह तो आंकड़े बताते हैं।

इस रूप में हमेशा जो स्थिति बनती है, वह सदन के अन्दर कहना पड़ता है। सदन में आकर आदमी क्यों असत्य बोलेगा यहां पर? मैं यह बार-बार कहूंगा। अगर सच्चाई नहीं है तो उसका आधार कुछ तो होगा। आपने इतनी अच्छी पैरवी करी केन्द्र सरकार की, जैसे कि हम यहां पर खड़े होकर खाली आरोप लगाते हैं और यहां विकास की बात नहीं करते। आपके पास जो आंकड़े हैं, वे आंकड़े ही मेरे पास भी हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने अधिकारियों की आपके साथ मीटिंग करवा सकता हूं। वह आपको कन्विंस कर सकते हैं कि वास्तव में कहां-कहां पर हमें जितनी ग्रांट मिलनी चाहिए, जी.एस.टी. की किश्तें मिलनी चाहिए, सी.जी.एस.टी. का पैसा मिलना चाहिए, वह कहां-कहां नहीं मिल पा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कन्विंस हो जाएंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

आप जो आंकड़े बताते हैं वे आप आंकड़े बताते हैं, 2019-20 का कम्पेयर करते हैं, इस बजट के आंकड़े से। 2019-20 के आंकड़े जो आप बता रहे हो, यह हमारे वक्त के आंकड़े हैं, उसको आप यह बताते हो कि अब उसमें कम कर दिया। तक तो उसका मार्च तक खर्च होता है और मार्च के अन्दर जब पूरा खर्चा मालूम पड़ता है तो उसके बाद में ए.जी. स्टाम्प लगाता है। वह आंकड़े बताये जाते हैं। आप कम्पेयर वह नहीं करते हो जो आपके वक्त में कितना था और अभी कितना है। आप वह कम्पेयर नहीं करते हो कि आपके वक्त में कितना आपने बी.ई. में रखा, कितना बजटीय प्रोविजन रखा और कितना आपने खर्च किया, आप वह कभी नहीं बताते हो। आप हाउस को इम्प्रेस करने के लिए खाली ये आंकड़े बताते हो कि हमारे वक्त में पहले इतना था और अब इतना हो गया। एक्चुअल कितना खर्च हो गया, यह मार्च के अन्दर मालूम पड़ेगा।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पिछली बार भी ऐसा आरोप लगाया था कि 2014-15 के अपने बजट में, कांग्रेस सरकार के 2013-14 के बजट की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 23 परसेंट वृद्धि की। पिछली बार जब सरकार में आये थे और आपने बड़ी, हमारी पूर्व मुख्य मंत्री महोदया को आपने बड़े काम्प्लीमेंट्स दिये कि पता नहीं वे कहां से पैसा लेकर आती थीं, कभी पैसे के लिए मना नहीं करती थीं। मैं बताऊं आपको कि कहां से लाती थीं, वे कोई चोरी नहीं करती थीं। न चोरी और न जगलरी, कुछ नहीं करती थीं। यह सिम्पल बात थी कि जब आप सत्ता में आये तो उसके पहले केन्द्र से जितना पैसा आता था, वह आता था, जो राजीव गांधी ने सिस्टम बनाया था कि पैसा सीधा दिल्ली से जाना चाहिए, गांव तक जाना चाहिए, स्कीम्स में सीधा जाना चाहिए, तो उस वक्त एन.आर.एच.एम. में, सर्वशिक्षा अभियान में, रमसा में, एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. में, पी.एम.जी.एस.वाई में यह तमाम पैसा आता था। उस कार्यकारी एजेंसी में पैसा इकट्ठा होता था और आपकी गवर्नमेंट आने के बाद में, एन.डी.ए. गवर्नमेंट ने सिस्टम बदल दिया। तमाम पैसा जो कंसोलिडेटेड फण्ड होता है, आप समझ सकते हो, क्या होता है, उसमें जमा होने लग गया। इस कारण से राजस्व में 2014-15 में कांग्रेस सरकार के वक्त में जो पैसा आया था, उसमें सीधी 23 परसेंट की बढ़ोतरी हो गयी।

आपने कहा कि भा.ज.पा. सरकार ने 2014-15 में अपने बजट में कांग्रेस सरकार के 2013-14 के बजट की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 23

(श्री अशोक गहलोत)

प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी, बिलकुल आधारहीन है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2014-15 में राजस्व प्राप्ति के बढ़ने का एकमात्र कारण यही था, जो मैं आपको बता रहा हूं। केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली राशि को कंसोलिडेटेड फण्ड आफ राजस्थान में देना प्रारम्भ कर दिया। वह जो पैसा एक साथ इकट्ठा हुआ, उसके कारण से 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी आप बता रहे हो, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। इसको आपको समझना चाहिए था। आपने इस प्रकार से बात की कि 74,470 करोड़ रुपये 2013-14 में और 2014-15 में आपकी सरकार आते ही 91,326 करोड़ रुपये हो गये। आप बता दीजिए, यह कैसे हो गये? यह फण्ड ट्रांसफर प्रक्रिया में चेंज हो गया। सिस्टम चेंज हो गया, इस कारण से पैसा आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता, प्रतिपक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सब जगह जो आंकड़े हैं पिछली बार आंकड़े दिये थे। आपने कहा कि कर्जा, कर्जा आप देख लीजिए 84 हजार 23 करोड़ का कर्जा आप छोड़कर गये थे 2008-09 के अन्दर और हमने जब वापस आपको सरकार संभलवायी 2013-14 में, तब हम करीब 45 हजार 887 करोड़ का कर्जा मिलाकर 1 लाख 29 हजार 910 करोड़ का कर्जा छोड़कर गये। वापस जब हम सरकार में आये तो एक लाख 81 हजार 484 करोड़ का कर्जा बढ़ा है और कुल कर्जा 3 लाख 11 हजार 374 करोड़ हो गया। अब आप कहेंगे, उदय योजना में आपने कर्जा लिया। अगर हम उसको घटा देते हैं तब भी 1 लाख 19 हजार 42 करोड़ का कर्जा होता है। यह कहना गलत है कि आंकड़े यहां गलत दिये जा रहे हैं। आंकड़े कोई गलत पेश नहीं करता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी परफोर्मेंस आप देखें कि आप यहां पर आंकड़े बता देते हैं। हमारे जो 5 वर्ष थे, उसमें राजस्थान में रेवेन्यू सरप्लस रहा एक साल छोड़कर, 2010-11 में, 2011-12 में और 2012-13 के अन्दर, लास्ट में माइनस में गया। आपके यहां रेवेन्यू डेफिसिट जो था, वह पूरे पांच साल ही रेवेन्यू डेफिसिट में था। 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19, 28 हजार 900 करोड़ रुपये। अब वापस सरकार हमारे पास आयी है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले हमने 27,014 करोड़, अभी आपके सामने जो बजट में पेश किया, इसमें हम लोगों ने बी.ई. के अन्दर 12,345 करोड़ रखा। रेवेन्यू डेफिसिट हमारे वक्त में तीन साल तक ठीक रहा और आपके वक्त में पूरे पांच साल रेवेन्यू डेफिसिट ही रहा। यह तो आपके जेहन में होगा।

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, फिस्कल पालिसी, आपकी सरकार, जो पहली बार बनी थी, जब आप एफ.आर.बी.एम. एक्ट लेकर आये थे 2005 में, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी सरकार आये, वह फिस्कल डेफिसिट तीन परसेंट से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर मुझे कहते हुए दुख है कि आपने कह तो दिया, पर हमारे वक्त में सिर्फ एक साल, जो आपकी सरकार में बढ़िया था 2008-09 के अन्दर, वह कन्टीन्युअस किया 2009-10 के अन्दर, उसके बाद में लगातार चार साल तक 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 में हमारे फिस्कल डेफिसिट क्रमश: 1.22, 0.83, 1.73 और 2.76 रहे, यह पैमाना होता है फिस्कल मैनेजमेंट का। पांच साल तक हम लोगों ने उसको ठीक रखा। फिर वापस आपकी गवर्नमेंट आयी तो आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष महोदय, कि आपके पांचों साल, एक साल भी आप, अपना खुद का एफ.आर.बी.एम. एक्ट बनाया हुआ था, उस पर आप कायम नहीं रह पाये और 3.09, 9.25, 6.09, 3.03 और 3.66 आप छोड़कर गये लास्ट में, जो कि इनडिसीप्लीन है। यह वित्तीय अनुशासनहीनता थी, जो आपके वक्त में रही है। हमारी गवर्नमेंट आयी है तो हमने लगातार कम करने की कोशिश की है। इस बार हमने 2.99 पर इसको रखा है। इस प्रकार से देश के अन्दर जो स्थिति बनी है, उसको आपको स्वीकार करना चाहिए।

मेरा आपसे आग्रह है। यह डेमोक्रेसी है, इसमें सच्चाई को स्वीकार करना, मैं समझता हूं कि हम सबका फर्ज बनता है और उस फर्ज को निभाना आवश्यक होता है। आप बार-बार कहते हैं कि खर्चा नहीं हुआ। मैं आपको आपके वक्त का उदाहरण देना चाहूंगा। खर्चा 9 महीने का आपके वक्त में, 2018-19 के अन्दर जब आपकी सरकार गयी थी, तब दिसम्बर तक खर्चा हुआ था 58 परसेंट। उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट आयी, 42 परसेंट खर्चा हमने किया आपके बजट का तीन-साढ़े महीने के अन्दर। जिसका फिगर मेरे पास में है। अब मैं आपको आंकड़े बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर आपने क्या किया, जो पिछला बजट हमारा था, उससे कम्पेयर किया, जबकि मैंने कहा कि उसके पूरे आंकड़े तब मिलेंगे जब पूरा खर्चा होगा, क्योंकि खर्च हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, लास्ट में चार महीने के खर्च का हिसाब लगाने के बाद ही मालूम पड़ता है, क्योंकि पहले मालूम पड़ नहीं सकता है। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एजी. फिगर देता है, तब जाकर मालूम पड़ता है कि कितना किसमें खर्च हुआ। इसलिए आपने शिक्षा में, चिकित्सा में, शहरी विकास में, जलापूर्ति में, कृषि में बता दिया। मेरे पास

(श्री अशोक गहलोत)

आंकड़े हैं जिसमें आपके बजट से हमने इस बार भी जम्प किया है। आप बता रहे हो बार-बार हमारे पिछले आंकड़ों को, जो कि सही नहीं हैं। उन आंकड़ों की खबर तो तब लगेगी जब मार्च के बाद में फिगर्स आएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने पिछली बार भी सदन के माननीय सदस्यों को कहा कि अनफोर्चुनेटली राजस्थान क्राइसिस से बचा हुआ है। अब इसमें भी आपको गलत बात थोड़े ही कह दी। पिछली बार मैं आपको बता चुका। देखिए, चार राज्य हैं - हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल और पंजाब, ये आर.बी.आई. में ओवर-ड्राफ्ट में जा चुके हैं। दस राज्य हैं-आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, केरल, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखण्ड, ये वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और तनख्वाह चुकाने के लिए आर.बी.आई. से वेज एण्ड मीन्स की राशि उठा चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी कारण भारत सरकार ने हाल में सभी राज्य सरकारों को, मैंने उस दिन बताया था आपको, यह छूट क्यों दी है, यह जो हमें छूट दी है, आप देख लीजिए करीब 58 हजार करोड़ की, अभी राज्यों को केन्द्र ने, क्योंकि केन्द्र भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, सभी राज्य संकट में आ रहे हैं। बिना केन्द्र की मदद से आप राज्यों को चला नहीं पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। चाहे वह कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे किसी पार्टी के राज्य हों, केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण से सबकी स्थिति खराब कर दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता, प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा बड़े अच्छे शब्दों में अपनी बात कह देते हैं पर न आप और न हम कोई एक्सपर्ट होते हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं, इकोनोमिस्ट हैं, वे क्या कहते हैं, उनकी बात को देश को सुनना चाहिए। क्यों बार-बार आर.बी.आई. के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर छोड़कर जा रहे हैं, डेढ़ साल में तीन-चार लोग चले गये। क्यों चले गये, कुछ तो कारण रहा होगा। क्यों डा. मनमोहन सिंहजी को कहना पड़ता है, 'मौजूदा सरकार मंदी शब्द को ही स्वीकार नहीं करती है। असली खतरा यही है कि अगर समस्याओं की पहचान नहीं की गयी तो इनका हल कैसे निकाला जाएगा।' इसमें क्या बुरी बात कह दी? पर एन.डी.ए. गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह मनमोहन सिंहजी की बात को क्यों सुनेंगे? जब वह बड़े, स्टीव हैन्के, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। डैडली कोकटेल, खतरनाक मिश्रण की बात करते हैं स्टीव हैन्के, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। अरविंद सुब्रहमण्यम सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार रहे

(श्री अशोक गहलोत)

हैं, मोदी जी के खुद के रहे हैं। उन्होंने चेताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भारी आर्थिक संकट के कारण आई.सी.यू. की ओर बढ़ रही है। अरविंद सुब्रमण्यम की बात को नहीं सुन रहे। राहु ल बजाज कह रहे हैं कि देश के उद्योगपतियों में भय का माहौल है, भय का माहौल इतना है कि वे प्रश्न पूछने से डरते हैं। निर्मला सीतारमण जी के, मैंने आपको पिछली बार कह दिया, उनके खुद के जो हस्बैंड हैं वे कहते हैं कि इस सरकार को अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है। अब इसका मैं क्या कर सकता हूं। सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है। इन्हें डाक्टर मनमोहन सिंह जी के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। और तो और सुब्रमण्यम स्वामी जो हमेशा हमें कोसते हैं, वे कहते हैं कि जी.एस.टी., उन्होंने दो बातें कहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि निर्मला सीतारमण को अर्थशास्त्र की समझ ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं, वे बोलते हैं तो। उन्होंने जी.एस.टी. को 21वीं सदी का सबसे बड़ा, खतरनाक पागलपन बताया। सरकार ने आयकर और जी.एस.टी. से व्यापारियों और उद्योगपतियों को आतंकित करने का ही काम किया, ये कहते हैं। कौन कहते हैं, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं, मैम्बर आफ पार्लियामेंट।

अब यह बात मुझे बता दीजिए, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, ये बातें जब ये सब बोलते हैं तो थोड़ी चिंता होती है। मैं समझता हूं कि आपको भी होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, सदन के पक्ष-विपक्ष के लोगों को।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मिस्टर चंद्रचूड़ क्या कहते हैं लोकतंत्र में विरोध और असहमति सेफ्टी वाल्व के बराबर काम करती है, जो अभी आप बोल रहे थे। मैं खुद मानता हूं कि विरोध जो है उसी से सरकारें लोकतंत्र में मजबूती से चल सकती हैं। इस तरह चलेंगी सरकारें तो फिर जो मैंने अभी बताया कोट करके अर्थशास्त्रियों की, वह स्थिति बनेगी जो देश में बनी हुई है। भुगत पूरा देश रहा है। मेरे पास पूरा चार्ट है कि किस राज्य को कितना पैसा कर्ज के लिए छूट दी है। क्यों दी छूट इन्होंने? मजबूरी में दी है, लगभग सात हजार करोड़ की छूट दी है।

चंद्रचूड़ का यह कहना कि विचारों को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कानून विरोधी है, सरकार को असहमति को दबाने के बजाय इसकी रक्षा करनी चाहिए और विभिन्न विचारों का सम्मान करना चाहिए। बता दीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता, असहमति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जो अभी आप बोल रहे थे। अफसोस की बात है कि आज देश में असहमति को देशद्रोह कहा जा रहा है दुर्भाग्य से। सरकार का

(श्री अशोक गहलोत)

विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। सरकार का विरोध करना, माननीय नेता, प्रतिपक्ष महोदय, आप हमारा विरोध करते हो, हम आपको नहीं कह सकते कि आप देश का विरोध कर रहे हैं या राजस्थान का विरोध कर रहे हैं। आप कर रहे हो, हमारा विरोध कर रहे हैं कि आपकी ये कमी है, ये कमी है, ये कमियां हैं, वह आपको करना चाहिए, पर जस्टिस का यह कहना, अफसोस की बात है कि आज देश में असहमति को देशद्रोह कहा जा रहा है। सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। जस्टिस गुप्ता ने यह भी कहा, बहुमत सरकार का चुनाव करता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, बहुमत सरकार का चुनाव करता है लेकिन जिन्होंने सरकार को वोट नहीं दिया उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये मर्म हैं डैमोक्रेसी के जो आप और हम सबको समझने की जरूरत है। उसके आधार पर चलेंगे, कई बार गुस्सा भी आता है डिस्कशन में या कई बार प्रोवोकेशन हो जाता है, अलग बातें हैं परन्तु मैं समझता हूं कि देश के जो हालात बन गये हैं उसको गम्भीरता से समझने की आवश्यकता महसूस करता हूं, आप भी करते होंगे। मैं यह समझता हूं कि ऐसा नहीं है, आप भी करते होंगे, आपकी आत्माएं करती होंगी, आपका दिल करता होगा। करता होगा पर बोलते नहीं हैं, दिल बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि सब जगह ऐसा माहौल बना दिया कि बोलने वाला देशद्रोही है। देशद्रोही कोई बनना नहीं चाहता है। इसका क्या कर सकते हैं, बताइये आप।

यह जो मैंने आपको बताया है कि कभी नोटबंदी, कभी जी.एस.टी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब घोषणाएं कर दो।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कभी सी.ए.ए., एन.आर.सी., एन.पी.आर., ये तमाम बातें आप करते गये हो। फिर गांधी जी को अपनाने लग गये। गांधी जी को मैं कोट करता हूं। 1947 में गांधी जी ने लिखा था, धर्म मेरी व्यक्तिगत शुचिता है, भारत के नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य में धर्म को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आज बैंकों में क्या स्थिति बनती है, सबको मालूम है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, क्रांति हो गयी। आज एक के बाद एक बैंकों की स्थिति क्या होती जा रही है, आप हम सब जानते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप चिंता प्रकट करते हैं, अच्छी बात है, परन्तु साथ में आपको मैं निवेदन करूंगा और मैं फिर सीरियसली कहूंगा, सीरियसली कह रहा हूं, गम्भीरता से कह रहा हूं कि आप साथ बैठियेगा, दिल्ली में साथ चलियेगा। जो कॉमन कॉज हैं, रिफाइनरी की

(श्री अशोक गहलोत)

बात आपने करी कि पैसा नहीं रखा। भई, एच.पी.सी.एल. कम्पनी भारत सरकार की है, हमारा हिस्सा हम चुकायेंगे, वह उनको कोई शिकायत नहीं है, तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। एच.पी.सी.एल. के माध्यम से रिफाइनरी बनेगी, बिना भारत सरकार के सहयोग के रिफाइनरी बन नहीं सकती। उन्हीं का प्रोजेक्ट है, हमने खाली हिस्सेदारी ली है। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि जब सबको मालूम है कि आज जो पैसा आता है रेवेन्यू का, उसका 75 परसेंट चला जाता है किसमें, मजदूरी में, वेतन में, पेंशन में, ब्याज में और कर्जे की किश्तें चुकाने के अन्दर, यह तो नई बात नहीं है। आपके यहां पर मीटिंग में आप कई बार बोलें होंगे, सी.एम. बोली होंगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन हालातों में जो चल रहा है, तो अगर केन्द्र सरकार मदद नहीं करती है तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाद में राज्यों की क्या स्थिति बनती है। यह राजस्थान की बात नहीं है। अभी तो हमने शानदार वित्तीय प्रबंधन करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा अभी तक न तो हम वेज एण्ड मींस की प्रोब्लम में आये हैं न ओवर ड्राफ्ट में आये हैं, हम आना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं, आप सबके सहयोग से, अभी आपने रेवेन्यू बढ़ाने के कुछ सुझाव भी दिये थे, हम रेवेन्यू बढ़ायें, बढ़ाने के प्रयास भी करेंगे और चाहेंगे कि इसी रूप में हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जो हमने बजट घोषणाएं की हैं, उनको पूरा कैसे करें। हालांकि मैंने कहा कि जो शेयर मनी दिया इस साल हमें केन्द्र सरकार ने, वह सबके सामने है। उम्मीद करते हैं कि आप सबका सहयोग मिलेगा और अगर हम सब मिलकर जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे ईस्टर्न कैनाल वाला मुद्दा बना, आपके वक्त उसको आपने बनाया, वह 38 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्यों नहीं रिफाइनरी की तरह आप इस प्रोजेक्ट को खुद बिल में लायें। 13 जिलों का सवाल है, 13 जिलों के भविष्य का सवाल है, क्यों नहीं हम मिल करके दिल्ली में बात करें और उसको राष्ट्रीय योजना घोषित करवायें। चूंकि यहां पर प्रधान मंत्री जी आये थे, आपकी सरकार थी, आपने जयपुर में, अजमेर में चुनाव के पहले ही, आप लोगों ने चुनाव में फायदा उठाने के लिए घोषणा करवा दी, अब हमने उनकी घोषणा को पकड़ लिया। मैं दिल्ली गया तो उनसे मिला तो मैंने कहा, भई, आप ये घोषणा करके आये हो, आप देखो जरा, क्या कर सकते हैं। अब आप सहयोग दोगे तो उनको एक न एक दिन करना पड़ेगा, यह मेरा मानना है।

(श्री अशोक गहलोत)

जल मिशन नया बनाया उन्होंने, हर घर में नल बहुत बड़ी योजना है, अब उस दिन मैंने आपको कहा, उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। मंत्री जी हमारे राजस्थान के हैं, 50 परसेंट 50 परसेंट यह कैसे सम्भव हो सकता है, एक लाख करोड़ का सवाल है। 90:10 करो, जैसे अन्य राज्यों में है, तो हम राजस्थान में चाहेंगे कि जो सदियों से लोग प्यासे मरते आये हैं, दूषित पानी पीते हैं, उनका भला होगा। यह मैं आपसे आग्रह करूंगा।

रेलों के प्रोजेक्ट हैं, मैं बार-बार बोलता रहता हूं, उसमें आप हमारी मदद कीजियेगा। चाहे वो करौली का हो, चाहे टोंक का हो, चाहे वो डूंगरपुर-बांसवाड़ा का हो, भीलवाड़ा की मेमो कोच फैक्टरी हो, आप सहयोग कर सकते हैं। आपका प्रभाव भी है और हमारे नेता, प्रतिपक्ष का तो सम्मान भी है, रुतबा भी है, क्योंकि आपने जिंदगी खपाई है आर.एस.एस. के अन्दर। आर.एस.एस. के आप प्रिय हैं, हमें मालूम है, तभी आप सबके नेता हैं। आप बता दीजिये कि राजस्थान के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी काम आये, जो आप चाहोगे, मैं कह सकता हूं दिल से।

अब देवास की बात की, पिछली सरकार बनी थी हम यहीं बैठे थे, आपने मांग उठाई, हमने उसको पूरा किया। आपने खुद ने भी कहा, बोले, खुशी हुई और वह सपना पूरा हुआ, उदयपुर के तालाब लबालब भरे हुए हैं, सब लोग खुश हैं।

ये कुछ मुद्दे हैं, जिनमें आप हमारा सहयोग कर सकते हैं और करना चाहिए आपको। इसमें कोई ईगो नहीं आएगा, न हम लोगों का आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि न आपका आयेगा। हम सब मिलकर बात करें, टाइम मांगें कभी, अगर मौका लगे तो हम सब लोग साथ में जायें, बडे-बड़े मुद्दों के लिए बात करें, रिफाइनरी की बात भी कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ओलावृष्टि की बात भी आयी, टिड्डी की बात भी है। मैं फिर आपको निवेदन करना चाहूंगा कि ओलावृष्टि से हुए खराबे को लेकर हम सब बहुत संवेदनशील हैं। दिसम्बर में हुई ओलावृष्टि के खराबे के आंकलन हेतु मैंने इमिडियेटली मंत्रियों को जिलों में भेजा था। 7 जिलों में विशेष गिरदावरी करायी गयी तथा 4 मार्च, 2020 के बाद हुई ओलावृष्टि की विशेष गिरदावरी 20 मार्च, 2020 तक पूरी होगी। गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार, आप तो मंत्री रहे हैं, इस विभाग के भी रहे हैं, आपको मालूम है कि गिरदावरी होने के बाद में कुछ

(श्री अशोक गहलोत)

हो सकता है। एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसी माह कृषि अनुदान का वितरण प्रारम्भ कर दिया जाएगा। वर्ष 2019-20 में 12 मार्च, 2020 तक प्रभावित जिलों को विभिन्न आपदाओं हेतु 1,410 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है।

हमने गत महीनों में भारत सरकार को प्राकृतिक आपदाओं हेतु लगभग 3,553 करोड़ रुपये के ज्ञापन भेजे हैं। मगर अब तक केन्द्र सरकार से हमें कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। यह मुद्दा ऐसा है कि जिसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं। साथ जाने की जरूरत भी नहीं है। आप भी कभी जाएं, मान लो अलग से ही जाएं, तो आप बात कर सकते हैं। उनको लगेगा कि राजस्थान उस राज्य की श्रेणी में आ गया है, जहां पक्ष और विपक्ष अपने राज्य के हितों की रक्षा करने के लिए आपस में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। एक नई शुरुआत कीजिए। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमेशा सवाल उठाये हैं। आपने सुझाव भी दिये हैं। मुझे खुशी है कि जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा जोर रहेगा कि बजट घोषणाओं को पूरा कैसे करें। आपने कहा था घोषणाएं हो जाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, अधिकारियों पर अंकुश लगना चाहिए। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं चाहूंगा कि जन प्रतिनिधियों का सम्मान हो।

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा भी था। हमने उसके लिए आर्डर भी जारी किये हैं। हम चाहेंगे कि चाहे प्रतिपक्ष, पक्ष कोई भी हो, निर्दलीय हो, सी.पी.एम. के हों, कोई साथी हमारे हों, बी.टी.पी. के हों, चाहे बोतल वाली पार्टी के हों, कोई हों, हम चाहेंगे कि मान-सम्मान हो। आपकी भावना हम समझते हैं। राजस्थान के अन्दर चाहे गांव हो, जिला हो, ब्लाक हो, उसमें मान-सम्मान बना रहे। जो मान-सम्मान नहीं करेगा, वह आप मुझ पर छोड़िएगा, हम कड़े से कड़ा एक्शन करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, करप्शन के बारे में जीरो टोलरेंस की बात मैंने पहले भी कही थी। हम चाहेंगे कि इसमें आपका सहयोग मिले। कोई आपका फीड बैक मिले, कुछ भी मिले, आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि राजस्थान में करप्शन को हम नेस्तनाबूद कैसे कर सकें, कैसे उस पर अंकुश लगा सकें, कैसे उसको खतम कर सकें। खतम करना सम्भव नहीं होता, यह तो हम जानते हैं। अंकुश कैसे लगाएं, यह हम प्रयास करेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो मुझे सिनेरियो देश के अन्दर दिख रहा है, जिस प्रकार से देश के अन्दर बोंड आए हैं, बोंड, नेता, प्रतिपक्ष महोदय, अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो आप भी कहोगे कि बोंड जो हैं, यह मैं समझता हूं कि कभी न कभी इतना बड़ा स्कैम साबित होगा कि कोई सोच नहीं सकता। 5 हजार करोड़ के बोंड, साढ़े 4 हजार करोड़ के बोंड एक ही पार्टी को मिल रहे हैं। बताइए आप। काम करो। रिश्वत की जरूरत नहीं है। पकड़े नहीं जाओगे। बोंड हैं, यह तो। सरकारी बोंड हैं। आर.बी.आई. के माध्यम से, रिजर्व बैंक के माध्यम से, मैने यह सवाल उठाया था सबके सामने, आपको मालूम है। मैं कई बार उठा चुका हूं। यह पोलिटिकल करप्शन तभी खतम होगा, जब पोलिटिकल फंडिंग में दो नम्बर का पैसा नहीं आएगा। यह बात मैं कई बार कह चुका हूं। मेरी भावना पूरा सदन जानता है।

अध्यक्ष महोदय, जन घोषणा-पत्र हमने जारी किया था। हम उसके आधार पर चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भावना आपने प्रकट की है आप निश्चित मानकर के चलिएगा कि हम उसी ढंग से इसको आगे बढ़ाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब जो कोरोना वायरस आया हुआ है, यह चिंता का विषय बना हुआ है। रोज बढ़ते जा रहे हैं। अब देश के अन्दर भी करीब 70 के आसपास मरीज हो गये हैं। कल एक मरीज की डैथ हुई है। फोरच्युनेटली अभी तक हमारे लोग बचे हुए हैं। बचे हुए रहें। भारत सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाये हैं। एडवाइजरी जारी की है। पूरी दुनिया से आने का जो वीजा है, उस पर कुछ लोगों को छोड़ करके, रोक लगा दी है। बड़े कदम उठाये हैं। राज्यों को कहा गया कि आपके यहां भी गैदरिंग नहीं हो। गैदरिंग नहीं हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे मंत्री जी और सब लोग मिलकर के बार-बार मीटिंगें कर रहे हैं।

मैं सदन के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब स्वाइन फ्लू आया था, तब हमारे यहां एक लैब भी नहीं थी। टेस्ट कराने के लिए पूना और दिल्ली जाना पड़ता था। उस वक्त हमने एक तो बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स लिये और 6 जगहों पर लैब खोली। वही लैब आज कोरोना के लिए काम आ रही हैं। फोरच्युनेटली हमें इमिडिएटली मालूम पड़ जाता है। एक मरीज भर्ती था, उसका आक्सीजन हट गया है, वह भी ठीक हो गया है। सौभाग्य से हमारे यहां के डाक्टर्स, नर्सेज, स्वास्थ्य कर्मियों ने अच्छा काम किया। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से

(श्री अशोक गहलोत)

उनको बधाई दूंगा। चैलेंज हमारे सामने हैं। उसका मुकाबला पूरा मुल्क कर रहा है। डब्ल्यू.एच.ओ. ने कह दिया है, यू.एन. ने कह दिया है। निश्चित रूप से यह भयंकर स्थिति बनी है। उसका मुकाबला हम सब मिलकर के ही कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा नेता, प्रतिपक्ष को विशेष रूप से कि महानरेगा के बारे में, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अन्दर इसको कांग्रेस का स्मारक बता दिया। उसके बाद भी वह इसको बंद नहीं कर पा रहे हैं। कानून बनाकर के देश के लोगों को, गरीबों को अधिकार दिया गया। अकाल पड़े या नहीं पड़े, आप मजदूरी ले सकते हो। यह क्रांतिकारी काम हुआ है। अब इसमें अक्टूबर से पेमेंट नहीं हो तो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति होगी? मैं पहले बता चुका हूं कि 1,000 करोड़ से 1,600 करोड़ के भुगतान अभी तक बकाया हैं। कम से कम आप ऐसी बातों के लिए पत्र भी लिख सकते हैं। मैंने भी प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखे हैं। ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जहां पर हम लोगों के कामन काज हैं। उसमें हम नई शुरुआत कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैंने 7 संकल्प पेश किये थे, किसान, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्ध के लिए, बच्चों के लिए, जवान के लिए, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम सब लोग चाहेंगे कि इसको किस प्रकार से निभाएं।

अध्यक्ष महोदय, सन् 2000 के अन्दर, 20 साल पहले मैं मुख्य मंत्री था। तब हमने महिला नीति बनाई थी। अब वापस हम लोग महिलाओं के लिए नीति बनाने जा रहे हैं। महिला नीति सन् 2000 में बनने के बाद, पहली नीति बन रही है। राज्य महिला नीति का प्रारूप तैयार हो गया है। इसमें महिलाओं के जीवन से जुड़े जन्म, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण, आजीविका, आवास, आश्रय, सम्पत्तियों के स्वामित्व, राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारिता जैसे आयामों को शामिल किया गया है।

राजीव गांधी जी ने जो 73वें और 74वें अमेंडमेंट किये थे, वह क्रांतिकारी काम था। उसके पहले महिलाएं सरपंच, वार्ड पंच, प्रमुख, प्रधान नहीं बन सकती थीं। वे न मेयर बन सकती थीं और न पार्षद बन सकती थीं। आज कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं 33 परसेंट में आती हैं। कितना बड़ा क्रांतिकारी काम हो गया है। मैं समझता हूं कि महिलाओं के लिए नीति हमेशा बनी रहे। हम लोग प्रोग्रेसिव नीति बनाएं, जिससे कि महिलाएं और सशक्त बन सकें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

(श्री अशोक गहलोत)

अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगों के लिए हमने 3 से 4 परसेंट आरक्षण किया है। पिछली बार हमने अल्पसंख्यकों के लिए मदरसा बोर्ड बनाया था। 2003 के अन्दर बनाया था। अब उसको और मजबूत किया जा रहा है। स्वायत्तता देने की बात है। केन्द्र सरकार की जो स्कीम होती है, उनका लाभ उन तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको स्वायत्तता मिले। अल्पसंख्यक मदरसा बोर्ड अधिनियम को जल्दी ही कार्य रूप दे सकें।

अध्यक्ष महोदय, पानी को लेकर हम लोगों ने कुछ फैसले किये थे। हम लोग मुख्य मंत्री नीर योजना के तहत एक योजना लागू करना चाहते हैं। शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ता, जिनकी मासिक जल खपत 15 हजार लीटर से कम है, उन उपभोक्ताओं को वाटर मीटर चालू होने की स्थिति में जल शुल्क माफ रहेगा। यह मैं पहले घोषणा कर चुका हूं। उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु घरेलू उपभोक्ताओं के खराब पड़े वाटर मीटरों को स्मार्ट वाटर मीटरों से बदला जाएगा। प्रथम चरण में एक लाख से अधिक आबादी वाले 29 शहरों में खराब पड़े करीब 10 लाख वाटर मीटर आगामी 3 वर्षों में बदले जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 25 करोड़ का प्रावधान इसके लिए किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मुख्य मंत्री नीर योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को 55 एल.पी.सी.डी. नि:शुल्क पेयजल आपूर्ति की घोषणा करता हूं तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में 75 एल.पी.सी.डी. तक जल उपभोग शुल्क माफ रहेगा। राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि चरणबद्ध रूप से सभी गांवों में प्रत्येक परिवार को घरेलू जल के माध्यम से 55 एल.पी.सी.डी. पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी कैनाल योजना की 70 दिन की नहर बंदी सबके सामने है। किसानों को पर्याप्त पानी मिलता रहे, छीजत कम हो और हम लोगों ने जो प्रयास किये हैं उस कारण से टेल एंड तक पानी पहुंचाया गया है। मेरी माननीय मुख्य मंत्री, पंजाब से चर्चा हुई थी। पंजाब, सरहिन्द फीडर की लाइनिंग का काम नवम्बर, 2019 में शुरू कर दिया गया है। सरहिन्द फीडर की लगभग 16.67 किलोमीटर की लम्बाई में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस एम.ओ.यू. के कार्यों के साथ-साथ इंदिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर की री-लाइनिंग का काम भी सम्पादित किया जा रहा है। प्रदूषित पानी आ रहा है, उसको रोकने के लिए हमने उनसे बातचीत की है। उन्होंने

(श्री अशोक गहलोत)

वादा भी किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्दी ही इसको वहां पर पूरा करें, ताकि पंजाब से प्रदूषित पानी आना बंद हो जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कॉलेजों में कोचिंग क्लासेज के लिए करीब 54 हजार छात्रों का पंजीयन हुआ है। इस काम को हम बड़े लेवल पर करना चाहते हैं। इसके लिए कॉलेजों का जाल बिछाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा का महत्व जिन्दगी के अन्दर है, क्योंकि नॉलेज इज पावर, आज जमाना वह आ गया, आई.टी. का जमाना है। उसी मंशा के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु पुरस्कार हेतु छात्रवृत्ति 31 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये, माध्यमिक शिक्षा हेतु दी जाने वाली छात्रवृत्ति 21 हजार से बढ़ाकर 31 हजार रुपये, जिला स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी 5 हजार से बढ़ाकर 11 हजार रुपये की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में नयी नागरिक उड्डयन नीति बनायी जा रही है। फ्लाइंग क्लब शुरू किया जा रहा है, जिससे कि नौजवानों को पायलट बनने का चांस मिल सके। इस नीति के तहत राज्य के स्वामित्व में 19 हवाई पट्टियां हमारे पास में हैं, उनका उपयोग किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर अपराध रोकने के लिए हमने एस.ओ.जी. के अन्दर एक ग्रुप बनाया है। प्रत्येक जिले में एक नोडल साइबर थाना बनाया गया है। क्योंकि यह एक क्रांति भी है, जो राजीव गांधी का सपना था, उसी के अनुरूप आज हर हाथ में मोबाइल फोन है, रिवोल्यूशन हो गया है, ज्ञान का भण्डार है। किन्तु सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने में कोई मुकाबला ही नहीं है मोदीजी का और उनके साथियों का, यह अलग बात है, मीडिया का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। वल्गर, पोर्न, मिस इंफोर्मेशन इन इंवेस्टमेंट, आप बताइये, यह जो स्थिति है, माननीय सदस्य, सतीश पूनियांजी ने इसको उठाया भी था, साइबर अपराधों को लेकर चिंता भी व्यक्त की थी। मुझे खुशी है कि आपने इस पर ध्यान दिया है। साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जो मैंने कहा कि एक ग्रुप बनाया गया है और एस.पी. लेवल के आदमी को उसमें लगाया गया है। मैं चाहूंगा कि तमाम सदस्य इसमें थोड़ा ध्यान रखें और हम लोग इसका प्रचार-प्रसार करने में लगे हुए हैं। स्कूल-कॉलेजों में भी विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि पोटाश खाद में काम आता है और कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ राजस्थान में हनुमानगढ़ और बीकानेर साइड में है। अभी हमने, भारत सरकार का उपक्रम है, जिसका नाम है,

(श्री अशोक गहलोत)

मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, इसके साथ में हमने एक फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है। हम जल्द ही चाहेंगे कि इसके माध्यम से इस काम को हाथ में लिया जाए ताकि इसका एक्सप्लोरेशन हो सके। खनिज का पता लग गया है तो मैं समझता हूं कि हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी, आज हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, वह रुक जाएगा। इस दिशा में राजस्थान पहल करना चाहता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सौर ऊर्जा के अन्दर भी 8,500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र एवं 105 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित कराने के लिए पंजीयन कराये जा चुके हैं। नवीन सौर ऊर्जा नीति, 2019 और राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति, 2019 लागू की जा चुकी है। इसका पूरे राजस्थान में अच्छा वैलकम हुआ है। हमारी चाहे इंडस्ट्रियल नीति हो, चाहे सोलर नीति हो, सब लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। राज्य सरकार शीघ्र ही सोलर को लेकर एक कांफ्रेंस करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि को लेकर हमने 'थार' नामक एक योजना लागू की है। ''ट्रांसफार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सैक्टर्स इन राजस्थान'', यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम साबित होगा। जिसमें हम चाहेंगे कृषि क्षेत्र में नये निवेश को लाना, खेती में लागत को कम करना और किसानों की आमदनी में वृद्धि करना, कृषि प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करना, कृषि में सूचना आई.टी. को बढ़ावा देना और राज्य के कृषि उत्पादों को ब्राण्ड 'राजस्थान' के अन्तर्गत देश एवं दुनिया के बाजारों में पहुंचाना। यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शुरू करेंगे तो कभी न कभी हम इसमें कामयाब होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्रियल जोन जो बन रहा है, बहुत शानदार पचपदरा के अन्दर "Petroleum, Chemical and Petrochemical Investment Regions'' ये देश में खाली तीन जगह हैं, पारादीप-उड़ीसा में, दाहोद-भड़ौच गुजरात में, तूतीकोरन-तमिलनाडु में, चौथा बनेगा देश में पचपदरा-बाड़मेर के अन्दर, इस बात की हम सबको खुशी होनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके उप नेता बार-बार कहते हैं कि घोषणा, घोषणा, घोषणा। आपको कुछ परहेज है, आपने इसमें कुछ सुझाव दिये नहीं होंगे। (व्यवधान) आप सुझाव इसलिए देते हैं, यह सरकार वसुन्धराजी की नहीं है, यह सरकार अशोक गहलोत की है। सरकार बनते ही काम बंद कर दो

(श्री अशोक गहलोत)

पुरानी सरकार के, हमने सब काम आपके चालू रखे हैं, कोई बंद नहीं करेंगे। ईस्टर्न कैनाल भी शुरू करेंगे, टाप प्रायोरिटी देंगे उसको। यह सरकार पहले वाली नहीं है, जो बुलाती नहीं थी हमारे मैम्बरों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रोग्राम में, अभी तो आपके आदेश से सर्कूलर निकाल रहे हैं, सम्मान मिलना चाहिये, सरकारी फंक्शन होता है, उसमें प्रतिपक्ष का एम.एल.ए. आकर बैठे तो हमें खुशी होती है, पर आपने जिन्दगी में कभी भी कांग्रेस के एम.एल.ए. को बैठाना स्वीकार नहीं किया, जो बैठे हुए हैं यहां। ऐसा माहौल बना दिया कि हमारा एम.एल.ए. वहां जाकर बैठ नहीं सकता था। ऐसा माहौल बनाकर रखते थे आप लोग, हम वह नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि आप, हर बी.जे.पी. का एम.एल.ए., बाकी पार्टियों के हमारे जो साथी हैं, आएं, बैठें, आपका बराबरी का सम्मान होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है?

यह सरकार, सरकार है, यह कोई पार्टी का फंक्शन थोड़े ही है, जो हम लोग आपको न बुलाएं। आप आइये, आपका स्वागत है, लेकिन आपने हमेशा से यही काम किया। इसीलिए कुछ आप लोग सुझाव लिखकर देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, उसका पता नहीं क्या होगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ आपकी भावनाओं के अनुसार, जो हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत ज्यादा उत्साह प्रकट किया, उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार का सहयोग, जो इस बार हमें तकलीफ हुई है, आपके आशीर्वाद से आप सबके सहयोग से, आप सबकी मेहनत से, नेता, प्रतिपक्ष, आप और आपके वरिष्ठ साथियों के सहयोग से जरूर ऐसा माहौल बनाएंगे देश के अन्दर और केन्द्र सरकार में जिससे इस बार हमें तकलीफ नहीं आये। हम चाहेंगे कि हम जमकर आपकी और पूरे प्रदेश की सेवा करें। जो वादे हम कर रहे हैं, उन्हें पूरा निभाएं। इसमें आपका सहयोग भी हमें चाहिये, हम सहयोग बार-बार मांग रहे हैं, इसका मतलब होता है, उसका मतलब होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। घोषणाएं हैं-

गत वर्ष बजट में हमने 50 राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने की घोषणा की थी, जिसका प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर भी स्वागत हुआ था। हम शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राज्यों में शुमार करना चाहते हैं। यह हमारा सपना है। नेता, उप नेता, सुन रहे हैं मेरी बात को? सपना है।

(श्री अशोक गहलोत)

(व्यवधान) कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे और भी महाविद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव दिये हैं। सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैंने तय किया है कि इस वर्ष छोटी सरवन, गांगड़ तलाई-बांसवाड़ा; मालाखेड़ा, कठूमर, रामगढ़-अलवर; देशनोक-बीकानेर; हिंडोली-बूंदी; सावर, भिनाय-अजमेर; भणियाणा-जैसलमेर; पाटौदी, गडरा रोड, सिणधरी, समदड़ी, सेडवा-बाड़मेर, राडावास, बगरू, कोटखावदा-जयपुर; चिड़ावा, सूरजगढ़-झुंझुनूं, मलारना डूंगर-सवाई माधोपुर, गंगापुर-भीलवाड़ा; सरमथुरा एवं बसईनवाब-धौलपुर, राजलदेसर-चूरू, सीकरी एवं रूपवास-भरतपुर; नांगल राजावतान (मीणा हाई कोर्ट), मीणा हाई कोर्ट-दौसा; गंगरार-चित्तौड़गढ़, मासलपुर-करौली; कुड़ी भगतासनी, लोहावट-जोधपुर; मकराना -नागौर तथा लोसल एवं फतेहपुर-सीकर में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि जिन जगहों पर एम.एल.ए. फण्ड, एम.पी. फण्ड, सी.एस.आर., भामाशाह के सहयोग से, कई माननीय सदस्यों ने मुझे कहा है, हमारे वहां भवन निर्माण कार्य के लिए लोग तैयार हैं, तो ऐसे जहां पर लोग आगे आएंगे, निर्माण प्रारम्भ हो जाएगा, वहां पर प्राथमिकता दे दी जाएगी। अण्डर ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कई लोगों ने मांग की है। बायतू-बाड़मेर; नवलगढ़-झुंझुनूं, बयाना-भरतपुर; रायपुर-भीलवाड़ा; बाड़ी-धौलपुर; तिजारा-अलवर; बालेसर-जोधपुर; कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर; कन्या महाविद्यालय, धौलपुर; कन्या महाविद्यालय, बालोतरा का स्नातक से पी.जी. में क्रमोन्नयन एवं शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, दौसा को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत करने की घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ नये विषयों की बात की गयी है। नवीन महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय महाविद्यालय, कोलायत व बज्जू में साइंस और कामर्स; राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, जैतारण (पाली) में साइंस; शिवगंज (सिरोही) में स्नातक स्तर पर ड्राइंग, म्यूजिक व होम साइंस; थानागाजी (अलवर) में पी.जी. स्तर पर कैमिस्ट्री व राजनीति विज्ञान; रायपुर (भीलवाड़ा) में कामर्स; बाड़ी में साइंस और मैथ्स; जमवारामगढ़ में साइंस और कामर्स; लूणी में साइंस; कन्या महाविद्यालय, जैसलमेर में स्नातक स्तर पर होम साइंस एवं पी.जी. स्तर पर हिंदी साहित्य; एस.बी.के. महाविद्यालय, जैसलमेर में स्नातक स्तर पर लोक प्रशासन व संस्कृत एवं पी.जी. स्तर पर वनस्पति शास्त्र; नावां में कामर्स; ओसियां में पी.जी. स्तर पर कैमिस्ट्री; सागवाड़ा (डूंगरपुर) में साइंस व कामर्स; निवाई (टोंक) में साइंस; राजकीय

(श्री अशोक गहलोत)

महाविद्यालय, भीम (राजसमंद) में साइंस और कामर्स संकाय खोलने की घोषणा करता हूं।

शिक्षा विभाग की भांति अब राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में भी शिक्षकों के लिए बेहतर प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन हेतु सम्मान समारोह आयोजित कर ''उच्च शिक्षा-शिक्षक सम्मान'' प्रतिवर्ष दिये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने सरकारी विद्यालयों में चल रही दुग्ध वितरण योजना में कई खामियां तथा सही वितरण नहीं हो पाने, शिक्षकों पर शिक्षण कार्य के अलावा अनावश्यक दबाव और भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दों पर अपनी बात मुझ तक पहुंचायी है। शिक्षकों पर वैसे भी जनगणना, चुनावों और मिड-डे मील इत्यादि का कार्यभार रहता है। यह भी देखा गया है कि कई बार दूध बच्चों तक पहुंचता ही नहीं है। मिलावटी दूध की भी शिकायतें हैं, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसे देखते हुए इस योजना का नये सिरे से समग्र रिव्यू करवाया जाएगा।

जैसा माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने भी पिछली बार कहा था, आंगनबाड़ी पोषाहार एवं मिड-डे मील योजना भी दुग्ध वितरण योजना की तरह ही अव्यवस्थाओं की शिकार हैं। सामान्यत: बच्चे ये पोषाहार खाते भी नहीं हैं, जिससे पोषण देने का उद्देश्य भी असफल हो जाता है। भ्रष्टाचार की शिकायतों के मद्देनजर इन तीनों योजनाओं का मूल्यांकन करवाया जाएगा व स्वयं सहायता समूहों के नाम पर निजी लोगों द्वारा योजना में दखल की जांच करवायी जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के निम्न विद्यालयों में आगामी सत्र से नवीन संकाय खोले जाएंगे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अंगारी और किशोरी, थानागाजी; तिलवाड़ा, राजगढ़, जिला अलवर में विज्ञान; राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगापुर, भीलवाड़ा में कृषि; दत्तवास, वनस्थली, पीपलू तथा सोहेला, जिला टोंक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि; राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैसलमेर में वाणिज्य; राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बौंली; राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मित्रपुरा, पीपलदा व पीपलवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में विज्ञान।

राज्य में वर्षों से शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स एवं मदरसा पैरा टीचर्स संविदा पर कार्यरत हैं। इनके द्वारा प्रदत्त की जा रही सेवाओं की उपयोगिता के

(श्री अशोक गहलोत)

मद्देनजर इनके मानदेय में 1 अप्रैल, 2020 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में लगभग 26 हजार पंचायत सहायक कार्यरत हैं। इनके द्वारा पंचायत स्तर पर विद्यालय सम्बन्धी लिपिकीय कार्य किया जा रहा है। इनकी सेवाओं की आवश्यकता के मद्देनजर इनकी वार्षिक अनुबंध अवधि 1 अप्रैल, 2020 से आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ायी जाती है।

राज्य के मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की भांति "विद्यार्थी बीमा योजना" में शामिल किया जाएगा, जिससे राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत 3 हजार 248 मदरसों में अध्ययनरत लगभग 2 लाख विद्यार्थी कवर होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश के ग्राम बड़ा, ग्राम बराना एवं ग्राम पटना, बारां; ग्राम सौठाना, जयपुर; तुरकिया, टोंक; साकड़ों का खेड़ा, चित्तौड़गढ़ में 33/11 के.वी. के सबस्टेशनों की स्थापना की जाएगी। साथ ही, रायपुर (भीलवाड़ा) एवं अंता (बारां) के वर्तमान विद्युत ग्रिड को आवश्यकता के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नवीन नगरपालिकाओं के गठन पर जनगणना कार्यों के कारण अभी रोक है। माननीय सदस्यों की मांगों को देखते हुए यह रोक हटते ही सीकरी, भरतपुर; सरमथुरा एवं बसेड़ी, धौलपुर; अटरू;, बारां; पावटा, जयपुर; सुल्तानपुर, कोटा; सपोटरा, करौली; लक्ष्मणगढ, अलवर एवं जावाल, सिरोही में नवीन नगरपालिकाओं के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि पूर्व सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना अच्छी योजना है, जिसमें जरूरतमंदों को सस्ता भोजन मिल पाता है, परन्तु इसे जिस रूप में बनाया गया था, उसमें गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। इसे ठीक करने का अलग से कार्य किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्त वर्ष में पोखरण, जैसलमेर; बिसाऊ एवं खेतड़ी, झुंझुनूं, सेड़वा, बाड़मेर; वजीरपुर, सवाई माधोपुर एवं नावां, नागौर में नवीन कृषि उपज मण्डियां खोलने की घोषणा करता हूं। साथ ही, सपोटरा, करौली; लवाण, दौसा एवं बैजूपाड़ा, दौसा में गौण मण्डियों की स्थापना की जाएगी। श्रीगंगानगर में वर्तमान में चल रहे कृषि अनुसंधान केन्द्र में भूमि, भवन, कृषि सम्बन्धी यंत्र, लैब की उपलब्धता को देखते हुए इसे राजकीय कृषि महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों, विशेष योग्यजनों, राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ियों, पालनहार योजना में लाभान्वित वर्गों, अन्य वर्गों के बी.पी.एल., अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवारों तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की कन्याओं के विवाह पर सहयोग राशि उपलब्ध करवाने हेतु वर्तमान में संचालित सहयोग एवं उपहार योजनाओं को समाहित करते हुए मुख्य मंत्री कन्यादान (हथलेवा) योजना चलायी जाएगी, जिसमें विवाह पर दी जाने वाली सभी राशियों को समान कर 31 हजार रुपये दिये जाएंगे एवं यदि कन्या दसवीं पास हो तो 41 हजार रुपये तथा स्नातक पास हो तो 51 हजार रुपये दिये जाएंगे। उक्त योजना में वर्तमान में विवाह के पश्चात् सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। अब इस योजना में विवाह से पूर्व 50 प्रतिशत राशि एवं विवाह पश्चात् (विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) 50 प्रतिशत राशि दी जाएगी।

राज्य में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित तीनों श्रेणियों के विशेष विद्यालय यथा मानसिक (बौद्धिक) दिव्यांग, मूकबधिर एवं दृष्टिबाधित के साथ-साथ मानसिक विमंदित (बौद्धिक दिव्यांग) पुनर्वास गृह में बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु इनमें कार्यरत सभी कार्मिकों के मानदेय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा एवं भरतपुर के नदबई में नवीन देवनारायण छात्रावास बनाये जाएंगे।

एम.बी.सी. की छात्राओं को उच्च शिक्षा सुलभ करवाने के लिए जयपुर जिले में एक कन्या छात्रावास की स्थापना की जाएगी।

जनजाति विकास हेतु बांसवाड़ा जिले में स्थित आस्था स्थल मानगढ़ धाम के विकास के लिए मानगढ़ धाम विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

राज्य में खेती के लिए वर्षा जल पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से एवं सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लम्बे समय से वृहत् सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें आई.जी.एन.पी., परवन, माही, नर्मदा, बीसलपुर मुख्य हैं एवं अब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के रूप में एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना हाथ में ली जा रही है, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। इसे भी हम चाहेंगे कि आप सबके सहयोग से टाप प्रायोरिटी दें।

जैसा कि मैं इस वर्ष के बजट भाषण में जिक्र कर चुका हूं कि पेयजल के लिए केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना में, इसका मैं

(श्री अशोक गहलोत)

आपको कह चुका हूं कि राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत रखी गयी है। प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह अपना योगदान पहाड़ी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह 90 प्रतिशत तक बढ़ाये। इसके लिए हम केंद्र सरकार से लगातार प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में स्थित जवाई बांध पाली, जालौर एवं सिरोही जिलों के पेयजल एवं सिंचाई का मुख्य स्रोत है। जवाई बांध में पानी की कमी को पूरा करने के लिए उदयपुर जिले के सेई बांध के अधिशेष जल को टनल के माध्यम से जवाई बांध में पहुंचाया जाता है। इसके उपरांत भी बांध में पानी की कमी रहती है एवं सेई बांध से अधिशेष पानी बहकर गुजरात चला जाता है। इस पानी को जवाई बांध में पहुंचाने के लिए पूर्व में निर्मित टनल की रीमाडलिंग कर, प्रवाह क्षमता बढ़ाने हेतु अगले वित्तीय वर्ष में कुल 100 करोड़ रुपये की परियोजना प्रारम्भ की जाएगी। इस हेतु वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

सिंचाई एवं पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए धौलपुर जिले में चम्बल नदी पर कालीतीर परियोजना की डी.पी.आर. बनायी जाएगी। इस हेतु एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इस परियोजना से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी और बसेड़ी के सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए बांसवाड़ा जिले की जलदा माइनर के निर्माण के लिए डी.पी.आर. बनायी जाएगी।

कोटा जिले में काली सिंध नदी पर बने हरिपुरा मांजी एनिकट की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। डूंगरपुर जिले में पणियाला नाका महिपालपुर एनिकट के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। डूंगरपुर जिले में ब्लाक झौथरी, ब्लाक घोडिया का नाका नहर मरम्मत व ब्लाक चिखली के आंबाकुआ बांध पाइप लाइन के सुदृढ़ीकरण की डी.पी.आर. बनायी जाएगी।

(18.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार कुछ सड़कें, जो कि सर्वाधिक सड़कें क्षतिग्रस्त थीं, उनका सर्वे करवाकर, जो नाम आये थे उनकी तो मैंने घोषणा की थी। बाकी बची हुई सड़कें जो हैं उनकी मैं अभी घोषणा करना चाहता हूं। भीलवाड़ा-कोटड़ी-पण्डेर-सावर सड़क, 13.6 किलोमीटर, 13 करोड़; धौलपुर जिले में सरमथुरा-झीरी सड़क, 20 किलोमीटर, 10 करोड़; फतेहपुर-चूरू-तारानगर-साहवा-नोहर-थालड़का-मुण्डा-हनुमानगढ़-गंगानगर सड़क,

(श्री अशोक गहलोत)

38 किलोमीटर, 25 करोड़; जैसलमेर से झिनझिनयाली सड़क, 42 किलोमीटर, 23 करोड़; जालोर जिले में बागरा-नारणावास-धवला-लेटा सड़क, 12 किलोमीटर, 3.5 करोड़; झुन्झुनूं जिले में बड़ागांवचनाना-जसरापुर-निजामपुर मोड़ सड़क, 35 किलोमीटर, 40 करोड़; करौली जिले में नादौती-श्रीमहावीरजी-खेड़ा सड़क, 31 किलोमीटर, 35 करोड़; नागौर जिले में परबतसर-हरसौर-डोडीयाना सड़क, 57 किलोमीटर, 34 करोड़; पाली जिले में मामावास प्याऊ से खारड़ा (मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र), 27 किलोमीटर एवं रेलवे स्टेशन सोजत रोड पर रेलवे अंडरपास का निर्माण क्रमश: 25 करोड़ व 4.36 करोड़; गंगानगर-हनुमानगढ़ सड़क, 17 किलोमीटर, 25 करोड़; उदयपुर जिले में देवला से कोटड़ा सड़क, 50 किलोमीटर, 14 करोड़; अलवर में स्टेट हाईवे 35 महुवा-मंडावर-गढ़ी-सवाईराम-लक्ष्मणगढ़-गोविन्दगढ़ सड़क, 35 करोड़; बाड़मेर में शास्त्रीनगर रेलवे फाटक, एल.सी. 327 पर आर.यू.बी. 3 करोड़; अजमेर जिले में किशनगढ़ स्थित पुराने रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे अंडरपास का निर्माण 3 करोड़; आगरा-धौलपुर लाइन पर बरेठा पंचायत, सेमरपुरा पर रेलवे अंडरपास का निर्माण, 4 करोड़; सिरोही जिले में पोसालिया-राड़बर/गौतम ऋषि डबल लेन सड़क का निर्माण, 10 करोड़; बीकानेर जिले की गौडू-बज्जू-कोलायत से जज्जू स्टेट हाईवे, 87ए सड़क का सुदृढ़ीकरण व मरम्मत, 20 करोड़; ऋषभदेव मंदिर परिसर के आस-पास सड़कों का निर्माण 2 करोड़।

बाड़मेर जिले की देताणी से गागरिया रोड को जी.आर.ई.एफ. से जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। केकड़ी-अजमेर एवं देवली-टोंक के बीच नेगड़िया पुल के दोनों तरफ एप्रोच रोड बनाई जाएगी। इसके लिए 9 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। कोटपूतली एवं नारेहेड़ा (जयपुर) तक बाईपास बनाने के लिए डी.पी.आर. बनाई जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में वर्ष 2020-21 में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सेवा स्तर से घर-घर पेयजल कनेक्शन से लाभान्वित करने के लिए 5 हजार 320 गांवों एवं 7 हजार 179 ढाणियों के लिए निम्न परियोजनाओं की 25 करोड़ रुपये की लागत से डी.पी.आर. तैयार करवायी जाएगी, जिससे जल मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। लगभग 15 हजार करोड़ की लागत की इन परियोजनाओं से प्रदेश की लगभग एक करोड़ 48 लाख अभिकल्पित आबादी को घर-घर पेयजल से लाभान्वित करने के कार्य हाथ में लिए जा सकेंगे:-

(श्री अशोक गहलोत)

बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण पार्ट ए एवं डी; अटरू, शेरगढ़ एवं नागदा, अंता, बलदेवपुरा पेयजल परियोजनाएं जिला बारां; राजगढ़ पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़; फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना जिला सीकर; रतनगढ़-सुजानगढ़ पेयजल परियोजना, जिला चूरू; एकीकृत तारानगर झुन्झुनूंसीकर-खेतड़ी पेयजल परियोजना, जिला झुन्झुनूं; बीसलपुर-केकड़ी पेयजल सिस्टम का पुनरुद्धार मय केकड़ी-सरवाड़ परियोजना का संवर्द्धन, जिला अजमेर; राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल आधारित कानसिंह की सिद-मण्डोर परियोजना, पीलवा-सादड़ी-जम्बेश्वर नगर तथा माणकलाव-दाईजर परियोजना, जिला जोधपुर; चम्बल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना के अन्तर्गत गांवों एवं ढाणियों में आंतरिक पेयजल वितरण प्रणाली विकसित करने का कार्य, जिला भीलवाड़ा; हाड़ौती सम्भाग के 3 जिलों के 8 विधान सभा क्षेत्रों (बारां-अटरू, छबड़ा, किशनगंज, अंता, सांगोद, पीपल्दा, खानपुर व मनोहरथाना) के 1 हजार 612 गांवों की परवन पेयजल परियोजना; नौनेरा बैराज से कोटा-बूंदी एवं बारां जिलों के 752 गांवों एवं 4 कस्बों की पेयजल परियोजना; चम्बल-धौलपुर-भरतपुर वृहत पेयजल परियोजना, फेज-प्रथम; पार्ट प्रथम व द्वितीय के अन्तर्गत धौलपुर जिले की तहसील धौलपुर एवं सैपऊ के 106 गांवों तथा भरतपुर जिले की तहसील रूपवास, कुम्हेर, कामां, पहाड़ी, डीग, नगर, भरतपुर के 945 गांवों की पेयजल परियोजना एवं धौलपुर जिले की बसेड़ी-सरमथुरा तहसील के 84 गांवों की पार्वती बांध आधारित पेयजल परियोजना।

राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज-तृतीय आधारित 1 हजार 458 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना हमारे द्वारा पूर्व में घोषित की गयी थी। इस परियोजना के लिए JICA (जायका) से ऋण लेने हेतु हाल ही में हमारे द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। इस योजना के लिए वर्ष 2020-21 में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

जयपुर जिले की बगरू क्षेत्र की ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका बगरू को बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध रूप से कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

डूंगरपुर जिले में कडाना बांध के बैकवाटर से चौरासी विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति चिखली, सीमलवाड़ा एवं झौथरी के समस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु डी.पी.आर. तैयार करवायी जाएगी।

(श्री अशोक गहलोत)

अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे की जलप्रदाय योजना के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए डी.पी.आर. बनायी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष में राजकीय अस्पताल, उच्चैन, नगर, मुख्यालय-भरतपुर; डीडवाना, नागौर; पलसाना, सीकर; सी.एच.सी. निवाई, टोंक; मलारना चोड़, सवाईमाधोपुर; नोहर, हनुमानगढ़ एवं सी.एच.सी. कापूंदा, चित्तौड़गढ़ को ट्रोमा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। किशनगढ़बास के कस्बा खैरथल में सेटेलाइट हास्पिटल की स्थापना की जाएगी।

राज्य के राजकीय चिकित्सालयों की क्षमता वृद्धि के लिए हमने पिछले बजट एवं इस बजट में एक-एक हजार बैड्स (कुल दो हजार) की बढ़ोतरी की है। इसके अन्तर्गत निम्न अस्पतालों में बैड वृद्धि की जाएगी:-

सुजानगढ़, चूरू चिकित्सालय में 100 से 150 बैड; नोहर, हनुमानगढ़ राजकीय चिकित्सालय में 50 से 100 बैड; बाड़ी, धौलपुर सामान्य अस्पताल में 150 से 200 बैड, सी.एच.सी. भुसावर, भरतपुर में 30 से 50 बैड, सी.एच.सी. मंडरायल, करौली में 30 से 50; सी.एच.सी. सपोटरा, करौली में 30 से 50; सी.एच.सी. जैतारण, पाली में 75 से 100; सी.एच.सी. महुवा, दौसा में 50 से 100, सी.एच.सी. सरमथुरा, धौलपुर में 30 से 50; सी.एच.सी. बसेड़ी, धौलपुर में 50 से 100; सी.एच.सी. बसईनवाब, धौलपुर में 30 से 50; सी.एच.सी. टोडाभीम, करौली में 50 से 100; सी.एच.सी. निवाई, टोंक में 50 से 100; सी.एच.सी. ईटावा, कोटा में 30 से 50; सी.एच.सी. कामां, भरतपुर में 50 से 100, सी.एच.सी. बीदासर, चूरू में 30 से 50; सी.एच.सी. डूंगरा छोटा, बांसवाड़ा में 50 से 100; सी.एच.सी. जोजावर, पाली में 30 से 50; सी.एच.सी. गंगरार, चित्तौडगढ़ में 50 से 75; सी.एच.सी. डेगाना, नागौर में 30 से 100; सी.एच.सी. बिलाड़ा, जोधपुर में 75 से 100; सी.एच.सी. सलूम्बर, उदयपुर में 100 से 150 बैड; सादुलशहर, गंगानगर राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र में 30 से 50; रैफरल अस्पताल छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में 30 से 50 बैड; किशनगंज, बारां के चिकित्सालय में 30 से 50 बैड।

माननीय अध्यक्ष महोदय, काकलियर इम्प्लांट मूक-बधिर बच्चों के लिए जिंदगी बचाने का बहुत बड़ा उपकरण साबित हुआ है। इसको सरकार ने बहुत प्रोत्साहन दिया है एवं खुशी है कि भारत सरकार ने इस काकलियर इम्प्लांट लगाने के लिए एक अभियान चलाया है। मैं यहां पर घोषणा करना

(श्री अशोक गहलोत)

चाहूंगा, क्योंकि अल्प आय वर्ग के मूक-बधिर बच्चों के लिए पूर्व कार्यकाल में मुख्य मंत्री सहायता कोष से काकलियर इम्प्लांट शुरू किये गये थे। कोष से अब तक कुल एक हजार लाभान्वितों को लगभग 50 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी है। इम्प्लांट के रख-रखाव का व्यय अधिक होने के कारण पीड़ित बच्चों के परिजन यह आर्थिक भार उठाने में असमर्थ हैं। बी.पी.एल. सहित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की आयु 18 वर्ष होने तक इम्प्लांट के रख-रखाव पर होने वाले वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम 50 हजार रुपये की सीमा तक प्रतिवर्ष सहायता मुख्य मंत्री सहायता कोष से देने की घोषणा करता हूं।

माननीय सदस्यों की मांगों को देखते हुए सुजानगढ़, चूरू; दूदू, जयपुर; बालोतरा, बाड़मेर; भिवाड़ी, अलवर एवं कुचामन सिटी, नागौर में नवीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालयों के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

आगामी वर्ष प्रदेश के खंडेला, सीकर; नीमराणा, अलवर; छतरगढ़, बीकानेर एवं करेड़ा, भीलवाड़ा में मुंसिफ कोर्ट खोली जाएगी। इसके अतिरिक्त, फागी, जयपुर के मुंसिफ कोर्ट को ए.सी.जे.एम. कोर्ट में क्रमोन्नत किया जाएगा एवं सिकराय, जिला दौसा में नवीन अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश कोर्ट की स्थापना की जाएगी।

माननीय विधायक, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, उन्हें यथोचित सम्मान मिले, यह बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह चुका हूं। इसके लिए परिपत्र भी जारी कर दिया है।

राज्य सरकार प्रदेश में संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य योजनाओं की आवश्यकता/उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए समान प्रकृति की योजनाओं को मर्ज किये जाने, अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त किये जाने, क्रियान्वयन में सुगमता, लाभार्थियों एवं लाभों का दोहराव रोकने एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी। इस हेतु मैं राज्य में संचालित योजनाओं के रेशनलाइजेशन एवं प्रायोरिटाइजेशन के लिए अधिकारी समूह गठित किये जाने की घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 1,200 से अधिक योजनाएं हैं। हम चाहेंगे कि उनको मर्ज करके कैसे उनका अधिक से अधिक उपयोग हो सके।

(श्री अशोक गहलोत)

उदयपुर जिले में ऋषभदेव मंदिर के विकास के लिए एक करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।

सरदारशहर, चूरू; भादरा, हनुमानगढ़; करेड़ा, भीलवाड़ा; सादुलशहर, श्रीगंगानगर; मंडावा, झुंझुनूं; नदबई, भरतपुर एवं कठूमर, अलवर में आई.टी.आई. स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी।

सवाई माधोपुर जिले में चम्बल घड़ियाल अभयारण्य के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एवं ईको प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए अभयारण्य विकसित किया जाएगा।

राज्य में खेलों के सफलतापूर्वक आयोजन से खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण बना है। राजस्थान के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए खेल गतिविधियां अहम हैं। इसी को देखते हुए पोकरण, जैसलमेर; बायतू, बाड़मेर; परसरामपुरा, झुंझुनूं; नावां, नागौर; तारानगर, चूरू; निवाई, टोंक; नगर, पहाड़ी, नदबई, भरतपुर; भिवाड़ी, अलवर; लक्ष्मणगढ़, नीम का थाना, सीकर; कपूरी, रायपुर, पाली एवं लूणी, मथानिया, जोधपुर में स्टेडियम तथा नोहर, बिहाणी, हनुमानगढ़ में इनडोर स्टेडियम बनाये जाएंगे। जिन जगहों पर एम.एल.ए. लैड, एम.पी. लैड, सी.एस.आर.; भामाशाह सहयोग करेंगे, वहां पर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। साथ ही, राज्य सरकार प्रत्येक स्टेडियम के लिए 25 लाख रुपये देगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुपोषण को कम करने के लिए मातृत्व पोषण को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार सदैव कृतसंकल्प है। अतः टी.एस.पी. क्षेत्र के चार जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर में पायलट बेसिस पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत द्वितीय संतान के जन्म पर उसकी माता को 6 हजार रुपये की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से दी जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस से राज्य के पर्यटन उद्योग पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि विदेशी पर्यटकों के आगमन में भारी कमी आयी है। इससे पर्यटन इकाइयों पर दबाव पड़ा है। इन पर्यटन इकाइयों को तात्कालिक राहत प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के होटलों एवं रेस्टोरेंट्स पर लगने वाले आबकारी प्रशुल्क में 10 प्रतिशत की कमी की जाएगी।

(श्री अशोक गहलोत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय निकायों के चुनावों की आचार संहिता लगने के कारण जयपुर, जोधपुर एवं कोटा सम्बन्धी हमारे कई प्रस्ताव रुक गये हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जामडोली तथा कंवर नगर, ब्रह्मपुरी, जयपुर में नवीन महाविद्यालय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पालड़ी मीणा एवं बगराना, जयपुर में नवीन संकाय खोलना चाहते थे। आचार संहिता कल ही लगी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए अभी यह खोलना सम्भव नहीं होगा। इसको हम आगे देखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: तमाम माननीय पक्ष-विपक्ष के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं एवं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2020 पारित किया गया।

प्रस्ताव

कार्य विन्यास में परिवर्तन

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 मार्च, 2020 को निम्नांकित विधेयक सदन में पुर:स्थापित किये गये। राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020; रजिस्ट्रीकरण राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 2020; राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020, कार्य सलाहकार समिति के 16वें प्रतिवेदन के अनुसार सदन में विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयकों के साथ-साथ उपरोक्त तीनों विधेयकों को भी विधान सभा के कार्य दिवस के दिन सदन के विचारार्थ लिया जाए। क्या सदन इसकी सहमति देता है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप एक दिन बढ़ा दें न।

श्री अध्यक्ष: आप, माननीय सदस्य, बैठें। इस पर सदन सहमति देता है?

(स्वीकृत)

इन तीनों बिलों के लिए स्वीकृति दी जाती है प्रस्तुत करने के लिए।

(श्री अध्यक्ष)

घोषणा

सर्वश्रेष्ठ विधायक का चयन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन हेतु गठित समिति ने दिनांक 27 फरवरी, 2020 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से 15वीं राजस्थान विधान सभा की निम्न अवधि में निम्नांकित विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) श्री ज्ञानचंद पारख, वर्ष 2019,

(2) श्री संयम लोढ़ा, वर्ष 2020.

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त विधायकों को माननीय अध्यक्ष एवं माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से एक स्मृति चिह्न तथा प्रशस्ति पत्र दिये जाने हेतु एक समारोह सदन में विधान सभा की कार्यवाही स्थगित किये जाने के तुरन्त पश्चात् आयोजित किया जाएगा।

माननीय सदस्यगण, आप स्वयं जानते हैं कि पूरा देश आज कोरोना वायरस के बारे में चिंतित है। भारत सरकार ने इसके बारे में एडवाइजरी भी दी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी आपका ध्यान आकर्षित किया है। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं सदन की कार्यवाही को 26 तारीख तक के लिए स्थगित करता हूं। 26 तारीख को 11.00 बजे सदन की कार्यवाही होगी। तब तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.15 बजे गुरुवार, 26 मार्च 2020 तक के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

डग के श्रमिक कार्ड धारकों को शुभशक्ति योजना में प्राप्त राशि

377. श्री कालूराम (डग): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में अब तक कितने श्रमिक कार्ड बनाये गये व कितने आवेदन लम्बित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने श्रमिक कार्ड धारकों को वर्ष 2018-2019 तक क्या-क्या सुविधाएं व लाभ दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या श्रमिक कार्ड धारकों के पक्के मकान बनाने का भी प्रावधान है? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के मकान बनाये गये?

(4) शुभशक्ति योजना से श्रमिक कार्ड धारकों को मिलने वाली राशि से कितनी महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ व कितने लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में 05.03.2020 तक कुल 7,161 निर्माण श्रमिकों को हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा 569 आवेदन निरस्त, 3,318 आवेदन हिताधिकारी स्तर पर आक्षेप पूर्ति हेतु लम्बित एवं 160 आवेदन विभागीय स्तर पर लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डग में 31 मार्च, 2019 तक कुल 1,246 आवेदन स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) मण्डल द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं में पक्के मकान बनाकर उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है एवं कोई योजना संचालित नहीं है। अपितु अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत मण्डल द्वारा ''सुलभ्य आवास योजना" संचालित की जा रही है, जिसका मूल उद्देश्य केन्द्र सरकार की हाउसिंग फार ऑल मिशन (अरबन) अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्य मंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्राप्त करने की पात्रता रखने

(राज्य मंत्री, श्रम)

वाले हिताधिकारियों को उक्त योजनाओं में आवास प्राप्त करने के लिए अथवा हिताधिकारी द्वारा स्वयं के भूखण्ड पर निर्मित आवास पर मण्डल द्वारा अनुदान प्रदान कर हिताधिकारियों के आवास निर्माण में सहयोग प्रदान करना है, जिसमें योजना के प्रावधानुसार मण्डल द्वारा अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का अनुदान देय है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में शुभशक्ति योजना के अन्तर्गत कुल 67 श्रमिकों के आवेदन स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है तथा कुल 313 आवेदन लम्बित हैं जिनमें से 95 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर आक्षेपपूर्ति हेतु लम्बित तथा 218 आवेदन विभागीय स्तर पर लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बांदीकुई में नवीन पशु चिकित्सालय की स्थापना

458. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां स्वीकृत किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में भी नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोई भी पशु चिकित्सालय स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) जी हां। पशु चिकित्सालय आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोले जाते हैं।

सवाई माधोपुर में संचालित पशु चिकित्सालय

459. श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

वर्तमान में जिला सवाई माधोपुर में कितने पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र कहां-कहां पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला सवाई माधोपुर में वर्तमान में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में किसानों को सौर ऊर्जा पर अनुदान

460. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा पर अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2017 से दिसम्बर, 2019 तक जयपुर जिले के कितने किसानों को अनुदान दिया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि सौर ऊर्जा के आवेदन करने के तीन वर्ष के उपरान्त भी अनुदान की स्वीकृति जारी नहीं होती? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? उक्त पत्रावलियों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले में वर्ष 2017 से दिसम्बर, 2019 तक 1,499 कृषकों को अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र दिये गये।

(2) सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र कृषकों द्वारा अनुदान पर लगवाने हेतु ई-मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। उद्यान विभाग में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र लगाने हेतु कुल प्राप्त ऑनलाइन आवेदकों की संख्या सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र परियोजना के लक्ष्यों से अधिक होने के कारण कई आवेदन लम्बित रहते हैं। वर्तमान में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान" योजना के कम्पोनेंट "बी" अन्तर्गत 7.5 एच.पी. पम्प क्षमता तक के सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र, जिसमें 30 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार तथा 30 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा कुल 60 प्रतिशत अनुदान पर 25,000 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र कृषकों को अनुदान पर दिये जाने की योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।

नवाचार हेतु कृषकों को इनाम राशि का वितरण

461. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में नवाचार हेतु कृषकों को इनाम राशि वितरित की गई है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में दिनांक 01.04.2014 से 31.01.2020 तक कितनी राशि किस दर से स्वीकृत की गयी? वर्षवार व लाभार्थीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कृषकों को देय इनाम की राशि में वद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं कितनी राशि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (NMAET) सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन (आत्मा) हरित कृषोन्नति योजना के अन्तर्गत श्रेष्ठ

(कृषि मंत्री)

कृषकों का चयन जिले की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित आत्मा शाषी परिषद् द्वारा किया जाकर पंचायत समिति स्तर व जिला स्तर के कृषक पुरस्कार दिये जाते हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कार का चयन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा श्रेष्ठ कृषकों का चयन कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त दिया जाता है। एक कृषक को एक ही बार इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है। पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01-04-2014 से 31-01-2020 तक आत्मा योजना अन्तर्गत श्रेष्ठ कृषकों को कृषि नवाचार हेतु वितरित की गई कृषक पुरस्कार राशि का वर्षवार व लाभार्थीवार विवरण परिशिष्ट-(अ) पर संलग्न है। आत्मा योजना के अतिरिक्त, कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं उद्यान विभाग द्वारा कृषकों को नवाचार हेतु दिनांक 01-04-2014 से 31-01-2020 तक पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई पुरस्कार/इनाम राशि वितरित नहीं की गयी है।

(2) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (NMAET) सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन (आत्मा) हरित कृषोन्नति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कैफेटैरिया अनुसार ही श्रेष्ठ कृषकों को कृषि नवाचार हेतु कृषक पुरस्कार दिये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फतेहपुर (सीकर) के कृषि महाविद्यालय में रिक्त पद

462. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या (कृषि) (तकनीकी शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में कृषि महाविद्यालय संचालित है? यदि हां, तो कब से तथा उक्त में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में कृषि महाविद्यालय वर्ष 2013 से संचालित हैं, जिसमें स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(कृषि (तकनीकी शिक्षा) मंत्री)

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	अधिष्ठाता	01	00
2.	सह आचार्य	02	00
3.	सहायक आचार्य	05	00
4.	पुस्तकालय सहायक	01	01
5.	निजी सहायक	01	00
6.	लिपिक ग्रेड-प्रथम	01	00
7.	लिपिक ग्रेड-द्वितीय	02	00
8.	प्रयोगशाला सहायक	02	02
9.	कृषि पर्यवेक्षक	01	01
10.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	00
योग		**21**	**04**

जैतारण में स्वीकृत डी.एम.एफ.टी. में कार्य

463. श्री अविनाश (जैतारण): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्ष 2019-20 में कौन-कौनसे कार्य स्वीकृत हुए एवं उनमें से कितने कार्य पूर्ण कर दिये एवं कितने कार्य अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में डी.एम.एफ.टी. व अन्य विकास योजनाओं के तहत कितने-कितने कार्य स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण व कितने कार्य अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2019-20 में स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को सरकार पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् प्रदेश व पाली जिले में

(श्री अविनाश)

डी.एम.एफ.टी. की बैठकें कब-कब कितनी बार हुई? जिले में डी.एम.एफ.टी. बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्ष 2019-20 में कुल स्वीकृत किये गये कार्य, पूर्ण/प्रगतिरत कार्य का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्ष 2019-20 में डी.एम.एफ.टी. व अन्य विकास योजनाओं के तहत कुल स्वीकृत किये गये कार्य, पूर्ण/प्रगतिरत कार्य का विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(3) वर्ष 2019-20 में स्वीकृत कार्यों को बजट उपलब्धता अनुसार पूर्ण करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् पाली जिले सहित प्रदेश में डी.एम.एफ.टी. की मैनेजिंग कमेटी एवं गवर्निंग काउन्सिल की आयोजित बैठकों की संख्या का दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। जिले में मैनेजिंग कमेटी एवं गवर्निंग काउन्सिल का अध्यक्ष सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट होता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जहाजपुर में अवैध बजरी खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

464. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बजरी लीज अनुज्ञाधारियों को आबंटित कर रखी है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सहित लीज का स्थान, खसरा नम्बर मय अनुज्ञाधारियों के नामवार, अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में अवैध बजरी खननकर्ताओं के विरुद्ध कितनी कार्यवाही, कब-कब कहां-कहां की गई? जुर्माना राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अवैध बजरी खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए बजरी रायल्टी को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विभाग द्वारा खातेदारी भूमि में खनिज बजरी के 4 खनन पट्टे स्वीकृत कर रखे हैं। स्वीकृति आदेश की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर तथा खनन पट्टेधारियों के नाम, स्थान, खसरा नम्बर, अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में वर्ष 2019-20 में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के 178 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी, जिसका दिनांक/स्थानवार जुर्माना राशि सहित विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) सरकार द्वारा बजरी के अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु समस्त जिलों में राजस्व, खान, परिवहन, पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विशेष जांच दल (SIT) गठित किये हुए हैं जिनके द्वारा औचक निरीक्षण कर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों में बोर्डर होमगार्ड्स की तीन कम्पनियों (नफरी 333) के जवान भी उपयोग में लिये जा रहे हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, दिनांक 16.11.2017 से बिना रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी एवं पर्यावरण क्लीयरेन्स के बजरी खनन पर रोक के पश्चात् दिनांक 29.02.2020 तक की अवधि में राज्य में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के 28,164 प्रकरण दर्ज कर शास्ति रुपये 164.66 करोड़ वसूल की गयी एवं 2,466 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है।

नदी-नालों से बजरी के खनन के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अत: माननीय न्यायालय के निर्णय पश्चात् ही समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. हनुमानगढ़ जंक्शन के प्रबन्ध संचालक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

465. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., हनुमानगढ़ जं. के वर्तमान प्रबन्ध संचालक को उनके विरुद्ध हुई अनियमितता व नियम विरुद्ध कार्य करने की शिकायतों की विभागीय जांच में आर.सी.डी.एफ. ने दोषी पाया है? यदि हां, तो उक्त को किस-किस प्रकरण में दोषी पाया गया व

(श्री जगदीश चन्द्र)

उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., हनुमानगढ़ जं. के वर्तमान प्रबन्ध संचालक को उनके खिलाफ हुई भ्रष्टाचार व नियम विरुद्ध कार्य करने की शिकायतों की विभागीय जांच में निम्न प्रकरणों में दोषी पाया गया हैः-

(अ)

(i) ई.टी.पी. प्लांट में बिना बी.एस.सी. कैमेस्ट्री योग्यता वाले व्यक्ति से काम कराया जाना। निविदा में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन, जिससे संस्था को हानि हुई।

(ii) ई.टी.पी. मरम्मत के कार्य में कमेटी द्वारा उपापन प्रक्रिया पूर्ण नही किया जाना और नियम विरुद्ध भुगतान।

(iii) संघ द्वारा श्रमिकों की सेवाओं के विरुद्ध अनावश्यक भुगतान एवं कार्य के प्रति लापरवाही के कारण संघ को आर्थिक हानि।

उक्त प्रकरणों में श्री पवन कुमार गोयल के विरुद्ध राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन एम्लाइज अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अपील रेगुलेशन 1980 के नियम 12 (दीर्घशास्ति के प्रावधान) के अन्तर्गत जांच प्रक्रियाधीन है।

(ब)

(i) तूड़ी की स्थानीय बाजार में अनुमानित दर का स्पष्ट आंकलन होने के उपरान्त भी निविदा राशि व अमानत राशि कम रखना स्पष्ट संकेत करता है कि निविदा नियमों की जानकारी होते हुए भी अनदेखी करने तथा आर.टी.पी.पी. एक्ट की अवहेलना करने तथा क्रूड प्रोटीन, क्रूड फाइबर व इथर एक्सट्रेक्ट की टेस्टिंग न करवाकर बिना टेस्टिंग के निम्न स्तर की तूडी खरीदने व पार्टी के साथ सांठगाठ कर भुगतान।

(ii) मेनगेट पार्लर पर स्टाक से बैलेंस कम न होना, बिना बिल के घी राज्य के बाहर भेजना, कर चोरी के आरोप में घी पकड़े जाने एवं शास्ति लगने पर फूटेटा देशी घी अबोहर के नाम से बाद में फर्जी बिल संख्या 11183 बनाना, बिल संख्या 11182 व 11183 की प्रविष्टि न होना, पुनः घी आने के उपरान्त घी की स्टाक रजिस्टर में

(गोपालन मंत्री)

प्रविष्टि न होना, ये सब गतिविधियां संदेहात्मक पाई गयी हैं तथा इस मामले में श्री गोयल को दोषी पाया गया है।

उक्त प्रकरणों में श्री पवन कुमार गोयल के विरुद्ध राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन एम्लाइज अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अपील रेगूलेशन, 1980 के नियम 12 (दीर्घशास्ति के प्रावधान) के अन्तर्गत जांच प्रक्रियाधीन है।

बस्सी में अरावली वन क्षेत्र में बन्द खानें

466. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अरावली फोरेस्ट जोन में कौन-कौनसी खाने कब से बन्द हैं? पट्टेधारियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रधान एवं अप्रधान कौन-कौनसे खनिजों का कहां-कहां उत्खनन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अरावली हिल्स/वन क्षेत्र में 5 खनन पट्टों में खनन कार्य बन्द है। पट्टेधारियों के नाम, बन्द दिनांक एवं बन्द के कारण सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में प्रधान खनिज का कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने से उक्त खनिज का उत्खनन नहीं हो रहा है। अप्रधान खनिज चेजा पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फैल्सपार, सिलिका सेण्ड आदि के 132 खनन पट्टे स्वीकृत हैं, जिनमें से 111 खनन पट्टों में खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। उत्खनन के स्थान सहित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगापुर (भीलवाड़ा) स्थित स्पिन फैड के कर्मचारियों का समायोजन

467. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की नगरपालिका गंगापुर में स्थित स्फिन फैड मील में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों में से किन-किनका किस-किस विभाग में समायोजन कर दिया गया है व कितने शेष हैं? क्या सरकार शेष कार्मिकों के समायोजन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र की गंगापुर इकाई के 14 अधिकारी/कर्मचारियों एवं 72 श्रमिकों का विभिन्न विभागों में समायोजन किया जा चुका है। 14 अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किया जा चुका है एवं 5 अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। 875 श्रमिकों में से 458 श्रमिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गये एवं 7 श्रमिक सेवानिवृत्त/मृतक हैं। 205 श्रमिक विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। 109 अस्थाई श्रमिक, जिन्होंने 240 दिन का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया था, उनकी सेवाएं समाप्त हो गयी थीं। 11 श्रमिक मील की सुरक्षा इत्यादि कार्यों हेतु इकाई में कार्यरत हैं। 23 श्रमिकों की शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण उनका प्रतिनियुक्ति/समायोजन नहीं हो सका है। योग्यताधारी कर्मचारियों/श्रमिकों के समायोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

शाहपुरा-बनेड़ा की सहकारी समितियों का आडिट

468. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा में विभाग द्वारा किस-किस श्रेणी की कितनी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं? नाम व स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सहकारी समितियों का नियमानुसार आडिट किया जा रहा है? यदि नहीं, तो वर्तमान में कितनी समितियों का आडिट हो चुका है और कितनी समितियों का अभी तक आडिट शेष है? नाम व स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समितियों का समय पर आडिट नहीं होने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं और उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(4) उक्त समितियों का अब कब तक आडिट पूरा करा लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा-बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र में कुल 312 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। पंजीकृत सहकारी समितियों की श्रेणीवार विषयवार सूची संलग्न हैं। (प्रदर्श-1)

(2) जी हां। राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आडिट किया जा रहा हैं। 31 जनवरी 2020 तक शाहपुरा-बनेड़ा विधान सभा क्षेत्र की 223 ऑडिट योग्य सहकारी समितियों का आडिट पूर्ण किया जा चुका है और 50 समितियों का आडिट होना शेष है। नाम तथा स्थान सहित सूची संलग्न हैं। (प्रदर्श-2)

(3) राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार समय पर समितियों का आडिट करवाने हेतु समिति का संचालक मण्डल/सचिव उत्तरदायी हैं। समितियों द्वारा समय पर आडिट नहीं करवाने पर विशेष लेखापरीक्षक की अनुशंसा पर उप रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियमानुसार/नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(4) आडिट से शेष समितियों की आडिट कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

उदयपुर के किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी

469. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) किसान सम्मान निधि योजना में जिला उदयपुर के कितने किसान अब तक लाभान्वित हो चुके हैं? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निकट भविष्य में सरकार कृषक कल्याण के लिए कोई नई योजना लाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिनांक 04/03/2020 तक उदयपुर जिले में लाभान्वित किसानों की ब्लॉकवार संख्या सूची परिशिष्ट -01 पर उपलब्ध है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा कृषक कल्याण के लिए 2020-21 हेतु निम्न बजट घोषणाएं की गयी हैं-

1. राज्य मे कृषि के लिए भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल-संग्रहण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्षा जल संग्रहण हेतु वर्ष 2020-21 में 12 हजार 500 फार्म पौण्डों का निर्माण करवाया जाएगा।
2. वर्ष 2020-21 मे 2 लाख टन यूरिया तथा 1 लाख टन डीएपी के अग्रिम भंडारण हेतु राज्य सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।
3. प्रदेश में किसानों को किराये पर खेती सम्बन्धी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए के.वी.एस.एस./जी.एस.एस. के माध्यम से मांग के अनुसार 100 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सैन्य बलों के शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को परिलाभ

470. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सैन्य बलों में कार्यरत प्रदेश के निवासियों के शहीद होने पर क्या-क्या परिलाभ देय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2018 व जनवरी, 2019 में प्रदेश में हुए शहीदों के आश्रितों को दी गई सहायता राशि में अन्तर था? यदि हां, तो कितना-कितना? सहायता राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शहीदों को समान परिलाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सैन्य बलों में कार्यरत प्रदेश के निवासियों के शहीद होने पर देय परिलाभों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) तत्समय लागू आदेशों के अनुरूप शहीदों के आश्रितों को परिलाभ दिये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़ी में ग्रामीण परिवहन बस सेवा का संचालन

471. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के मुख्यालय से ग्राम पंचायत मुख्यालय धीमरी के लिए वाया ग्राम पंचायत मुख्यालय सनौरा, ग्राम टोडपुरा, खूले का पुरा, धन्नू का पुरा होते हुए राजस्थान राज्य परिवहन की ग्रामीण बस सेवा का संचालन कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बिजौलिया (भीलवाड़ा) में परिवहन कार्यालय की स्थापना

472. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के बिजौलिया में परिवहन कार्यालय की शाखा खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में कम कर्मचारी पदस्थापित हैं, जिससे सर्वप्रथम संचालित परिवहन कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। उक्त कारण से बिजौलिया में परिवहन कार्यालय खोले जाने का अभी विचार नहीं है।

आहोर (जालौर) में नये बस स्टैण्ड का निर्माण

473. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उप खण्ड मुख्यालय आहोर का वर्तमान बस स्टैण्ड का रास्ता शहर के छोटी गलियों में से होने के कारण परिवहन निगम की बसें नहीं आ जा रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को कई वर्षों से असुविधा हो रही है?

(श्री छगनसिंह)

(2) क्या सरकार आहोर में नया बस स्टैण्ड निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप खण्ड मुख्यालय आहोर के वर्तमान बस स्टैण्ड का रास्ता शहर के छोटी गलियों में से है।

आहोर बस स्टैण्ड होकर जाने वाले राजस्थान परिवहन निगम के वाहनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण आहोर में नये बस स्टैण्ड के निर्माण का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

निजी वाहन फिटनेस सेन्टरों द्वारा मानदण्डों की अवहेलना पर कार्यवाही

474. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में सरकार द्वारा वाहनों के फिटनेस के लिए प्राइवेट फिटनेस सेन्टर को अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो प्रदेश के कौन-कौनसे जिले में किन-किन सेन्टर को अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों की फिटनेस कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम से होना अनिवार्य है? यदि हां, तो उक्त अनुज्ञाधारी फिटनेस सेंटर पर निर्धारित मानदण्ड फिटनेस की जा रही है? यदि हां, तो किन -किनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्राइवेट सेन्टर खोलने से प्रदेश को राजस्व हानि का मूल्यांकन किया गया है? यदि हां, तो उक्त सेन्टरों से वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितनी आय हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वाहनों की फिटनेस के लिए फिटनेस सेन्टर को अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों की फिटनेस कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम से होना अनिवार्य नहीं है। अनुज्ञाधारी फिटनेस सेन्टर्स

(परिवहन मंत्री)

पर फिजा-2018 के प्रावधानानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप फिटनेस की जा रही है। निर्धारित मापदण्डानुसार फिटनेस नहीं करने वाले निजी फिटनेस सेन्टर्स के विरुद्ध फिजा-2018 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाकर 4 निजी फिटनेस सेन्टर्स को निलम्बित किया गया है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	फिटनेस सेन्टर का नाम	निलम्बन तिथि	निलम्बन अवधि
1	मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेन्टर, चित्तौड़गढ़	16.01.2020	कमियों को दुरुस्त करने तक
2	नवकार श्री फिटनेस टेस्टिंग सेन्टर, चित्तौडगढ़	16.01.2020	कमियों को दुरुस्त करने तक
3	अरावली फिटनेस टेस्टिंग सेन्टर, चित्तौड़गढ़	20.01.2020	30 दिवस तक
4	श्री बीकानेर फिटनेस सेन्टर, बीकानेर	07.02.2020	30 दिवस तक

(3) जी नहीं।

मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स का नियमितीकरण

475. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित मदरसों में दीर्घ अवधि से पैराटीचर्स कार्यरत हैं? यदि हां, तो प्रदेश में कितने मदरसे चल रहे हैं तथा उनमें कितने पैराटीचर्स हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स को निश्चित मानदेय दिया जाता है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षो में कितना-कितना मानदेय किस-किस वर्ष में कितना-कितना बढ़ाया गया? क्या सरकार उक्त पैराटीचर्स को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में वर्ष 2001

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

से चरणवार शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। प्रदेश में राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत 3,248 मदरसों में 5,897 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगी को निश्चित मानदेय दिया जाता है। विगत पांच वर्षों में मानदेय में निम्नानुसार वर्षवार वृद्धि की गयी है:-

वर्ष	**मानदेय में वृद्धि की दर (रुपयों में)**
2014	400
2016	800
2017	दस प्रतिशत
2018	दस प्रतिशत
2019	400

मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प.5(1)मम/2019, दिनांक 01.01.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु श्री बुलाकी दास कल्ला, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मदरसा शिक्षा सहयोगियों के सम्बन्ध में चाही गई सूचना मंत्री स्तरीय समिति को प्रेषित की जा चुकी है। प्रकरण उक्त समिति के समक्ष विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में आयोजित जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठकें

476. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में वर्ष 2014 से 31 जनवरी, 2020 तक जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठकें कब-कब आयोजित की गयीं और बैठकों में कितने लोगों ने शिकायतें दर्ज करवायी तथा दर्ज शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया व कितनी शेष हैं? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया? यदि हां, तो वर्ष 2014 से 31 जनवरी, 2020 तक

(श्रीमती मीना कंवर)
कब-कब, किन-किनके द्वारा जन सुनवाई की गयी? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जन सुनवाई में कितने लोगों ने शिकायतें दर्ज करवायीं तथा दर्ज शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया व कितनी शेष हैं? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की वर्ष 2014 से अब तक 41 बैठकों का आयोजन किया गया है।

बैठकों में वर्ष 2014 से अब तक 313 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हैं।

दर्ज 328 शिकायतों में से वर्ष 2014 से अब तक 305 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

वर्ष 2014 से अब तक 23 प्रकरण लम्बित हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2014 से अब तक जिला स्तरीय 61 जन सुनवाइयों का आयोजन जिला कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा किया गया है। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जिला स्तर जन सुनवाइयों में 1,427 प्रकरण दर्ज किये गये, 1,413 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। अब तक 14 प्रकरण लम्बित हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

477. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु कहां-कहां पर भवन उपलब्ध हैं तथा कहां-कहां पर किराये पर चल रहे हैं? सरकार द्वारा उक्त केन्द्रों पर क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में दो बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: डूंगरपुर एवं बिछीवाड़ा संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत परियोजना डूंगरपुर में

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

212 एवं बिछीवाड़ा में 287 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	विवरण	परियोजना डूंगरपुर	परियोजना बिछीवाड़ा
1	विभागीय भवन में	125	138
2	किराये के भवन में	3	0
3	विद्यालयों में	41	110
4	अन्य/जन सहयोग एवं सामुदायिक भवन में	43	39
	योग-	**212**	**287**

आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की स्थिति का आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में सामूहिक विवाह आयोजन की पंजीकृत संस्थाएं

478. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में सामूहिक विवाह आयोजित करवाने वाली कितनी पंजीकृत संस्थाएं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में जनवरी, 2015 से 31 जनवरी, 2020 तक उक्त संस्थाओं में कितने लोगों द्वारा सामूहिक विवाह हेतु पंजीयन करवाया गया तथा उनमें से कितनी वधुओं के बैंक खाते में अनुदान राशि हस्तांतरित की गईं? संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अनुदान से वंचित वधुओं को अनुदान राशि शीघ्र हस्तांतरित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में सामूहिक विवाह आयोजित करवाने वाली 91 संस्थाएं पंजीकृत हैं। संस्थावार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(2) जोधपुर जिले में जनवरी, 2015 से अब तक 50 संस्थाओं के अन्तर्गत सम्मिलित 1,345 पात्र वधुओं द्वारा सामूहिक विवाह हेतु पंजीयन करवाया गया तथा 1,345 वधुओं व 50 संस्थाओं को नियमानुसार अनुदान राशि रु. 2,03,87,000/- (दो करोड़ तीन लाख सत्यासी हजार मात्र) एफ.डी.आर., चैक द्वारा बैंक खातों में हस्तांतरित की गयी। संस्थावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) हां। सरकार अनुदान से वंचित वधुओं को अनुदान राशि शीघ्र हस्तांतरित करवाने का विचार रखती है। सामूहिक विवाह आयोजित करवाने वाली वधुओं व संस्थाओं द्वारा नियमानुसार निर्धारित समयावधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार अनुदान राशि हस्तान्तरित करवा दी जाएगी।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रायसिंहनगर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

479. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के कौन-कौन से गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत एक वर्ष में उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कितना-कितना पोषाहार तथा कितने परिवारों को चयनित किया गया है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत एक वर्ष में उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कितनी गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्राथमिक शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं? यदि हां, तो कब से? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में दो परियोजनाएं क्रमश: रायसिंहनगर एवं अनूपगढ़ संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत रायसिंहनगर के 249 एवं अनूपगढ़ के 171, कुल 420 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। स्वीकृत केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

माध्यम से आयु वर्ग 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है। उपलब्ध करवाये जा रहे पूरक पोषाहार का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

गत एक वर्ष में चयनित परिवारों की संख्या रायसिंहनगर परियोजना में 7,880 एवं अनूपगढ़ में 7,633 कुल 15,513 है।

(3) विगत एक वर्ष में परियोजना रायसिंहनगर में 1,439 गर्भवती एवं 1,490 धात्री महिलाएं तथा अनूपगढ़ में 1,590 गर्भवती एवं 1,885 धात्री महिलाएं, कुल 3,029 गर्भवती एवं 3,375 धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

(4) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली 6 सुविधाओं में शालापूर्व शिक्षा भी सम्मिलित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दी जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना

480. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त केन्द्रों में कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र रहित स्थानों पर नये आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं? क्या सरकार भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कितने बच्चे व कितनी महिलाएं किस-किस केन्द्र पर नामांकित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में वर्तमान में दो बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: जायल एवं नागौर संचालित हैं। परियोजना जायल में 241 एवं नागौर में 50 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। परियोजना जायल में 237 एवं नागौर में 49 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं। परियोजना जायल में 4 एवं नागौर में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त होने पर ग्राम सभा के माध्यम से भरे जाते हैं जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

(2) वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने पर भारत सरकार द्वारा रोक है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जायल के अन्तर्गत परियोजना जायल में 68 एवं नागौर में 28 सहित कुल 96 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन विहीन हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(4) विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नामांकित बच्चों एवं महिलाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

481. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त में से कितने केन्द्रों के पास राजकीय भवन हैं और कितने वंचित हैं? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजकीय भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों का वर्तमान में संचालन कहां-कहां किया जा रहा है? इनका कितना किराया चुकाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त भवन रहित केन्द्रों हेतु भूमि प्राप्ति के लिए राजस्व विभाग, नगर निगम, जोधपुर और जोधपुर विकास प्राधिकरण से पत्र व्यवहार किया गया है? यदि हां, तो कब-कब एवं क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने हेतु प्राप्त प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को भेजा गया था? यदि हां, तो क्या उक्त की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है? उक्त नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को कब तक खोल दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में कुल 91 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनमें से 75 केन्द्र किराये के भवनों में एवं 16 केन्द्र सरकारी विद्यालयों में संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की स्थिति का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में किराये के भवनों में संचालित 75 आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। किराये में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 750 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है।

(3) भवन रहित केन्द्रों हेतु भूमि प्राप्ति के लिए राजस्व विभाग/नगर निगम जोधपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण से किये गये पत्र व्यवहार का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) भारत सरकार के पत्र क्रमांक 14-1/013 सीडी-1 (पीटी), दिनांक 18.07.2015 द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने पर रोक है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहरथाना में स्वीकृत कार्य

482. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी वित्तीय स्वीकृति कब-कब जारी की गयी तथा कितने कार्यों को पूर्ण किया गया तथा कितने लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में वन मण्डल झालावाड़ द्वारा विगत पांच वर्षों में अधीनस्थ क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति एवं

(राज्य मंत्री, वन)
राशि, सम्पादित कार्य तथा लम्बित कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भोपालगढ़ के गांवों में वन क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि

483. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के विभिन्न गांवों में वनों के लिए आरक्षित भूमि का ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में उक्त क्षेत्र में आरक्षित भूमि के संरक्षण व विकास हेतु क्या-क्या कदम उठाए गये तथा उसके लिए कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित वन क्षेत्र की भूमि का सीमांकन करके उसका संरक्षण करने हेतु कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वन भूमि का वर्गीकरण क्रमश: आरक्षित **(Reserved),** रक्षित **(Protected)** एवं अवर्गीकृत **(Unclassed)** वन भूमि के रूप में होता है।

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कोई आरक्षित वन भूमि नहीं है, अपितु रक्षित वन भूमि है, जिसका ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विगत 2 वर्षों में वन भूमि पर करवाये गये विकास कार्यों एवं व्यय राशि संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट बी अनुसार है।

(3) वन क्षेत्र का सीमांकन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें विभाग द्वारा बजट उपलब्धता के आधार पर वन सीमा पर सीमा स्तम्भ लगाये जाने की प्रक्रिया की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर में पुश्तैनी पेड़ों के संरक्षण की कार्ययोजना

484. श्री रूपा राम (मकराना): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रूपा राम)

(1) प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम में किन-किन प्रजातियों की पौध तैयार की जाती है? यदि हां, तो नागौर जिले में तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा पौध तैयार करते समय किन-किन क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों एवं स्थानीय पृष्ठभूमि का ध्यान रखा जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला नागौर में पुश्तैनी पेड़ कौन-कौनसे जंगलों व खेतों में पाये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नागौर के पुराने समय से पुश्तैनी पेड़ खेजड़ी व केर को बचाने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले में कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर द्वारा तैयार पौधों का तहसीलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) पौधे तैयार करने हेतु नर्सरी लगाते समय तत्स्थान पर भूमि जल मीठा होने, भूमि यथा सम्भव समतल हो व मिट्टी दूमट या काली हो, मिट्टी में खार न हो, आवागमन की सुगमता आदि कारकों का प्रमुखता से ध्यान रखा जाता है। नर्सरी लगाने के बाद उसमें स्थानीय रूप से पनपने वाली प्रजातियों के पौधे तैयार किये जाते हैं।

नागौर जिला मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहां पर ज्यादातर पौधे कांटेदार व कम पानी में पनपने वाले छायादार एवं आम जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए ही तैयार किये जाते हैं।

(3) नागौर जिले के जंगलों एवं खेतों में खेजड़ी, नीम, रोहिड़ा, शीशम, टोर्टलीस, कुमठा, देशी बबूल, सिरस, पीपल, बरगद, अमलताश इत्यादि प्रमुख रूप से पाये जाते हैं।

(4) वर्तमान में खेजड़ी व केर को बचाने की वन विभाग की पृथक से कोई योजना नहीं है, अपितु विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत कराये जाने वाले वृक्षारोपण कार्यों में खेजड़ी के पौधों के रोपण के अतिरिक्त आम जनता को उनकी मांग को देखते हुए पौध वितरण कर खेजड़ी को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किये जाने से इसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रदेश के लोगों की जागरूकता में अभिवृद्धि

(राज्य मंत्री, वन)

हुई है। खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा हेतु राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के प्रावधानों अन्तर्गत इसकी कटाई एवं परिवहन पर रोक है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर में वायु गुणवत्ता का स्तर

485. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर शहर में वायु गुणवत्ता का औसत स्तर क्या है तथा प्रदूषण व वायु गुणवत्ता के आधार पर अजमेर प्रदेश में कौन से स्थान पर है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत दो वर्षों में सरकार द्वारा अजमेर शहर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार प्रदेश के शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या प्रयास कर रही है तथा उक्त के सम्बन्ध में सरकार की आगामी क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर शहर की वायु गुणवत्ता जांच हेतु सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र, सैनिक विश्राम गृह, सिविल लाइन, अजमेर में स्थापित किया हुआ है। इस जांच केन्द्र में सात वायु गुणवत्ता मानकों की जांच की जाती है। उक्त केन्द्र के मासिक एवं वार्षिक औसत स्तर की जानकारी परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अजमेर शहर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण यथा भवन निर्माण विध्वंस, सडक की धूल के अतिरिक्त यातायात व्यवस्था एवं वाहनों से उड़ने वाला धुआं है, जिसके सम्बन्ध में वायु प्रदूषण के तहत कार्यवाही की जाती है।

(3) पर्यावरण विभाग द्वारा अपने अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए किये गये प्रयास परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के सहयोग से जयपुर शहर के विभिन्न प्रदूषक तत्वों की पहचान, उनके स्रोतों एवं उनके प्रभावी उन्मूलन हेतु अध्ययन करवाया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा पांच शहर, जयपुर,

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

जोधपुर, कोटा, उदयपुर को नोन एटनमेंट सिटी (गैर प्राप्ति शहर) योजना के अन्तर्गत इन शहरों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक कार्ययोजना बनायी गयी है। इन कार्ययोजना को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् पर्यावरण विभाग (नोडल विभाग) के पर्यवेक्षण में इसे लागू करने हेतु विभिन्न विभागों को निर्देशित किया जा रहा है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा में पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान

486. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जिला कोटा में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2018-19 व 2019-20 में उक्त जिले में कितनी राशि बेरोजगारी भत्ते पर व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बेरोजगारों को उक्त बेरोजगारी भत्ते का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय कोटा में कुल 39,693 बेरोजगार पंजीकृत हैं।

(2) रोजगार विभाग द्वारा कोटा जिले में अप्रैल, 2018 से मार्च 2019 तक 164 बेरोजगार आशार्थियों को लाभांवित कर 0.52 करोड़ रुपये एवं अप्रेल 2019 से जनवरी 2020 तक 3,661 बेरोजगार आशार्थियों को लाभांवित कर 5.10 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत पात्र स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को भत्ते के रूप में वितरित किये गये हैं।

(3) जी नहीं। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत पात्र बेरोजगार आशार्थियों को नियमानुसार नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

डीडवाना में खेल अकादमी की स्थापना

487. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय खेल स्टेडियम, डीडवाना में सरकार ने अब तक कुल कितने उपकरण उपलब्ध करवाये हैं? खेलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

(2) क्या सरकार उक्त स्थान पर खेल अकादमी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) राजकीय खेल स्टेडियम, डीडवाना में खेलों के विस्तार हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा खेल सामग्री खेल अधिकारी/प्रशिक्षकों की मांग के अनुसार जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों को ही उपलब्ध करायी जाती है।

जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर द्वारा राजकीय खेल स्टेडियम, डीडवाना में खेल उपकरण उपलब्ध करवाये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। डीडवाना में खेल अकादमी बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार जिले की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन हेतु खेल छात्रावास/एकेडमी खोलने के लिए बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विचार करती है।

(3) खेलों के विस्तार हेतु राजकीय खेल स्टेडियम, डीडवाना में विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जिसमें से कुछ पूर्ण हो गए हैं एवं शेष प्रगति पर है। सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़मेर में कार्यरत कौशल विकास केन्द्र

488. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर में वर्तमान में कितने कौशल विकास केन्द्र कार्य कर रहे हैं तथा उक्त केन्द्रों में कितने छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्किल डवलपमेंट सेन्टर में कौन-कौनसे कोर्सेज का प्रशिक्षण दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रशिक्षणार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है? यदि शुल्क लिया जाता है तो प्रत्येक से कितना शुल्क लिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मेवाराम जैन)

(4) क्या स्किल डवलपमेंट सेन्टर से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को कम्पनियों में जॉब भी दिलाया जाता है? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में विगत एक वर्ष में कितने छात्रों को जॉब दिलाई गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में बाड़मेर जिले में तीन कौशल विकास केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों में कुल 168 छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा अधिकृत कोर्सेज, जिनका संचालन स्किल डवलपमेंट सेन्टर में किया जा रहा है**,** की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है**।**

(3) जी हां। प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, अपितु सभी योजनाओं में युवाओं का प्रशिक्षण निःशुल्क है। निगम की कौशल प्रशिक्षण योजनाओं क्रमशः रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (**ESLTP)** एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (**PMKVY)** में युवाओं से पंजीयन राशि, जो सामान्य श्रेणी के युवाओं हेतु रु. 600/- एवं महिलाओं**,** अनुसूचित जाति**,** अनुसूचित जनजाति**,** अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक युवाओं हेतु रु. 300/- है**,** लिया जाता है, ताकि युवाओं में प्रशिक्षण के प्रति गम्भीरता बनी रहे। इसी प्रकार निगम के नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीयन राशि सामान्य श्रेणी के युवाओं हेतु रु. 400/- एवं अन्य वर्गों के लिए रु. 200/- है।

(4) जी हां। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षित युवाओं को योजनाओं के नियमानुसार प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं**।** पिछले एक वर्ष अर्थात् 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक बाड़मेर जिले में प्रशिक्षित किये गये युवाओं में से 99 युवाओं को विभिन्न कम्पनियों में जॉब दिलाई गयी है**।** सेन्टरवार जॉब पाने वाले युवाओं की संख्या का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

लूणकरणसर में आर.एस.एल.डी.सी. के तहत संचालित प्रशिक्षण केन्द्र

489. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुमित गोदारा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कुल कितने प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किस-किस स्थान पर किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर किस-किस ट्रेड में कितने-कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में दो प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। स्थान वार कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रशिक्षण केन्द्रवार एवं ट्रेडवार प्रशिक्षणरत युवाओं की संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 में समायोजित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निर्माण श्रमिक, शिक्षक व कौशल विकास योजना के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति के नियमों में परिवर्तन

490. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि निर्माण श्रमिक, शिक्षक व कौशल विकास योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के नियमों में सत्र 2019 के दौरान बदलाव किया गया है? यदि हां, तो क्या व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2018-19 में छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अजमेर में उक्त योजना के तहत शुभ शक्ति, श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास, दुर्घटना मृत्यु सहायता, सुलभ्य आवास पात्रताधारियों के कितने आवेदन लम्बित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विगत एक वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त योजना के पात्रताधारियों को लाभ नहीं दिये जाने की मंशा से उक्त आवेदनों को लम्बित रखा जा रहा

(श्रीमती अनिता भदेल)

है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक उक्त प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु नियमों में संशोधन नहीं किया गया है।

(2) विभागीय पोर्टल एल.डी.एम.एस. पर प्रदेश में वर्ष 2018-19 के कुल 17,212 आवेदन विभागीय स्तर पर लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) अजमेर जिले में गत एक वर्ष में मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कुल 11,617 आवेदन लम्बित हैं, जिसन से 8,509 आवेदन आक्षेपपूर्ति हेतु हिताधिकारी के स्तर पर तथा 3,108 आवेदन विभागीय स्तर पर लम्बित हैं। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नही। लम्बित आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर ''पहले आओ पहले पाओ'' पद्धति से किया जा रहा है। अत्यधिक पेन्डेन्सी के मध्यनजर संवेदनशीलता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। सर्वप्रथम सिलिकोसिस सहायता योजना मृत्यु सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना एवं शिक्षा सहायता योजना, आदि आवेदनों का निस्तारण किया जा रहा है। मण्डल की वित्तिय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शुभशक्ति एवं सुलभ्य आवास योजना के लम्बित आवेदनों का निस्तारण चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। विशेष प्रयास के रूप में योजनाओं के त्वरित निस्तारण हेतु मुख्यालय स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें अब तक 5.96 लाख से अधिक आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुन्दा में विवाह सहायता के लाभार्थी

491. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में विगत एक वर्ष में कितने लोगों को विवाह सहायता, छात्रवृति तथा अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया गया? ग्रामवार, योजनावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मण्डल द्वारा हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना 31.12.2015 को बन्द कर हिताधिकारी की वयवस्क अविवाहित, 8वीं पास पुत्रियों के कौशल विकास एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दिनांक 01.01.2016 से शुभ शक्ति योजना अधिसूचित की गयी थी, जिसमें दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का प्रयोग स्वयं के विवेक से अविवाहित पुत्री द्वारा विवाह हेतु भी प्रयोग लिये जाने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में गत एक वर्ष में मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कुल 2,063 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया गया है। ग्रामवार, योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना में शुभशक्ति योजनान्तर्गत लाभान्वित बालिकाएं

492. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में वर्ष 2019-20 में कितना बजट स्वीकृत हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में शुभशक्ति योजनान्तर्गत कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुई व कितनी शेष हैं? उक्त योजनान्तर्गत आवेदन फार्म जमा करवाने के उपरान्त अब तक लाभान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं? उक्त पात्र बालिकाओं को कब तक उक्त योजना से लाभान्वित कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2019-20 में 11 करोड़ रुपये की राशि योजना मद में नागौर जिले को आबंटित की गयी।

(2) मण्डल की शुभशक्ति योजना अन्तर्गत डेगाना विधान सभा क्षेत्र की अब तक 31 बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। योजना के 511 आवेदन विभागीय स्तर पर एवं 176 आवेदन आक्षेपपूर्ति हेतु हिताधिकारियों के स्तर पर लम्बित है। उक्त योजना अन्तर्गत आवेदन जमा करवाने के उपरान्त अभी तक लाभान्वित नहीं करने के निम्न कारण हैं:-

(राज्य मंत्री, श्रम)

1. मण्डल की योजनाओं का लाभ निर्माण श्रमिकों अथवा परिभाषित निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों को ही देय है। परन्तु भिन्न सामाजिक अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापनों में 35 प्रतिशत से अधिक गैर निर्माण श्रमिकों द्वारा पंजीयन कराने एवं अनियमित रूप से योजना का लाभ लेने की स्थिति सामने आयी है।

2. श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपकर राशि का प्रयोग अधिनियम की धारा 22 (ए) से (जी) तक उल्लिखित विषयों पर बनाई गई योजनाओं में लाभ अन्य कल्याणकारी योजना की अपेक्षा प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में सीमित फण्ड उपलब्धता तथा संवेदनशीलता की दृष्टि से सिलिकोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता एवं टूलकिट सहायता के आवेदनों को शुभशक्ति एवं सुलभ्य आवास योजना पर वरीयता देते हुए निस्तरित किया जा रहा है। शुभशक्ति योजना तथा सुलभ्य आवास योजना के 2016-17 में प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त पात्र श्रमिकों को हितलाभ देने के निर्देश दिनांक 08.01.2020 को जारी किये जा चुके है। लम्बित आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर ''पहले आओ पहले पाओ'' पद्धति से किया जा रहा है।

उदयपुर सम्भाग में गृह रक्षकों को न्यूनतम सेवा अवसर

493. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर सम्भाग के प्रत्येक जिले में 31 जनवरी, 2020 को कितने पुरुष एवं महिला चयनित हैं? उक्त दिनांक को कितने गृह रक्षक वास्तविक नियोजन पर कार्य कर रहे थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान एवं विगत वर्ष में उक्त सम्भाग के प्रत्येक जिले में कितने गृह रक्षकों को वर्ष भर में एक दिवस भी कार्य अवसर नहीं मिला एवं कितने गृह रक्षकों को निरन्तर 120 दिनों से अधिक का सेवा अवसर दिया गया?

(3) उक्त सम्भाग में सभी गृह रक्षकों को वर्ष में न्यूनतम सेवा अवसर मिले, इस सम्बन्ध में क्या नीति है? उक्त नीति की पालना सुनिश्चित किस प्रकार की जाती है? वर्तमान एवं विगत वर्ष में नीति के विरुद्ध कितने गृह रक्षकों को ज्यादा सेवा का अवसर दिया गया एवं कितने गृह रक्षकों को सेवा का अवसर नहीं मिला?

उत्तर

(1) उदयपुर सम्भाग के प्रत्येक जिले में 31 जनवरी, 2020 को गृह रक्षा स्वयंसेवकों की अधिकृत नफरी एवं नियोजन की स्थिति निम्नानुसार है-

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत नफरी		वर्तमान उपलब्ध नफरी		नियोजन		कुल नियोजन
		पुरूष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
1.	उदयपुर	1210	110	928	78	546	29	575
2.	चितौड़गढ़	860	20	767	0	323	0	323
3.	प्रतापगढ़	310	20	300	0	55	0	55
4.	डूंगरपुर	335	30	328	31	80	04	84
5.	राजसमन्द	550	70	513	66	207	18	225
6.	बांसवाड़ा	330	35	305	30	123	06	129

(राज्य मंत्री, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा)

(2) उदयपुर सम्भाग के प्रत्येक जिले में वर्षभर में गृह रक्षकों को प्राप्त 120 दिवस एवं एक भी कार्यदिवस कार्य अवसर नहीं मिला, की वर्तमान एवं विगत स्थिति का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**वर्षभर में एक दिवस भी कार्य अवसर नहीं मिला**		**120 दिवस से अधिक का सेवा अवसर मिला**	
		वर्तमान	**विगत**	**वर्तमान**	**विगत**
1.	उदयपुर	शून्य	शून्य	775	900
2.	चितौड़गढ़	शून्य	शून्य	216	220
3.	प्रतापगढ़	31	05	30	41
4.	डूंगरपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	राजसमंद	शून्य	शून्य	265	270
6.	बांसवाड़ा	शून्य	शून्य	36	32

(3) सभी गृह रक्षकों को वर्षभर न्यूनतम सेवा अवसर के लाभ मिले, इस हेतु गृह रक्षा विभाग द्वारा रोटेशन से डयूटी लगाने के दिशा-निर्देश जारी कर समस्त जिला समादेष्टा को इन निर्देशों की सख्ती से पालना हेतु निर्देश दिये गये हैं।

निदेशालय स्तर से समय-समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित की जा रही है।

उदयपुर सम्भाग में किसी भी गृह रक्षक को वर्तमान एवं विगत वर्ष में नीति विरुद्ध ज्यादा सेवा अवसर दिये जाने एवं सेवा का अवसर नहीं दिये जाने का एक भी प्रकरण नहीं है।

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं, जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

कृषि भूमि के मूल खातेदार को मालिकाना हक के कानून का निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कृषि भूमि के मूल खातेदार, जो कि सरकार के अनुसार जमीन के मालिक होते हैं, वे आज न्यायालयों के चक्कर काट-काटकर परेशान हो रहे हैं व कई लोग तो चक्कर काटते-काटते मर गये। ताकत, छल, कपट से कुछ वर्ष काश्त कर लेने के आधार पर ही कब्जेधारी माननीय न्यायालयों से नियम/कानूनों की उलझन का लाभ उठाकर मजे ले रहा है, परन्तु मूल खातेदार भूखा मर रहा है। हालांकि राजस्व विभाग द्वारा मेरी जानकारी अनुसार वर्ष 1970 से रिकार्ड में कब्जा लिखना बंद कर दिया। परन्तु फिर भी पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, उप जिला कलेक्टर व राजस्व न्यायालय कब्जा बताकर नामांतरण नहीं खोलते, रजिस्ट्री नहीं करते। इसके कारण मूल खातेदार अपनी जमीन नहीं बेच सकता, न ही हांक सकता, यानि खेती नहीं कर सकता, क्योंकि कब्जाधारी अपना अधिकार बताता है और इसका लाभ उठा रहा है। इसके कारण प्रदेश में लाखों किसान रिकार्ड में कृषि भूमि के मालिक होकर भी वे उस जमीन पर खेती नहीं कर सकते क्योंकि माननीय न्यायालय ने स्थगन दे रखा है। लाखों किसानों का करोड़ों रुपया बेकार जा रहा है। भूमि के मालिक भूखों मर रहे हैं। सरकार को विधान सभा में यह बिल लाकर कानून बनाना चाहिये कि मूल खातेदार को ही उस पर खेती करने का अधिकार या उसकी सहमति से अन्य को खेती करने का अधिकार होगा। कब्जे के आधार पर कोई भी जमीन पर खेती नहीं कर पाएगा। किसी का कब्जा हजार साल से भी क्यों न हो, और यह सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि वह उसका मालिक नहीं बन सकता, न ही मूल खातेदार को खेती करने से वंचित किया जा सकता, परन्तु आज भी कब्जे के आधार पर कार्यवाही हो रही है, जो गरीबों के साथ अन्याय है। यदि सरकार कानून लाती है तो प्रदेश के लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। लाखों मुकदमे अपने आप समाप्त हो जाएंगे।

सरकार का तहसील कार्यालयों, एस.डी.एम. ऑफिसेज, राजस्व न्यायालयों में इन मुकदमों के कारण, जो न्यायालयों का समय व सरकार का खर्च जाया होता है, वह भी बचेगा। मेरा निवेदन है कि अविलम्ब इसका हल

निकालने हेतु कानून बनाया जाना चाहिये, ताकि लाखों गरीब, जो मूल खातेदार हैं, उनको राहत मिल सके। अतः लोक महत्व के इस मामले की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

मदन दिलावर

(रामगंज मण्डी)

ग्राम पंचायतों के सुरक्षा गार्ड्स का नियमितीकरण व न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हर ग्राम पंचायत पर लगे सुरक्षा गार्ड वर्ष 2013-14 से कार्यरत हैं। इनको पंचायत समिति के माध्यम से लगाया जाता है। प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से 3,822 का भुगतान किया जाता है। प्लेसमेंट एजेन्सियों द्वारा अपनी मनमर्जी से सुरक्षा गार्डों को कमीशन काटकर 3,000 रुपये भुगतान दिया जा रहा है। वह भी समय पर नहीं हो रहा है।

अतः मैं मांग करता हूं कि इनको नियमित किया जाये। साथ ही न्यूनतम मजदूरी भी दिये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत है।

सधन्यवाद।

रामलाल शर्मा

(चौमूं)

भ्रष्टाचार की आरोपी उप खण्ड अधिकारी का हनुमानगढ़ जिले से बाहर स्थानान्तरण

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं संचालन नियम 295 के विशेष उल्लेख के जरिये मेरे विधान सभा क्षेत्र के उप खण्ड टिब्बी में पदस्थापित उप खण्ड अधिकारी श्रीमती मीनू वर्मा की कार्यशैली एवं भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उप खण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व वाद गलत पक्षकारों के पक्ष में निर्णीत किये जा रहे हैं। रजिस्ट्री कराने वाले पक्षकारों से खुले तौर पर कहती है कि अगर रजिस्ट्री करवाओगे तो रु. 20,000/- प्रति

बीघा का खर्चा होगा, जिसमें रुपये 2,000 प्रति बीघा मैं लूंगी। इस प्रकार जिन पक्षकारों के नाम कृषि भूमि अन्तरण नहीं हो सकता, उनके पक्ष में अन्तरण किया जाता है। उप खण्ड अधिकारी का व्यवहार एवं कार्यशैली बेहद गलत है, अधिवक्ताओं से बदसलूकी से पेश आती है तथा अधिवक्ता द्वारा पेश किये दावों के लिये भी रिश्वत मांगी जाती है। यह न्यायालय में न बैठकर सदैव अपने चैम्बर में बैठी रहती है। चैम्बर के बाहर एक सिपाही व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बैठाये रखती है। अधिवक्ताओं को चैम्बर मे नहीं जाने दिया जाता है तथा पूछने पर जवाब मिलता है कि मैडम अभी आराम कर रही हैं। राजकीय वाहन का भी इनके द्वारा निजी कार्य हेतु दुरुपयोग किया जा रहा है। उप खण्ड अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन है एवं पक्षकारों को बिना रिश्वत के निष्पक्ष न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में बार संघ टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ द्वारा इनके विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दिनांक 06.02.2020 को जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ को लिखित शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की गयी है। दिनांक 02.03.2020 से सभी अधिवक्ता कार्य का बहिष्कार कर आन्दोलन पर हैं।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जन हित में श्रीमती मीनू वर्मा उप खण्ड अधिकारी, टिब्बी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर इनका स्थानान्तरण जिला हनुमानगढ से बाहर अन्यत्र करने की कृपा करें ताकि गरीब किसानों व आम जनता के राजस्व कार्य समय पर हो सके।

गुरदीप सिंह
(संगरिया)

नारायणपुर तहसील (बानसूर) का क्रमोन्नयन

महोदय,

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ब्लाक एवं नव गठित नारायणपुर तहसील पिछले बजट में बनी थी। उस नारायणपुर तहसील को उप खण्ड बनाने का कष्ट करें क्योंकि नारायणपुर ब्लाक के अनेकों गांवों को कई- कई किलोमीटर दूर से थानागाजी विधान सभा में जाना पड़ता है। जैसे खरकड़ी, बुर्जा ज्ञानसिंह की डाणी, लादूवास कोठिया आदि गांवों में एक-एक काम के लिए छात्र-छात्राओं एवं किसानों को अपने-अपने कामों के लिए थानागाजी जाना पड़ता है और थानागाजी जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई साधन भी नहीं है। जीपों में लटक-लटककर जाना पड़ता है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी नारायणपुर तहसील को उप खण्ड बनाने की कृपा करें।

शकुन्तला रावत

(बानसूर)

निःशुल्क पढ़ रहे छात्रों का भुगतान निजी विद्यालयों को न किया जाना

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षित होने का हमारे जीवन में कितना महत्व है कि हमारी संस्कृति में शिक्षक को भगवान से भी बड़ा माना है। बदले हालातों में गुरुजी का महत्व दिनों दिन घटता जा रहा है, जिसके लिए यह समाज एवं आज की प्रशासनिक व्यवस्था दोनों उत्तरदायी हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार के तहत सभी निजी विद्यालयों में एक निर्धारित प्रतिशत में गरीब परिवार के बच्चों को अध्ययन करवाने की अनिवार्यता की है। शिक्षा अर्जित करना हर नागरिक का संविधान प्रदत्त अधिकार है।

शिक्षित बेराजगार, जिन्हें लाख प्रयत्नों के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती, वे बेरोजगार मिलकर अपने व परिवार के भरण-पोषण हेतु निजी विद्यालय खोलते हैं। ऐसे विद्यालयों में सरकार की नीति के अनुसार निश्चित प्रतिशत तक गरीब बच्चों को प्रवेश देकर उनको शिक्षित करना पड़ता है और उनका सारा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की उदासीनता एवं अपरिहार्य कारणों से उक्त वर्ग के बच्चों की राशि का पुनर्भरण 1-2 साल से बकाया चल रहा है। जो महीने के महीने समय पर विद्यालयों को मिलनी चाहिए थी। जिन बच्चों की फीस बकाया है, उनकी टी.सी. रोकने का अधिकार भी संस्थान प्रधान से छीन लिया गया है। ऐसी स्थिति में निजी विद्यालय को बकाया राशि वसूली नहीं होने के कारण विद्यालय में कार्यरत स्टाफ को वेतन नहीं मिल पाता है, जो उनके अधिकारों का एक प्रकार से हनन है। साथ ही फीस एक्ट के प्रावधान की गलत व्याख्या कर पुन: भरण राशि में कटौती की जा रही है। पुनः निरीक्षण/डबल पारी शुल्क निरस्त व मनमानी वृद्धि करना, कृषि विज्ञान संकाय/विषय वाले प्रकरणों में भी

मान्यताओं में विलम्ब, वार्षिक वृद्धि का प्रावधान होने के उपरान्त भी तीन साल से फीस संरचना में वृद्धि नहीं करना आदि मां सरस्वती के इन पुजारियों के अधिकारों के साथ सरासर नाइन्साफी है।

मेरा माननीय मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों के संगठनों की मांगों को गम्भीरता से लेकर उनकी समस्या का समाधान कर उन्हें न्याय प्रदान कराएं, ताकि दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा अलख जगता रहे।

पुखराज

(भोपालगढ़)

ए.डी.जे. कोर्ट-2, डीग का नगर में स्थानान्तरण

महोदय,

निवेदन है कि ADJ COURT-2, डीग को विधान सभा क्षेत्र नगर के न्यायालय प्रकरणों के निस्तारण हेतु सुरक्षित किया गया है, लेकिन उपरोक्त कोर्ट का संचालन डीग में होने के कारण विधान सभा क्षेत्र नगर के निवासियों को कोर्ट जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे इन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोग समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। नगर में ADJ COURT-2 संचालन के लिए सभी संसाधन उपलब्ध हैं इसलिए सरकार पर किसी प्रकार का भार नहीं आयेगा। अतः अनुरोध है कि ADJ COURT-2, डीग को नगर में संचालित करने का श्रम करें।

वाजिब अली

(नगर)

आमल्दा (जहाजपुर) के सरपंच द्वारा निर्वाचन के समय कूटरचित दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत आमल्दा का सरपंच कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, नामांकन पत्र दाखिल कर सरपंच के पद पर निर्वाचित हुआ है। सरपंच के द्वारा चुनाव अधिकारी को नामांकन पत्र में कांट-छांटकर गलत दस्तावेज पेश किये गये जिनमें उसकी उम्र 21 वर्ष से कम थी व परिवार के राशन कार्ड में भी नाम भिन्न-भिन्न थे,

जबकि सरपंच ने स्थानीय राजकीय उच्च मा. विद्यालय, आमल्दा में शिक्षा प्राप्त की है। उक्त प्रकरण की शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय एवं उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जांच कर सख्त कार्यवाही की जाए।

अतः सरकारी विद्यालय के रिकॉर्ड में एस.आर. रजिस्टर से उम्र का सत्यापन किया जाकर सम्बन्धित सरपंच के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।

गोपी चन्द मीणा

(जहाजपुर)

खाजूवाला में इन्दिरा गांधी नहर के माध्यम से मिल रहे दूषित पेयजल का शुद्धिकरण

महोदय,

निवेदन है कि इन्दिरा गांधी नहर में पिछले काफी समय से पंजाब के लुधियाना, जालन्धर की फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त दूषित पानी वूड़ा नाला के माध्यम से नदी में गिरकर हरिके बांध पहुंचता है। उसके कारण इन्दिरा गांधी नहर में दूषित पानी आ रहा है, जो कि खाजूवाला में सिंचाई व पेयजल के लिए काम में लिया जाता है। खाजूवाला में नहरों में जो दूषित पानी आता है, वही पेयजल में उपयोग लिया जाता है। खाजूवाला क्षेत्र में पेयजल का और कोई विकल्प नहीं होने के कारण इ.गां.न.प. का ही पानी पीने में उपयोग लेना पड़ता है। खाजूवाला क्षेत्र में पाताल में भी पानी नहीं होने के कारण पूर्ण रूप से नहर के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहां भी 199 पेयजल डिग्गियां, जो कि सैनिटरी की डिग्गियां हैं तथा पी.एच.ई.डी. विभाग के अधीन नहीं होने से पिछले कई वर्षों से डिग्गियों की सफाई नहीं होने से पानी गन्दा रहता है व पेयजल डिग्गियों में कई बार पशु गिर जाने से डिग्गियों में पानी गन्दा हो जाता है। फिर भी मजबूरन किसानों को उसी डिग्गी का पानी पीना पड़ता है। ये डिग्गियां, जो कि पिछले 50 साल से बनी हुई हैं इनकी समय पर कोई सफाई नहीं होती। अब ये डिग्गियां जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, पुरानी हो चुकी हैं, टूट भी चुकी हैं। जिन गांवों व चकों में तथा जो गांव जलदाय विभाग के अधीन हैं, जहां विभाग ने फिल्टर प्लांट लगा दिये गये हैं, उन गांवों में तो पेयजल की व्यवस्था ठीक है, लेकिन जहां फिल्टर व्यवस्था नहीं है, वहां हालात बहुत खराब है। इसलिए मेरी मांग है कि 199 पेयजल डिग्गियों को

जलदाय विभाग अपने अधीन लेकर फिल्टर प्लांट लगवाकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करे, ताकि खाजूवाला की जनता को शुद्ध पेयजल मिल सके।

सादर।

गोविन्द राम

(खाजूवाला)

बगरू में बड़े अस्पताल की स्थापना

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बगरू में सी.एच.सी. सन् 2013 में खोली गयी थी, लेकिन यहां पर उपलब्ध सुविधा के अनुसार यह एक उप स्वास्थ्य केन्द्र ही लगता है। यहां भवन की कमी है, आउट डोर नहीं है, भर्ती करने की व्यवस्था नहीं है। यहां पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। यहां लोगों को इलाज के लिए दूर-दराज के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है। लोगों की अपने इलाज के लिए आसपास के प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज करवाना पड़ता है, जो कि अल्प आय वर्ग के लोगों के लिये सम्भव नहीं है।

'निरोगी राजस्थान' का सपना प्रदेश में तब ही साकार हो पायेगा जब लोगों को आसपास ही उचित चिकित्सा सुविधाओं वाला सरकारी अस्पताल उपलब्ध हो सके तथा लोग वहां जाकर अपने रोगों की जांच करवा सके एवं उचित चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकें।

अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि बगरू विधान सभा क्षेत्र मैं बड़ा अस्पताल खुलवाने की कृपा करें, जिससे आम लोगों को उचित चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें तथा निरोगी राजस्थान का स्वप्न साकार हो सके।

सादर।

गंगा देवी

(बगरू)

पीलीबंगा में नये संकाय खोलकर व विद्यालयों को क्रमोन्नत कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में

पीलीबंगा क्षेत्र के रा.बा.उ.मा. विद्यालय में बालिकाओं की संख्या ज्यादा है। इसमें विज्ञान संकाय नहीं है। कृपया कृषि, गणित, अर्थशास्त्र, रसायन, भौतिक विज्ञान, भूगोल संकायों के विषय सृजित करवाएं। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र चक 15-16 kwd रा.उ.मा.वि., रावतसर में भी विज्ञान संकाय खोला जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर में भी कृषि विज्ञान, गणित विज्ञान, भूगोल इत्यादि भी खोला जाए, ताकि गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें।

रा.मा.वि., 6 HLM को रा.उ.मा.वि. में क्रमोन्नत किया जाए। रा.प्रा.वि., 2 सीएलडी, 7 डीडब्लयूएम, रावतसर को उ.प्रा.वि., नं. 01 एलजीडब्ल्यू को उ.प्रा.वि. 7 चक 10 एमओडी को रा.उ.प्रा.वि., संस्कृत, चक 3 एमओडी को माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाए। चक 11 एसटीजी, ग्राम पंचायत डबलीवास कुंतब (पीलीबंगा) में नवीन प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत किया जाए।

धर्मेन्द्र कुमार

(पीलीबंगा)

सलूम्बर के ऐतिहासिक व अन्य पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण व सुदृढ़ीकरण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 1. मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा तहसील स्थित चावण्ड में महाराणा प्रताप का स्मारक स्थल तथा समाधि स्थल है। इस स्मारक स्थल व समाधि स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने हेतु मैं पर्यटन मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। समाधि स्थल की जमीन का चबूतरा वर्षा के समय जमीन में धंस जाता है। इस चबूतरे को ऊपर उठाने के लिए भी बजट आबंटित किया जाये। बण्डोली गांव से समाधि स्थल तक पुल का निर्माण किया जाए और पुराने पुल को ऊपर उठाया जाये तथा पर्यटन विभाग में शामिल किया जाये।

2. इसके अलावा सलूम्बर के राजमहलों में हाडा रानी की प्रतिमा स्थापित हुई है। हाडा रानी के महल गौखड़े द्वार, गार्डन, शौचालय, स्वागत कक्ष इत्यादि बनाये जाने व इनके सुदृढ़ीकरण करने के लिए बजट जारी किया जाये।

3. इसके साथ ही मानव निर्मित मीठे पानी की जयसमंद झील की पाल, हवामहल, रूठी रानी के महल व पाल के ऊपर राजा जयसिंह व ढिब्बा पटेल की मूर्ति व द्वारों का निर्माण कर इन्हें विकसित करने की योजना बनाकर बजट आबंटन किया जाये।

अतः मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से आशा एवं विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप उक्त तीनों बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित कर बजट स्वीकृत करके उक्त कार्यों को शीघ्र करवाएंगे।

अमृतलाल मीणा

(सलम्बूर)

गोडावण के संरक्षण हेतु बारां के सोरसन में चिन्हित जमीन के दायरे में बढ़ोतरी

माननीय,

राज्य पक्षी एवं दुर्लभ वन्य जीव गोडावण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आश्रय स्थली एवं वापस विचरण के लिए प्रसिद्ध रहे बारां जिले के सोरसन क्षेत्र में गोडावण पक्षियों को वापस आकर्षित कर संख्या बढ़ाने तथा प्रभावी संरक्षण प्रदान करने की अति महती आवश्यकता है। वर्ष 1992 के पूर्व इस क्षेत्र में 300 से अधिक गोडावण पक्षी प्रजनन एवं विचरण करते रहे हैं।

भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा गोडावण के कृत्रिम प्रजनन केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही एवं संरक्षण हेतु बारां जिले के सोरसन में फैसिलिटीज़ का विकास करने की कार्यवाही की जा रही है। सोरसन वन क्षेत्र में गोडावण को पुनः प्रवासित करने हेतु प्रजनन केन्द्र की स्थापना किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। इसके लिए भूमि भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा उपयोग में लेने हेतु चिन्हित कर ली गयी है। इस भूमि एवं सोरसन के आस-पास की कोटा जिले के समीपवर्ती ग्राम राजगढ़, अडूसा, कुराड़िया, बायड़ा सुण्डक्या, बम्बूलिया, टोक महू, खान की झोपड़ियां, चींछा आदि ग्रामों के क्षेत्र को भी गोडावण प्रजनन केन्द्र में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, ताकि यह पक्षी शांतिपूर्ण माहौल में पुनः अपना स्थायी बसेरा बना सके। आवश्यक है कि गोडावण की शांतिपूर्ण आश्रय स्थली का दायरा बढ़ाकर कोटा-बारां जिले की कम से कम 1000 (एक हजार) हैक्टेयर भूमि चिन्हित की जाकर संरक्षित घोषित की जाए।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान ने दिनांक 10 फरवरी, 2019 को खनन माफियाओं के प्रभाव में आकर जन हित के विरुद्ध 740 हैक्टेयर को संशोधित कर 676 हैक्टेयर क्षेत्र करने के दिये निर्देश को रद्द किया जाकर समीपवर्ती कोटा जिले के ग्रामों को भी सम्मिलित करते हुए कम से कम 1000 (एक हजार) हैक्टेयर का क्षेत्र संरक्षित घोषित किया जाए। सोरसन

गोडावण क्षेत्र में राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण एवं पुनः प्रजनन केन्द्र बनाने में विभागीय प्रयास अत्यन्त ही मन्थर एवं निराशाजनक हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस क्षेत्र से गोडावन पक्षी द्वारा दूरी बनाये रखने के तथ्यों की जांच करने से भी अधिकारी बचना चाह रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि दुर्लभ वन्य जीव राज्य पक्षी गोडावण की पुरानी मुख्य आश्रय स्थली बारां-कोटा जिले के सोरसन में गोडावण प्रजनन बढ़ाने एवं उनके प्रभावी संरक्षण के लिए चिन्हित क्षेत्र का दायरा 1000 (एक हजार) हैक्टेयर करने तथा आसपास के उपर्युक्त गांवों के क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित विभागीय प्रयासों में तत्परता से कार्यवाही करवाने के आदेश प्रदान कराएं।

रामनारायण मीना

(पीपल्दा)

कोटा की कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

माननीय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान कोटा शहर में जन हित के एक ज्वलन्त विषय की ओर आकर्षित कर ये निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में कच्ची बस्तियों में लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सुविधाओं के अभाव में गंदगी और दूषित पेयजल आदि समस्याओं से बीमारियों के कारण मासूम बच्चों की मौतें हो रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के विज्ञान नगर में स्थित छत्रपुरा बस्ती में नाला गुजर रहा है। यह नाला गंदगी से अटा हुआ है, पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। विज्ञान नगर से छत्रपुरा की ओर नाले पर पुलिया का निर्माण भी ठीक से नहीं हो पाया है। घोड़ा बस्ती में सामुदायिक भवन दुर्दशा का शिकार हो रहा है। लोगों के घरों में नलों के कनेक्शन नहीं हैं। पूरी बस्ती केवल एक सरकारी नल से पानी भरती है, जिसमें भी आए दिन गंदा पानी आता है। कई बस्तियों में नालियां नहीं हैं। खाली भूखण्डों पर कचरा जमा है। इन बस्तियों से नियमित रूप से कचरा नहीं उठ रहा है जिससे बस्ती में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इसके अलावा एक अन्य दुर्गा बस्ती में खम्भों पर बिजली के तार झूल रहे हैं। क्रेसर बस्ती, बरडा बस्ती में पक्की सडकें नहीं हैं। पेयजल के लिए एक या दो ही बोरिंग हैं जिससे गर्मियों के दिनों में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है। नगर निगम

द्वारा कचरा नहीं उठाये जाने से यहां कचरे के ढेर लगे हैं। बस्ती में सामुदायिक भवन और शौचालयों का अभाव है। बस्तियों में आवारा पशुओं के विचरण की काफी बड़ी समस्या है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की किसी भी कच्ची बस्ती के हालात संतोषजनक नहीं हैं। लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। गंदगी से और उपचार के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। हाल ही में दादाबाड़ी स्थित उड़ीया कच्ची बस्ती में तीन बच्चों की मौत बीमारी से हो गयी, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

अतः मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग है कि विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण की सभी कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाया जाये और बस्तीवासियों के स्वास्थ्य के लिए उचित स्वास्थ सेवाएं मुहैया करवाई जाये।

संदीप शर्मा

(कोटा दक्षिण)

पाराहैडा व गोपीनाथ का गडा ग्राम पंचायतों (गढ़ी) में विकास अधिकारी तथा सचिव द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में पंचायती राज विभाग के तहत पं.स. गढ़ी की ग्राम पंचायत पाराहैडा एवं ग्राम पंचायत गोपीनाथ का गड़ा में विकास अधिकारी गढ़ी एवं ग्राम पंचायत के सचिव जे.टी.ए. ने मिलकर लाखों रुपयों की राशि बिना काम किये ही उठा ली है। 1-पाराहेडा में 4,29,750 रु. एवं 2-10,64,000 रु. 3-4,30,000 रु. 4-2,10,000 रु. मौके पर बिना काम किये कुल 21,33,750 रु. उठा लिए हैं एवं मस्टररोल भी नहीं भरे। गोपीनाथ का गडा ग्राम पंचायत में एस.एफ.सी. के अन्तर्गत 40 लाख की स्वीकृति जारी कर मौके पर एक लाख रुपये का काम नहीं कराया गया है तथा विकास अधिकारी गढ़ी ने उदयपुर से आने वाली स्थानीय निधि अन्वेषण विभाग की आडिट टीम से आडिट करवा ली है एवं इस भ्रष्टाचार में आडिट टीम भी शामिल है।

पाराहैडा ग्राम पंचायत में 12 निर्माण कार्य ऐसे हैं, जिनका मूल्यांकन तकनीकी अधिकारी से कराये बिना 38 लाख 87 हजार रुपये उठा लिये गये हैं। कार्य मौके पर नहीं हैं। इसके अलावा पं.स. गढ़ी में कुल 40 ग्राम पंचायतें

सम्मिलित हैं तथा वहां के विकास अधिकारी राजेश वर्मा ने अन्य मद व मनरेगा योजना के कार्यों की स्वीकृतियां जारी करके वर्ष 2018-19, 2019-20 में मौके पर कार्य नहीं कर करोड़ों की राशि सचिव व अन्य कर्मचारियों में मिलकर उठा ली है।

पं.सं. गढ़ी की 40 ग्राम पंचायतों के 2018-19, 2019-20 के स्वीकृत समस्त एस.एफ.सी., ई.एफ.सी. मनरेगा योजना के कार्यों की जांच कराना आवश्यक है, जिसमें गम्भीर भ्रष्टाचार हुआ है तथा बीडी.ओ. सचिव द्वारा एक कार्य पर दो-दो योजना में राशि उठा ली गयी। वहां पर मौके पर कार्य भी नहीं किये गये हैं। पं.स. गढ़ी का सबसे बड़ा महाघोटाला हुआ है। दीपावली त्यौहार पर बोनस में 50 हजार रुपया प्रति पंचायत एवं होली त्यौहार पर 20 हजार रुपया प्रति पंचायत वसूला जाता है। विकास अधिकारी द्वारा खुद सचिव को डरा धमका कर लिया जाता है। बी.डी.ओ. इस राशि से जेब भरने का काम कर रहे हैं।

श्रीमान्, आपसे निवेदन करते हुए पंस. गढ़ी की 40 ग्राम पंचायतों के आम जनता के विकास में भ्रष्टाचार की जांच कराकर जन हित में उचित कार्यवाही कर भ्रष्ट अधिकारियों को निलम्बित करने की आशा करता हूं।

कैलाशचन्द्र मीना

(गढ़ी)

अटरू कस्बे का नगरपालिका में क्रमोन्नयन

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर ये निवेदन करना चाहता हूं कि अटरू बारां जिले का एक ऐसा कस्बा है, जहां एक ही कस्बे में तीन ग्राम पंचायतें हैं। यह कस्बा नगरपालिका के सभी मापदण्ड पूरे करता है, लेकिन फिर भी इसे नगरपालिका का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र की जनता लम्बे समय से अटरू को नगरपालिका घोषित करने की मांग करती आ रही है। अटरू कस्बे की कुल आबादी लगभग 40 हजार है, जो नगरपालिका बनाने के लिए पर्याप्त है। अटरू कस्बे में तीन ग्राम पंचायतें खेड़लीगंज, रतनपुरा और अटरू के होने के कारण लोगों को ये तक पता नहीं है कि कौन सी ग्राम पंचायत का क्षेत्र कहां से शुरू होता है तथा किस काम के लिए

कौनसी पंचायत में जाना है। नगरपालिका नहीं होने व तीन ग्राम पंचायतों में कस्बा विभाजित होने से आज भी कस्बा विकास को तरस रहा है। गली मोहल्लों में खरन्जे नहीं हैं, कहीं जगह पर नाली नहीं है। जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं मुख्य सड़क मार्ग पर रोड लाइट का अभाव है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्रवासियों के हित में अटरू कस्बे को नगरपालिका घोषित किया जाये।

पानाचन्द मेघवाल

(बारां-अटरू)